खण्ड-300, अंक-10
शुक्रवार, 1 पौष, शक संवत् 1894
(22 दिसम्बर, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

—०—

उपस्थित सदस्य 385

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पान्डेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत सिंह, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकार, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोण्डा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोबिन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री

चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधारी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल डाक्टर (उर्फ डाक्टर मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मबीर, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला मुजफरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री

बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी श्रीमती,
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, (जिला अलीगढ़)
महोरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महो लाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त, सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजा राम, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम करन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलार मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
बीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिडारा, श्री
शांन्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री

श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
संतराम, श्री श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूयनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—पंचायती राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं श्री पी० डी० टन्डन, राज्य सूचना मंत्री भी उपस्थित थे ।

—०—

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1972

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर खाद के कारखाने में मजदूरों की हड़ताल तथा मांगें

** 1—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर खाद के कारखाने में 19 सितम्बर, 1972 से मजदूरों की हड़ताल चल रही है यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है मजदूरों की मांग तथा हड़ताल खत्म करने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

गोरखपुर के दि फर्टीलाइजर, कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, गोरखपुर डिवीजन, गोरखपुर में दिनांक 19–9–72 से 20–10–72 तक हड़ताल थी ।

श्रमिकों की 14 मांगों में प्रमुख मांगें निम्न थीं:

1—(अ) वर्ष 1968–69 तथा वर्ष 1969–70 का न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस,

(ब) 1970–71 का अतिरिक्त बोनस] 4.30 प्रतिशत,

(स) वर्ष 1971–72 के लिए 20 प्रतिशत बोनस का भुगतान किया जाय ।

2—श्रमिकों को 3 साल एक पद पर पूरा करने के उपरान्त तुरन्त पदोन्नति (अपग्रेडेशन) दिया जाय ।

3—ओवरटाइम एरियर का भुगतान ।

4—कैमिकल, डस्ट, शिफ्ट, वार्शिग, साइकिल/स्कूटर, हीट, फील्ड तथा चिल्ड्रेन एजूकेशन एलाउन्स दिया जाय ।

5—वर्कमैन कैटेगरी (श्रेणी) के कर्मचारियों को क्वार्टर रेण्ट एलाउन्स के बराबर 7.5 प्रतिशत क्वार्टर किराया भी दिया जाय ।

6—"ई" टाइप के क्वार्टरों को कांटेदार तारों से घेरा जाय तथा 500 क्वार्टरों का निर्माण किया जाय ।

7—डेथ बैनेफिट स्कीम में मैनेजमेंट 1/4 धनराशि अपनी ओर से दे ।

8—फैक्ट्री के कर्मचारियों को हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु ऋण दिया जाय । लागत पर यूरिया खाद दी जाय ।

9—ठेकेदारी की प्रथा की समाप्ति की जाय तथा फिलहाल अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 5 रु० प्रतिदिन के हिसाब से दी जाये ।

10—कारखाने से विस्थापित किसानों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय ।

उपर्युक्त मांगों में संदर्भादेश सं० 5114/श्र० आ० -36 श्रम (क), दिनांक 21-8-1972 द्वारा 1968-69 तथा 1969-70 का बोनस व 1970-71 की अतिरिक्त बोनस की मांग तथा दूसरे संदर्भादेश 5137/श्र० आ०। 21-8-1972 द्वारा ओवरटाइम, चिल्ड्रेन एजूकेशन एलाउन्स, ट्रेवल कन्सेशन, कैमिकल, डस्ट तथा शिफ्ट, साइकिल मैन्टेनेन्स तथा वर्दी वार्शिग एलाउन्स की मांग भी औद्योगिक न्यायाधिकरण, (2) लखनऊ को अभिनिर्णयार्थ भेजी गई ।

30-10-1972 को शासन ने तीसरे संदर्भादेश संख्या 6436/श्रम० आ०/ -36, श्रम (क) द्वारा हीट एलाउन्स, "ई" टाइप क्वार्टरों में कांटेदार तार लगवाये जाने तथा लागत मूल्य पर कर्मचारियों को खाद दिये जाने का विवाद भी औद्योगिक न्यायाधिकरण (1), इलाहाबाद को अभिनिर्णयार्थ भेज दिया।

बाकी मांगें संदर्भित किये जाने के योग्य नहीं समझी गयीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मांगें सरकार की नोटिस में कब आयीं और सरकार ने मालिकों और मजदूरों के बीच में समझौता करने के प्रयास 19 सितम्बर के पूर्व किस-किस प्रकार से किये और क्या यह भी सही है कि मजदूरों ने यह कहा कि हम सीधे मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट ने मजदूरों से बात करने से इंकार कर दिया ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, परिस्थिति यह है कि वहां एक रिकगनाइज्ड यूनियन है । वहां के मालिकों ने कहा कि हम रिकगनाइज्ड यूनियन से निश्चय ही बात करेंगे लेकिन रिकगनाइज्ड यूनियन के पदाधिकारी सेक्रेटरी और प्रेसीडेन्ट ने बात नहीं की । श्रम विभाग का जहां तक ताल्लुक है, हड़ताल शुरू होने के पहले ही मुख्य-मुख्य मांगे न्यायाधिकरण को भेज दी गयी थीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया । मैंने यह पूछा था कि इस बीच में जब नोटिस मिली सरकार को तो उस अवधि में और हड़ताल होने की तिथि में सरकार की तरफ से या लबर डिपाटमेंट की तरफ से हड़ताल को रोकन क लिय, आपस में समझौता कराने क लिये कौन

कौन से प्रयास हुए क्योंकि श्रीमन् एक कंसीलिएशन मशीनरी भी सरकार के पास है। सरकार कहती है कि न्यायाधिकरण को भेज दिया गया यह रिकंसीलिएशन मशीनरी फेल हो गयी थी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, जब कंसीलिएशन बोर्ड बनाने के लिये दरख्वास्त दी जाती है तब कंसीलिएशन मशीनरी की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। रूल 4 के अन्तर्गत वार्ता की गयी लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार के पास यह मांगें पहुंचीं तो उसके बाद सरकार नें मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में कोई ऐसा समझौता कराने का प्रयास किया कि जिससे हड़-ताल न होने पाये ? इस दिशा में सरकार ने कौन से कदम उठाये ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि हड़ताल प्रारम्भ होने के पहले ही मुख्य-मुख्य बातें न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर दी गयीं थीं और जहां तक मालिकों और मजदूरों के आपस में बठाकर समझौता करने का ताल्लुक है वह प्रोसीडिंग रूल 4 के अन्दर किया गया लेकिन कामयाबी नहीं हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि न्यायाधिकरण को देने के लिये दोनों पक्षों में से किसी ने प्रार्थना पत्र दिया था या सरकार ने खुद ही भेजा ? और दूसरा यह कि क्या सरकार यह अनुभव करती है कि यदि उनकी मांगें उचित है तो उनको शीघ्र ही न्यायाधिकरण से न्याय कराकर न्याय दिया जाय वरना उससे कितनी हानि होती है, इसपर विचार करेंगे?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जब तक हड़ताल की नोटिस में मांगें नहीं आती हैं तब तक हम मजदूर अदालत को भेज ही क्या सकते हैं ? जब हड़ताल के नोटिस में मांगें लिखकर आयीं तो उनमें से प्रमुख छांट कर मजदूर अदालत को भेज दिया । हम यह नहीं कहते हैं कि अदालत जल्दी से जल्दी फैसला करे, वह तो पार्टीज पर मुनहसिर है। अब जक डेट्स ली जा रही हैं, लोग दिल्ली जा रह हैं, मगर ट्रायब्यूनल के आगे अपना मामला पेश नहीं कर रहे हैं, वहां मामले को प्रासीक्यूट नहीं कर रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह जो बताया कि खण्ड 4 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी लेकिन सफल नहीं हुई तो कौन सी कार्यवाही की गई जो असफल हो गयी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, रूला 4 के अन्दर पार्टियों को बुलाते हैं और मांगों पर समझौता कराते हैं..

श्री अध्यक्ष—

यह न बतायें कि क्या होता है, यह बताइये कि पार्टियों को बुलाया गया, कोई प्रयास किया गया ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

वही किया गया, समझौता कराने का प्रयास सफल नहीं हुआ ।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी बतायेंगे कि इसी हड़ताल के दौरान कितने श्रमिक पकड़े गये उन पर कौन सी धारा में मुकदमें चलाये गये और इस देश की विषम परिस्थिति को देखते हुए इस कारखाने के बन्द रहने से कितना कार्य का नुकसान हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो आ गया है ।

श्री रामगोपाल संड---

यह नहीं बताया गया कितने पकड़े गये, उनपर कौन कौन सी धाराएं लगायी गयीं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

कितन लोग पकड़ गये, किन धाराओं में पकड़े गये "दिस क्वेश्चन डज नाट स्टेम आउट फ्राम माई रिप्लाई" ।

श्री अध्यक्ष---

अंग्रेजी में उत्तर मत दीजिए ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अनेक बार इस सदन में तय हो चुका है और जबसे कम से कम आपने इस विभाग का चार्ज लिया हैयह तय हो चुका है कि कर्मचारी जब हड़ताल करेगा तो पुलिस का ऐक्शन नहीं होगा जब तक ला एण्ड आर्डर सिचुएशन डिमांड नहीं करती । तो मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से पुलिस बीच में आयी जब कि शान्तिपूर्ण हड़ताल चल रही थी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मैं इसकी सूचना चाहूंगा तो बतला सकूंगा कि कितने लोग पकड़े गये और किस कारण से पकड़े गये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं कहता हूं कि पुलिस बीच में आयी क्यों जबकि शांतिपूर्ण हड़ताल चल रही थी ? यह तो आप मानते हैं कि पुलिस आयी ?

श्री अध्यक्ष---

आपने माना है कि पुलिस आयी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

इसकी भी सूचना मुझको चाहिए ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

ऐसे कारखाने जो कृषि उत्पादन से संबंधित हैं और यह भी ऐसा ही है तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि वहां के मजदूरों को न्यायोचित मांगों को तुरन्त मानने और ऐसी नौबत न आने दे कि हड़ताल हो और यदि सरकार असमर्थ रहती है तो ऐसे कारखाने में हड़ताल करने की अनुमति न दी जाय, क्योंकि इससे किसानों पर बुरा असर पड़ता है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

हड़ताल तो पहले दिन से ही गैर-कानूनी थी । क्या हम लोग गैर-कानूनी हड़ताल की इजाजत देते हैं ?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

हड़ताल खुलने के बाद जब कारखाना चला तो क्या वह अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहा है या कमी के साथ चल रहा है ? यदि कमी के साथ चल रहा है तो कितनी कमी के साथ ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

इसके लिये भी सूचना की जरूरत है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। सवाल में लिखा है कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर खाद के कारखाने में 19 सितम्बर, 1972 से मजदूरों की हड़ताल चल रही है? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है? माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि कितने लोग पकड़े गये, क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है....

श्री अध्यक्ष—

जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होते हैं उनके बारे में इतने डिटेल में सूचना नहीं होती।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसकी जानकारी इनको होनी चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रश्न बड़ा अहम है। इसकी नोटिस 11 नवम्बर को सरकार को दी गयी। आज 21 दिसम्बर तक भी सरकार ने कोई सूचना अगर नहीं मंगाई तो आप स्वयं देख लें कि कितना पर्याप्त समय इनको मिल चुका है, इसका पर्याप्त उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह कहीं भी नहीं पूछा गया था कि कितने आदमी पकड़े गये, वगैरह।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पूरे विवरण में सारी बातें हैं, कितने आदमी गिरफ्तार हुये, किस दफा में गिरफ्तार हुये, कैसे हड़ताल तुड़वाई, किस किस के क्वार्टर में घुस कर मारा।

श्री अध्यक्ष—

तो इसमें वक्तव्य के लिये मांग करनी थी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप पोस्टपोन कर दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन पूरा विवरण दें।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम 49 में दीजिये।

उदित नारायण इन्टर कालेज, पड़रौना (देवरिया) में गबन का आरोप

**2—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उदित नारायण इण्टर कालेज, पड़रौना, जिला देवरिया में 42,000.00 (लगभग) की गबन की सूचना हाल में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने आज तक उक्त वसूली के लिये क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

गबन के समय उस कालेज के प्रबन्धक कौन थे?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसकी सूचना की जरूरत है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह प्रश्न 16–12–1972 को दिया गया। एक महीने से अधिक हो गया और इसके अन्दर सूचना केवल एक प्वाइंट पर जाननी थी कि गबन हुआ या नहीं। तो इतनी सी सूचना के लिये यहां से उससे सम्बन्ध जोड़ने में क्या 2–3 दिन से ज्यादा लगेगा? जहां सरकार कार्नर होती है वहां एक जवाब आ जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स हैं वे आखिर में लगाये जाते हैं। तो आप जो इस सदन की कार्यवाही चलाते हैं इस बात पर तो ध्यान दीजिये कि मंत्री लोग हमारी सब बातों को ऐसे टाल देते हैं। यही तो हमारा एक प्रिविलेज है। तो इसमें आप व्यवस्था दें और मंत्री जी को आदेश दें कि जनवरी वाले सत्र में इस सवाल का जवाब पूर्ण रूप से आये।

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो मैं मांग नहीं सकता कि क्या जवाब भेजें, देर क्यों लग रही है यह आप पूछ सकते हैं।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह पूछा गया है कि क्या गबन हुआ है, कोई शिकायत सरकार को मिली है। तो शिकायत मिलने का कौन-कौन स्थान है यह जरा देखें। जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद का डायरेक्टर आफ एजूकेशन, शिक्षा विभाग। कहां-कहां शिकायत गयी है, बिना पूरी सूचना एकत्र किये कैसे जवाब दिया जायगा।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मैं आप की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इस कालेज के बारे में एक रिट हाई कोर्ट में फाइल है जहां शिक्षा विभाग और डिस्ट्रक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने कहा है कि 42 हजार रुपये का गबन है। तो ऐसी हालत में हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? इस प्रश्न का जवाब नहीं आ सकता जब तक कि आप आदेश नहीं देंगे।

श्री राज बिहारी सिंह—

यह एक अहम सवाल पैदा हो गया। हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल है तो कागज वगैरह देखने में और अधिक समय लगेगा।

कुंवर प्रताप नारायण सिंह—

डी० आई० ओ० एस० ने अपने जवाब में लिखा है कि 42 हजार का गबन है। यह छिपाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दे दिया, आप बैठें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर सब्जूडिस है तो जवाब तो आना चाहिये कि.....

श्री राजबिहारी सिंह—

श्रीमन्, शासन को पता नहीं है कि गबन है।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्वयं कहा है कि गबन है.....

श्री अध्यक्ष—

मगर उनको सूचना नहीं है, यही तो वे कहते हैं।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

यह आश्वासन दिलवा दें कि वे किसी उच्च अधिकारी को भेज कर इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप गवर्नमेन्ट में आ जाइये तो अच्छा रहेगा।

बिजली की कमी से प्रदेश की मिलों को हानि

**3—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजली की कटौती के कारण प्रदेश की कितनी मिलें बन्द हो गईं? कितनी मिलों में एक पाली समाप्त हो गई? सरकार निकाले गये तथा बैठकी कराये गए श्रमिकों के लिये क्या योजना बना रही है? इस बिजली कटौती से उत्पादन की कितनी कमी होने का अनुमान है?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

प्रदेश में कोई भी मिल या कारखाना बन्द नहीं हुआ परन्तु 53 कारखानों में एक या उससे अधिक पाली समाप्त हो गई। बिजली कटौती के कारण बैठकी कराये गए श्रमिकों के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु शासन प्रयत्नशील है कि कटौती इस प्रकार की जाए कि उत्पादन और श्रमिकों पर कम से कम प्रभाव पड़े।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कटौती के कारण 30-11-1972 तक लगभग 4.54 करोड़ रुपये की उत्पादन हानि होने का अनुमान है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन 53 में से कितने कारखानों में एक पाली और कितनों में एक से अधिक बन्द रही तथा कितने श्रमिकों की बैठकी करायी गयी?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

48 में एक पाली बन्द रही, 3 में दो और दो में चार।

श्री रामगोपाल संड—

कितने मजदूरों की बैठकी हो गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

14,218 स्थायी तथा 11,803 अस्थायी श्रमिक बैठकी पर गये।

श्री रामगोपाल संड—

इन 25 हजार श्रमिकों के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ताकि वे बेकार न रह सकें?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि कम से कम लोग बेकार हों।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इस कटौती के कारण क्या डिपार्टमेंट के श्रमिक भी हटाये जा रहे हैं या आगे हटाने की बात चल रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

डिपार्टमेंट में तो काम कम हुआ नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या विद्युत की स्थिति सुधर जाने पर मेरी सूचना है कि वह सुधर रही है, इस कटौती को समाप्त करेंगे ताकि उद्योगों का और मजदूरों का नुकसान न हो सके?

वित्त, विद्यत् एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं इस सम्मानित सदन से पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उद्योगों में बिजली की कटौती हो, यह कटौती तो बिजली की कमी के कारण करनी पड़ी मजबूर हो कर। अगर भविष्य में कहीं वर्षा अच्छी हो जाय, जलाशय भर जायें और भद्रपुर से बिजली मिल गयी तो यह कटौती समाप्त हो जायेगी। कटौती तो जब तक कमी है तभी तक है।

श्री रामगोपल सण्ड—

सरकार का अनुमान है। 30 नवम्बर, 1972 तक 4 करोड़ 54 लाख रुपये की क्षति हुई है और इस प्रकार से साल के अन्त तक यानी मार्च तक यह क्षति और बढ़ जाएगी, इससे स्पष्ट है कि चीजों के दाम और बढ़ जाएंगे तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है लेकिन कारखानों से उत्पादित चीजों का दाम न बढ़े ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसी योजना विचाराधीन है। जो कटौती हुई, वह कटौती खेती के लिये ट्यूववेलों को बिजली देने के कारण हुई है, अब इतने माने में खेती में ज्यादा उत्पादन होगा ?

श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर की कुछ सूती मिलों ने सरकार से कहा है कि जो बिजली काटी गई है वह यदि बरकरार न की गई तो हम अपने यहां लाक-आउट करेंगे ? इससे कानपुर के 50 हजार मजदूर बेकार हो जाएंगे, सरकार ने इसके लिए क्या सोचा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमें उम्मीद है कि मिल मालिक ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, लाक-आउट नहीं करेंगे। हम भी उनसे बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री राम कुमार दीक्षित—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं आया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ऐसी मेरी जानकारी में कोई सूचना नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी ने बताया कि 53 मिलों में कई बैठकी की गईं, तो इलाहाबाद की जो नैनी कालोनी है उसमें किन-किन कारखानों में कितनी-कितनी बैठकी कराई गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिले के बारे में तो पूछा नहीं था, इसलिये सूचना नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

इस प्रकार की कटौती का संकट अनुमानतः कब तक बना रहने की सम्भावना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जून तक जब वर्षा का मौसम शुरू हो जाएगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

बिजली की कमी से उसकी कटौती की गई है। दूसरी तरफ बिजली का प्रसार हो रहा है—निजी और राजकीय नलकूपों को काफी कनेक्शन दिये जा रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि आगे और बिजली की कमी पड़ जाएगी, यह कमी बाद के अगले साल भी रहेगी, तो क्या आप अन्दाज लगाते हैं कि अगले साल भी आप को कटौती करनी पड़ेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस समय रबी की फसल ज्यादा हो सके? इसलिये खेती में ट्यूबवेल को बिजली देने में प्राथमिकता देने के लिए यह कटौती की गई है। अब आगे उम्मीद है स्थिति पूर्ण सुधर जावेगी। आशा है ओबरा से भी हमें ज्यादा बिजली मिलेगी। आगे कनेक्शनों में सावधानी बरती जा रही है कि अधिक कनेक्शन न दिये जाएं, उतने ही दिये जायं, जितनी बिजली उपलब्ध हो सकती है ।

श्री ए० सी० ग्राइस (जिला कानपुर)—

इंजीनियरों की स्ट्राइक होने के पहले बिजली की कमी थी या बाद में हुई ? मैं यह एलान कर दूं, मुझे यह पता लगा है कि बिजली की कमी इसलिए हो रही है उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह कमी पहले भी थी और बाद में भी है, श्रीमन्।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन फैक्ट्रियों में बिजली की कटौती नहीं की गई है, उनके नाम और स्थान बता दें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

25 प्रतिशत की कटौती सभी कारखानों में हुई है । केवल आगे कटौती उन्हीं में नहीं हुई है जहां इंस्टालेशन उसका बहुत ही आवश्यक है, बिना उसके काम ही नहीं चल सकता है, उसके बिना बहुत नुकसान हो सकता है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि वाराणसी की एलेक्ट्रिक पावर कम्पनी में बिजली का उत्पादन पिछले तीन वर्षों में घट कर एक तिहाई रह गया है, और क्या इस उत्पादन की कमी का कारण यह है कि सरकार से वह बिजली कम रेटों पर प्राप्त कर लेते हैं और अधिक रेटों पर सप्लाई करते हैं जिसके कारण उनकी आमदनी में कोई कटौती नहीं हुई है, क्या मंत्री जी इस बिजली के उत्पादन की कमी को ठीक करने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वाराणसी की कम्पनी का जिक्र किया इस का प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मुझे सूचना है कि वाराणसी मार्टिन बर्न कम्पनी के अन्तर्गत है। सप्लाई में उनकी कठिनाइयां थीं।उनको बुलाया गया । उनको चेतावनी दी गयी हाल में कोई शिकायत कम्पनी की नहीं आयी है ।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या उन्होंने सिनेमा उद्योग में भी कटौती किया है जबकि चार या तीन शो रोज होते हैं, चार शो होने लगे हैं, तो माननीय मंत्री जी ने कोई कटौती नहीं की है, जब कि किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है मनोरंजन जारी है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमने एक शो बन्द किया है। अगर चार शो कहीं हुए हैं, बिजली ज्यादा खर्च हो रही है तो जरूर जांच की जायगी।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी सही बात नहीं कह रहे हैं। आज का अखबार देखें। रोज चार शो सिनेमा के हो रहे हैं साढ़े बारह बजे, साढ़े तीन बजे, साढ़े छः बजे और साढ़े नौ बजे। क्या माननीय मंत्री जी देखेंगे कि चारों सिनेमा शो चल रहे हैं और और उनमें कोई कटौती नहीं की गयी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तीन बजे से छः बजे का शो बन्द किया गया है प्रदेश में।

श्री विश्वनाथ कपूर—

आज से चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिस समय बिजली ज्यादा खर्च होती है, कटौती की गयी है। कोई रात को तीन-चार बज चलाये जब बिजली की कमी नहीं रहती तो बात दूसरी है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा जांच करवा लेंगे। आवश्यकता होगी अतिरिक्त बन्द करने के लिए तो बन्द किया जायगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अखबार में चार ऐडवर्टीजमेंट्स हैं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि कानपुर में या अन्य मिलों की लाक आउट न होने पावे जिससे श्रमिक बेकार न हों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, लाक आउट न हो इसका पूरा प्रयास किया जायगा।

श्री मोहम्मद (असरार अहमद (जिला बदायूं)

मेरी जानकारी है कि जितनी बिजली जाती है उसमें से चोरी करके कुछ कम का बिल होता है। क्या विद्युत् परिषद् या सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम कर रखा है कि जितनी बिजली पैदा हो उतने का बिल दिया जाय, जो खर्च हो उसमें तालमेल बराबर हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तालमेल का पूरा प्रयास किया जाता है कुछ टांसमिशन लास होना अनिवार्य है। जो वक्तव्य मैंने सदन में दिया था उसम बताया था कि करीब 12 से 16 परसेंट ट्रांसमिशन लास होता है। 22 परसेंट लासहोता जो ज्यादा है 6 लाससेंट कम करने का पूरा प्रयास हो रहा है

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इसके बाद भी बिजली में जो जोर है उसके लिये कोई व्यवस्था की है या नहीं ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

मुख्य मंत्री के कार्यालय में छात्रों का अनधिकृत प्रवेश

**4—श्री विश्वनाथ कपूर श्री त्रिवेणी सहाय

क्या यह सही है कि 13-12-72 को कुछ छात्र माननीय मुख्य मन्त्री के कार्यालय के कमरे में घुस गये, उनकी कुर्सी पर बैठकर अपन को मुख्य मन्त्री घोषित कर के कुछ आदेश प्रसारित किये ? यदि हां तो घटना का पूण विवरण क्या है और शासन न इस सम्बन्ध में क्या कार्यबाही किया?

श्री राज बिहारी सिंह—

दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 को जो घटना हुई वह इस प्रकार थी:—

दिन में लगभग 1 बजे जब मुख्य मन्त्री जी का कमरा खाली था तब कुछ व्यक्ति जो छात्र मालूम होते थे उनके कमरे में दाखिल हो गये। तुरन्त ही मुख्य मन्त्री जी के निजी स्टाफ के अधिकारियों आदि ने उनका इस प्रकार प्रवेश अनधिकृत बतलाते हुए उनसे चले जाने को कहा। इस पर वे लोग कमरे से बाहर हो गये। अन्य कोई बात नहीं हुई।

श्री विश्वनाथ कपूर—

यह सही है कि 12-12-72 को कुछ छात्र मुख्य मन्त्री के कार्यालय में घुसे और उनके कुर्सी पर बैठ कर कुछ आदेश प्रसारित किये, इस का उत्तर नहीं दिया गया और शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की इसका उत्तर भी नहीं आया ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मुख्य मन्त्री के कमरे में घुस कर किसी ने अपने को मुख्य मन्त्री घोषित कर दिया इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है और इसका क्या जबाब दिया जाय? हां कुछ लोग घुसे उनको बाहर कर दिया गया था।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जिस दिन यह घटना घटी उसके बारे में समाचार पत्रों में स्पष्ट छपा है कि कुछ छात्र मुख्य-मन्त्री के कमरे में गये थे, उनकी कुर्सी पर बैठ गये और उन्होंने मुख्य मन्त्री की हैसियत से आज्ञा प्रसारित की जिस आज्ञा में यह भी था कि सभी विद्यार्थियों को जेल से मुक्त कर दिया जाय?

श्री राज बिहारी सिंह—

नामों की कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

इसके पहले भी एक घटना हो चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके नाम क्या थे और क्या उन्होंने कोई आदेश छात्रों के रिहा करने के बारे में प्रसारत किये थे ?

श्री अध्यक्ष—

आप क्या यह चाहते हैं कि उनके आर्डर पर अमल हो?

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं अमल नहीं चाहता। मैं तो घटना के विषय में जानना चाहता हूं?

श्री राज बिहारी सिंह—

नामों की कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठ कर जो आदेश प्रसारित किये गये थे क्या उन पर अमल भी किया गया ?

श्री राज बिहारी सिंह—

इसकी जानकारी माननीय सदस्य को होगी। सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कुछ लोग कमरे में घुसे थे तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री राज बिहारी सिंह—

प्रजातांत्रिक सरकार में इस तरह की कोई कार्यवाही हो नहीं सकती। मुख्य मन्त्री, मन्त्रियों तथा विधायकों के कमरों में बहुत से लोग घुस जाया करते हैं। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

कुछ लोगों ने मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठ कर अपने को मुख्य मन्त्री घोषित किया और कुछ आदेश प्रसारित किये इसका उत्तर नहीं दिया गया? साफ-साफ बतलाया जाय क्या कुछ लोग उनकी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने क्या आदेश प्रसारित किये अपने को मुख्य मन्त्री घोषित करते हुए?

श्री राज बिहारी सिंह—

प्रदेश का कोई पागल व्यक्ति ही अपने को मुख्य मन्त्री घोषित कर सकता है।

श्री राम बिलास पांडेय—

मान्यवर, एक प्रश्न पूछने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न निरर्थक है। मजाक का प्रश्न है।

श्री राम बिलास पांडेय—

मान्यवर, जो जवाब मन्त्री जी ने दिया है उससे मालूम होता है कि उन्होंने इसे एक साधारण घटना समझ लिया है। यह साधारण घटना नहीं है। मन्त्री जी ने कहा है कि उनके कमरे में कुछ आदमी घुस आये और वे विद्यार्थी मालूम हो रहे थे। उनको बाहर निकालना पड़ा। तो यह मामूली घटना नहीं हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करवाने की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, मुख्य मन्त्री के कमरे में विधायक लोग नहीं घुस पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपकी राय है। जवाब उन्होंने दे दिया है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

(4थे गुरुवार के लिये स्थगित)

तहसीलदारों के स्थाई पद हेतु चयन

*2—श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदारों के स्थाई पदों को भरे जाने हेतु अन्तिम चयन कब हुआ था और उसमें कितने लोग चुने गये और चुने गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति उपरोक्त पदों पर स्थायी किये जाने के पूर्व दिनांक 1 नवम्बर, 1972 तक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं तथा तहसीलदारों के पदों हेतु अलग चयन कब और कितने स्थानों के लिये किया जाना प्रस्तावित है और उसमें स्थायीकरण से पूर्व अवकाश प्राप्त किये व्यक्तियों के पदों को भी सम्मिलित किया जायगा अथवा नहीं?

राजस्व उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

तहसीलदारों के स्थायी पदों को भरे जाने हेतु अंतिम चयन 1966 में हुआ था और उसमें स्थायी पदों हेतु 148 अभ्यर्थी चुने गये थे जिनमें से स्थायी किये जाने से पूर्व 1–11–72 तक 17 व्यक्ति सेवा निवृत्त हो चुके हैं। तहसीलदारों के पदों हेतु अगला चयन कब और कितने स्थानों के लिये किया जाय, इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री गिरजा शंकर तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 1966 के बाद जब विधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि चयन प्रतिवर्ष किया जायगा तो वह प्रतिवर्ष क्यों नहीं किया गया?

राजस्व सहायता एवं पुनर्वास तथा विधायिका मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, उसी चयन के अनुसार कुछ लोग जो डिप्टी कलेक्टर के पदों पर अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, उनको रिवर्ट होना पड़ा। अब उन्होंने एक रिट दायर की है और उससे यहां की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, जो रिट दाखिल हुई है वह कब हुई है और उसके पहले उनकी नियुक्ति करने में क्या कठिनाई हुई है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, सन् 66 में चयन हुआ था और रिट सन् 67 में हुई।

[दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मूंसेपुर, (आगरा) में अग्निकांड

*2—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि ग्राम मूंसेपुर, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा में तारीख 14 जून, 1972 को हुए भयंकर अग्निकांड में पूरा गांव स्वाहा हो गया था जिसके फल-स्वरूप कई व्यक्ति बेघरबार व बेसहारा हो गये? क्या सरकार उन व्यक्तियों को मकान बनाने तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उक्त अग्निकाण्ड में ग्राम मूंसेपुर में कुल 19 परिवार प्रभावित हुए थे और अनुमानित क्षति 22,900 रुपये की हुई थी।

पीड़ितों में से तीन परिवार को जो भूमिहीन थे पचास रुपये गृह निर्माण सहायता के रूप में तथा 6 काश्तकारों को जिनको अधिक हानि हुई थी और जिन्होंने सहायता की मांग की थी प्रति काश्तकार 300 रुपये आपदा तकावी के रूप में दिया गया है।

परगना किरियात (मिर्जापुर) में रिकार्ड आपरेशन

*3—श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के परगना किरियात के ग्रामों धनुपुर, पियराही, पसियाही, विद्यापुर व मझरा के गंगवपार की जमीन की पैमाइश की गई? यदि हां, तो पमाइश करने पर कितनी जमीन सरकार को प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उसे भूमिहीन खेतिहर व भूमिहीन हरिजनों को वितरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

ग्राम धनुपुर, पियराही, पसियाही तथा विद्यापुर में गंगबरार की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः वितरण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम मझराकलां में रेकार्ड आपरेशन हो रहा है। जब तक रेकार्ड आपरेशन सम्पन्न नहीं हो जाता है, सरकार को कितनी भूमि प्राप्त होगी, बताना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी भूमि वितरण का प्रश्न नहीं उठता है।

मिर्जापुर की जजी में लिपिक व कर्मचारी पद हेतु अनुसूचित जातीय अभ्यर्थी

*4--श्री राम सागर (जिला जौनपुर)--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर की जजी में सन् 1971-72 में कितने लिपिक व अन्य कर्मचारी पद पर रखे गये हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पद पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों को मिर्जापुर के रोजगार दफ्तर से नही बुलाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

23 लिपिक तथा 2 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे गये। लिपिकों में 2 अनुसूचित जाति के हैं।

उपर्युक्त 23 लिपिकों में 21 के नाम रोजगार दफ्तर ने जिला जज को भेजे थे। अवशिष्ट 2 के प्रार्थना-पत्र रोजगार दफ्तर ने बिना कारण बताये जिला जज को अग्रसारित नहीं किया था। जिला जज ने उन प्रार्थियों की प्रार्थना पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी।

दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कार्याधिक्य के कारण रोजगार दफ्तर से मांगे गये नामों के आधार पर अप्रूव्ड कैन्डीडेट्स की सूची तैयार किये जाने तक के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया।

श्री राम सागर--

क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लिपिक के पदों के लिये 21 व्यक्तियों के नाम जो रोजगार दफ्तर ने भेजा, उनमें एक भी नाम अनुसूचित जाति का नहीं था ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड थे या नहीं थे ? यदि थे, तो इम्पलायमेंट आफिसर ने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम क्यों नहीं भेजे और क्या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उनके नाम भेजे गये थे। दो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों क्वालीफाई किया और वे दोनों ले लिये गये।

श्री राम सागर--

उत्तर से स्पष्ट है कि 21 व्यक्तियों की नियुक्ति हुई और इनमें 2 अनुसूचित जाति के थे जो दो रखे गये उनको जिला जज ने इम्तहान में बैठने का आदेश दिया था। 21 नाम जो रोजगार दफ्तर से भेजे गये उनमें कोई अनुसूचित जाति वालों का नाम नहीं था। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या रोजगार दफ्तर में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम रजिस्टर्ड थे या नहीं थे और यदि थे तो उनके नाम इम्प्लायमेंट आफिसर ने क्यों नहीं भेजे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसकी सूचना प्राप्त करके उनको बतला दूंगा।

श्री राम सागर---

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संविधान में अनुसूचित जाति के लिये सरकारी नौकरियों में 18 परसेंट का रिजर्वेशन है, क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि केवल मिर्जापुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के स्तर पर भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के लिये रिजर्वेशन का कोटा पूरा कराने की कोशिश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक वह कोटा पूरा हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव---

माननीय सदस्य का सुझाव बहुत मुनासिब है और इस बात का पूरा प्रयास किया जायेगा कि हरिजनों का कोटा पूरा किया जाय।

रिजर्व ड्यिुटी पर तैनात पी० एम० एस० आफिसर्स

*5---श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि मई, 1972 के शुरू में कितने पी० एम० एस० आफिसर्स रिजर्व ड्यूटी में थे, उनमें कितनों की पोस्टिंग मई से अब तक हुई और कितने पी० एम० एस० आफिसर्स अभी भी रिजर्व ड्यूटी पर हैं और क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)---

मई 1972 के प्रारम्भ में 137 मेडिकल आफिसर्स रिजर्व ड्यूटी पर थे । उनमें से 55 का स्थानान्तरण सामान्य पदों पर किया जा चुका है, एक सेवा-निर्वत्त हो चुका है, 9 ने त्याग पत्र दे दिया है और 4 अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति हैं । इसके अतिरिक्त 26 अन्य आफिसर्स रिजर्व ड्यूटी पर तैनात किये गये हैं । इस प्रकार इस समय 94 मेडिकल आफिसर्स रिजर्व ड्यूटी पर हैं । आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रिजर्व ड्यूटी पर मेडिकल आफिसर्स तैनात किये जाते हैं ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मेडिकल आफिसर्स को रिजर्व ड्यूटी में रखने का प्राविधान है ? गत वर्ष 137 थे और इस समय 94 हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

पी० एम० एस० पुरुष 86 और पी० एम० एस० महिला के 20 पद रिजर्व ड्यूटी के लिये स्वीकृत हैं और वे इसलिये हैं कि इन पदों के डाक्टर समय-समय पर और अस्पतालों में साधारणतया उन बडे अस्पतालों में तैनात किये जाते हैं जहां कार्य अधिक है और जिले से छुट्टी जाने वाले अधिकारियों के स्थान पर भी वे भेजे जाते हैं ताकि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे । हमारे पास 106 स्वीकृत पद हैं और हमारे पास इस समय केवल 94 ही हैं ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

ये प्रदेश के किन-किन जिलों में किन किन अस्पतालों में रिजर्व ड्यूटी पर रहते हैं और क्या बदायूं भी उनमें है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन वैसे उत्तर में बतलाया गया है कि बड़े अस्पताल जितने हैं, जहां कार्य अधिक हैं वहीं प्रायः रिजर्व ड्यूटी पर ये चिकित्सक रखे जाते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के अस्पताल में रिजर्व ड्यूटी में कोई डाक्टर इसलिये नहीं रहने पाता क्योंकि वहां के कर्मचारियों ने अपना एक गुट सा बना रखा है और वे किसी डाक्टर को भी वहां नहीं टिकने देते ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, इतने अधिक डाक्टर रिजर्व ड्यूटी पर हैं तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पहाडों में बहुत से डाक्टर जाना नहीं चाहते हैं, उनको वे पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, जितने डाक्टर होने चाहिये उतने नहीं हैं । जहां तक पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टरों की नियुक्ति का प्रश्न है, प्रयत्न किया जा रहा है और जहां डाक्टर नहीं हैं वहां भेजने की व्यवस्था की जा रही है ।

मिर्जापुर में नाव डूबने से मृत्युएं

*6---श्री राम गोपाल संड (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को यह मालूम है कि मिर्जापुर स्थित सुन्दरघाट से गंगा नदी को पार करते समय 29 अगस्त, 1972 को नाव डूब जाने से लगभग 80 व्यक्ति डूब गये ? मृत परिवार के लोगों के लिये सरकार ने अब तक क्या किया एवं इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

उक्त दुर्घटना में 80 नहीं 55 व्यक्ति डूबे थे । डूबे हुये प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को दो-दो सौ रुपये आर्थिक सहायता दी गई है । इस दुर्घटना का कारण यह था कि नाव में क्षमता से अधिक 87 यात्री सामान सहित बैठ गये थे, बेग से बढ़ती हुई गंगा में पानी का बहाव काफी तेज था तथा प्रचन्ड लहरे उठ रही थीं, जिसके फलस्वरूप वह नाव उलट गई थी ।

होम्योपैथिक कालेज (इलाहाबाद) में हड़ताल की सूचना

*7---श्री राम गोपाल संड---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि इलाहाबाद के दो होम्योपैथिक कालेजों में गत 1 वर्ष से हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो उक्त कालेजों को खुलवाने के लिये सरकार कौन-सा पग उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के विरुद्ध शिकायत

*8---श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 अगस्त, 1972 को ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत की अनियमितताओं के विषय में कोई पत्र श्री रामेश्वर दयाल के हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां । कोई कार्यवाही नहीं की गयी । ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । पत्र उस विश्वविद्यालय को सम्बोधित है । कार्यवाही भी उपकुलपति को करनी है शासन को नहीं ।

देहरादून जिले में तूफान से क्षति

*9--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को विदित है कि दिनांक 19 जून, 1972 को देहरादून जिले में भयंकर तूफान, वर्षा तथा ओलों से फसल को भारी हानि हुई तथा सैकडों पशुओं व 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या राहत कार्य किया है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

फसल को कोई हानि नहीं हुई परन्तु 5 व्यक्तियों एवं दो बैलों की मृत्यु की तथा 110 गांवों में मकानों की छत के टीन व फूस उड़ जाने की सूचना प्राप्त हुई । पीड़ित व्यक्तियों को राहत के लिये 9,410 रुपये गृह निर्माण अनुदान 755 रुपये अहेतुक सहायता तथा 1,000 रुपय देड़ी आपदा सहायता कोष से वितरित किया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मंत्री जो मेरी सूचना को सही मानकर जांच करायेंगे कि कम से कम दस व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और दस लाख की हानि हुई है ? दूसरे आपने जो सहायता दी है उसका आधार क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, हम उनकी सूचना को सही मान कर जांच करा लेंगे । लेकिन यदि सम्भव हो तो वे उन दस व्यक्तियो के नाम भेज दें जिनकी मृत्यु हुई है क्योंकि हमारा कहना है कि 5 आदमियों की मृत्यु हुई है । जो मकान जले थे उनमें ज्यादातर फूस के छप्पर थे जो गले थे और टीन के छप्पर थे । इसके लिहाज से गांव वालों को अनुदान दिया गया है । यह जरूरी नहीं है कि सभी को अनुदान दिया जाये । जिनको आवश्यक समझा, दिया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जो सहायता आपने दी है उसका क्या आधार है ? प्रति व्यक्ति किस हिसाब से सहायता दी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रति व्यक्ति सहायता देने का कोई आधार नहीं है । जितना देना चाहिये उसकी सीमा मुकर्रर है । अहेतुक सहायता 100 रुपये दी जाती है और भवन निर्माण के लिये 200 रुपये दी जाती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैं लिख कर दे दूंगा जो नुकसान हुआ है । क्या वे पुनर्विचार करेंगे कि जो सहायता दी गई है वह अपर्याप्त है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां, जरूर करेंगे ।

*10-11--श्री त्रिलोक चन्द--

[3 रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मेरठ मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल के विरुद्ध शिकायतें

*12--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल के विरुद्ध दूध के ठेकेदारों का एक शिकायती-पत्र दिनांक 24 मई, 1972 स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश के नाम मिला जिसमें टन्डर लेन में भारी गोल-माल, भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा इसी प्रकार एक

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

दूसरा शिकायती-पत्र स्वास्थ्य निदेशक के नाम दिनांक 5 जून, 1972 को एक ठेकेदार की ओर से है जिसमें कालेज की घास को बिना टेन्डर के व्यक्ति को देकर नाजायज लाभ उठाने की शिकायतें करते हुये मिला ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

जी हां, ये दोनों शिकायती-पत्र निदेशक को प्राप्त हुये थे और उन्होंने इन शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं जानना चाहता हूं कि यदि वह रिपोर्ट गोपनीय नहीं है तो वह क्या है, मंत्री जी कम से कम इतना तो बता दें कि उनमें से किन-किन शिकायतों को सही माना गया है और उन पर विचार कर के सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

यह तो बता सकते हैं कि वह शिकायतें क्या-क्या थीं लेकिन क्या किया जा रहा है यही अभी विचारणीय है । एक शिकायत यह थी कि ठेकेदार से दूध न लेकर दूसरे ठेकेदार से लिया गया और दूसरी शिकायत यह थी कि घास का ठेका नहीं दिया गया । अभी इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, मामला विचाराधीन है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैंने श्रीमन्, यह भी जानना चाहा था कि उन पर कब तक सरकार निर्णय ले लेगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

निर्णय बहुत शीघ्र ले लिया जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

जो रिपोर्ट आई है उसका सारांश क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जो थोडा सा लान है उसकी घास के सम्बन्ध में है कि उसको नीलाम क्यों नहीं किया गया- और न उसकी आवश्यकता थी । जहां तक दूध का सवाल है कि वह दूसरे ठेकेदार से लिया गया इसमें जांच हो रही है कि वह जो टेन्डर दिया गया था आया वह किसी एक व्यक्ति का टेन्डर स्वीकार हुआ था। इसमें जो वास्तविकता है जब उसकी स्पष्ट जानकारी हो जायगी तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

जसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि अभी जांच की जा रही है तो क्या मंत्री जी निश्चित रूप से सदन को अवगत करायेंगे कि कब तक, अगर आरोप सही पाये गये तो क्या कार्यवाही होगी ? हो यह रहा है कि उनके विभाग में शिकायतें होती हैं और सदन में कह कर कि शिकायतें सही हैं फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही वह नहीं करते । फैजाबाद के डाक्टर की शिकायत को उन्होंने खत्म कर दिया । उनके यहां शिकायतों पर भी किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती हाउस में कमिट करने के बाद भी । हमारे प्रश्न के उत्तर में माननीय प्रेम चन्द्र शर्मा ने कहा था कि फलां डाक्टर फैजाबाद का रहने वाला है उसका तबादला कर दिया जायगा । लेकिन मंत्री जी ने उसको रोक दिया, वह डाक्टर सात साल से वहीं पड़ा है । इन तथ्यों के आधार पर क्या मंत्री जी इन शिकायतों पर उस डाक्टर के खिलाफ कोई निश्चित कदम उठायेंगे और अपने निर्णय से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि जांच कबतक पूरी हो जायगी तो वह पूरी हो गई है, रिपोर्ट भी आ गई है । क्या ऐक्शन लेना है यह अभी विचाराधीन है । माननीय सदस्य गलत समझे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस बात का शिकायती-पत्र मिला कि टेंडर में भ्रष्टाचार और गोलमाल हुआ है और रिपोर्ट भी आ गई है, तो भ्रष्टाचार और गोलमाल के अभियोग के बारे में इस रिपोर्ट मे क्या फाइन्डिन्स दी गई हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इसमें यह है कि कोई फाईंडिंग्स भ्रष्टाचार की नहीं है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कहीं कोई इर्रेगुलेरिटी तो नहीं है, अगर वह पायी गई तो ऐक्शन जरूर लेंगे, रिपोर्ट में कोई भ्रष्टाचार वगरा के प्रूव्ड चार्जेज नहीं हैं ।

ईंधन एवं कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत कार्य तथा लागत खर्च

*13—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या बन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने के लिये ईंधन एवं कृषि वानकीय नामक एक योजना बनाई गई हैं ? यदि हां, तो कब से और इस योजना के अन्तर्गत मार्च, सन् 1972 तक ईंधन उपलब्ध कराने के कौन-कौन कार्य हुए और प्रत्येक पर लागत खर्च क्या पडा है ?

वन तथा पर्यटन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने के लिये ईंधन एवं कृषि वानिकी नामक एक योजना वर्ष 1967–68 से बनायी गयी है और इस योजना के अन्तर्गत मार्च, सन् 1972 तक ईंधन उपलब्ध कराने हेतु 6,508 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, जिसमें लागत खर्च रु० 29,76,245 पड़ा है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस योजना के 2 भाग थे, एक तो कृषि एवं बानकीय योजना बनायी गई और वृक्षारोपण किया गया ताकि गांवों में गोबर की खाद के लिये बचाने के लिये ईंधन प्राप्त हो सके, तो ईंधन के लिये लकड़ी मिले इसके लिये कोई प्रयत्न किया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जो योजना बनायी गयी ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में "ईधन उपलब्ध कराने के लिये, "ईधन एवं वृद्धि वानिकी" हो वह इसलिय थी कि उनको बताया जाय, उनको सलाह दी जाय कि जितनी टेक्निकल चीजें हैं उन्हें पता चले लेकिन वह कामयाब नहीं हुयी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे इस योजना की रूप रेखा क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उसकी रूपरेखा यही है कि जहां जमीन खाली हो वहां पर पेड़ लगाये जा रहे हैं, जिससे गांव वालों को ईंधन उपलब्ध हो सके ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना किसी खास क्षेत्र के लिये है या सारे प्रदेश के लिये ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—
सारे प्रदेश के लिये है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—
माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि यह योजना किसी एक क्षेत्र के लिये नहीं है और वन में वृक्षारोपण कर रहे हैं तो प्रदेश के वे क्षेत्र जहां पर वन नहीं हैं, उनके लिये आपकी क्या योजना है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—
वन के बाहर जो खाली जमीन पड़ी है, उसके लिये हमारी योजना है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—
जो क्षेत्र न वन के बाहर है और न भीतर हैं, जैसे बलिया, तो उसके ग्रामीणों को इधन पंहुचाने के लिये क्या आपकी कोई योजना है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—
बलिया के लिये खास तौर से नहीं बता पाऊंगा लेकिन जहां पर वन की जों जमीन हमारे पास खाली पड़ी हुयी है, वहां पर यह योजना लागू की जा रही है ।

बलिया जनपद में गैर सरकारी नेत्र चिकित्सालय को सहायता

*14—श्री शम्भूनाथ चौधरी—
क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जनपद में एक गैर-सरकारी आंख का अस्पताल 1958 से संचालित हो रहा है जिससे पूर्वांचल के क्षेत्रों को काफी लाभ पंहुच रहा है और इस आंख के अस्पताल पर सालाना व्यय करीब 50,000 रु० पड़ रहा है किन्तु इस अस्पताल को कुल सरकार द्वारा आर्थिक सहायता 7,600 रु० मात्र वार्षिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अस्पताल का वार्षिक अनुदान बढ़ायेगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—
बलिया जनपद में एक गैर-सरकारी आंख का अस्पताल है जो वास्तव में नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर की एक शाखा है । इसका सालाना औसत व्यय लगभग 35,555 रु० है ।

पिछले वर्षों में संस्था को शासन द्वारा 8,600 रु० का सहायक अनुदान प्रति वर्ष दिया जाता रहा है ।

संस्था के सम्प्रेक्षित लेखों से स्पष्ट है कि उनकी प्रतिवर्ष की प्राप्तियों तथा भुगतानों में लगभग समानता है, अतः वार्षिक अनुदान में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—
श्रीमन्, यह अस्पताल बलिया के आसपास की बड़ी सेवा कर रहा है । इसका अनुदान कम होने से बड़ा नुकसान हो रहा है और सेवा नहीं कर पा रहा है । तो क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे बलिया के विधायकों को बुलाकर और हम को भी सम्मिलित करके विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—
पिछले वर्ष का ही कुछ न कुछ बचा है तो इसे और अनुदान क्या दें ।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[अभियंता सिंचाई विभाग, खीरी के विरुद्ध तथा कथित आरोप

*15— श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वन मंत्री को पता है कि खीरी वन प्रभाग की दुधवा रक्षित पशु बिहार में सिंचाई विभाग के अभियन्ता को अवैध रूप से शिकार करते हुये मई, 1972 तथा जून, 1972 में मौके पर पकड़ा गया ? यदि हां, तों आज तक उन अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

खीरी वन प्रभाग के दुधवा रक्षित पशु विहार में सिंचाई विभाग के किसी अभियन्ता को अवैध रूप से शिकार करते हुये मई, 72 तथा जून, 72 में नहीं पकड़ा गया है । अतः किसी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिले के लेखपालों को वेतन मिलने में असंतोष

*16—श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम —

क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले में लेखपालों से प्रतिमाह वेतन देते समय 20 रु० से 70 रु० तक की कटौती भिन्न-भिन्न दु दस्तूरियों तथा खर्चों के नाम पर काट ली जाती है जिससे वहां के लेखपालों में गहरा असन्तोष है ? क्या सरकार अविलम्ब इसकी जांच करा-कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले इस मौलिक कारण को दूर करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस आशय के कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुय थे । उनकी जांच की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के कटाव का प्रभाव

*17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर एवं बांस गांव के कई गांव राप्ती नदी के कटाव के कारण सन् 1971 ई० में समाप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे गांव कौन-कौन हैं एवं इन ग्रामवासियों के बसाने हेतु शासन ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं, कोई गांव कटान से समाप्त नहीं हुआ है । यह अवश्य है कि ग्राम राजी बैरिया, गजपुर, मेड़ी, बहरामपुर तथा चितहरी की आबादी कटान से प्रभावित हुयी थी । ग्राम-राजी बैरिया के कटान पीड़ितों को ग्राम नवलपुर में बसा दिया गया है । गजपुर के 13 तथा मेड़ी के 6 प्रभावित परिवारों को चकबन्दी द्वारा उन्हीं ग्रामों में छोड़ी गयी भूमि पर बसा दिया गया है । एवं शेष लोग अपनी ही जमीन पर बस गये हैं । ग्राम-बहरामपुर के 86 कटान पीड़ित परिवारों में से 58 परिवारों को नौसढ़ में जमीन अध्याप्त करके बसा दिया गया है । शेष 28 परिवार अभी अस्थायी रूप से गांव सभा की भूमि पर बसे हुये हैं । ग्राम चितहरी के 80 गृह विहीन परिवारों को पड़ोस के ग्राम मिर्जापुर में जमीन आवंटित कर दी गयी है ।

*18–19—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद उन्नाव में अस्पताल का निर्माण

*20—श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव) तथा श्री त्रिलोक चन्द—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में 2 अक्तूबर, सन् 1970 को जिला अस्पताल भवन का तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो वह अस्पताल किन कारणों से अब नहीं बनवाया जा रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां । जिला युक्त अस्पताल, उन्नाव के भवन को उन्नाव में ही किसी दूसरे स्थान पर बनवाने का विचार है ।

बिल्हौर तहसील कानपुर में भवन नव निर्माण योजना

*21---श्री राम कुमार दीक्षित---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद की बिल्हौर तहसील के जीर्ण-शीर्ण भवनों के नव-निर्माण हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नये भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ होने जा रहा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जी नहीं, शासन के स्तर पर तो अभी कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु परिषद् इसके लिये प्रस्ताव बनवा रही है और उसके आने पर ही शासन में विचार हो सकेगा।

व्यक्तिगत सम्पत्ति (हाट बाजार व मेले) का सरकार द्वारा अधिग्रहण

*22---श्री राम कुमार दीक्षित---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की हाट, बाजार व मेले, जो लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, उनके अधिग्रहण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जी हां । इस संबंध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने में अभी समय लगेगा । वर्तमान कृषि वर्ष के अन्त तक निर्णय हो जाने की आशा की जाती है ।

स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा प्रेषित पत्रों की भाषा

*23---श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा 1 जनवरी, 1971 से सितम्बर, 1972 तक कितने पत्र जिलों को भेजे गये, उनमें से कितने अंग्रेजी में तथा कितन हिन्दी में हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

[4थे सोमवार के तारांकित प्र० सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*24---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

इलाहाबाद जनपद में स्वीकृत चिकित्सालय

*25---श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इलाहाबाद जनपद के लिये कुल कितने कुल चिकित्सालय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये ? और जनपद में किन-किन स्थानों पर उनकी स्थापना हो चुकी है अथवा होने जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सूची संलग्न है ।

(देखिये परिशिष्ट 'क' आगे पृष्ठ 1276 पर)

जिला अस्पताल, मेरठ की आडिट रिपोर्ट

*26—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि सन् 1967-68 में जिला अस्पताल, मेरठ में चीनी आदि खरीदने में घपला करने के कारण काफी रुपया डाक्टर से वसूल किये जाने का आडिट नोट लिखा था? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट क्या है और सरकार इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सन् 1967-68 से संबंधित जिला अस्पताल, मेरठ के लेखों का आडिट महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के आडीटरों तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आडीटरों द्वारा किया गया था। इन आडिट रिपोर्टों में चीनी की खरीद में कोई घपले का उल्लेख नहीं है। अतः प्रश्न के शेष भाग का उत्तर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में अमीनों की भर्ती में अनुसूचित जाति का अभाव

*27—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत माह मार्च, 1971 में राजस्व संग्रह विभाग में पूर्ण वर्ष कालिक अमीन के पद पर कुल 36 कर्मचारियों की भरती की गई जिनमें अनुसूचित जाति का एक भी कर्मचारी नहीं लिया गया? यदि यह सत्य है, तो इस प्रकार की अनियमितताओं का उत्तरदायी कौन है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। आजमगढ़ जिले में मार्च, 1971 में संग्रह अमीन के पूर्ण वर्ष कालीन पदों पर नियुक्तियां उन अमीनों में से की गई थी जो सीजनल तथा अल्प कालीन पदों पर कार्य करने के लिये भर्ती किये गये थे और जिनकी कारगुजारी पिछले तीनों वर्षों में निर्धारित मानक के अनुसार थी। कोई अनुसूचित जाति का अमीन इस मापदंड में नहीं आया इसलिये पूर्ण वर्ष कालीन पद पर किसी अनुसूचित जाति के अमीन की नियुक्ति नहीं की गई। अतः अनियमितता का कोई निश्चित प्रश्न नहीं उठता।

फतेहगढ़ अस्पताल में पंखों की व्यवस्था

*28—श्री महराम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि फतेहगढ़ जिला अस्पताल में गर्मी के दिनों में भी पंखों की काफी कमी रही जिसके कारण मरीजों को भारी परेशानी हुई? यदि हां, तो उसके क्या-क्या कारण हैं और सरकार इसकी भविष्य में समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिला अस्पताल, फतेहगढ़ में गरमी के दिनों में पंखों की काफी कमी नहीं रही। केवल थोड़ी बहुत कमी रही, क्योंकि वार्डों के अतिरिक्त बरामदों में भी मरीज रक्खे जाते हैं जहां बिजली का प्रबन्ध नहीं है। पंखों की कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

प्रदेश के केन्द्रीय स्टोर से वितरित औषधि

*29—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय स्टोर में कितनी धनराशि की औषधि 1 अप्रैल, 67 को शेष थी और वित्तीय वर्ष 1967-68, 1968-69,

1969–70, 1970–71, और 1971–72 में इस केन्द्रीय स्टोर द्वारा कुल कितने रुपये की औषधि इन वर्षों में अलग-अलग खरीद की गई और इन्हीं वर्षों में कितने-कितने रुपये की औषधियां जिलास्तर व अन्य अस्पतालों को वितरित की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

तहसील तरबगंज (गोन्डा) में सैनिकों को भवन निर्माण हेतु भूमि

*30—श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, 1972 के महीने में ग्राम बाबा का पुरवा, पोस्ट शिव दयालगंज, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के कितने निवासी सैनिकों के प्रार्थना-पत्र राजस्व मंत्री को इस आशय के प्राप्त हुये हैं कि सैनिक भूमिहीन हैं और ग्राम में बंजर भूमि उपलब्ध है इसलिये उन्हें भवन निर्माण तथा अन्य कार्य के लिये भूमि दी जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम फतेहपुर बाबा पुरवा, परगना नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के केवल एक सेवारत सैनिक का इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी, गोंडा को नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ।

सूखा प्रभावित जिला प्रतापगढ़ को सहायता

*31—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने जिले को कौन कौन सी विशेष सहायता दी है ? क्या यह सही है कि सूखे का प्रभाव आंकने के लिये केंद्रीय टीम ने जिले का दौरा किया था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कोई जिला सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, परन्तु आवश्यक सहायता कार्य सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र में किये जा रहे हैं, जिसमें प्रतापगढ़ जिला भी शामिल है । इस जिले को अब तक दी गई सहायता संलग्न तालिका में उल्लिखित है । सूखे का प्रभाव आंकने के लिये केंद्रीय टीम ने प्रतापगढ़ जिले का भी दौरा किया था, उनकी रिपोर्ट में पूरे प्रदेश की समस्या का जिक्र है, उसमें प्रतापगढ़ के विषय में अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1277 पर)

जिला प्रतापगढ़ में रबी की मालगुजारी की वसूली

*32—श्री जयराम यादव—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि 1378 फसली में रबी की मालगुजारी जिला प्रतापगढ़ में 10 बीघा तक की जोत वाले काश्तकारों से वसूल कर ली गई थी ? यदि हां, तो इस सीमा तक के काश्तकारों की मालगुजारी माफ होने पर ऐसा क्यों किया गया ? क्या सरकार इस धनराशि को वापस करेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । जिन काश्तकारों ने रबी 1378 फसली का भुगतान स्वेच्छा से किया था वह प्राप्त कर लिया गया था । जिला प्रतापगढ़ में खरीफ मुख्य फसल है । इस कारण अधिकांश

छोटे कृषक खरीफ में ही अपनी पूरी वर्ष भर की मालगुजारी अदा कर देते थे । इसी प्रथानुसार कुछ काश्तकारों ने खरीफ 1378 फसली में भी पूरी मालगुजारी का भुगतान स्वेच्छा से कर दिया था । जो धनराशि वसूल नहीं होनी चाहिये थी पर वसूल हो गई, उसे काश्तकारों को वापस किये जाने के सामान्य आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं ।

*33—श्री श्रीराम सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*34—श्री सुरेंद्र विक्रम—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्र०सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद के डाक्टरों तथा नर्सों की आवास संबंधी कठिनाइयां

*35—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद के डाक्टर तथा नर्सों के लिये आवास संबंधी भारी कठिनाइयां हैं और उन्हें अति पुराने, जीर्ण जर्जर मकानों में रहना पड़ता है, जिनमें प्रायः सीलन रहती है और जिनमें आठ-दस वर्ष से मरम्मत नहीं हुई ? क्या सरकार इसकी कोई शीघ्र एवं उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । जहां तक शीघ्र एवं उचित व्यवस्था करने का प्रश्न है, डाक्टर के आवास गृह की व्यवस्था इस समय पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत विचाराधीन है । नर्सों के आवास के नव-निर्माण के लिये प्रस्ताव सिविल सर्जन, इलाहाबाद से मंगाया जा रहा है ।

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बैल की तकाबी के लिये प्रार्थना-पत्र

*36—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील में 1 सितम्बर, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 तक कितने व्यक्तियों ने बैल की तकाबी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं उनके नाम और पते क्या हैं कितने प्रार्थना-पत्रों पर तकाबी दी गई है कितने विचाराधीन हैं ? तथा कितने प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी (उत्तरी-दक्षणी) ने खारिज किये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला गोरखपुर की बांसगांव तहसील में प्रश्नगत अवधि में बैल तकाबी प्राप्त करने हेतु 116 व्यक्तियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से 96 प्रार्थना-पत्रों पर तकाबी दी गई । 17 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं तथा 3 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये । पूर्ण विवरण संलग्न †तालिका में दिया गया है ।

*37—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त बांसगांव तहसील में बैल की तकाबी वितरित करने की धनराशि शासन की ओर से 1 सितम्बर, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 के बीच दी गई है ? तथा उक्त धनराशि में से कितना वितरित किया गया, कितना धन सुरक्षित है एवं बीज की तकाबी कितनी वितरित की गई है ?

---

†छापी नहीं गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बैल तकावी के लिये अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई, परन्तु आपदा तकावी के लिये आवंटित धनराशि का उपयोग बैल तकावी के लिये भी किया जा सकता था। बांसगांव तहसील में अक्तूबर, 1972 के अन्त तक 17,050 रु० बैल तकावी के रूप में वितरित किया गया। तकावी के लिये उपलब्ध शेष धनराशि आदि तकावी के रूप में वितरित कर दी गयी। बीज तकावी के रूप में 76,950 रु० वितरित किया गया।

मद्यपुर (बहराइच) के खैर के जंगल का नीलाम

*38—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मद्यपुर, तहसील नानपारा, जिला बहराइच का जंगल खैर का 18-5-69 को नीलाम हुआ था और उक्त नीलाम का मामला राजस्व मंत्री के निर्णय हेतु आया जिसका निर्णय मा० राजस्व मंत्री ने दिनांक 15-3-72 को आदेश करके जिला अधिकारी, बहराइच को भेजा ? यदि हां, तो जिला अधिकारी, बहराइच ने राजस्व मंत्री के आदेश को कार्यान्वित किया ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सरकार कौन-सी कार्यवाही करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कथित खैर के जंगलात का नीलाम 18-5-1969 को नहीं वरन् 18-5-1971 को हुआ था। नीलाम लेने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त कर शासन ने 15-3-72 को नहीं वरन् 16-3-72 को कलेक्टर बहराइच को आवश्यक आदेश भेजे जिसका उन्होंने अनुपालन किया, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के सरकारी वकील फौजदारी

*39—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतावेंगे कि इसी मास जुलाई, सन् 1972 में देवरिया जिले के सरकारी वकील फौजदारी की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो उसके लिये जिले से किन-किन नामों की किस क्रम में संस्तुति आई थी ? क्या यह सही है कि जिले से आई हुई जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश की एकमत संस्तुति को नहीं माना गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलरामसिंह यादव—

जुलाई, सन् 1972 में देवरिया जिले के सरकारी वकील फौजदारी की नियुक्ति नहीं की गयी है।

आयुर्वेदिक कालेज, बांदा में प्रविष्ट छात्र

*40—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आयुर्वेदिक कालेज, उत्तरी जनपद, बांदा में कितने प्रतिशत हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा जनपद बांदा में 1972-73 के शिक्षण सत्र में प्रथम वर्ष में प्रविष्ट छात्रों में विभिन्न वर्गों के छात्रों का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा:—

*हरिजन	2.5 प्रतिशत।
*पिछड़े वर्ग	16.5 प्रतिशत

जिला टिहरी-गढ़वाल में ओलावृष्टि से क्षति

*41—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल के भिलंगना विकास क्षेत्र की पट्टी वासर व थाती कठूंड़ में 30 सितम्बर, 1972 को या उसके आसपास भयंकर ओलावृष्टि होनें की सूचना मिली है ? यदि हां, तो इस ओलावृष्टि से कितने प्रतिशत फसल की क्षति हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां ।

30 सितम्बर तथा 4 अक्तूबर, 1972 को ओलावृष्टि हुई जिससे खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत या इससे अधिक की क्षति हुई है ।

जिला खीरी में ग्राम समाज की जमीन पर नाजायज कब्जे के मुकदमें

*42—श्री बंशीधर मिश्रा (जिला खीरी) तथा श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षा में खीरी जिले की तहसील लखीमपुर व निघासन और मोहम्मदी में कुल कितने मुकदमें ग्राम समाज की नाजायज कब्जे की भूमि पर 115 डी० के अन्तर्गत चलाये गये और उनमे से कितने फैसले हुये तथा कितना जुर्माना कितने आदमियों पर किया गया और जो भूमि इस प्रकार निकली उनकी आज क्या स्थिति है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उक्त लिखित तीनों तहसीलों में कथित अवधि के दौरान कुल 12,189 वाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 115 डी० के अन्तर्गत दायर किये गये थे जिनमे से 12,113 वादों का निस्तारण हुआ जिसके फलस्वरूप 8,892 व्यक्तियों पर कुल 10,97, 157-57 रुपया जुर्माना किया गया व प्राप्त 12,265-04 एकड़ भूमि में से 11,899-47 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है और शेष भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

सदर अस्पताल, गोरखपुर में वार्ड मास्टरों का स्थानान्तरण

*43—श्रीमती मसाली देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सदर अस्पताल गोरखपुर में 1 मार्च, 1972 से 5 अक्तूबर, 1972 तक कितने वार्ड मास्टरों के स्थानान्तरण किये गये और कितने वार्ड मास्टरों के स्थानान्तरण आदेश उपरोक्त अवधि में रद्द किये गये? उन वार्ड मास्टरों के नाम में क्या हैं, वह गोरखपुर सदर अस्पताल में कितने दिनों से नियुक्त हैं और कितने दिनों से सरकारी सेवा में है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रश्नगत अवधि में सदर अस्पताल, गोरखपुर के वार्ड मास्टरों में केवल श्री दया शंकर लाल वार्ड मास्टर का स्थानान्तरण किया गया और उन्हीं का स्थानान्नरण रद्द किया गया। श्री लाल गोरखपुर में 24 अक्तूबर, 1946 से 7 जून, 1957 तक तैनात थे तथा उसके पश्चात् 10 नवम्बर, 1960 से उसी अस्पताल में तैनात है, श्री लाल सरकारी सेवा में 24 अक्तूबर, 1946 से है ।

*44—श्री जंगबहादुर यादव—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जिला गोंडा में प्रदत्त तकावी व अनुदान

*45—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा के विकास खंड, हरधरमऊ के ग्राम कोंधा, परसा, गूरसड़ा, गद्दोपुर व कस्तूरी तथा विकास खंड, कर्नेलगंज के ग्राम दिनारी, कादीपुर, पैरोरी नरायनपुर, हीरापुर में किन-किन लोगों को तकावी व अनुदान के रूप में सन् 1971 में बाढ़, हुई हानि के लिये कितना-कितना धन प्रदान किया गया? क्या सरकार तकावी या अनुदान पाने वाले की लिस्ट मय नाम व पते क सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री उचित नारायण शर्मा—

तकावी एवं अनुदान वितरण से संबंधित समस्त अभिलेख सतर्कता विभाग की जांच हेतु मुहरबन्द करके कोषागार में रखवा दिये गये हैं। अतः वांछित सूचना तथा वितरण सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है।

जिला मेरठ से सहायक चकबन्दी अधिकारियों का स्थानान्तरण

*46—श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मास जुलाई से अक्तूबर, 1972 तक जिला मेरठ से कितने सहायक चकबन्दी अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य जिलों को किये गये? तथा इन अधिकारियों में कितने ऐसे थे जो इससे पहले भी मेरठ में रह चुके थे और दोबारा उनका स्थानान्तरण मरठ को कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री उचित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत अवधि में मेरठ से 12 सहायक चकबन्दी अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य जिलों में किया गया। इन अधिकारियों में से पांच पहले मेरठ जिले में सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद पर और सात चकबन्दीकर्ता के पद पर रह चुके थे। इन अधिकारियों का दोबारा मेरठ स्थानान्तरण किसी विशेष कारण से नहीं किया गया था। सामान्य आदेश होने में यह हो गया था। जब उसकी जानकारी हुई, उन्हें अन्य जिलों को भेज दिया गया।

हसनगंज तहसील, उन्नाव में हरिजनों को आवास हेतु भूमि

*47—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील में पहली जनवरी, 1972 से अब तक किन-किन गांवों में कितने-कितने हरिजनों को आवास के लिये भूमि दी गई है और क्या उनको एलाट की गई जमीन पर कब्जा भी दिलाया गया है अथवा नहीं ?

श्री उचित नारायण शर्मा—

उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील में पहली जनवरी, 1972 से अब तक 145 गांवों में 2,702 हरिजनों को आवास के लिये भूमि दी गई तथा एलाट की गई भूमि पर उन्हें कब्जा भी दिलाया गया। ग्रामों की सूची अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उपलब्ध है।

जिला पौड़ी गढ़वाल में पेयजल योजनाएं

*48—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने 1968 में रिगड़डी एवं सिगड्डी में पेयजल योजनाओं को राजस्व विभाग से स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में हस्तान्तरित करने हेतु शासन के पास संस्तुति भेजी है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिलाधिकारी ने 5–8–1969 को इन योजनाओं को स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को हस्तान्तरित करने की संस्तुति राजस्व परिषद् को भेजी थी। शासन ने इस मामले पर सभी पहलू से विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया है कि इन योजनाओं को जिला परिषद्, गढ़वाल को 1–4–1973 से हस्तान्तरित कर दिया जाय।

हिन्द नगर कालोनी, लखनऊ के लिये प्रदत्त भूमि

*49—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 332 बीघा 15 बि० 17 वि० भूमि वाकै मौजा बहसा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की भूमि पर कालोनी बसाने के लिये जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अधीन आदेश हिन्दनगर कालोनी के नाम लखनऊ की किसी सोसाइटी को लगभग 6 वर्ष पूर्व दिये गये थे? यदि हां, तो कितनी भूमि के सम्बन्ध में उक्त सोसाइटी ने आदेश प्राप्त किये थे तथा उक्त आदेश कब दिया गया था और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। हिन्द नगर कालोनी के नाम से धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कोई आदेश नहीं दिया गया था बल्कि 18 अप्रैल, 1961 को रामचन्द्र गुरनानी के प्रार्थना-पत्र पर परगनाधिकारी, लखनऊ ने बेहसा ग्राम की 231 बीघा 17 बिस्वा 19 विश्वांसी भूमि के संबंध में प्रख्यापन धारा 143 के अन्दर जारी किया था। इस ग्राम में किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का ज्ञान शासन को नहीं है।

*50—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि 6 साल के अन्दर कालोनी आबाद कराने का कोई काम न होने पर सरकार ने सोसाइटी को गत वर्ष आदेश दिया था कि अब वह किसी प्लाट की बिक्री न करे? क्या प्लाटों की बिक्री बराबर जारी है? यदि हां, तो सरकार ने अपने आदेश के उल्लंघन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

बन खंडों के ठेकेदारों पर बकाया धन

1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1961-62 से वर्ष 1970–71 तक वन विभाग के प्रत्येक वन खंड के ठेकेदारों पर कुल कितना वन विभाग का बकाया धन है और कितना वसूल (21 जुलाई, 1972 तक) किया गया है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वांछित †सूचना सचिव, विधान सभा के कमरे में रख दी गयी है।

---

†छापी नहीं गयी।

पहाड़ी क्षेत्र के वन वृत्तों से आय

2—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले वन वृत्तों से सरकार को वर्ष 1969–70, 1970–71 में विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी आय हुई और कुल कितने जंगलों में कटान किया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले वन वृत्तों से सरकार को विभिन्न श्रोतों से वर्ष 1969–70 में कुल रु० 6,67,24,561·63 तथा 1970–71 में रुपये 7,63,53,161·19 की आय हुयी और कुल 1,40,375·811 हेक्टियर तथा 1,33,568·155 हेक्टियर जंगलों में क्रमशः कटान किया गया ।

मलेरिया अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायतें

3—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको व निदेशक स्वास्थ्य विभाग व उप निदेशक मलेरियालोजी को 1–1–72 से 23–9–72 तक कितनी शिकायतें शाहजहांपुर के हेल्थ विजिटर स्वास्थ्य का विभाग के अन्य कर्मचारियों द्वारा व प्रश्नकर्ता द्वारा मलेरिया अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध रिश्वतखोरी, अनाचार व भ्रष्टाचार की प्राप्त हुईं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

कुल मिलाकर 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनमें लगाये गये आरोपों के बारे में विभागीय जांच की जा रही है।

इलाहाबाद जिले में खरीफ को क्षति

4—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने कि कृपा करेंगी कि जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1972 में सूखे अथवा असामयिक वृष्टि से इलाहाबाद जिले में खरीफ फसल को कुल कितनी क्षति पहुंची है ? और सरकार ने क्षतिग्रस्त किसानों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

खरीफ फसल को 30 प्रतिशत क्षति पहुंची। क्षतिग्रस्त किसानों को राहत देने के लिये शासन ने समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी है। असहाय व्यक्तियों को 60,000 रुपये अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया है व एक एकड़ तक की जोत वाले काश्तकारों कों 1/2 एकड़ का बीज निःशुल्क तथा 1/2 एकड़ का बीज, यदि वे चाहें, तकावी के रूप में दिये जाने को व्यवस्था को गई है। एक एकड़ से बड़े काश्तकारों के लिये भी 10,00,000 रुपये बीज तकावी वितरित करने को व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा लोगों को गल्ला दिये जाने का भी प्रबन्ध किया गया है। तथा बेकारी दूर करने के लिये टेस्ट वर्क भी चलाये जा रहे हैं। टेस्ट वर्क के लिये 6,22,700 रुपये इस जिले को आवंटित किया गया है।

फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी हेतु प्रार्थना-पत्र

5—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि फर्रुखाबाद जिले में कुछ ऐसे ग्राम भी हैं जिनके निवासियों ने अपने ग्रामों में चकबन्दी कराने के लिये राज्य सरकार को जनवरी, 1972 से सितम्बर, 1972 के बीच प्रार्थना की है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत अवधि में फर्रुखाबाद जिले के 12 ग्रामों के निवासियों द्वारा अपने ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये गए थे। इन सभी ग्रामों को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्रख्यापित कर दिया गया है।

बृजमनगंज (गोरखपुर) में महिला चिकित्सालय की मांग

6—श्रीमती प्यारी देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार 4 जनवरी, सन् 1972 के प्रश्न संख्या 13 के सम्बन्ध में बतायेगी कि जनवरी, सन् 1968 में क्षेत्र समिति धानी, जिला गोरखपुर में बृजमनगंज महिला चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव किया था ? अगर हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

महिला चिकित्सालयों की स्थापना

7—श्रीमती मसाली देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर वाराणसी और फैजाबाद इलाहाबाद मंडल में 2 अक्तूबर, 1972 से किन-किन जिलों में महिला चिकित्सालय की स्थापना की गई है ? उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां महिला चिकित्सालय की स्थापना हुई? उनमें से कितने अस्पताल सरकारी इमारतों में खोले गये हैं तथा कितने किरायें के मकानों में ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

लीसा का उत्पादन तथा भाव

8—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गत तीन साल में कितना लीसा उत्पादित हुआ है और किन-किन उद्योगों को कितना-कितना किस भाव पर दिया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वांछित सूचना संलग्न सूची में है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1278 पर)

स्वास्थ्य विभाग, फैजाबाद के स्टोर कीपर-कम-एकाउन्टेन्ट के वेतन में विलम्ब

9—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (मैनपुरी) तथा श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8-12-69 से बस्ती से वापस बुलाये गये स्वास्थ्य विभाग, फैजाबाद में स्टोर कीपर-कम-एकाउन्टेन्ट को 1-3-70 से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो किन विशेष कारणों से और सरकार उन्हें वेतन कब तक दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रश्नगत स्टोर कीपर-कम-एकाउन्टेन्ट, फैजाबाद, बस्ती को प्रोन्नति पर स्थानान्तरित होने पर, 4-2-70 से 3-11-72 तक अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। उन्होंने 9-11-72 को बस्ती में कार्यभार सम्भाल लिया है। स्वास्थ सेवा निदेशक उपर्युक्त अवधि का विनियमन करने की कार्यवाही कर रहे हैं। विनियमन के उपरान्त ही कोई वेतन, यदि देय होगा, भुगतान किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय चिकित्सालय

10—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि 26 जनवरी, 1973 को रोहिल खंड कमिश्नरी के किन-किन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

11—श्री सर्वसुख सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

उन्नाव जिले में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की मांग

12—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक विकास खंड में तीन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जायं ? यदि हां, तो उन्नाव जिले के प्रत्येक विकास खंड में यह केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोलने की योजना है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। शासन की वर्तमान स्वीकृत योजना के अन्तर्गत एक विकास क्षेत्र में एक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था नहीं है। अतएव दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला प्रतापगढ़ में हरिजनों को आवास हेतु भूमि

13—श्री जयराम यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ में हरिजनों के घर बनाने हेतु सन् 1972 में कहां-कहां और कितनी भूमि की व्यवस्था की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद प्रतापगढ़ में हरिजनों को घर बनाने हेतु 1972 में तहसील सदर, (प्रतापगढ़) पट्टी तथा कुण्डा के 456 ग्रामों में 3,94,62,877 हैक्टेयर्स भूमि की व्यवस्था की गई। ग्रामों की तहसीलबार सूची अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उपलब्ध है।

लीसा वितरण की व्यवस्था

14—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस समय लीसा वितरण के लिये क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सरकार ने इस समय (वर्ष 1972-73 में) लीसा वितरण के लिए निम्न व्यवस्था कर रखी है:—

(1) इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली को 1,67,940 क्विंटल लीसा की सम्पूर्ति की जायगी ।

(2) औद्योगिक इकाइयों तथा सहकारी समितियों को सम्पूर्ति हेतु आयुक्त, कुमाऊं मण्डल तथा आयुक्त, गढ़वाल के डिस्पोजल पर लीसे की निम्नलिखित मात्रा रखी गई है जिसका आवंटन सम्बन्धित मण्डल के लिए गठित लीसा आवंटन समिति द्वारा किया जायगा:—

	आयुक्त, कुमायूं मण्डल के डिस्पोजल पर रखे गये लीसे की मात्रा (क्विंटल में)	आयुक्त, गढ़वाल मंडल के डिस्पोजल पर रखे गये लीसे की मात्रा (क्विंटल में)
1—औद्योगिक इकाइयों के लिये ..	20,000	8,250
2—सहकारी समितियों के लिये ..	20,000	10,000

(3) शेष लीसा नीलाम द्वारा बेचा जायगा ।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृत के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1279 पर)

जिला देवरिया के बी० आर० डी० कालेज में एक छात्र को दूसरे छात्र द्वारा छूरा मारे जाने के संबंध में वक्तव्य

(माननीय शिक्षा मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर और सदन में उनके उपस्थित न होने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मन्त्री जी सदन में नहीं हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह सरकार लापरवाह हो रही है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

इस सरकार पर कोई अंकुश लगे या नहीं श्रीमन्, अपोजीशन का हक चला गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आज पिछले आठ दिनों से निरन्तर देखा जा रहा है कि इतनी इनको छूट दी जा रही है उसका यही नतीजा है कि यहां तक स्थिति पहुंच गई है कि कोई भी मन्त्री सदन में नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मन्त्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा गया है । आपने नाम पुकारा मन्त्री जी मौजूद नहीं हैं। क्या यह सदन का अवमान नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्हें हाजिर रहना चाहिये इसमें कोई शक नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इतना ही कहना ठीक नहीं है। आप व्यवस्था दीजिये कि इतने आदमी तैयार होकर आयें जो मौजूद थे वे भी चले गये हैं।

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, आप किसी चीज को लाइटली मत लीजिये। अगर हम गलती करते ह तो आप सरमन देने लग जाते हैं। यदि सरकार गलती करती है तो आप उन्हें प्यार करते हैं जैसे कि हम आपके सौतेले बच्चे हैं । आपके लिये तो सब बराबर हैं। सरकार को देखिये, बयान के नाम पर मन्त्री गायब हैं। श्रीमन, आखिर कोई व्यवस्था इस सदन में रहेगी या नहीं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, कल माल मन्त्री नहीं थे और बिजली मन्त्री भी नहीं थे और आने पर कह दिया कि अस्पताल गये थे और तुरन्त आ भी गये। आज शिक्षा मन्त्री और मुख्य मन्त्री नहीं हैं। ऐसे अव्यवस्था इस सरकार की ओर से हो रही है। इसका कारण यह है कि यह चेयर से ढिलाई है। आप अगर कह देते तो यह सब ठीक हो जाता।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह तो मेरा प्रश्न था।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

मान्यवर, वे अभी मौजूद थे। किसी कार्यवश चले गये होंगे। इससे आगे का एजेंडा ले लीजिए ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह बाजार तो है नहीं कि गोभी की तरकारी नहीं मिली तो भांटा कहा जाय कि ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा, मैं बुलाता हूं शिक्षा मन्त्री जी को ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, इस सरकार के खिलाफ विधिवत् निन्दा का प्रस्ताव है। मेरा नाम बंशीधर है। मान्यवर, यह दुर्योधन रूपी सरकार भाग रही है रणक्षेत्र से।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इतना ही नहीं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री शर्मा जी ऐसे लगते हैं कि मुख्य मंत्री के बाद वे नम्बर दो पर हैं। मान्यवर, वे भी वाक-आउट कर गये । एक दूसरे मंत्री बैठे थे, वे भी चले गये ।

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, इतना ही नहीं हुआ । मंत्री जी को जवाब देना था वे नहीं थे । पहले तो आप यह व्यवस्था दें कि उनका होना जरूरी था । मैंने इशारा किया कि माल मंत्री मौजूद हैं। उसका फायदा उठाकर वे भी चले गये और हम चिल्लाते रहे । वे मान्यवर, क्षमा मांग सकते थे। उनका भी जवाब तलब किया जाय कि वह चुपके से क्यों भागे। उन्होंने भी सदन का अवमान किया है ।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त सबसे वरिष्ठ मंत्री यहां स्वास्थ्य मंत्री जी हैं । उनको चाहिये कि वह रिग्रेट एक्सप्रेस करें क्योंकि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है।

श्री बलबीर सिंह—

माल मंत्री से भी रिग्रेट एक्सप्रेस कराई जाय ।

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

काउंसिल में अधिकतम जोत सीमा विधेयक आज है । माल मंत्री जी वहां गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी रिग्रेट एक्सप्रेस करें कि शिक्षा मंत्री जी नहीं आये और फिर यह प्रार्थना कर सकते हैं कि सातवां आइटम ले लिया जाय ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

काम करने में ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, माफी मांगने में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

माफी मांगने में भी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अनकंडीशनल एपालाजी होनी चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

इनसे माफी मंगवाना तो इनके साथ अन्याय होगा। अपराध कोई करे और सजा किसी को मिले यह तो रूल आफ जंगल हो जायगा, मान्यवर।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह सदन में मौजूद हैं क्या इसलिये इनसे मांफी मंगवा रहे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सरकार जब असली चोर को नहीं पकड़ पाती तो किसी दूसरे को खड़ा कर देती है। यह उसी के शिकार हो रहे हैं। श्रीमन्, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनको जुर्म से बरी किया जाय और जिन्होंने कसूर किया है उनको बुलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

हम उनको बुला रहे हैं। लेकिन रिग्रेट तो इनको एक्सप्रेस करनी ही चाहिये क्योंकि इन्होंने ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी ली है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, किसी कारणवश शिक्षा मंत्री जी समय पर नहीं आ सके। मुझे इसके लिये खेद है। उनको सूचना भेज दी गयी है, वह तुरन्त आएंगे। शर्मा जी उनको बुलाने गये हैं। यदि श्रीमन्, उचित समझें तो सातवें आयटम को ले लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, हम दो मिनट के लिये वाक-आउट करते हैं। यदि यह झूठ ही कहा जा रहा है किसी कारण नहीं आ सके। श्रीमन्, सदन की कार्यवाही के साथ निरन्तर पांच दिन से सरकार मखौल कर रही है। हम इसके विरोध में दो मिनट के लिये वाक-आउट करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, सरकार ने अमर्यादा का काम किया है और नियमों का मखौल किया है। यह तो कुरुक्षेत्र में शीघ्र ही नष्ट होने जा रहे हैं, हम उसको और हवा देना चाहते हैं कि जल्दी नष्ट हों। यह निकम्मी सरकार है, पब्लिक ड्यूटी को नहीं समझती है, इसलिये हम सदन का थोड़े समय के लिये त्याग करते हैं।

(श्री बंशीधर पांडेय अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री बलबीर सिंह—

माफी भी, श्रीमन्, कंडीशनल मांगी है, अनकंडीशनल नहीं है। सरकार का जो रवैया चल रहा है यह प्रजातंत्र के खिलाफ है। मैंने माल मंत्री जी के बारे में भी कहा था, उनसे भी माफी मंगवाई जाय। अगर इस तरह चोरों की तरह से मंत्री चले जायेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। इस रवैये को देखते हुए हम उचित समझते हैं कि हमारा दल भी सदन त्याग करे।

(श्री बलबीर सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार कितनी निकम्मी है। प्रदेश की समस्याओं को समाधान करने के लिए यह बिलकुल उदासीन, निकम्मी और नालायक है। इसके विरोध में हम पांच मिनट के लिए सदन त्याग करते हैं।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी तक कोई वरिष्ठ मन्त्री नहीं आया और 10 मिनट हो गये हैं। मैं भी इसके विरोध में कुछ समय के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी सदन त्याग कर चले गये)

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, मुझको इसका खेद है।

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य मन्त्री ने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दिया है और 7वें आइटम को लेने की प्रार्थना की है। यह तो अपोजीशन का राइट है।

जनपद बरेली के नगरपालिका बहेड़ी में नवम्बर तथा दिसम्बर, 1972 में चेचक के भयंकर प्रकोप के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

यह सत्य है कि पिछले दो माह से जनपद बरेली के बहेड़ी नगरपालिका में चेचक का प्रकोप है। सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं बहेड़ी अपने सचल दल के साथ गये और वहां जांच की तथा जांच के दौरान उनको जो सूचना मिली उसके अनुसार 50 से अधिक रोगी चेचक से ग्रसित हुये और ऐसा अनुमान किया जाता है कि 16 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। रोगियों की खोज अभी भी जारी है। वैक्सीनेटर तथा अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं कि ये घर-घर जाकर चेचक निरोधक टीके लगायें और रोग से ग्रसित व्यक्तियों का हर सम्भव उपचार करें। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी तथा सहायक अधीक्षक, टीका, दोनों अधिकारियों को वहां पर रुक कर रोगियों की देखभाल एवं रोग की रोकथाम की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है।

जहां तक श्री अमीर अली के 3 बच्चों का सम्बन्ध है, प्राप्त सूचना के अनुसार केवल उनके एक बच्चे, श्री वहीद अहमद की मृत्यु चेचक रोग से हुई। शेष दो बच्चों में से एक की मृत्यु दस्त एवं ज्वर तथा दूसरे की ज्वर से हुई। यह सूचना श्रीमती अमीर अली ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दी।

इस मामले में स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चेचक फैलाव के बारे में समय पर सूचना न देने के बारे में जांच की जा रही है और दोषी पाये गये कर्मचारियों को विधिवत् दंडित किया जायगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी इस महामारी के बारे में पूर्णतया सजग हैं और ये हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके बीमारी पर नियन्त्रण पाया जाय।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

मान्यवर, बहेड़ी में 25 नवम्बर से नसबन्दी का एक शिविर चल रहा है। उसके पूर्व एक हफ्ते से जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं वहां पर लगातार आते रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने इस बात की जानने की कोशिश नहीं की और न तो चेचक के प्रकोप को रोकने की तरफ ही कोई ध्यान दिया। इसका क्या कारण है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

बहेड़ी में नगरपालिका है और उसी के द्वारा ही इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए लेकिन जब उस तरफ से विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे विभाग ने तुरन्त ही इस ओर ध्यान दिया और विभाग इस मामले में पूर्ण सजग है। अब उसकी पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। वहां पर परिवार नियोजन कैम्प लग रहा है इस सिलसिले में अधिकारियों को पूरे जिले में ही जाना पड़ता है। उनको समय से सूचना नहीं मिली लेकिन जब से उनको सूचना मिली है तब से वह इसके रोकथाम करने के प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री शफीक अहमद खां—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से मैंने यह प्रस्ताव रखा है सदन में उसके बाद से ही वहां पर स्वास्थ्य अधिकारी पहुंच गये हैं और उन्होंने इस तरफ उसके बाद ही ध्यान दिया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जब नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया तो सरकार का कर्त्तव्य था कि इस तरफ ध्यान दें, वह किया गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना कब मिली और वह मौके पर कब गये ? यह भी कहा गया कि 16 से अधिक मृत्यु हो चुकी है। इसके माने तो यह भी हो सकते हैं कि 1,000 मौतें हुई हों, 100 हुई हों या 500 मौतें हुई हों। आप निश्चित आंकड़े बतायें कि कितने आदमी मरे?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अभी तक केवल 50 रोगियों की सूचना है जिनमें से 16 से अधिक की मृत्यु हो गई है ।

श्री अध्यक्ष—

ये यह जानना चाहते हैं कि 16 से अधिक कितने लोगों की मृत्यु हो गयी है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि रोगियों की संख्या 50 है और मृतकों की संख्या केवल 16 है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

स्वतन्त्रता के 25 वर्ष बाद भी आज चेचक से मृत्यु हो रही है, यह बड़े खेद की बात है जबकि हमारी साइन्स बहुत आगे बढ़ गयी है। कैंसर को तो छोड़ दीजिये। क्या सरकार ऐसी योजना पर विचार करेगी कि कम से कम ऐसी बीमारियों पर तो रोक लग जाय और भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इसके लिए निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रायः यह रोग फरवरी-मार्च के महीनों में होता है और अक्तूबर-नवम्बर में इसका प्रकोप बहुत कम होता है। पूरी व्यवस्था कर दी गयी है और वहां पर अधिकारी मौजूद हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगा रहे हैं। सारी व्यवस्था ठीक चल रही है और स्थिति पर पूरा नियन्त्रण कर लिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना कब प्राप्त हुयी और ये मौके पर कब गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वैसे तो वहां जो नगरपालिका है उसको सूचना होनी चाहिये थी, लेकिन जिस समय प्रश्न किया गया और वहां से उनको सूचना मिली तो ये अपने असिस्टेंट के साथ और अपने कर्मचारियों के साथ तुरन्त वहां पहुंच गये। आज भी उनके एसिस्टेंट वहां हैं, जो प्रत्येक घर-घर जाकर टीका लगा रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मन्त्री जी को यह नहीं मालूम कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को कब सूचना हुयी और ये कब मौके पर गये ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि जब प्रश्न किया गया तब उनको सूचना मिली।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

हम यही मान लें कि जब हम लोगों ने प्रश्न किया तब ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना मिली।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा ही यह है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

मन्त्रीजी ने बताया कि 50 रोगियों में से मृतकों की संख्या 16 से ज्यादा है। यह शुबहा होता है कि मृतकों की संख्या ज्यादा है। मन्त्री जी कृपा करके उन 50 रोगियों के नाम बता दें ताकि यह मालूम हो सके कि क्या उन्हीं में से 16 की मृत्यु हुई है।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, जितनी सूचना डी० एम० ओ० एच० कलेक्ट करके आये हैं, उतनी सब सूचना तुरन्त यहां दी है और उसमें कुछ नहीं छिपाया है। 16 मृत्युओं की सूचना मिल गयी है, लेकिन उससे भी अधिक मृत्युओं की सम्भावना है। जितना टाइम उनको मिला उतनी सूचना पर्सनली लेकर यहां आये हैं। 50 आदमियों के बीमार होने का पता लग पाया है और 16 की मृत्यु का पता चला है। यदि माननीय सदस्य और सूचना चाहेंगे तो वह भी सूचना दे दी जायगी।

श्री बलवीर सिंह—

मैंने मन्त्रीजी की तुरफ शुबहा जाहिर नहीं किया—मेरा शुबहा अधिकारियों की तरफ जाता है। जैसा मैंने पहले कहा क्या उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मन्त्री जी इस

[श्री बलवीर सिंह]

बात की जांच करायेंगे कि क्या यह फर्जी रिपोर्ट तो नहीं आयी है और अगर फर्जी रिपोर्ट आयी है तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों को सजा देंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

फर्जी का प्रश्न कहां होता है ? हम तो खुद ही सूचना दे रहे हैं। प्रश्न करने के बाद 6 घंटे का ही समय मिला और जितनी एवेलेबिल सूचना हो सकती थी, वह आपकी सेवा में उपस्थित हो गयी है। फिर जो सूचना होगी वह आपके समक्ष उपस्थित हो जायगी।

श्री शफीक अहमद खां—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर कि 200 से ज्यादा मृत्यु हुयी हैं यह किसी न्यायाधीश के जरिये या जिलाधिकारी के जरिये जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

हम जांच करेंगे और सब पता लगायेंगे। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि जितना हम पता लगा सकते हैं, लगायेंगे और आप जो हुकुम कर रहे हैं उसकी तामील कर रहे हैं।

जिला देवरिया के बी० आर० डी० कालेज में एक छात्र को दूसरे छात्र द्वारा छूरा मारे जाने के संबंध में वक्तव्य (क्रमागत)

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, कौंसिल में मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर लगा हुआ था जिसके कारण दो मिनट की देरी हो गयी। आज्ञा हो तो इस आइटम नं० 6 पर जो वक्तव्य मेरा है, उसको उपस्थित कर दूं ?

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री कह रहे हैं कि कौंसिल में कुछ देर हो गयी तो क्या असेम्बली का महत्व कौंसिल से कम है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उचित है कि कौंसिल और असेम्बली का महत्व एक-सा है लेकिन यह उचित नहीं है और कि अगर वहां पर समय लग जाता है तो भी शिक्षा मन्त्री को उस काम को छोड़कर यहां उपस्थित होना ही चाहिए। वे अगर यहां उपस्थित नहीं हुये हैं तो गलती तो है ही। अगर वे यहां नहीं आ सकते थे किसी कारणवश तो उनके जो दूसरे साथी, शिक्षा मन्त्री हैं वे आ सकते थे।

(व्यवधान)

अब जब उनकी तरफ से रिग्रेट एक्सप्रेस हो चुका है तब वह सब बात खत्म हो गयी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक व्यवस्था का प्रश्न और है, श्रीमन्, कौंसिल के अबालिशन का प्रस्ताव इस सदन ने पारित किया था और वह केन्द्र में, लोक सभा या राज्य सभा में पड़ा है। वह सब अबालिश कर रहे हैं। अगर कौंसिल खत्म हो जाय तो यह सारा झगड़ा ही खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस बात के लिये तो आपको वहां झगड़ा करना चाहिये।

जिला देवरिया के बी० आर० डी० कालेज में एक छात्र को दूसरे छात्र द्वारा छूरा मारे 1201 जाने के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 को वी०आर०डी० इण्टर कालेज, देवरिया के एक छात्र योगेंद्र पांडे पर उसी कालेज के छात्र नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने छुरे से प्रहार किया जिसके फलस्वरूप योगेंद्र पांडे की मृत्यु हो गई। अभियुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का कालेज के अन्य छात्रों ने पीछा किया तथा उसके एक क्वार्टर में छिपने की कोशिश के बावजूद छात्रों ने उसे मारा पीटा। इस घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। वे नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर ले जाना चाहते थे लेकिन छात्रों की भीड़ ने अभियुक्त पर आक्रमण करने की कोशिश की तथा पुलिस द्वारा रोकने पर पथराव करना आरम्भ कर दिया। इसी बीच अतिरिक्त पुलिस वहां पहुंच गई व स्थिति पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। अभियुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया ।

इस घटना के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक ने देवरिया के सभी कालेजों को दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 तक बन्द करने के आदेश दिये। उक्त कालेज के प्रधानाचार्य ने एक पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा जिसमें उन्होंने दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 को पुलिस द्वारा छात्रों व अध्यापकों को पीटने के आरोप लगाये। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच करने पर यह आरोप निराधार पाये गये। दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 को अध्यापकों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया तथा कोतवाल को स्थानान्तरित एवं निलम्बित करने और 2 दिसम्बर, 1972 की घटना की न्यायिक जांच करने की मांग की। संघर्ष समिति के सदस्य जिलाधिकारी से भी मिले तथा पुलिस द्वारा ज्यादती करने की शिकायत की व कोतवाल का स्थानान्तरण करने की मांग की। जिला अधिकारी ने आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए, मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये तथा अध्यापकों को आश्वासन दिया कि यदि जांच के फलस्वरूप पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही पाये गये तो दोषी कर्मचारियों को उचित दण्ड दिया जायगा लेकिन संघर्ष समिति के सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं हुए ।

अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन जारी कर दिया गया। अध्यापकों ने दिनांक 11 दिसम्बर, 1972 को हड़ताल करने का निश्चय किया। सन्त विनोबा कालेज के एक छात्र श्री सत्य प्रकाश वर्मा ने दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 से भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। अन्य छात्रों तथा अध्यापकों ने भी 24-24 घंटे की भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। दिनांक 17 दिसम्बर, 1972 को श्री सत्य प्रकाश वर्मा की हालत चिन्ताजनक हो गयी। सिविल सर्जन, देवरिया ने यह राय व्यक्त की कि यदि वर्मा ने भूख हड़ताल समाप्त नहीं की तो उनकी दशा और गम्भीर हो सकती है। जिलाधिकारी ने वर्मा से भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने नहीं माना। अतः श्री वर्मा को दिनांक 17 दिसम्बर, 1972 को भा०द०वि० की धारा 309 के अन्तर्गत गिरफ्तार करना पड़ा। उसी रात को 14 अन्य छात्रों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। श्री सत्य प्रकाश वर्मा ने स्वतः भूख हड़ताल समाप्त कर दी ।

दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 को अध्यापकों व छात्रों द्वारा देवरिया बन्द मनाया गया। छात्रों द्वारा दैनिक समाचार-पत्र 'आज' की प्रतियों को अखबार वालों से छीनने तथा उन्हें जला देने, लूटपाट करने तथा दूकानदारों द्वारा दुकानें बन्द न करने पर गाली देने आदि की शिकायतें प्राप्त हुईं ।

दिनांक 18 दिसम्बर, 1972 को अध्यापकों द्वारा जिलाधिकारी का घेराव करने अथवा न्यायालय में हुल्लड़बाजी करने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। अतएव, जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट नहीं गये व अपने निवास-स्थान पर काम करने लगे। बाद में अध्यापकों का

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

एक जुलूस धारा 144 का उल्लंघन कर कोतवाली पहुंचा व नारे लगाने लगा। पुलिस द्वारा अध्यापकों से तितर-बितर हो जाने के लिए कहा गया लेकिन वे नहीं माने। अतएव 10 अध्यापकों को गिरफ्तार करना पड़ा।

दिनांक 19 दिसम्बर, 1972 को आयुक्त, गोरखपुर मंडल के देवरिया पहुंचने पर उनसे अध्यापकों व छात्रों को पुलिस द्वारा पीटने व अध्यापकों को हथकड़ी पहनाने की शिकायत की गयी। पुलिस ने अध्यापकों को हथकड़ी पहना दी थी। आयुक्त ने स्थानीय लोगों से बातचीत की जिसके फलस्वरूप अध्यापकों व छात्रों ने हड़ताल समाप्त कर दी है तथा स्थिति अब पूर्ण रूप से सामान्य है। आयुक्त की संस्तुति पर सर्किल आफिसर, थानाध्यक्ष तथा परगना मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। समस्त सम्बन्धित मामलों की जांच सी० आई० डी० को सौंप दी गई है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि आजकल सी० आई० डी० और जुडिशियल इंक्वायरी की भी जो मांग की जाती है उसमें भी पुलिस का डंडा और दबाव रहता है जो कि इससे जाहिर है कि हर चीज पुलिस की रिपोर्ट में निराधार पायी गयी तो माननीय राधाकृष्ण गोस्वामी, स्वयं जाकर जांच करेंगे कि अधिकारी कितने गलत थे जिससे कि छात्रों का असन्तोष दूर हो ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जांच से ही सूचना मिली कि कुछ अध्यापकों को हथकड़ी पहना दी गयीं। यह एक संकेत मात्र थी और इस पर ही सारे अधिकारियों को स्थानातरित कर दिया गया जिससे कि जांच पर किसी तरह का प्रभाव न पड़ सके। सी०आई०डी० की जांच के बाद जो दोषी पाया जायगा तो उसे दंडित किया जायगा। जहां तक मेरे जाने की बात है, अगर आवश्यकता होगी मैं भी जा सकता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर इन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रीयल जांच शुरू कर दी है। मेरी सूचना यह है कि अध्यापकों और छात्रों को बैल की तरह घुमाया गया और किसी कोतवाल ने ऐसा किया, क्या यह सच है या नहीं ? क्या यह उस रिपोर्ट को पढ़कर सुनायेंगे जिसके आधार पर मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी की गयी है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

मैं माननीय सदस्य की सूचना के प्रति कोई आपत्ति नहीं करता और न ही विरोध करता हूं। आपकी जो सूचना है उसको भी भेज देंगे और यह भी टर्म्स आफ रेफरेंस में आ जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जिस पर मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी हो रही है तो उसे पढ़ कर सुना दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस तरह के आरोप हैं कि विद्यार्थियों के साथ ज्यादती की गयी। कुछ अध्यापकों को रस्सी से बांध कर ले जाया गया। एक वकील का भी टेलीग्राम आया कि उनकी मूछों को पकड़ कर उन्हें घुमाया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, किसी की मूंछों को पकड़ कर घुमाया जाय यह इनका प्रशासन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जो जरायम पेशा वाले लोग होते हैं उनके साथ पुलिस का जो व्यवहार होता है, वह तो होता ही है कि चाहे मूंछ उखाड़ लें या पूंछ उखाड़ लें। लेकिन अध्यापक वर्ग या जो वकील लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जरायम नहीं करते। तो उनके प्रति सरकार क्या कोई ऐसा सर्कुलर जारी करेगी कि आइन्दा पुलिस ऐसा व्यवहार करे जिससे भविष्य में कोई असन्तोष का कारण न हो ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा सर्कुलर जारी करना न्यायोचित नहीं होगा। यह तो एक सामान्य नियम है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो और किसी ने किया तो उसकी जांच हो और इसी कारण जांच भी की है और उन अधिकारियों को तत्काल जैसा कि वहां के लोगों की मांग थी, वहां से हटा दिया गया है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मैं भी परसों गया था और डी०आई०जी० और कमिश्नर गोरखपुर, भी मेरे साथ जेल में गये थे। 14 लड़कों में से 13 लड़के और एक चपरासी, एक वकील, और एक प्रोफेसर---ये कुल 16 व्यक्ति थे, 14 लड़के नहीं थे, उनमें एक चपरासी भी था। शायद यह कहा जाय कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन बिलकुल ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट पहले मिल चुकी है। यह स्वयं उन्होंने कहा कि एक वकील थे जेल में जिनकी मूंछ उखाड़ ली गयी और एक डिग्री कालेज का एम०एस-सी० का लड़का था जिसके मुंह में पेशाब कर दिया गया और 6 लड़कों के 20-20 डंडे लगाये गये, उनको देखकर मैं भी रो पड़ा। यह डी०आई०जी और कमिश्नर दोनों ने देखा। तो मैं जानना चाहता हूं कि किसी ऐसे अधिकारी से विशेष ढंग से जांच करायेंगे कि सारी घटना प्रकाश में आ जाय ? क्योंकि तबादला दंड नहीं है। अगर वे दोषी पाये जायं तो क्या कृपा करके उनके प्रति उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जांच की जो प्राथमिक सूचना आई है डी०आई०जी० और कमिश्नर की। उसमें यह कि पुलिस ने हथकड़ी पहनाई, कुछ ज्यादती की जो कि उचित नहीं था, इसी आधार पर उन लोगों ने भी मांग की---ट्रांसफर सजा न हो---लेकिन उनकी पहली मांग थी कि कोतवाल वगैरह को हटा दिया जाय तो उनको हटा दिया गया। तो यह जो उचित व्यवहार नहीं हुआ, किसी के डण्डे मारे गये, मूंछ उखाड़ी गयी, इन्हीं सब कार्यवाहियों के लिए मैजिस्टीरियल इंक्वायरी बैठा दी गयी थी और अब सी०आई०डी० की इंक्वायरी भी कराई जायगी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्यवाही होगी अवश्य की जायगी।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि जांच की रिपोर्ट आने के पहले सदन के कुछ सदस्य चाहते हैं कि आपके वह रिश्तेदार थे, आप चले जायं तो मामला सुलझ जायगा, सत्यता निकल आयेगी। दूसरों पर इतना विश्वास नहीं, इसलिए आपका नाम लिया। अगर कोई और गया और उसके ऊपर भी विश्वास न हुआ तो आपके जाने में क्या हर्ज है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

किसी एक व्यक्ति पर विश्वास करना और संस्था पर अविश्वास करना तो उचित नहीं है। आज्ञा तो मुझे शिरोधार्य है, जो आज्ञा दे देंगे माननीय सदस्य उसका तो पालन करना अपना कर्तव्य समझता हूं। लेकिन सी० आई० डी० की पूरी संस्था पर, मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी पर विश्वास न हो, एक छोटे से व्यक्ति पर विश्वास हो, यह तो कोई अच्छी परम्परा नहीं है, वैसे जसी आज्ञा हो।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

मैजिस्ट्रेट की क्या बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

अभी तो सी०आई०डी० की इंक्वारी हो रही है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मुझे यह कहना है कि श्रीमन्, कि यदि शिक्षा मन्त्री स्वयं नहीं जाते तो इनकी रिपोर्ट बिलकुल भरोसे के लायक नहीं है और यह साबित हो गया कि वहां का मजिस्ट्रेट, वहां की पुलिस इंक्वायरी, वहां डी०एम० सभी मिलकर एक तरह का केश बनाये हैं। वहां 17 तारीख के सवेरे लड़कों को सोये हुए पकड़ कर कलेक्टर के बंगले पर रस्सियों से बांध कर लाया गया, थूक कर चटवाया गया, जूते से पीटा गया, मूछें उखाड़ी गयीं और जो इंक्वायरी मैजिस्टेट की होगी वह बिलकुल अविश्वसनीय होगी। तो या तो गोस्वामी जी खुद जायं वरना जुडीशियल इंक्वायरी मुकर्रर करें। दोनों में से एक चीज की घोषणा करें।

श्री बंशीधर पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, न तो माननीय मन्त्री जी के मूछ है और न मेरे मूछ हैं। तो जो मूछ उखाड़ने वाली बात उन्होंने कही उससे जो दर्द होगा वह न मैं समझ पाऊंगा न मन्त्री जी। इसलिए क्या किसी मूंछ वाले भाई को, जैसे राजितराम पांडेय बगैरह को वहां जांच करने के लिए भेजेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री बलवीर सिंह---

आयुक्त महोदय ने जो फैसला कराया उसके जो टर्म्स हैं क्या सरकार ने उनको पूरा कर दिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो आयुक्त और डी०आई०जी० उस समय आजमगढ़ में थे विशेष परिस्थितियों में उनको निर्देश हुआ था कि वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने सारी स्थिति देखी और यह संकेत किया कि वहां के विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ, जैसे हथकड़ी वगैरह पहनाई। इसी आधार पर सब का स्थानान्तरण कर दिया गया और सी० आई० डी० की जांच भी लगा दी गयी। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा तो माननीय सदस्यों को करनी ही चाहिये ।

श्री बलवीर सिंह---

मन्त्री जी ने अपने बयान को यह कहकर खत्म किया कि उनमें फैसला करा दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें क्या फैसा हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने यही किया कि उनको हटा दें और जांच की जाय।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उनकी पहली मांग थी कि इन अधिकारियों को यहां से हटा दिया जाय और उसकी जांच करायी जाय। दोनों हमने कर दिया।

श्री रामधारी शास्त्री--

पहली दिसम्बर वाली घटना में यह मांग थी कि उनको हटा दिया जाय लेकिन 12 दिसम्बर को तो दूसरी घटना हुई। इसीलिए मैंने दोनों सजेशन्स दिये कि या तो मन्त्री जी स्वयं जायं नहीं तो न्यायिक जांच की घोषणा करें। इन दोनों में वह क्या करते हैं यह बतलाने की कृपा करें ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह घटना देवरिया शहर में घटित हुई है और उसका क्रम कई रोज तक चला। वहां डी०एम०, एस०पी० और जिले के सर्वोच्च अधिकारी रहते हैं। अगर ऐसी घटना हुई, जिसका संकेत पहले से मिल गया था और यह मूंछ उखाड़ने वाली बात, सारे शहर में टहलाने वाली बात, चौराहे पर बैल की तरह से घुमाने वाली बात, यह सब उनके आदेशों पर ही हुआ होगा, कोतवाल की हिम्मत नहीं है कि उनके रहते हुए अपनी तरफ से यह सब करता। जो उन्होंने मैजिस्टीरियल इंक्वायरी का आर्डर कर दिया, मुझे शंका है कि वह कदापि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसलिए या तो न्यायिक जांच करायें, या फिर मैं रिपीट करता हूं, हमारे गृह मन्त्री जी स्वयं जायं, हमको विश्वास है, और सदन के दो, एक और सदस्यों को अपने साथ अटैच कर लें।

श्री अध्यक्ष--

वह तो कह दिया उन्होंने ।

श्री रामबिलास पांडे (जिला आजमगढ़)--

ब्रिटिश काल को भी मात कर दिया वहां के अधिकारियों ने । जूते में थुकवाया और चटवाया, हाथ पर नहीं थुकवाया। हम जुडिशियल इंक्वायरी भी नहीं चाहते, मैं चाहता हूं कि सदन की कमेटी बने ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

2 तारीख को बी०आर०डी० कालेज के एक लड़के की हत्या हुई और 16 से 20 के बीच में पुलिस ने कुछ ऐसे कारनामे किये जिस पर सब को क्षोभ है, तो क्या पुलिस मन्त्री और शिक्षा मन्त्री जी भी एजेंसी जांच कर रही है, उसको निर्देश भेजेंगे कि इन दोनों घटनाओं की अलग-अलग जांच करके रिपोर्ट भेजें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

स्थिति बिलकुल स्पष्ट है कि जिस छात्र की हत्या की थी उसको सुरक्षित ले जाने के सम्बन्ध में यह सारी दुर्घटनायें हुई। उसके एक घटना के बाद दूसरी घटना होती चली गयी। डी०आई०जी० व पुलिस कमिश्नर ने जो संकेत अब तक दिये हैं उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी। माननीय सदस्यों को सी० आई० डी० की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री रामबिलास पांडेय--

चूंकि मन्त्री न्यायोचित मांग को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं दो मिनट के लिए सदन का वाक आउट करता हूं।

(श्री रामबिलास पांडेय सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जुडीशियल जांच की मांग को भी माननीय मन्त्री जी ने नहीं माना, अन्य किसी बात को भी नहीं माना, हमको इससे सन्तोष नहीं है, इसलिए 2 मिनट के लिए हम और हमारा दल सदन से बाहर जाता है।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बलवीर सिंह---

मैं भी माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की बातों की ताईद करता हूं और अपने दल के साथ 2 मिनट के लिए वाक-आउट करता हूं।

(श्री बलवीर सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(अगला आइटम पुकारे जाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, पुलिस की मनमानी और स्वेच्छाचरिता बराबर बढ़ती जा रही है। अभी एक घटना घटी कि एक लड़के पर मिट्टी का तेल छिड़क कर पुलिस ने जलवा दिया। एक घटना यह घटी कि मूंछें उखड़वा लीं।

(व्यवधान)

मन्त्री जी इसके लिये भी तैयार नहीं हैं कि वे स्वयं चले जायें।

श्री अध्यक्ष---

आपने पूरी बात उनकी सुनी नहीं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर लीजिये। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो वे चले जायेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह आरोप है कि आई० जी० का दबाव पड़ रहा है। सी० आई० डी० की जांच निष्पक्ष नहीं आ पायेगी। इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

इसलिए तो माननीय सदस्यों ने वाक आउट किया। आप बैठें...

श्री अनन्तराम जायसवाल---

पहले सुन लें श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972

राजस्व उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अनुज्ञा देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

श्रीमान, मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं ।

जिला देवरिया के बी० आर० डी० कालेज में एक छात्र को दूसरे छात्र द्वारा छूरा मारे जाने के संबंध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

इस समय सदन की बैठक हो रही है और सदन की बैठक होने के बावजूद ऐसी घटना हो जाये और शासन कोई प्रभावकारी कार्यवाही न करे, तो इससे ज्यादा खेदजनक बात और क्या हो सकती है वह केवल आश्वासन चाहते हैं कि वही जांच कर लें, इस पर भी मंत्री जी तयार नहीं हैं इतनी शर्मनाक घटना हुई है, इसमें कम से कम इतना तो होना ही चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

आपने प्रार्थना की कि वह चले जायं, स पर उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट है वह आ जाए तब मैं उचित समझूंगा तो जाऊंगा तो अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

एक बार जो रिपोर्ट आ जाती है, सरकार हर कीमत पर उस रिपोर्ट को सही साबित करने की कोशिश करती है और यही कोशिश इसमें भी की जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद तो कुछ हो नहीं पाएगा ।

श्री अध्यक्ष---

वह स्वयं जायेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस पर भी कुछ नहीं होता है तो सदन की कार्यवाही चलाने से लाभ ही क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

आप अपनी जिद्द कर रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

ऐसी लोमहर्षक घटना हो जाय और आप कुछ न करें, सदन कुछ न करे, तो हमारे लोगों के होने से क्या लाभ ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि माननीय मत्री जी को इस बारे में कोई कठिनाई है वह रिपोर्ट ही पहले चाहते हैं तो आपको अधिकार है कि आप मंत्री जी से पूछकर इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी नियुक्तकर हां भेज दें, जो वहां की स्थिति देखकर आपको एक रि ोर्ट प्रस्तुत कर दें। उसमें राजमंगल पान्डेय जी को भी कर दिया जाए ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

केवल देवरिया के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बन जाय, यह भी ठीक रहेगा।

उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1972 की पुरःस्थापना

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मैं आपको बधाई दे दूं और आभार प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को, जिससे राष्ट्रीय उत्थान होगा और जिसमें राष्ट्रीय एकता का प्रश्न सम्बद्ध है, प्रस्तुत करने के लिये एजेण्डा में शामिल कर लिया। इसके पहिले कि मैं सदन की अनुज्ञा मागूं, उससे विनती करता हूं कि यह बहुत ही सामाजिक परिवर्तन का विधेयक है। इससे समाज में व्याप्त गैर बराबरी यदि मिटेगी नहीं तो घटेगी अवश्य। आजादी के 25 सालों में जो हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका नौकरियों में शिक्षा संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, तो इस को दूर करने की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि उनका उत्थान हो। इसके पहले मैं अपने प्रस्ताव को पेश करूं, अपने सपोर्ट में माननीय मुख्य मंत्री जी के एक पत्र को उद्धृत करना चाहता हूं, जो 12 जुलाई को उन्होंने भेजा था। 'रूपनाथ सिंह जी के द्वारा सरकारी सेवाओं में हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों के लिये पद आरक्षित करने के लिये टिप्पणी मिली, विधान सभा में प्रस्तुत करने पर सरकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जायगा।" इसको देखते हुए एक तरह से नेता सदन ने इस पर अनुज्ञा दे ही दी है। आज मुख्य मंत्री जी यहां हैं, नहीं संसदीय कार्य मंत्री हैं। मैं समझता हूं, वह अनुज्ञा देने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। देश के संविधान में 15–16 आर्टिकिल्स में इसका उल्लेख है—

श्री अध्यक्ष—

अनुज्ञा के लिये इतना बोलना नहीं पड़ता है, आप समाप्त करें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हमारे यादव जी ने जो विधेयक सामने रखा है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है हम रोज चर्चा करते हैं हरिजनों की स्थिति सुधरे, पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधरे, हरिजनों पर नित्य प्रति अत्याचार होते हैं, स्वतन्त्रता, प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी' उस पर विचार करने के अवसर मिले। इन शब्दों के साथ में समर्थन करता हूं। उधर के माननीय सदस्य भी अनुज्ञा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रूपनाथसिंह यादव---

मैं उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' पीछे पृष्ठ 1290 पर)

श्री अध्यक्ष---

श्री जगदीश गांधी। नहीं हैं।

सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। दो माननीय सदस्य कांग्रेस बी०के०डी०में शामिल हुए हैं। उसका ऐलान नहीं हुआ है। उसका ऐलान आज कर दें।

श्री अध्यक्ष---

उसमें एक दफा एक बात माननीय सदस्य लिखते थे दूसरी बार उसके विरुद्ध लिखते थे (व्यवधान) आज उनका निश्चय आ गया है, निश्चित आ गया है। यह है श्री अबुदराफे खां, इन्होंने कहा है कि मैं बी०के० डी में आ गया हूं। दूसरे श्री महेन्द्र सिंह--इन्होंने भी कहा है कि घोषणा कर दें कि वह बी०के० डी०में आ गये हैं। कांग्रेस (आर) पार्टी छोड़ कर आये हैं।

श्री अध्यक्ष---

कार्य स्थगन प्रस्ताव कोई नहीं है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 1972 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष---

विधेयक भी उपस्थित किया जाय तो दोनों पर बहस एक साथ हो जाय।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह संशोधन विधेयक इसलिये लाया गया है कि शहरी सम्पत्ति के ऊपर हस्तांतरण पर निबन्धन की तारीख 31 दिसम्बर 1972 रखी गयी थी। अब इसको हम एक महीने के

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

लिये बढ़ा रहे हैं। 31 जनवरी, 1972 तक करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दो तीन छोटे-छोटे संशोधन भी प्रस्तावित किये गये हैं। उनमें एक प्रमुख यह है कि स्वायत्त शासन विभाग को कुछ कठिनाई पड़ती थी ऋण देने में गृह निर्माण के लिए उसके लिये एक संशोधन है। दूसरे आयुक्तों को यह अधिकार दिये हैं कि जहां वह उचित समझें वहां अन्तरण की अनुज्ञा दें। हम माननीय सदस्यों से प्रार्थना करते हैं कि इस संशोधन विधेयक पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष---

अभी विचार होगा।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, यह बात सही है कि शहरी और ग्रामीण सम्पत्ति की सीमा रखने के लिये एक विधेयक की आवश्यकता थी और इस सदन में दोनों विधेयक 9मई को प्रस्तुत हुये थे और उस समय मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री दोनों थे और यह आश्वासन दिया गया था सदन को कि सरकार इसी सत्र में दोनों विधेयकों को पास कर देगी लेकिन वे उस सत्र में पास नहीं हुये। अगस्त के अन्त में बैठक हुई और यह सदन उठ गया। आप देखेंगे कि जब सदन आहूत होता है तो यही एक अध्यादेश नहीं अनेकों अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले जाते हैं। लगता ऐसा है कि हमारे मंत्री लोग जब तक सदन आहूत नहीं होता तबतक मौज मस्ती में कारों पर घूमा करते हैं और जब सदन आहूत होता है तो उनको चिन्ता होती है क्या काम बाकी रह गया और किसकी तारीख खत्म होने वाली है, किसी की तारीख उनको बढ़ानी है और उस समय उन्होंने अध्यादेश निकाल दिया। हमने तो समझा था कि सरकार इस माह में दोनों विधेयक पास करा देगी। मेरी मंशा अननुमोदन करने से यह थी कि सरकार को फिर मौका न दिया जाय कि वह 31 दिसम्बर के बाद उस पर अपनी तिथि बढ़ा सके। मैं यह नहीं कहता कि अधिकतम जोत सम्पत्ति विधेयक से किसी को जमीन नहीं मिलेगी लेकिन माता प्रसाद जी तथा महीलाल जी को पता लग जायगा कितनी जमीन गरीबों को मिलेगी जब यह कार्य रूप में परिणत होगा। लेकिन वह विधेयक पास हो गया।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

अब यह जो दूसरे अध्यादेश है इसकी मियाद बढ़ाने की बात कही जा रही है। कार्यक्रम के अनुसार इस पर चर्चा कहीं नहीं रखी गयी है और यह साबित कर रहा है इस बात को कि यह सरकार शहरी सम्पत्ति वालों को बचाना चाहती है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अध्यादेश के अन्तर्गत कतिपय संशोधन भी रख रहे हैं। अध्यादेश की अवधि बढ़ाने के साथ संशोधन विधेयक में क्या है उसे उस पर भी यह माननीय सदन जरा गौर कर ले। एक तो धारा 3 (2) (घ) के अन्तर्गत यह बढ़ाया जा रहा है। 11 जुलाई, 1972 के पूर्व स्थिति किसी बाद में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गयी किसी डिक्री अथवा यू० पी० इन्कम बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 14 के अधीन किसी डिक्री के निष्पादन में शहरी सम्पत्ति के किसी अन्तरण पर प्रभावी नहीं होगा। इससे आप सारे प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। 9 मई को आप जोत सम्बन्धी आरोपण विधेयक लाये और 1971 से उसे लागू कर रहें है। लेकिन इसको आपने 9 माई, 1972 को सदन में रख दिया और उसमें आप 2 महीने का गेप रखना चाहते हैं यानी 11 जुलाई, 1972 के पूर्व अगर कोई वाद है तो उसके अन्तरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें तो उसी समय यह शंका उठी थी कि आप शहरी सम्पत्ति वालों को छूट देना चाहते है। आपने इस विधेयक को 9 मई को पुरःस्थापित किया था और अध्यायदेश से इसकी अवधि बढ़ा दी और अब इसके जरिये से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप पुनः इसको बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच में जिसके पास सम्पत्ति थी उसने उसे अपने परिवार वालों और रिस्तेदारों में बांट दी ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल इस सदन में जो इच्छा व्यक्त की गई थी उसको दृष्टि में रखते हुये आप संक्षेप में बोलें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं । उसके बाहर नहीं जा रहा हूं । मै कहता हूं कि इसको बढ़ाते रहने का नतीजा क्या होगा । अगर इसके पहले यानी 10 मई या 10 जुलाई को यह मामला कोर्ट में गया और वहां पर समझौता हो गया तथा डिक्री हो गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? आप कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु ऐसी बात नहीं है । आप शहरी सम्पत्ति वालों को 2 माह की और छूट उन्हें गैर कानूनी तरीके से दे रहें हैं । आप इस विधेयक में देखेंगे कि कलेक्टर को अधिकार दिया जा रहा है । इसमें लिखा है "इस धारा में किसी बात के होते हुये भी, डिवीजन का आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि 1 अप्रैल, 1969 को, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को भी, किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों सहित धृत शहरी सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसे ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके भाग का अन्तरण करने की अनुज्ञा दे सकता है ।" पहले इस प्रकार का अधिकार सरकार को दिया गया था और अब यह अधिकार कमिश्नर को दे रहें है । मैं कहता हूं कि 1 लाख होना चाहिये । सदन में आप इसे छोड़ दें, वह निर्णय लें ।

जैसा कि माननीय भानु प्रताप जी ने कहा था कि आप शहरी और ग्रामीण दोनों के लिये बराबर निर्धारण होना चाहिये मैं पूछता हूं कि आपने किसानों को और गांव वालों को क्या सुविधा दी ? आपने एक एकड़ की जो जमीन थी उस पर अन्तरण पर रोक लगा दी । दो लाख की सम्पत्ति का तो अन्तरण हो सकता है और उसका अधिकार कमिश्नर को दे दिया । हम कहते हैं कि आयुक्त शब्द का इस्तेमाल आपने किसी खास मतलब से किया है । आप अपने अधिकारियों पर दबाव देंगे । आप कह सकते हैं कि आपने नहीं किया कमिश्नर ने किया । तो मान्यवर, मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि यह अवधि न बढ़ाई जाय । मैं यह भी कहता हूं बी० के० डी० तैयार है, आप जनवरी में बैठें । जो धारायें बढ़ाई जा रही हैं उनको हटाया जाय और यह घोषणा कर दें कि जनवरी के भीतर ही इस विधेयक को पारित कर दिया जायेगा तो शायद मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस करने पर विचार कर सकता हूं ।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं । पिछले कुछ दिनों से जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने भी कहा कि यह जो सम्पत्तियां के हस्तान्तरण पर निर्बन्धन का अध्यादेश आ गया है और इसके जरिये जो पाबन्दी लगा दी गयी है गरीब और छोटे आदमियों के लिये थोड़ी सी ज्यादती हो गयी है और शायद जिस समय आप इस तरह की पाबन्दी लगायी उस समय इस पर विचार न हो पाया होगा । क्योंकि ऐसे सैकड़ों आदमी होंगे जिन्होंने मकान खरीदा होगा या खरीदना चाहते होंगे, या मकान का और काम करना चाहते होंगे उनका काम रुक गया, रजिस्ट्री वालों का काम रुक गया, एजेंटों का काम रुक गया और सैकड़ों लोग बेकार हो गये आपके जरिये इसकी सीमा बांध देने से । और इसको आप लागू कर रहे हैं सन् 71 से । भले ही आज आप इसको पास करें लेकिन लागू तो करेंगे पूर्व की किसी तारीख से ही । इसलिये मेरा कहना है कि भगवान के लिये कृपा करके जब आप सीमा बांध रहे हैं तो जो गरीब और छोटे आदमी इसकी परिधि में आते हैं उनकी जांच हो जाय कि किसी के पास कितनी सम्पत्ति अधिक है और उसकी सम्पत्ति का भाग तो नहीं है । वरना वे भी उसकी परिधि में आ जायेंगे और जो छूट उनको मिलनी चाहिये वह नहीं मिल सकेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शंका की गयी है वह गलत है। सरकार की मंशा तो केवल यही है कि हस्तान्तरण होने की आशंका हो सकती है इसलिये उनको 31 दिसम्बर तक रख दिया जाय। यह जो इजहार किया गया है कि सरकार आयुक्त के द्वारा कोई गलत काम करायेगी, उनकी यह आशंका बिलकुल निर्मूल है। इसलिये माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अभी जो सरकार की तरफ से कहा गया कि शंका निर्मूल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देख ले, इसमें लिखा हुआ है—उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय:—

"(5) इस धारा में किसी बात के होते हुये भी, डिवीजन का आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि 1 अप्रैल, 1969 को, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को भी, किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों सहित धृत शहरी सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसे ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके भाग का अन्तरण करने की अनुज्ञा दे सकता है।"

और ये कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। यह बात इस विधेयक में लिखी हुयी है। अगर आपने नहीं रखा है तो इसको निकाल दीजिये, यह न रखें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मैं निवेदन कर दूं कि स्वायत्त शासन विभाग को जीवन बीमा गनिम से गृह निर्माण-कार्य के लिये रुपया लेने में कोई दिक्कत न पड़े इसलिये यह धारा जोड़ी गयी है। शासन द्वारा विधेयक के पास होने के पूर्व सम्पत्तियों के स्थानातन्रण की सम्भावना थी और उसमें कुछ समय लग सकता है इसलिये आयुक्त को अधिकार दिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मेरा तो कहना यह है कि 9 मई, 72 के बजाय 11 जुलाई, 72 को तारीख क्यों रखी गयी है। इससे तो यही आशंका होती है कि यह दो महीने का समय सरकार की तरफ से जानबूझ कर दिया गया है ताकि इस बीच के जो हस्तान्तरण हुए हों उनको जायज कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर दूसरा पास हो जाय तो यह रिडेंडेंट हो जाता है। आप इसको वापस ले लें। अब समय नहीं है वरना इस तरह से तो आप हमारे ऊपर पाबन्दी लगा रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं चाहता हूं कि यह दो महीने का जो गैप है उसे हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थाई निबन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

घोषणा

2—एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य-नीति को कार्यान्वित करने के लिये है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972 की धारा 3 का संशोधन ।

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 में:—

(1) उपधारा (1) में, —

(क) शब्द तथा अंक "दिनांक 12 जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "दिनांक 12 जुलाई, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक की अवधि के भीतर" रख दिये जायं,

(ख) शब्द तथा अंक "उपधारा (3) और (4)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (3), (4) और (5)" रख दिये जायं,

(ग) शब्द "या कृषि भूमि" निकाल दिये जायं,

(2) उपधारा (3) में—

(क) खंड (ख) निकाल दिया जाय;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्—

"(घ) 11 जुलाई, 1972 के पूर्व संस्थित किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गयी किसी डिक्री अथवा यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 14 के अधीन किसी डिक्री के निष्पादन में शहरी सम्पत्ति के किसी अन्तरण पर,

(ङ) किसी सहकारी आवास समिति के पक्ष में शहरी सम्पत्ति को बन्धक रखने पर, यदि ऐसी सम्पत्ति कोई निर्मित अथवा निर्माण के लिये प्रस्तावित भवन हो, अथवा ऐसे भवन या प्रस्तावित भवन का स्थल हो, और खंड (ग) के उपखंड (4) में

अभिदिष्ट सहकारी समिति द्वारा व्यवस्थित निधि में से उक्त समिति द्वारा दिये गये ऋण या अग्रिम धनराशि में से पूर्णतः या अंशतः क्रय किया गया हो अथवा क्रय किये जाने के लिये प्रस्तावित हो ।"

(3) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय:—

"(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, डिवीजन का आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि 1 अप्रैल, 1969 को, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को भी, किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों सहित धृत शहरी सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसे ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके भाग का अन्तरण करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, किसी व्यक्ति के संबंध में, "परिवार" का तात्पर्य उसके पति या उसकी पत्नी और अवयस्क पुत्रों तथा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) पुत्रियों से है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, 1972 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निबंधन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है । आशा है कि आप लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे । अगर 5 बजे यह खत्म होगा तो रात के दस बजे तक आप लोगों को बैठना होगा, क्योंकि इसके खत्म हो जाने के बाद 5 घंटे की और बहस है ।

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 1 तथा प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पति सीमा (अंतरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

---

†12 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की धारा 2 में---

(1) उपधारा (1) और उपधारा (1-क) में जहां-जहां शब्द "प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा" आये हों उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं, अर्थात्:---

"प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर और 6,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए नियमों द्वारा अलग से नियत की जाने वाली रीति तथा दिनांक से उत्तर प्रदेश के बाहर, किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा;" और

(2) उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:---

"स्पष्टीकरण---उपधारा (1) और (1-क) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा की दूरी की गणना में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दू जो उस यात्रा के दौरान पड़ती हो, निकाल दी जायेगी।"

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 के उपखंड (1) की पंक्ति 6 में अंक "6000" के स्थान पर "दस हजार" रख दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उप खंड (1) की पंक्ति 6 में अंक "6000" के स्थान पर "दस हजार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विश्वनाथ कपूर---

मान्यवर, माननीय सदस्य मुझे प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत कर गये हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 के उपखंड (1) की अंतिम पंक्ति में "और" के बाद यह जोड़ दिया जाय कि "प्रत्येक विधान मंडल के सदस्य को उसके निवास स्थान पर लखनऊ में टेलीफून की सुविधा रहेगी जिसमें स्थानीय 20 टेलीफून निःशुल्क होंगे अन्य का भुगतान सदस्य द्वारा होगा।"

श्री उपाध्यक्ष---

कहां जोड़ा जाये हमें बताइये । इसको रहने दीजिये ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

उधर से पूछ लीजिये, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको हम नहीं रख सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, ये टेलीफून चाहते हैं । अभी तो सम्भव नहीं है । बाद में विचार कर लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 में अग्रेतर सशोधन करने के लिये

विधेयक

भ ारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है । पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक 1972 जैसा कि सदन द्वारा संशोधन हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 6, 1--प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) उ० प्र० अधि अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा 2 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "अध्यक्ष और सभापति" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति" रख दिये जायं और उसकी उपधारा (1) में शब्द, 2 का संशोधन "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" तथा शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "सभापति और उपसभापति" रख दिये जायं ।

धारा 3 का निकला जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 3 निकाल दी जाय ।

धारा 4 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 4 में तथा उसके पार्श्व शीर्षक में शब्द "अध्यक्ष और सभापति" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति" रख दिये जायं ।

धारा 4-क का निकला जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 4-क निकाल दी जाय ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

6--उपाध्यक्ष तथा उपसभापति प्रत्येक को 24 दिसम्बर, 1970 से प्रारम्भ होकर उस दिनांक, जब उन्हें मूल अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में परिवहन की व्यवस्था वास्तव में की गयी हो, के ठीक पूर्व के दिनांक तक की अवधि के लिये एक सौ पचास रुपये प्रति माह का परिवहन भत्ता दिया जायगा ।

---

† 12 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 6, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1962 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधायक, 1972 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

अब आप और सभापति हमें दावत दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

हमें पता नहीं क्या हुआ, क्या आप हमारे बारे में कह रहे हैं ? वह तो आप ने 19 तारीख रखी थी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 3 सूचनायें आई है। अब इन को 10 जनवरी को दीजिये, अविलम्बनीय लोक महत्व के अभाव में इन को अस्वीकार किया है।

केन्द्र द्वारा प्रदेश को पेय जल तथा ड्रेनेज योजना के लिये वित्तीय वर्ष 1972-73 में मिली धनराशि का पूरा खर्च न किये जाने पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस के अन्तर्गत प्रदेश का बेटरमेंट इन्वाल्व है, चर्चा करने की आज्ञा प्रदान की । लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारे राज्य में अव्वल तो शिकायत रहती है कि केंद्र हमेशा हमारी उपेक्षा करता है लेकिन अगर कभी बिल्ली के भागों छींका टूट....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मेरा श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस चर्चा का सीधा संबंध नगरपालिकाओं से है लेकिन स्वायत्त शासन मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं है । यह सदन की परम्परा बनती जा रही है कि शासन के संबंधित मंत्री ऐसे समय पर उपस्थित नहीं होते और बाकी सब होंगे ....

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक है कि वह नहीं है, उन को रहना चाहिये, यह एक चिन्तनीय विषय हो गया है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष जी, मुझे इसके लिये खेद है, वह अभी आ रहे हैं । बात यह है कि उन्हें शायद यह अन्दाजा नहीं होगा कि यह विधेयक इतनी जल्दी पारित हो जायेंगे । आपकी अनुमति से यह जल्दी से कार्य सम्पन्न हो गया ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इसका कारण यह है कि चूंकि बड़े-बड़े आफेंस हुये है और गल्ती से जिम्मेदारी का उल्लंघन किया गया है इसलिये मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते है और भाग रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह चर्चा आधा घंटे की 1.20 पर आरम्भ हुई है और अब यह 1.50 पर समाप्त हो जायगी ।

*श्री चन्द्रभान शर्मा—

हमारे प्रदेश में हमेशा यह शिकायत रहती है कि केंद्र की तरफ से जो अनुदान हमें मिलता है, योजनाओं के लिये धन मिलता हैं, वह अव्वल तो मिलता ही नहीं और मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है । लेकिन हम देख रहे है कि हमारी सरकार की नीति यह हो गई है कि वहां से कोई धन आता है तो उसका उपयोग नहीं होता और उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता है और खतरा हो जाता है कि वह धन वापस हो जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का महत्व यह है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा पेय जल तथा ड्रेनेज योजना के लिये वित्तीय वर्ष 1972–73 में 225 लाख रुपया दिया गया । इस धनराशि में से हमारी सरकार का यह कहना था कि अभी तक 78 लाख रुपया खर्च हुआ है । आज साल खात्मे पर है और केवल 3 मास शेष हैं और 9 माह की अवधि में इस सरकार ने केवल 78 लाख रुपया खर्च किया है । बाकी जो 1 करोड़ 47 लाख रुपया रह गया है यह चिन्ता का विषय है कि ये उसे किस प्रकार से खर्च करेंगे और अगर खर्च भी करेंगे तो उसका ठीक से उपयोग कर पायेंगे और इस प्रकार से यह योजना कम्पलीट हो जायगी ?

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं एडमिट किया था कि भारत सरकार ने यह कहा है कि यदि यह काम समाप्त न हुआ तो रुपये का सही उपयोग न हो पाया तो या तो यह धनराशि वापस हो जायगी या कटौती कर दी जायगी । तो श्रीमन्, कितनी चिन्ता का प्रश्न हमारे सामने है । अगर आप देखें तो पायेंगे कि किस प्रकार से हमारे मंत्री जी ने इस मामले में उपेक्षा दिखायी है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हमारी सरकार को साफ हिदायत थी कि आप इस पेय जल योजना के काम को नये डिवीजन्स, नये यूनिट्स बनाकर जल्द कम्प्लीट करने की कोशिश करें । उस दिन मैंने भी पूछा था कि क्या आपने नये डिवीजन्स बनाकर, नये नियुक्तियां करके, इस काम को चालू किया लेकिन दुख की बात है कि उस दिन मंत्री जी यह भी नहीं बता पाये कि वे इस काम को नये डिवीजन्स या पुराने ही डिवीजन्स से करा रहे हैं । उन्होंने केवल यह बताया कि कि जो शेष धनराशि है वह वे 3 महीने के अन्दर खर्च करके इस काम को पूरा कर देंगे । मैं नहीं समझता कि कौनसा वह अलादीन का चिराग है सरकार के हाथ में कि जिससे 2/3 से ज्यादा बची हुयी रकम को 3 महीने के अन्दर वे पूरी व्यय कर देंगे । किस कदर प्रशासन की अकुशलता है । अगर आप देखें तो आपको विदित होगा कि जुलाई के अन्दर 50 एस०ई० का सिलेक्शन हो चुका है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहें । विस्तृत रूप में यह आ चुका है । मंत्री जी इसका क्या जवाब देंगे ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं बता दूं कि वे क्या उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

बातें सब सही है तो जवाब क्या इसका होगा क्योंकि आपके बाद उनको जवाब देना होगा ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यदि आप एक मिनट मुझे दे दें तो मैं उन्हें जवाब भी समझा दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो पूछना चाहते हैं, पूछ लें । पहले माननीय शर्मा जी समाप्त करलें ।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

मान्यवर मैं कह रहा था कि जुलाई में यहां पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का सिलेक्शन हो चुका है । माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह कहा था कि हमने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं । मैं यकीन के साथ कहता हूं कि नियुक्ति आर्डर्स नहीं पहुंचे। अगर वे होंगे, तो या तो माननीय मंत्री जी के दफ्तर में या इनकी मेज पर होंगे। इन्होंने गलत बयानी की है बल्कि जब से यह प्रश्न आया, जल्द से जल्द या बैक डेट के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी कर दिये। अगर इन्होंने ये आदेश जारी करने की कोशिश की तो कितने अन्धेर की बात कर दी है कि पहले जो लोग सिलेक्शन में आये थे . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ ऐसे चुटीले प्रश्न होने चाहिये, जवाब वे क्या देंगे?

श्री चन्द्रभान शर्मा—

श्रीमन्, पिछले दिनों इन्होंने कुछ आदमियों को जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको रिजेक्ट कर दिया था । अब जो आर्डर्स जारी हुए है, उनके अन्दर जो पिछले एक को एप्वाइन्ट नहीं किया था, पता चला है, कि उनका नाम भी अब आ गया है । तो मान्यवर, देखिये किस कदर गलत तरीके हैं जिसमें शक्को-शुबहा किया जा सकता है, इस मामलों में इस्तेमाल किये गये है । इसमें हमारे प्रदेश की कितनी बदनामी होती है । पिछले दिनों दिल्ली प्रशासन ने हमारे प्रदेश को कहा कि एक सर्किल और छः डिवीजन गाजियाबाद में खोल दिये जाय क्योंकि यह ख्याल था कि उत्तर प्रदेश में यह कार्य बहुत अच्छी तरह से किया जायेगा । उसका हमारे यहां से कोई जवाब नहीं गया । आज दिल्ली प्रशासन उसके लिये हरियाणा और स्टेट्स की ओर देख रहा है । यह कार्य हमारे प्रशासन की तरफ से इस सिलसिले में हुआ है। मान्यवर, यह कितनी गम्भीर योजना है । इससे हमारे प्रदेश पर असर पड़ता है एक तरफ हम कहते है कि हमारे यहां पानी की इतनी कमी है जिसे हमें प्रोत्साहन देकर जल्दी से जल्दी करना चाहिये दूसरी तरफ हमने जवाब दिया है कि नौ महीने में हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं । तीन महीने में ये किस प्रकार उपयोग करेंगे । क्या हश्र होगा यह पोजीशन चल रही है । इस पर बड़ी आपत्ति है।

(मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, दोनों तरफ का वर्जन आ जाता तो हम भी दो चार सवाल कर लेते।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम तो यही है लेकिन समय बचाने के लिये सोचा है कि माननीय सदस्य एक बार बोल लें तब मंत्री जी उत्तर दें।

स्वायत्त शासन मंत्री(श्री बेनी सिंह)--

मान्यवर, ऐसा ख्याल था कि तीन बजे के करीब आयेगा । मैं दफ्तर में सीधे चला आया । मेरे पास फाइल भी मौजूद नहीं है । 225 लाख का काम कर देंगे यह मैं फिर दोहराता हूं । आपकी खामख्याली इसलिये है कि 78 लाख की बात कहते थे अक्तूबर तक दिसम्बर तक काम हो चुका 100 लाख का । सामान आयेगा, पाईप्स आयेंगे, सब चीजों के आर्डर्स जा चुके हैं । धीरे-धीरे डिलीवरी भी शुरू हुई है । जहां एस०ई० नहीं थे उनके बजाय जो वहां मौजूद थे उनको काम देना शुरू कर दिया है । नीचे का जो अमला था उनको देना शुरू कर दिया है । काम कहीं नहीं रुकेगा । उसको हम पूरा कर देंगे । यह बात मैं कह सकता हूं । और कोई बात हो तो उसका जवाब दे दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी संतोषजनक बात रही है कि सरकार को सामान्य समय से डिलीवरी देर में हो । आपने कहा कि धीरे-धीरे डिलीवरी होगी । सामान्य समय के अलावा होने से मतलब है कि कहीं नुक्स जरूर है । तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो रुपया आपने ईअरमार्क किया है उसके अन्दर आप यह चाहते है और यह इच्छा की है सरकार ने कि हो सकता है कि ठीक समय पर काम हो जाय । आपका एल०एस०जी० डी० विभाग जो है और जो नगरपालिका विभाग है उसके लिये मैं देहरादून का उदाहरण देता हूं कि किस तरह से एक गेंद की तरह से उनको उछाला जा रहा है। नगरपालिका और एल०एस० जी०डी० ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है । मान्यवर, देहरादून में महिलायें एक-एक बूंद पानी के लिये बाल्टी लिये घूमती रही हैं ।

श्री बेनी सिंह--

मान्यवर, यह किस स्कीम की बात कर रहे हैं ।

श्री नित्यानद स्वामी--

देहरादून भी तो उस पेय जल योजना में आपने बताया (व्यवधान) आखिर पानी तो आपको सब जगह सप्लाई करना ही है । जहां पानी की दिक्कत है उसके लिये आप योजना बनायें जो रुपया आपके पास है उसे समय पर खर्च करें, पानी से ज्यादा पतली कोई चीज नहीं है, अगर आप पानी भी समय से नहीं दे सकते हो तो क्या उम्मीद की जाय कि आप दूध पिलायेंगे इसलिये इस तरफ ध्यान दें और देहरादून की समस्या को सबसे पहले हल करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, जिला बाराबंकी में बंकी ब्लाक में गांव सभा बड़ेल है । वहां गर्मियों में पानी सूख जाता है और आजकल इतना खारी है कि कोई चीज नहीं पक पाती । मैंने आज ही मंत्री जी से बात की थी कि सन् 67 से कार्यवाही चल रही है आपकी कृपा हो जाय तो पूरी हो जाय । तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में उस योजना को पूरा कर देंगे?

श्री बेनी सिंह--

योजना बनी है । अभी आपसे बात हुई, सेक्रेटरी साहब के सामने हुई । जितनी बात हुई उसको यहां दुहरवाना मुनासिब नहीं है । लेकिन हम उसको जल्दी से जल्दी करेंगे 25 परसेन्ट ऋण वाली जो बात है उसको भी एक हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं । उसको जल्दी से जल्दी करवायेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जिस एजेंसी के माध्यम से काम करा रहे हैं स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग उसका जो आज तक कार्य रहा है वह संतोषजनक नहीं रहा है । यह जो 225 लाख रुपया खर्च होगा, खर्च तो आप कर हीं लेंगे, लेकिन आपने खर्च और काम का भी कोई संबंध जोड़ा है । सामान आकर पड़ा रहे तो क्या फायदा?

श्री बेनी सिंह--

श्रीमन, बात तो भारत सरकार की पेय जल योजना में जो त्वरित प्रोग्राम है उस संबंध में हो रही है । उसमें उन्होंने 12 जिले लिये और उनमें काम खास तौर से हो रहा है । उनके संबंध में यह है जैसा कि मैंने बताया सितम्बर तक यह खत आया, अक्टूबर तक उसका रुपया निकलना शुरू हुआ । अब तक 100 लाख खर्च कर दिया है और 125 लाख जो बचा है उसको हम 31 मार्च तक निश्चित रूप से खर्च कर लेंगे बल्कि मैं समझता हूं कि हम 25-30 लाख और मांगने की स्थिति में होंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शम्भूनाथ चौधरी का संदेह है कि खर्चा हो जायगा उसके अनुरूप काम भी होगा या नहीं ?

श्री बेनी सिंह--

अगर नहीं होगा तो जो खिचाई आज कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन, 225 लाख की निर्धारित धनराशि थी । अब साल का अन्त होने जा रहा है और अभी 125 लाख रुपया बचा है। तो किन कारणों से समय पर योजना नहीं पूरी हो रही हैं और उन कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो कह रहे हैं कि समय के अन्दर पूरी हो रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, ऐसा लगता है कि समय के अन्दर नहीं होगी। होता यह है कि फरवरी, मार्च में पैसा अन्धाधुन्ध खर्च होता है

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर क्या हो सकता है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

कौन-कौन सी त्रुटियां रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम खर्च कर देंगे ।

श्री अनन्तराम जायसावाल--

कौन-कौन से कारण थे और उनको दूर करने का सरकार क्या उपाय कर रही है ? जब जल्दी में पैसा खर्च किया जाता है तो ज्यादातर धनराशि का वेस्ट हो जाता है । इसमें फुजूलखर्ची ज्यादा हो जाती है ।

श्री बेनी सिंह--

इस बात का पूरा ध्यान रखा जायगा कि फिजूलखर्ची न होने पाये और जो धन व्यय किया जाय उसका पूरा उपयोग हो । त्वरित योजना में हमने 6 करोड़ से ज्यादा की स्कीम बताई थी । सितम्बर महीन में 10, 11 स्कीमें मंजूर होकर आ गई है । खतोकिताबत होते हुये

हमने खर्च करना आरम्भ कर दिया । दिसम्बर, तक 100 लाख रुपया खर्च हो जायगा । बाकी का सामान आ गया है या आ रहा है, पाइप्स आ गये हैं । डिलीवरी शुरू हो गई है । यह अन्दाजा है कि हम मार्च तक 225 लाख रुपया खर्च कर लेंगे और उससे ज्यादा की मांग करेंगे । पूरा 6 करोड़ रुपया सन् 74 तक खर्च हो जाना है । भारत सरकार से पछा था और उन्होंने यह कहा है कि सन् 74 तक इतना जरूर खर्च कर लें । हमको यह पूरी आशा है कि जो इसकी मियाद है उसके अन्दर ही हम इसकों पूरी तरह से खर्च कर लेंगे ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

9 महीने में जो खर्च किया गया है उसको देखते हुये संदेह तो होता ही है । आप तीन महीने में इसको पूरी तरह से यूटीलाइज कर लेंगे ? आपने नये आदमियों को रखा है । पुराने आदमियों से ही काम शुरू करवा दिया है ?

श्री बेनी सिंह—

जो हमारे पुराने डिवीजन थे हमने उनके सुपुर्द इस काम को कर दिया । सितम्बर के बाद ही काम शुरू हो पाया इसलिये इसमें कुछ देर तो हुई है लेकिन हमारा काम रुका नहीं है । हमने अपने पुराने आदमियों से काम लेना शुरू कर दिया है । नियुक्ति भी हमने फौरन ही कर दी । अब सब जगहों पर नियुक्ति हो गई है ।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972

श्री उपाध्यक्ष—

अब कार्य सूची 24 लें लें ।

इसके पूर्व सचिव कुछ सूचना देगें ।

सचिव विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 1294 पर ।)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृत के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 1297 पर)

सरकार की गन्ना उत्पादकों के प्रति उपेक्षा नीति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मोहम्मद असरार अहमद, माननीय हरबंस सहाय, माननीय राम धारी शास्त्री ।

समय 2 घन्टे का है । एक–एक सदस्य को कितना समय दिया जाय इसके लिय आप क्या सुझाव देते हैं ? इसको तो 2 घन्टे के भीतर समाप्त कर लेंग–कोई समस्या नहीं है । संक्षप में कहें ।

*श्री राम धारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

गन्ना और चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा उद्योग है । इस प्रदेश में, मान्यवर, चीनी की 73 मिलें हैं जिनमें 1 लाख से ज्यादा मजदूर लगें हैं और 22 1/2–23 लाख लोग गन्ने की खेती करते हैं । ये और जन मजदूर वगैरह मिला कर सब 2 करोड़ से ज्यादा लोग गन्ने पर आधारित है तथा उसी पर उनकी जीविका चलती है । पिछले 2 साल से और विशेष-कर सन् 1967 के बाद से इस प्रदेश में समस्या पैदा हो गयी है । जब से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग की स्थापना हुयी है तब से उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को खतरा पैदा हो गया है और ऐसा लगता है कि अगर कन्ट्रोल न रहा तो उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग दक्षिण भारत के चीनी उद्योग के नीचे बैठ सा जायेगा या पीछे पड़ जायगा । प्रदेशीय सरकार की ओर से कोई खास प्रयास नहीं हो रहा है । और सन् 1967 के बाद, जब संविद की सरकार थी, से गन्ने का दाम मुतवातिर घटता चला जा रहा है जबकि दूसरे उद्योगों में बनने वाली चीजों के दाम, जिनकी जरूरत रोज किसान को पड़ती है, बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं । किसान को गन्ने के उत्पादन की कोई हविश नहीं रह गयी है क्योंकि उसको उचित दाम नहीं मिलते हैं जिससे कि वह अधिक से अधिक गन्ना पैदा कर सके ।

पिछले साल सरकार ने यह समझा था कि सारे देश में करीब 36 लाख टन चीनी की पैदा-वार होगी लेकिन 31 लाख टन ही हुयी । इस वर्ष सरकार ने यह सोच रखा है कि 42 लाख टन पैदा होगी, लेकिन मान्यवर, अभी चीनी मिल महा संघ के श्री रोशन लाल शुक्ल ने बताया है कि पांचवी योजना के अन्त तक 60 लाख टन चीनी की पैदावार का लक्ष्य है । केन्द्रीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि इस साल शायद 42 लाख टन चीनी पैदा होगी, लेकिन चीनी मिल मालिक यूनियन के सेक्रेटरी का कहना है कि किसी भी हालत में 36 लाख टन से ज्यादा चीनी पैदा नहीं होगी । पिछले साल और इस साल के अनुमान को देखकर हम इस नतीजे पर पंहु-चते हैं कि निश्चित रूप से जो योजना का लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा । गन्ने के उत्पादन की ओर न ही मिल मालिक ध्यान देते हैं और न ही सरकार कोई ध्यान देती है । सन् 1967 के बाद से गन्ने के दाम तय करने में सरकार का दृष्टिकोण और खास तौर से इस प्रदेश के दुर्भाग्य से बहुत ही अनुचित रहा है ।

हमारे केन कमिश्नर महोदय ने 3 जोन बना दिये हैं—पश्चिम, मध्य और पूर्व और अलग अलग क्षेत्र के लिये अलग-अलग दाम रखे गये हैं । केन्द्रीय सरकार की नीति का भी मैं बड़ा विरोध करता हूं । उनकी नीति किसान विरोधी नीति है । पिछले साल उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 10 रु0 प्रति क्विंटल था । कोई वजह नहीं मालूम होती कि केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये 10 रु0 से घटा कर 8 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया । दूसरी चीजों के बढ़ते हुये दामों को देखकर यह आवश्यक है कि किसान को गन्ने के दाम उचित मिलें इस साल चीनी का संकट आया और चीनी के दाम बढ़े । इस सिलसिले में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज चीनी का दाम बढ़ा हाई कोर्ट के रिट के माध्यम से तथा विभिन्न मिलों ने विभिन्न प्रकार के दाम दिये । जहां देवरिया जिले में 14 मिलें हैं वहां देवरिया और बेतालपुर की चीनी मिलों की चीनी वितरण के लिये आयी और वहां 2 रुपये 45 पर के0 जी0 चीनी वहां के खानेवालों को और किसानों को मिली । उसके बाद इस मंहगाई को गिराने के लिये और यह दिखाने के लिये कि किसानों के गन्ने के दाम न गिरने पावें यह शोर किया जाता था कि कंज्यूमर को चीनी सस्ते दामों पर दी जायेगी ।

श्रीमन् इस पर कोई न कोई निश्चित प्रतिबन्ध रखना पड़ेगा । एक ओर तो यह तय किया गया कि 2 रुपये प्रति के0जी0 पर सरकार चीनी देगी लेकिन दूसरी ओर तय यह हुआ कि जो थोक विक्रेता है वह खरीदेंगे और उसी भाव पर जो मिलवाले आपने दाम तय किये हुये हैं और वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसानों को और कंज्यूमर को दो रुपये पर देगें और इस प्रकार कम पैसा जो उसको मिलेगा उसका बिल बना कर थोक दूकानदार सरकार से ले लेगा । इस तरह से गन्ने का दाम तय होने के लिये एक बड़ा भारी मिलाजुला षडयंत्र सरकार और पूंजीपतियों ने किया और चीनी के दाम में बनावटी गिरावट का ढोंग इसीलिये दिखलाया ताकि गन्ना किसानों को अधिक दाम न मिल सके । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी के सामने जब सवाल नवम्बर के महीने में आया तो गन्नेवालों के प्रतिनिधि आये थे और ही द्वार में मिल मालिकों और गन्ना के किसानों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें सब लोग नहीं आये । जो थोड़े से लोग आये थे उन्होंने जो चाहा वहां बैठकर दाम तय हो गये कि पश्चिमी क्षेत्र के लिये सवा 12 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के दाम होंगे। ज्यों ही यह तय हुआ त्यों ही सरकार के केन कमिश्नर की प्रतिक्रियावादी किसान विरोधी नीति के कारण जो कार्यवाही हुई उससे यह आशंका पैदा हो गयी थी कि पूर्व और मध्य में सवा 11 और सवा 10 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा गन्ने के दाम नहीं जायेंगे ।

कई मित्रों ने कहा कि शुरू में यह झगड़ा मत करो जब किसान हल्ला करेगा और आन्दोलन होगा तब फिर देखा जायगा और दिसम्बर, और जनवरी के महीने में देखा जायगा कि क्या होता है। इस साल भी वही हुआ । पूरब का किसान जागरूक था । उसने शोरगुल किया और आखिर में मुख्य मंत्री जी को पंच बना दिया । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं एक हफ्ते के अन्दर बता दूंगा । अक्तूबर में उनसे मिल मालिकों से बातचीत हुई, श्री राज मंगल पांडेय से बात-चीत हुई और हमसे भी बातचीत हुई। हमने समझा कि अगर मिल मालिकों पर छोड़ दिया जाता तो उसने गन्ने का दाम 12 रुपये 73 पैसा पर क्विंटल दिया होता । मिल मालिकों ने कहा कि अगर केन यूनियन यह आश्वासन दे दें कि पूरे सीजन भर स्ट्राइक नहीं होने देंगे तो वे गन्ने का दाम 12.73 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिये तैयार हैं । सोशलिस्ट पार्टी यह मुनासिब समझती है कि इस साल गन्ने का दाम 20 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिये । और यह भी समझती है कि गन्ने का दाम उसे मिलना चाहिये इसलिये हम इस बात का ऐश्योरेंश नहीं दे सकते कि पूरे सीजन पूर स्ट्राइक नहीं होगी और जब हमने यह कहा तो उन्होने कहा कि हम भी फिर सिगिल आउट होने के लिये तैयार नहीं है ।

मेरा ख्याल है कि सरकार मिल मालिकों के इस इरादे की पूरी की पूरी सूचना थी लेकिन यह सरकार जो अपने को समाजवादी और किसानों का समर्थक कहती है उसने किसानों का खून किया और खास तौर पर पूरब और मध्य के किसानों के साथ । हम यह भी समझते थे कि इस माहौल में जो बनावट तीन तरह के क्षेत्रों की है वह समाप्त की जायगी और सारे उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम ऐसा होगा जो प्रारम्भ से ही सवा 12 रुपये से कम न होगा । लेकिन यह नहीं हुआ और मिल मालिकों और गन्ना आयुक्त महोदय, के दबाव में पड़ कर मुख्य मंत्री महोदय को घोषणा करनी पड़ी कि शेष उत्तर प्रदेश में यानी पूरब और मध्य में गन्ने का दाम सवा 11 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाय । शुरू में तो कुछ मिलें चलीं भी लेकिन आपने देखा होगा कि कल या परसों से यह समाचार आया है और सारे समाचार पत्रों में कहा गया है 21 तारीख के नेशनल हेराल्ड में मिस्टर सुशील कुमार ने कहा है कि 23 चीनी मिलें इसलिये बन्द हो गयीं कि गन्ने की उचित सप्लाई नहीं हो रही है । रामकोला की शुगर फैक्ट्री जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी फैक्ट्री मानी जाती है लगातार एक सप्ताह तक बन्द रही । उसके बाद फिर चली लेकिन वह पूरी क्षमता से चलने में सक्षम नहीं है। अगर चीनी का उत्पादन बढ़ाना है तो मेरा सब मिशन यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिये कि वह गन्ने का इतना दाम दे कि किसान गन्ना हौसले से बोयें और उन्हें मालूम हो कि इससे उन्हें प्राफिट होगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार की पिछले बीस सालों से गन्ने के मामले में कोई ठोस और निश्चित नीति नहीं रही है । लोक सभा की एस्टीमेट कमेटी ने कहा है :

[श्री राम धारी शास्त्री--]

The Estimates Committee of Parliament has expressed its dissatisfaction over the Government's adhoc sugar policy failure from year-to-year, and said the formulation of a long-range policy keeping in view the future internal demand and export commitments does not brook any further delay.

उसने कहा कि भारत सरकार की जो गन्ना नीति है वह ईयर टु ईयर स्लोगन पर चलती है, और उनकी कोई ठोस नीति नहीं है । यह एक तरह से उल्टा चलते हैं । अभी यह यहां जबाव देगें और कौंसिल में इन्होंने उत्तर दिया तो कहा कि प्राइस को रिकवरी से रिलेट कर दिया है । गन्ने का दाम रिकवरी से सम्बद्ध करना किसानों के साथ घोर अन्याय है । मिल मालिक अगर घिसी-पिटी मशीनरी रखते हैं तो इसमें किसानों का क्या दोष है ?

मान्यवर, रामकोला में दो चीनी मिलें हैं, एक पंजाब और दूसरी खेतान । अगर खेतान में गन्ना दें तो रिकवरी के हिसाब से 15 आना कम पड़ता है और अगर वही गन्ना रामकोला में दें तो 1 रुपया ज्यादा पडता है । हर किसान उतनी ही लागत लगाता है और उतनी ही सिचाई करता है और जब उसका गन्ना विभिन्न मिलों मे जाता है तो मिल के घिसे पिटे पुर्जे और वहां के नालायक और अयोग्य टेक्नोशियंस की वजह से उसको सफर करना पड़ता है । सरकार को चाहिये था कि ऐसी मिलों को वह ले लेती । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । यह सरकार हल्ला बहुत करती है लेकिन 74 का चुनाव आ गया है । अब यह उनसे रुपया लेंगे । इनको चाहिये था कि जिनकी रिकवरी खराब है, 9 प्रतिशत है या उस से नीचे है उन मिलों को ले लेती और सरकार उनको चलाती । लेकिन ऐसा न करके उनकी खराबी का उनके डिफेक्ट्स का सारा बोझा किसान पर लादा जा रहा है और गन्ने का दाम कम रखा गया है ।

मान्यवर, चीनी में दो फैक्टर्स हैं । एक गन्ना उत्पादक किसान है और दूसरी मिलें हैं कच्चा माल और पक्का माल बनाने वाले में क्या रेशियो होना चाहिये । यह जो 8 रु०, 9 रु० या दस रुपये की बिड होती यह नहीं होनी चाहिये । मेरा यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार से सिफारिश करे कि इस तरह का आयोग गठित करें जिसमें सभी दलों के लोग हों, सब का प्रतिनिधित्व हो । यह आयोग देखें कि जो कच्चा माल मिलों को देता है तो उसका चीनी के दाम में क्या शेयर हो । सौ रुपये की चीनी बने तो उसमें किसान का क्या हिस्सा हो--दो बटा तीन हो या आधा हो । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1948-49 में जिसे हम बेसिक वर्ष मानते हैं गन्ने और चीनी का, जब श्री रफी अहमद किदवई थे केन्द्रीय सरकार में तो चीनी का दाम 32 रुपये और गन्ने का दो रुपये मन था । इस तरह से देखें कि औसत में 10 मन गन्ने में एक मन चीनी होती है तो 32 रुपये में 20 रुपये हिस्सा मिल गया किसान को ।

इस तरह से हिसाब लगायेंगे तो 1948-49 के सीजन में सौ रुपये की चीनी में गन्ना किसान को 62 प्रतिशत का हिस्सा मिलता था। गत वर्ष 10 रुपया क्विंटल गन्ना था और मोटे तौर पर 400 रुपया क्विंटल चीनी थी । तो सौ रुपया अगर किसान को मिला तो 300 रुपये की चीनी बनी । तो इस प्रकार 1948-49 के मुकाबले में 62 रुपये से घट कर गन्ना किसान का शेयर 33 रुपया हो गया और मौजूदा दामों में सौ रुपये में गन्ना किसान को जो इस साल रेट बन रहा है उससे 34 रुपये से कुछ ज्यादा होगा । इस तरह से गन्ना किसान का हिस्सा बराबर घटता जा रहा है जबकि गन्ना पैदा करने में, बोने में उसकी लागत बढ़ती जा रही है । चाहे बीज की कास्ट हो, मजदूरी हो या बिजली, ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, वह सब देने के बाद और फैक्ट्री गेट तक गन्ना ले जाने के बाद उसकी लागत कितनी बढ़ जाती है इसीलिये हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने मांग की थी कि सारी स्थिति को देखते हुये 20 रुपया क्विंटल से कम गन्ने के दाम नहीं होने चाहिये ।

यदि सरकार के मौजूदा रेट को मान लें जो कि डेफिसिट रेट है, मैं कहता हूं आखिर कब तक कंज्यूमर के नाम पर शासन ऐसी नीति अपनाता रहेगा और बनावटी आधार पर कब तक चलेगा'''।

श्री उपाध्यक्ष--

संक्षेप में कहें, क्योंकि फिर आपको एक बार अवसर मिलेगा । तो संक्षेप में विषय रख दें ।

श्री राम धारी शास्त्री---

2-3 मिनट में समाप्त करता हूं । एक सेन्ट्रल टीम गयी थी छितौनी शुगर फैक्ट्री और उसको फाइंडिंग्स है कि 205 रुपया क्विंटल से कम पर चीनी बन नहीं सकती और ये 150 रुपया क्विंटल के हिसाब से कारखानों से कैसे लेते हैं ? फिर उन्होंने कह दिया कि उनसे 70 प्रतिशत लो जाय, यही आकर किसानों पर उसका असर पड़ता है और कंज्यूमर के नाम पर रेट कम किया जाता है । आजकल के रेट को आपके मान लें तो सब मिलाकर ये 30 परसेंट फ़ी करते हैं और 70 परसेंट दी हुई है कन्ट्रोल पर जोकि 150.50 रुपया प्रति क्विंटल पड़ती है फिर 30 परसेंट जो उनको छोड़ी है उसका दाम 4 रुपये के हिसाब से 120 रुपया हुआ तो सब मिलाकर 270 रुपया क्विंटल चीनी के दाम सरकारी रेट जोकि बनावटी है उसके वास्तव में होते हैं । और इस हिसाब से भी, 1948-49 के रेट्स को यदि आधार मानें तो गन्ने के दाम किसी भी तरह 18 रुपया क्विंटल से कम नहीं हो सकते । यह हिसाब लगाकर देखा जा सकता है इसलिये यह सरकार अगर किसानों का भला करना चाहती है, सचमुच कहती कि किसानों के हितों की रक्षा होती है उसे अविलम्ब इस बात की घोषणा करनी चाहिये ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

आपकी आज्ञा से मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं ताकि जवाब देने में हमको आसानी रहे । पहले चीनी का भाव 190 पैसे मुकर्रर हुआ तो सवा बारह रुपया, सवा ग्यारह रुपया हरिद्वार में गन्ने की कीमत रखी गयी तो यह इजाफा 190 या 180 पैसे चीनी के रेट रखने से पहले हुआ या बाद में, यह मंत्री जी को मालूम होगा, यह बता दीजियेगा । हम तो अज्ञानी ह ।

खाद्य एवं रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

उपाध्यक्ष जी, आज जब कि इस विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय शास्त्री जी ने अपनी बातों को काफी अच्छे तरीके से रखा । उनको सुनने के बाद जब मैंने देखा कि चौधरी साहब स्वयं इस विषय में रुचि रख रहे हैं तो मेरा हौसला काफी बढ़ा और मैंने ऐसा महसूस किया कि अगर हमारे किसी काम में कहीं पर कोई त्रुटि महसूस होगी तो चौधरी साहब की सलाह से हमको लाभ मिल सकेगा ।

जहां तक शास्त्री जी ने अभी गन्ने के दाम के बारे में कहा कि 67-68 में गन्ने का दाम कुछ ज्यादा दिलाया गया था और उसके बाद फिर वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई उधर मैं जरा सा संकेत करना मुनासिब समझता हूं । जब 67-68 की बात कही गयी तो इसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि आंशिक कन्ट्रोल की नीति 67-68 में ही लागू करनी पड़ी थी इस लिए कि गन्ने का एवरेज उस वर्ष पिछले दशक में सबसे कम था और केवल 16.21 लाख एकड़ सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की काश्त में था और चूंकि एवरेज कम था इसलिए गन्ने का दाम ज्यादा मिला और यही इसका सब से बड़ा सबूत है कि गन्ने के मिल के संचालन में जो मूल प्रिंसिपल है डिमांड और सप्लाई का वह मुख्य रोल प्ले करता है । भारत सरकार जो भी दाम तय करती है वह मिनिमम स्टेटुटरी प्राइस तय करती है और उसके बाद डिमांड और सप्लाई की नीति अपना अंश अदा करती है और इसी आधार पर 67-68 में गन्ने का दाम ज्यादा था और उसके बाद ही 1969-70 में उसके मुकाबले चूंकि एवरेज बढ़ गया तो

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

दाम घट गया और उसके बाद जब ऐसी भी स्थिति आयी कि स्टेटुटरी प्राइस के आगे एक पैसा भी किसान नहीं पा सका। इसी बात को ध्यान में रखते हुये यह बात साफ जाहिर है कि डिमांड और सप्लाई अपना पार्ट सबसे ज्यादा अदा करता है और उसके ऊपर ही दाम निर्धारित होता है।

इन चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए एक बात और कह देना चाहूंगा लेकिन मुनासिब यह समझता हूं कि अभी न कहूं, सब की पूरी बातें सुन लूं हो सकता है आप लोगों के सुझावों से हमको लाभ हो जाय, खासतौर से चौधरी साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं और खेती के आचार्य हैं वह जब गन्ने पर अपनी बात कहेंगे तो उससे जरूर ही मुझे लाभ होगा। मैं उनसे खासतौर से यह उम्मीद करता हूं कि वह अपने बोलने के समय केवल नेता विरोधी दल की हैसियत से नहीं बल्कि गन्ना कास्तकार को लाभ कैसे हो इस दृष्टिकोण पर भी ध्यान रखेंगे। और जब अभी मैं उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से बोलने खड़ा हुआ और चौधरी साहब खड़े हो गये--यह कोइन्सीडेंस था--तो मैंने सोचा कि सम्भव है मेरी जगह पर चौधरी साहब ही शास्त्री जी का जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

उसमें तो हमें भी रुकावट है।

श्री यादवेंद्र सिंह--

आप स्वयं रुकावट हो गये और चौधरी साहब बैठ गये मगर वह वक्त अब आने वाला है जब मैं इतनी बात कह कर इस टाक को इनीशिएट करता हूं और सभी लोगों के सुझावों से और खासतौर से चौधरी साहब के सुझावों से मुस्तफीद होने के बाद अपनी बात आपके सामने रखूंगा।

*श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय यादवेन्द्र सिंह जी के शिष्टाचार का मैं बहुत ही एहसानमन्द हूं। यह उनकी बड़ी शराफत है जिन अल्फाज में और जिस तरह से उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं इसके लिए उनका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव कोई विशेष नहीं है, एक ही है वह मैं अंत में दूंगा। यहां सारा सवाल दृष्टिकोण का है। हमारे जो मित्र उधर बैठे हुये हैं। उनको मैं व्यक्तिगत दोष नहीं देना चाहता। बल्कि यह यूनियन गवनमेंट की सारी नीतियों का ही दोष है जो 25 सालों से चली आ रही है। सरकार की नीति ही किसानों की उपेक्षा करने की नीति रही है। आम तौर से जो अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, माननीय रामधारी शास्त्री को छोड़कर या एक दो अन्य को छोड़कर, वे किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते और न उन्होंने कभी उनको समझने की कोशिश ही की है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि उन्होंने जो इंस्पेरेशन लिया है वह बाहर के देशों से लिया है, किसानों के हित को उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। यही सब से बड़ा कारण है कि उन्होंने किसानों के हितों की सदा उपेक्षा की है। पंडित जवाहर लाल नेहरू भी इसी बात को बल देते रहे कि उद्योग धन्धे ही आर्थिक विकास की मूल कुंजी हैं। किसानों के दृष्टकोण को कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की और न यह देखा कि इसका सारे देश के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह कभी सोचा ही नहीं कि हमारे देश को अन्न कहां से मिलेगा, रा-मैटीरियल कहां से मिलेगा। आखिर खेती से ही हमको अन्न मिलता है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रा मैटीरियल मिलता है। इसलिए उनको ही इनकरेज करने की जरूरत है। लेकिन आज तक हुआ उसके उलटा ही। अब मैं आपकी इजाजत से वह बात रखना चाहता हूं उल्टा किस तरह से हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने के दाम पहले 7.37 रुपये तय हुये थे 1971-72 में उस वक्त यह दलील दी गयी थी कि अगर उसके दाम ज्यादा बढ़ जायेंगे तो मुद्रा स्फीति हो जायगी क्यों कि जब ज्यादा पैसा किसान के पास आयेगा तो वह अन्य सामान खरीदेगा और जब अन्य सामान खरीदेगा तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। मगर सन्, 1970 में सेन्ट्रल गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया और जिसके कारण 170 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ा तो क्या इससे मुद्रा स्फोति पर असर नहीं पड़ा? मुद्रा स्फोति तो इसे बढ़नी चाहिये थी क्योंकि इनकर्मचारियों का यह पैसा नान-प्रोडक्टिव चीजों पर खर्च हुआ जबकि अगर वही पैसा किसानों के पास जाता तो वह प्रोडक्टिव चीजों पर खर्च होता, वह कुंवा बनवाता या अच्छा बीज खरीदता। बहुत कम पैसा आदि पर खर्च करता। किसान को जो पैसा मिलेगा वह सारा प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर होगा। तो मुद्रा स्फीति होने का सवाल कहां होता है।

इसी प्रकार जो आप इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाते हैं, तो वह मजदूर भी उसे इंडस्ट्री में इंवेस्ट नहीं करता है, वह अपने खर्चे में लगाता है, जिसे उचित समझता है। किन्तु सरकार उसमें तैयार हो जाती है। तो जब स्ट्राइक हुई, चाहे प्राइवेट मिल ओनर की हो या सरकार की फैक्टरी हो वह उत्पादन के दाम बढ़ा देती है और मुद्रा स्फीति हो जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि जब फैक्ट्री वर्कर्स के वेजेज बढ़े तो स्फोति हो जाती है, मैं उसके मेरेट में नहीं जाना चाहता। मैं माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट फैक्टरी में वह अपने जेब से दाम तो देती नहीं है, सिवाय उत्पादन का दाम बढ़ाकर। तो कंज्यूमर गुड्स के दाम बढ़ेंगे और उसे अपनी जेब से देना पड़े तो यह है मुद्रा स्फोति। किसानों को पैसा देने से मुद्रा स्फीति नहीं होती है, वह बात मैं समझाने की यहां कोशिश कर रहा हूं। यह समझ में सरकार के आ जाय तो यह जो आज पोजीशन है वह समाप्त हो जाय। शास्त्री जी ने कहा कि कंज्यूमर्स प्राइस बढ़ जायेंगे, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि यह कंज्यूमर्स आखिर कौन हैं। अपने प्रदेश में 76 प्रतिशत पापुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है--कंज्यूमर्स किसान भी है। 76 परसेन्ट लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनके हितों को आप बलिदान कर रहें हैं, 24 परसेंट कंज्यूमर्स के नाम पर। सारी जनता तो किसान या एग्रीकल्चरल लेबर है, जिसकी आमदनी सीधे खेती की पैदावार पर निर्भर करती है। आप क्लासेज के इन्ट्रेस्ट के लिए मासेज के इन्ट्रेस्ट को सेक्रीफाइज कर रहे हैं। आप समझ लीजिये यह नीति कहां तक ठीक है।

जितने किसान के इनपुट्स हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। भानु प्रताप जी यहां नहीं हैं, उनके पास सारे इनके फीगर्स हैं। 3 साल में लोहे के दाम बढ़े सीमेंट के दाम बढ़े, ट्रैक्टर के दाम 2 साल में दुगुने हो गये, डीजल आयल ट्रैक्टर चलाने के लिए मिलता नहीं है और आपको इसके लिए कोई चिन्ता नहीं है। खाद्य के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े। कहने मतलब यह है कि जितने भी इजनपुट्स हैं, उन सबके दाम बढ़े। साथ ही लेबर के दाम बढ़े। वह भी एक हाईयर इनपुट्स है। मैं यादवेंद्र दत्त जी को मश्विरा देता हूं, वह मालूम करें कि दुनिया में कहां--किस देश में फर्टीलाइजर पर टैक्स है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्टलाइजर पर टैक्स लगा रखा है। आपकी प्रदेशीय गवर्नमेंट ने भी एक बार इस पर टैक्स लगाया था 3 रुपए के हिसाब से। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमने सबसे पहले स्टेट टैक्स हटाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो पहले 5 परसेंट था। अब 15 परसेंट हो गया है और अब भी बना हुआ है। ब्रिटेन का किसान कई गुना ज्यादा मालदार है अपेछाकृत यू० पी० के किसान से। ब्रिटेन के किसान की हालत यह है कि और भी कई

[श्री चरण सिंह]
ऐसे देश हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था है। ब्रिटेन में एग्रीकल्चरिस्ट्स की इन्कम नान एग्री कल्चरिस्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, फिर भी वहां की सरकार उन्हें सब्सिडी देती है ऐसा कई देशों में है और ब्रिटेन इन आफ देम। तो वहां सरकार सब्सिडी देती है फर्टलाइजर पर। जबकि यहां फर्टिलाइजर के सबसे ज्यादा दाम हैं, और किसान सबसे ज्यादा गरीब है। इसका मतलब यह है कि एकोनामिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेज है वह अनदेखा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट यह समझती है कि किसी तरह से अपने यहां ज्यादा प्रोडक्शन हो जाय, फूड का रा-मटेरियल का और जिससे उसे बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। तो उनको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिए किसान सब्सीट्यड का आब्जेक्ट है। लेकिन हमारे यहां ठीक उल्टा है।

किसान इस मुल्क का मालिक होना चाहिये। लेकिन उसकी आवाज इस मुल्क में सुनी नहीं जाती है। उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। उसको फर्टिलाइजर मिले प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रीज होंगी तो आप को टैक्स ज्यादा मिलेगा। जितनी फर्टिलाइजर टैक्स से आपको इनकम होती है उससे 25 गुना टक्स की शक्ल में आपकी ट्रेजरी में आ जायगा। लेकिन यह किस गवर्नमेंट के लिए मुमकिन है। रो रहे हैं कि फर्टिलाइजर नहीं है। तीन चार दिन हुए मीटिंग हुई है, कोई एसोसिएशन है, उसमें डी०पी० धर वगैरह इक्ट्ठा हुए और कहा कि फर्टिलाइजर की बहुत कमी है, बढ़ना चाहिये। दूसरी ओर जितना फर्टिलाइजर अवेलेबिल है उस पर टैक्स ले रहे हैं, प्रोपेगडा क्या है? जितना रुपया था वह सब इकट्ठा हो गया है देहात में जिस किसी अखबार को उठा कर पढ़ो, किसान मालामाल हो गया है ग्रीन रेवोल्यूशन म। लिहाजा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगे। खैर वह दूसरी बात है। लेकिन इम्प्रेशन कि सारा टैक्स शहर से आता है और लाभ उठाते हैं किसान।

माननीय यादवेंद्र सिंह जी, यह दृष्टिकोण उचित नहीं है, यह बदलना है। यह भी गलत है कि टैक्स शहर से आता है। आपके जरिये मैं माननीय मन्त्री से कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितनी गवर्नमेंटस हैं सब में इनडाइरेक्ट टैक्स कम है डाइरेक्ट टैक्स ज्यादा है। डाइरेक्ट टैक्स जिस पर लगाया जाता है उसकी जेब से जाता है। इनडाइरेक्ट टैक्स दूसरे लोगों की जेब से आता है, गरीब आदमियों की जेब से आता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास आंकड़े हैं 1965-66 म इनडाइरेक्ट टैक्सेशन स्वीडेन में 34 परसेंट, यू० एस०ए० में 32 परसेंट, ग्रेट ब्रिटेन में 47 परसेंट, वेस्ट जर्मनी में 41 परसेट, फ्रांस में 45 परसेन्ट और इंडिया में 74 परसट। 1965-66 के ठीक तीन साल बाद यह प्रोपोर्शन 74.50 से हो गया 76.7 परसेंट। जो डाइरेक्ट टैक्स उसका आधा इंडाइरेक्टी मासेज से आता है, जो कारखानेदारों से हैं।

मासेज गांव में रहते हैं या नही 1.86 परसेन्ट यहां गांव वाले हैं यू० पी० में और हि-न्दुस्तान में 80 परसेन्ट। लेकिन जब पढ़ा लिखा आदमी आर्टिकिल लिख देगा या आप से बात करेगा तो यह कहेगा कि शहर का आदमी सारा टैक्स दे और वह खर्च हो किसानों पर, बांध में, योजनाओं मे, विजली में, सब गांव वालों को मिल रहा है, शहर वालों को कुछ मिलता ही नहीं। और सारा टैक्सेशन आ रहा है शहर वालों से, यह बिल्कुल गलत तर्क है। लेकिन हम शिकार हैं। मैं फीगर्स बतला रहा हूं लेकिन मैं तो तसलीम करता हूं अपनी इगनोरेन्स पर कि 4 महीने पहले मुझे यह बात मालूम नही थी कि इन डायरेक्ट टैक्सेशन का इतना बड़ा प्रोपोर्शन है। जो अच्छे आर्टिकिल्स लिखने वाले हैं वे कहते हैं कि गांव में बड़ी राहत हो गयी है। गांव वाले ने चाय पी ली तो माल दार हो गया। दूध पीने को मिलता नहीं तो

मजबूर होकर चाय पीता है और यादवेन्द्र दत्त जी का भी शहर में आकर यह ख्याल हो जाता है इस पर उनको सोचने की जरूरत है कि हमारा सारा दृष्टिकोण बदलना चाहिये। प्राइसेज तो इनपुट्स की बढ़ी और आउट पुट के मुताल्लिक मैंने कहा मुद्रा स्फीत हो जायगी।

यादवेंन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि स्केयरसिटी थी। गन्ने की बात उठी है। जरा बारीकी में जाइये। पहले 60–40 का रेश्यो था और अब 70–30 का रेश्यो है। फर्क ज्यादा नही पड़ा। लेकिन सरकार की तरफ से कंट्रोल्ड शुगर प्राइस 1 रुपये 65 पैसे थी और गन्ने का दाम 12 रुपये 73 पैसे पर तय की गयी थी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्स में और पश्चिमी जिलों में कोई इन्टरवीन नही किया गया। वहां बारगेनिन्ग पावर ज्यादा थी। उनके पास कोल्हू, क्रसर ज्यादा थे। फैक्ट्री वालों को गन्ना नही मिला तो उन्होंने गन्ने की कीमत 16 रुपये 17 पैसे फी क्विन्टल कर दी। लेकिन पूर्व किसान के पास बारगेनिन्ग पावर नही थी। मिल वाले दबाते गये। कुछ किसानों ने हड़ताल की तो गेंदा सिंह ने 10 रुपये पर तय कर दिया। हमने कहा कि कम है तो उसे 12 रुपये किया गया जबकि चीनी कन्ट्रोल रेट पर 1 रुपया 65 पैसे में मिलती थी। फिर दाम बढ़ कर 1 रुपये 90 पैसे हुए दो रुपये हुये हुए और अब वह 2 रुपये 15 पैसे हो गये। क्या कारण है इसके पीछे? मै बतला दूं गन्ने के दाम वही हैं। तो ये बढ़े हुए पैसे कहां जा रहे हैं?

मैं यादवेंद्र सिंह को बतला दूं कि तीन हफ्ते की बात है एक आर्टिकिल टाइम्स आफ इंडिया में निकला था। उसमें कहा गया था कि शहरों में इन्टेलिजेंशिया में बड़ा जिक्र है इस बात का कि कंज्यूमर्स गुड्स के जो दाम बढ़ रहे हैं और ये मासेज की जेब से निकल रहे हैं वे दाम कांग्रेस के इलेक्शन फंड को कांट्रीब्यूट करेंगे। वनस्पति के दाम बढ़े, चीनी के दाम बढ़ इनको सरकार फिक्स करती है। बैंक्स है उनका इन्टरेस्ट बढ़ गया है। 10, 12 आर्टिकिल्स को गिना सकता हूं जिनके सम्बन्ध में सरकार ने खुद दाम बढ़ाये हैं।

इनफ्लेशन तो आप पैदा करते हैं। मैं डाइरेक्टली चार्ज लगाता हूं कि चीनी के दाम 1 रु० 90 पैसे से 2 रु० और दो रुपये से 2 रुपया 15 पैसे क्यों किये गये। आपको ईस्ट के किसानों को 18 रुपये प्रति क्विंटल उनके गन्ने का दाम देना चाहिये था। उस वक्त भी फैक्टरी वालों को नफा था। मैं अपने माननीय मित्रों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि क्रैशर वाले 14 रु० दे रहे है। आखिर क्यों दे रहे हैं? यह आप इक्सप्लेन करें जबकि उनकी 7 प्रतिशत से ज्यादा रिकवरी नही है। लेकिन कोई जवाब इन बातों का नहीं है। आपकी जबकि 9 से 10 प्रतिशत तक रिक्वरी है वह समाजवादी सरकार, किसानों और गरीबों की सरकार 11 रुपए 4 आने दे रही है, क्यों? आखिर क्या क्रशर वाले नुक्सान पर चल रहे हैं? नहीं, उनको फायदा हो रहा है। य शुड हैव वाश्ड आउट इन इन्ट-रेस्ट आफ दि मासेज। यहां पर तो उल्टा हो रहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि चीनी वालों को जो फायदा कराया जा रहा है...अब इसके आगे इस सन्टेंस को माननीय राजमंगल पांडेय जी पूरा कर देंगे। किसको यह पैसा दिलाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों की बड़ी हमदर्द है। मैंने बिजली से सम्बन्धित विषय पर हो रही बहस के दौरान में भी यह बात कही थी कि 14 प्रतिशत बिजली किसानों के काम आ रही है और 66.6 प्रतिशत इंडस्ट्रियलिस्ट के काम आ रही है। ये किसानों और मजदूरों की हमदर्दी का दावा करते हैं तो उन्हें केवल 14 प्रतिशत ही देते हैं। आखिर क्यों? मैंने यह भी उस समय निवेदन किया था 2 करोड़ 50 लाख यानी ढाई करोड़ रुपया हिण्डा-लको को बिजली देने की वजह से सरकार को नुकसान हो रहा है। ढाई करोड़ रुपया तो तब था, आज तो 4 करोड़ के लगभग होगा। मैं राजमंगल पांडेय जी से पूछना चाहता हूं, वे इसके बाद बोलने वाले है, जवाब देंगे कि यह 4 करोड़ गरीबों की जेब से निकलकर

[श्री चरण सिंह]

हिन्दुस्तान के वेलबिस्यत आदमी के पास जाता है। मैं फिर से दोहराता हूं कि जो सबसे ज्यादा येल्दियेस्ट आदमी है जिसकी दियेस्ट 9 अरब रुपया है, सिर्फ आठ रुपया टैक्स देता है। जितनी भी तरकीबें हो सकती हैं ट्रस्ट वगैरह के लिए छूट की, वह होती है और सिर्फ 8 रुपया ही 9 अरब की सम्पत्ति वाला आदमी टेक्स हैता है। यू० पी० में अकेले एक इन्डस्ट्री हिन्डालको से सरकार का साढ़े तीन और चार करोड़ का नुकसना होता है। जो आपकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी है, उसमें मैंने कह दिया था कि आप उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दो। उस पर विचार हुआ या नहीं। तिवारी जी चुप बैठे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा कि जब तक संकट काल है तब तक न दो, किन्तु कोई जवाब नहीं, मैंने पुनः एश्योरेंस मांगा कि कोई इनर्जीन दो लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। तब आप समाजवादी, जनता की गरीबों की और किसानों की सरकार होने का दावा करते हो। जब तक यह चीज बनी रहेगी तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बेचारे किसान और गरीब आदमी की जहालत का फायदा उठा रहे हैं। वह आपसे क्या उम्मीद कर सकता है।

उन्होंने कहां गरीबी देखी है 115 फैक्टरीज उधर बन्द है और 8 इधर बन्द हैं। वे सोच रहे हैं कि अगर 15 दिन तक इसी तरह से फैक्टरीज बन्द रहीं तो किसानों ने जो मिलों को गन्ना न देने का रेज्यूल्यूशन पास कया है, इस बीच वे अपने धैर्य खो बैठेंगे। इसी का वे फायदा उठाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आखिर आप किस मर्ज का इलाज है। आप बीच में से हट जाये, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता माननीय यादवेन्द्र सिंह जी कि आप अपने नेता से हैं, आपका दिल व दिमाक मैं जानता हूं, क्योंकि आपके यहां भी खेती होती है और किसानों की मदद करना चाहते हैं। क्योंकि निचरौल जब मैं गया था तो वहां के किसानों को कितनी तकलीफ है यह मैं देख आया हूं। चेहरा काला, नौजवानों के गाल पर लाली नहीं, उनकीगरीबी देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आप तो वहां के रहने वाले हैं, आप मेहराबानी करके अपने लीडर से कहिये कि गन्ने का दाम तय करा दें लेकिन आपके लीडर मानेंगे नहीं। फिर आप स्वयं फैक्टरी वालों को बुलाइये और उनसे बात कीजिये या केन कमिश्नर नागर साहब से ही कह दीजिये, वे मिल वालों से कह दें कि उनको गन्ने का दाम 15 रुपये देना होगा। यह दाम आप ईस्ट, बेस्ट सब जगह के लिये तय करा दें, इसके लिये कोई बात किसीको नहीं कहेगा। इस पर वोट तो होता नहीं इसलिये वोटिंग के लिये तोमें कह नहीं सका। लेकिन मैं इन शब्दों के साथ आपके कांसेंस से अपील करता हूं, जो दो कांसेंस सामने हैं उनसे अपील करता हूं कि मेरे सुझावों पर विचार कर के ही निर्णय लें।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इसके पहले कि मैं इस डिबेट के किसी जरूरी पहलू पर जाऊं, मैं अपने माननीय चौधरी साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको मौजूदा केन कमिश्नर पर बड़ा भरोसा है और अगर उनके आदेशानुसार उनसे पूछ लिया जाय और उनको यह कह दिया जाय तो वे 15 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत तय कराने में समर्थ हैं।

श्री चरण सिंह—

मैंने यह नही कहा था। मैंने तो यह कहा कि उनसे कहिये कि वे मिल-मालिकों से कह कर 15 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत तय करा दें।

*श्री राज मंगल पांडेय—

अगर उनका इतना विश्वास है कि हमारे कहने से वे 15 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत तय कराने में समर्थ हैं तो मेरा खयाल है कि अगर ऐसी बात होती तो यह पहले ही कभी-कभी तय हो गया होता। गन्ने की पेराई शुरू होने से पहले ही। चौधरी साहब ने बहुत से आंकड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी दिये। मैं उनके आंकड़ों में नही जाना चाहता हूं लेकिन मेरी खुशकिस्मती रही है चौधरी साहब के नेतृत्व में काम कर सकूं और मैंने किया भी है। चौधरी साहब की प्रशासनिक योग्यता और क्षमता के बारे में मेरा बड़ा ही उच्च विचार है।

(इस समय 2 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुये।)

सन् 1970–71 के सीजन में मुझे भी इस संबंध में कुछ काम करने का मौका मिला था सन् 67-68 में चौधरी साहब ने प्रदेश में गन्ने की कीमत सबसे ज्यादा दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 17 रुपये क्विंटल दिलाया था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को 12–13 रुपये क्विंटल दिलावाया था और इसके लिये सारा उत्तर प्रदेश चौधरी साहब का आभारी था।

लेकिन में उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं के मुख्य मंत्रित्व काल में करीब 8 लाख क्विंटल गन्ना खेतों में ही खड़ा रह गया और मई-जून के सीजन में 2 रुपये 14 आने क्विंटल के हिसाब से भी ऋशर वाले किसानों का गन्ना लेने के लिये तैयार नहीं थे। खासकर बरेली, सहारनपुर का कुछ एरिया और वह एरिया जो हरियाना से कुछ मिला हुआ है। नतीजा यह हुआ कि हमारे और आपके विशेष प्रयत्नों के बावजूद, करीब साढ़े 7, 8लाख क्विंटल गन्ना खेतों में ही खड़ा रह गया। 7.37 रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ना मई–जून में ऋशर वालों को नहीं मिला। एक फैक्टरी गोला गोकर्णनाथ की जुलाई–अगस्त में चली जब कि उसे 2.8 प्रति क्विंटल के हिसाब से रिबेट मिला था। जब रिबेट दिया गया तो श्री सी० बी० गुप्ता पर बड़ा चार्ज लगाया गया कि ये पूंजीपतियों के हिमायती हैं और चौधरी साहब को भी मालूम है कि 16 पैसे क्विंटल, के हिसाब से उन्होंने भी मिल वालों को रिबेट दिया था जिससे फैक्टरी जुलाई–अगस्त तक चली थीं और इसके लिये उत्तर प्रदेश चौधरी साहब का बहुत बड़ा आभारी भी था।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़ी से न कोई सरकार चलती है और न कोई देश ही चलता है। लेकिन यह आंकड़े सहायक अवश्य होते हैं, प्रभावित करते ह बहुत सी चीजों को और निर्देश देते हैं उन परिस्थितियों को तय कराने में जो देश में आई हों और जिन आंकड़ों के बल का सहारा उनको हल करने में लिया जाता है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आंकड़ों को ही यदि बेस बना दें तो यह कोई बड़ी अच्छी नहीं होगी। अगर आंकड़ों को बेल्स बना दें तो 1942–33 तथा 1945–46 में जो गल्ले की कीमत रही आज सी हिसाब से जो गल्ले की कीमत है बाकी चीजों की कीमत उसी रेशियों से होनी चाहिये।

मान्यवर 1967–68 में जब एक रुपये 65 पैसे प्रतिकिलो चीनी मिला करती थी तो काश्तकार को गन्ने कीकीमत 12 रुपये 73 पैसे प्रति क्विंटल मिला करती थी अगर हम यह उसूल मानले कि जब गन्ने की कीमत 12 रुपये, 73 पैसे प्रति क्विंटल होगी तो चीनी की कीमत 1 रुपये 65 पैसे किलो होगी। यदि गन्ने की कीमत सवा ग्यारह रुपये प्रति क्विंटल हो जाये तो उसी हिसाब से चीनी की कीमत भी कम हो जानी चाहिये। यह व्यवहारिक नहीं है और कोई सरकार इसको नहीं कर सकती है।

1967–68 में जो मिल के कर्मचारियों की तनख्वाह थी, मजदूरों की मजदूरी थी और चीनी मिलों में काम करने साले कर्मचारियों की तनख्वाह थी, इसके अलावा उसको बोनस मिलता था, प्रावीडेंड फंड मिलता था, उनमें और आजकल में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। जितने कर्मचारी इंडस्ट्रियों में काम करने वाले हैं तथा चीनी मिलों के कर्मचारी हैं, उनके लिये चीनी आयुक्त ने यह किया है कि चीनी मिल के कर्मचारियों को 33 प्रतिशत बोनस दिया जाये यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके ऊपर अब बहुत ज्यादा खर्चा आने लगा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गन्ने की कीमत इस बिना पर तय नहीं हो सकती है दि अमुक साल में चीनी की कीमत इतनी थी तो उसी रशियों से आगे तय होगी।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

मान्यवर, कास्ट आफ इंडेक्स कितना बढ़ गया है। चाहे चीनी मिल में काम करने वाले हों या इंडस्ट्रियों में काम करने वाले हों, उनका वेतन बहुत बढ़ गया है, इसके अलावा उनको प्रावीडेंड फंड और बोनस वगैरा भी पहले से बहुत ज्यादा मिलने लगा है। इसके अलावा काटेज एलाउंस, फैक्ट्री में इवेस्टमेंट, टूट फूट वगैरा इन सब चीजों को देखकर ही आज गन्ने और चीनी को कीमत तय होगी। गन्ने की रिकवरी के फारमूला से उसकी कीमत तय होना व्यवहारिक नहीं बताते हैं जो कि व्यवहारिक है। आज आंध्र प्रदेश वगैरा में यह मांग की जा रही है कि गन्ने की रिकवरी के ऊपर से उसकी कीमत तय की जानी चाहिये। हां यह बात जरूर है कि हमारी मिलें बहुत ही पुरानी हैं, उनके प्रबन्धक व्यवहारिक नहीं हैं। और वे काश्तकारों के प्रति ईमानदार नहीं है और उनकी काश्तकारों के प्रति वह भावना नहीं है कि वह काश्तकारों को गन्ना के डेलपमेंट के लिये पैसा दें, उनको गन्ने का बढ़िया से बढ़िया बीज दें, फर्टिलाइजर्स दें जिस वह अच्छे से अच्छा गन्ना पैदा कर सके और उसकी रिकवरी अच्छी हो सके। क्या यह सारी खामियां सरकार ही पूरी कर सकती है। आपने देखा होगा कि हमने करोड़ों रुपया मिल मालिकों को लोन की शक्ल में दिया है जिससे वे अपनी फैक्टरियों की हालत सुधार सकें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, कुछ समय पहले माननीय सदस्य ने देवरिया जिलेकी रिकवरी का मुकाबला पश्चिमी जिलों की रिकवरी से किया था तो देवरिया की उस मिल की रिकवरीपश्चिमी जिलों की रिकवरी से ज्यादा आई थी। जहां तक गन्ने की रिकवरी का सवाल है पूर्व का गन्ना किसी भी तरह से पश्चिम के गन्ने के इनफीरियर नहीं है। लेकिन मिल मालिकों ने मिलों की हालत को इम्प्रूव करने के लिये कुछ नहीं किया है। इसकी सजा काश्तकारों को क्यों मिलनी चाहिये?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इसीका में जवाब दे रहा हूं। कीमत तय करने का काम केवल सरकार का नहीं है आज उस के कई पहलू हैं। इसलिये मैंने एक उदाहरण चौधरी साहब के जमाने का दिया। जब सन् 67–68 में गन्ना कम था, उस वक्त चौधरी साहब ने किसानों को 16 रुपये विवन्टल की कीमत दिला दी और जब गन्ना ज्यादा बढ़ा तो वह इतनी कीमत न दिला सके। इस वक्त पोजीशन यह है कि पूर्व की मिलों में चीनी की रिकवरी पश्चिम के मुकाबले में कम थी और पच्छिम में ज्यादा है, पच्छिम में केपेसिटी भी ज्यादा है। फाइनेन्सिन्ग की और एकोनामिक पोजीशन भी वहां अच्छी है और वह ज्यादा कीमत देकर करीब की फैक्टरीज को भी मजबूत कर सकते हैं चूंकि उनकी रिकवरी अच्छी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वाराणसी की औरैया मिल ही 14 रुपया प्रति विवन्टल का रेट दे रही है।

श्री राजमंगल पांडेय—

औरैया शुगर फक्टरी 30 नवम्बर से चलना शुरू हुई और वह बिलकुल नई फैक्टरी है। सारे पहलुओं को छोड़कर माननीय जायसवाल जैसा आदमी यह कहे कि चूंकि एक फैक्टरी ने 14 रुपये के दाम दे दिये तो सारी फैक्टरीज से वही कीमत दिलायी जाय यह व्यवहारिक न होगा। वह बिलकुल नई फक्टरी है। हमने देखा कि.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब नई फैक्टरी दे रही है जिसमें खराबियां भी ज्यादा हो सकती हैं तो पुरानी क्यों नहीं दे सकतीं।

श्री अधिष्ठाता—

उत्तर केवल वक्त देंगे—

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं यह कह रहा था कि औरया मिल और मिलों के मुकाबले में बहुत छोटी और नई भी है और नई में खराब होने की सम्भावना न होने के कारण शुरू में रहती हैं लेकिन इसक बावजूद वह 14 रुपया प्रति क्विन्टल कीमत गन्ने की दे रही है। आप उल्टी दलील दे रहे हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

औरया का रेट डायरेक्टर बता रहे हैं कि 15 रुपया होने जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी इन प्रश्नों को नोट कर लें उत्तर में उनका समाधान कर दें।

श्री राज मंगल पांडेय--

यह एक मूलभूत सिद्धान्त है कि जो फैक्टरी नई होगी उसका स्टाफ कम होगा नई मशीन से रिकवरी ज्यादा होगी। कोई भी ऐसी फैक्टरी.....

श्री रामधारी शास्त्री--

क्या वह बतायेंगे कि औरया मिल की रिकवरी क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

गन्ने या चीनी की कीमत अगर एक फैक्टरी की रिकवरी अच्छी है तो केवल उसके अनुसार ही सारी फैक्टरीज के लिये तय नही की जा सकती। यह कीमत पचासों फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। रिकवरी भी उसका एक फैक्टर हो सकता है। यह कोई मूल भूत आधार नही हो सकता चूंकि औरैया 14 रुपया क्विंटल कीमत गन्ने की दे रही है इसलिये वही कीमत सारे प्रदेश की नई पुरानी मिलें दे सकती हैं। मैं कह रहा था कि माननीय चौधरी साहब ने कहा कि डेवलपिंग एकोनामी में हमारे देश की प्रगति शील आर्थिक व्यवस्था में यह जो हमारी नितान्त आवश्यकता की चीजें हैं उनकी जब आवश्यकता के मुकाबिले में जब पूर्ति कम होगी तो निश्चय ही उनकी कीमत बढ़ेगी, इनफलेशन होगा। जब कुछ चीजों की कीमत बढ़ेगी तो अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं समान रूप से उनकी भी कीमतों में कुछ न कुछ बृद्धि होगी। अगर सीमेन्ट की कीमत बढ़ेगी तो उसके साथ साथ लोहे और ईंट की भी कीमत बढ़ेगी और साथ में जितनी सम्बन्धी और वस्तुये हैं उनकी भी कीमत ऊपर जायगी। हम इस विकासोन्मुख एकोनामी में यह कहें कि फलां चीज की कीमत बढ़ गयी तो यह तो हमारी अकर्मण्यता का परिचायक होगा। यह इस बात का द्योतक है कि हम प्रगति शीलता की ओर जा रहे हैं और दुनिया का हर देश इस स्टेज से गुजर चुका है जिसने भी प्रगति की है। केवल दृष्टि कोण का फर्क है ..

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आप की इस डेवलपिंग एकोनामी में उत्तर प्रदेश का चीनी के सामने में स्थान कहां रह गया है इस पर भी प्रकाश डालें।

श्री राज मंगल पांडेय --

मैं क्या कहूं, यह जो हमारी आज गन्ने के बारे में व्यवस्था है उसका इतना दोष नहीं है जितना कि जायसवाल जी के विचारों में लोकतंत्र का दोष है। अगर हम यह कंट्रौल कर लें कि 5-7 साल के गन्ने की उपज के टारगेट यह होंगे।

हमारा प्रोडक्शन इतना होगा और हम उसकी कीमत तय कर सकें। हम किसी पर प्रतिबन्ध नहीं कर सकते कि वह इतना गन्ना और अनाज बोयेगा और यही कारण है कि जो गन्ना है उसकी हर तीन वर्ष पर कीमत बढ़ती जाती है.....।

अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूंकि यह शासन पद्धति का दोष नहीं है। यह तो सरकार की नीति।-विहीनता के कारण हो रहा है।

श्री राजमंगल पांडेय--

अगर इसी को मान लिया जाय तो दो दफे एस० एस० पी० को गवर्नमेन्ट में कामकरने का मौका मिला है। हमने 71-72 मे 12.50रु० दिया और इस वर्ष में भी 11.50 और 12 से शुरू किया है। इसमें तो हमारे दृष्टिकोण का ही फर्क है। जिस पार्टी को शासन में रहने का मौका मिला हो वह इस तरह की बात करे तो यह मान्यवर, दुर्भाग्य की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जब हमारी गवर्नमेन्ट थी तो 13.50 रुपये क्विन्टल देना पड़ा था।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

अगर मान्यवर, इनको सन्देह हो तो ये उसको देख लें।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, उनका इन्टरप्रेटेशन बन्द कर दें, मैं जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो डिमान्ड की और सप्लाई की थ्योरी है जब गन्ने की कीमत के बारे में इकट्ठे हुए थे तो मैंने कहा था कि गन्ने की कीमत दिलाना मुख्य मंत्री पर निर्भर नहीं करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गन्ना उत्पादकों मे कितना दम है और कितनी गन्ने की कीमत लेनी है। गन्ना मिल के मालिक गन्ने की कीमत को किस हद तक उत्पादकों को कीमत देने में समर्थ हो सकते हैं। अगर दोनों में खाई है तो सरकार पिक्चर में आती है। आज भी गन्ना उत्पादक तय कर लें कि गन्ना मिलों को वे गन्ना नहीं देंगे तो सरकार भी मजबूर होगी। लेकिन आज पश्चिमी जिलों में भी चौधरी साहब के इस प्रश्न के बवजूद भी साढ़े बारह रुपये पर सवा बारह रुपये कीमत मिल रही है भले ही कुछ चौदह रुपये देने में समर्थ हो रहे हैं बारह रुपये में चीनी मिलों का गन्ना मिल रहा है। पूर्वी जिलों में जहां ऋशर आदि नहीं है वहां लामुहाला है मिल मालिक कोई शरीक नहीं है। उन्होंने शोषण ही किया है कि वे परिस्थिति का लाभ उठायेंगे। कई जगह हड़ताल रही है। हड़ताल की समस्या आयेगी मिलों को गन्ना नहीं मिलेगा तब सरकार बीच में पड़ेगी कुछ न कुछ कीमत बढ़ेगी। सरकार की कोई दोष-पूर्ण नीति नहीं है। यह तो सप्लाई और डिमान्ड पर निर्भर करता है। वह कीमत जो गन्ना उत्पादक चाहते हैं उसको देने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकेगा।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो मैं इस विषय पर बोलने के लिये इरादा करके नहीं आया था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वास्तव में मैं इस विषय पर.....

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण 10 मिनट में ही समाप्त कर लें ?

*श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

जी हां मैं 10 मिनट के पूर्व ही समाप्त कर दूंगा। मै निवेदन कर रहा था कि वास्तव में मैं इस विषय पर बोलने के इरादे से नहीं आया था क्योंकि सब बातें जो मैं कहना चाहता था वे माननीय चौधरी साहब ने कह दीं। आज सरकार के पक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी और माननीय राजमंगल पांडेय जी ने एक बात यह कहाकिकीमतों का निर्धारण "सप्लाई और डिमान्ड" के सिद्धान्त के अनुसार है। मैं तो यह जानता हूं कि सोशलिस्ट एकोनोमी में जिसके वे सब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिमायती हैं, सब चीजों की प्लानन्ड एकोनौमी होती है । आज इन्हें सप्लाई और डिमान्ड की कहां से याद आ गयी? अगर मैं कहीं पर कह देता तो मुझे, प्रक्रियावदी है स्वतंत्र पार्टी वाला है, कह दिया जाता और आज आप सप्लाई और डिमान्ड के पीछे छिपने की कोशिश कर रहें हैं । यदि वास्तव में सप्लाई और डिमांड के सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं तो आपने रिजर्ड एरिया में गुड़ और खांडसारी बनाने को आम इजाजत क्यों न दे दी किसानों को जो गुड़ या खंडसारी बनाने वाले हैं, उन सबको मुक्त कर दिया जाता । यदि आपका विश्वास सप्लाई और डिमान्ड में है तो इस धन्धे को आप पूर्णरूप से उन्मुक्त कर दें ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो इस समय गन्ने और चीनी मिलों के मंत्री हैं, वे ही खाद्य विभागों के भी हैं । यह सप्लाई और डिमांड की थ्योरी गेहूं, चावल, बाजरा और मक्की की कीमतों को निर्धारित करने में उसका अनुकरण क्यों नहीं करते हैं ? आज आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की 55 हिस्सों में बांट रखा है । अनाज के आवागमन पर पाबन्दी लगा रखी है । आपने एक अच्छा तरीका, जैसा कि हमारे चौधरी साहब ने कहा, अख्त्यार कर रखा है कि जो पढ़े लिखे और समझदार नहीं हैं, कभी इस डंडे से और कभी समाजवाद के डंडज्ञसे और कभी कहते हैं कि प्लान्ड एकोनौमी है, उनको परेशान कर रखा है । और कहते हैं कि जिसको जो मिलना है वह मिलेगा । अगर हमारे खाद्य मंत्री जी को सप्लाई और डिमांड में विश्वास है तो चावल के आवागमन को मुक्त करादें । और प्रदेश को जो 55 हिस्सों में बांट कर रखा है, उन आदेशों को वापस ले लें ।

माननीय राज मंगल पांडेय जी ने कहा कि चौधरी साहब ने जो बताया कि उस समय चीनी की कीमत 1 रुपया 65 पैसे थी और गन्ने की उतनी थी । उस हिसाब से 18 रहनी चाहिये थी । तब से बहुत सी चीजें बदल गयीं, परिस्थितियां बदल गयीं, कहा गया, मजदूरों को बोनस देना पड़ा, मिल मालिकों के खर्चे बढ़ गये, मुनाफा वगैरह कम हो गया। तो आपको मजदूरों का ध्यान है, मिल मालिकों का ध्यान है कर्मचारियों का ध्यान है, हर वर्ग का ध्यान है और हर वर्ग की मांग को आप किसानों की कास्ट पर पूरा करना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

वह पांडेय जी का विचार है, शासन का विचार नहीं है ?

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

जितना इंफ्लेशन है, जितनी महंगाई है, हर एक चीज की दवा इनके पास यह है कि किसानों को और अधिक एक्वीज कीजिये। नीबू की तरह से निचोड़ लीजिये। आप की गलत नीतियों के कारण गत 10–15 वर्ष के दुष्परिणाम का मुकाबला करने के लिए आपने किसानों को ही निशाना बनाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसानों के उत्पादन का कितना कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया है? जो सामान उसे खरीदना पड़ता है, उसका कितना दाम बढ़ गया है? गन्ना पैदा करने में बिजली की बहुत खपत होती है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस राज्य में बिजली पहुंचाने तक का खर्चा वह करीब करीब 12–13 पैसे प्रति यूनिट आता है। लेकिन उस 12–13 पैसे की तुलना में किसान को 18 पैसे में मिलती है और उद्योग पति को, अगर सारे राज्य का औसत देखा जाय तो, नौ पैसे में मिलती है। ठीक दूने का अन्तर है। तो अगर मैं यह कहूं कि आप उद्योगों को चलाने के लिए किसान से ज्यादा वसूल करते हे, गरीब किसान की हड्डी पसली पर आप उद्योग चलाने की कोशिश करते हैं, तो गलत न होगा। अगर यह तथ्य नहीं है तो आप इसका उत्तर दें। आपको उद्योगपति की चिन्ता है, आपको मजदूर की चिन्ता है, आपको सरकारी कर्मचारी की चिन्ता है, लेकिन किसान की कोई चिन्ता नहीं है। कभी नहीं सोचा कि आखिर बिजली, पानी, खाद की कीमत बढ़ गयी तो उसकी पैदावार की कीमत भी बढ़नी चाहिए ।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं । स्वर्गिय रफी अहमद किदवई साहब जब केन्द्र में कृषि मन्त्री थे तो उन्होंने एक परम्परा बनायी थी कि जितने रुपए मन चीनी हो उतने आने मन गन्ने की कीमत निश्चित की जाय। उस हिसाब से अगर देखा जाय तो चीनी के मूल्य से 62–63 प्रतिशत गन्ने का मूल्य होना चाहिये और अगर आप पिछले आंकड़ों को देखे तो 62 से लेकर 70 प्रतिशत तक चीनी के मूल्य में गन्ने का मूल्य हुआ करता था। इस वक्त क्या स्थिति है? इस वक्त स्थिति यह है कि अधिक से अधिक जो पश्चिम के किसानों को मिलने वाला है वह चीनी की कीमत में से 45 प्रतिशत मिलने वाला है। आपके इस बटवारे में पहले किसान को 62–63 से 66–67 प्रतिशत तक मिलता था। आज की इस समाजवादी सरकार के समाजवादी कार्यक्रम के फलस्वरूप उसे 45 प्रतिशत से अधिक नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? कारण यही है, जिसको कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि गांव से चुनकर आये हुए विधायक शहरी नेताओं के पीछे लगकर अपनी बनियाद भूल गये हैं और आज वह दलाली कर रहे हैं, आज वह दिन भूल गये, वह समझते हैं कि फिर जायेंगे और रुपया पैसा खर्च करके फिर वोट ले लेंगे। श्रीमन, आज की इस व्यवस्था में निरन्तर किसान का भाग गिरता जाय क्या यह शर्म की बात नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

*श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमान्, हमारे पूर्व वक्ता कांग्रेस पार्टी के श्री राज मंगल पांडेय जी ने कहा कि डिमाण्ड ऐंड सप्लाई के कारण यह दामों में फ्लेकच्युयेशन रहता है। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस सरकार प्रान्त में भी है और केन्द्र में भी है आज तक इन्होंने गन्ने का मूल्य का कोई सिद्धान्त ही नहीं तय किया है। अगर कोई सिद्धान्त है तो केवल एक ही है कि मिल-मालिकों को टेबिल पर बुला लिया जाय और आमने सामने बात करके अधिक से अधिक पैसा ले लिया जाय। जब पिछला पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो मिल मालिकों से सात करोड़ रुपया लिया गया और चुनाव फंड में लिया गया। तो इनका सिद्धान्त केवल चुनाव नीति से जुड़ा हुआ है। आज इन्होंने डिमान्ड सप्लाई की बात मन्ना उत्पादकों गे लिए तो कह दी परन्तु जो मिल मालिक हैं उनके लिये आप डिमान्ड और सप्लाई की बात नहीं कहते है और वहां पर तो केवल लागत की बात कहते हैं। अगर लागत की बात इनडस्ट्री और उद्योग के लिए आती है तो यह किसान के लिए क्यों नहीं आती है? जिस प्रकार से कोई उद्योगपति किसी चीज का उत्पादन करता है उसी प्रकार से काश्तकार भी अपने गन्ने का उत्पादन करता है। उसकी भी कुछ लागत आती है। आज उसका खर्चा हर साल बढ़ता चला जा रहा है। इसको देखकर ही किसान के गन्ने का दाम निश्चित होना चाहिये ।

आज चीजों में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। पानी के रेट्स, बिजली के रेट्स, खाद के दाम एन्ड्रीन और देशी खाद के दाम सभी बढ़ गये हैं। 50 रु० बोरा खाद आ रही है। यही कारण है कि आज सारे प्रदेश के किसानों में असन्तोष बढ़ रहा है और आन्दोलन हो रहे हैं । आज किसान गन्ना नहीं दे रहा है और हो सकता है कि उसका गन्ना खेत में ही खड़ा रहे और सड़ जाये। प्रदेश के पश्चिमी जिले में 19 में से 15 मिलें बन्द पड़ी हैं, पूर्व में भी बहुत सी मिलें बन्द हैं और गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेशीय सरकार कहती है कि दाम केन्द्रीय सरकार तय करती है परन्तु प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार दोनों ही कांग्रेस की सरकारें हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं कि वह इसका मूल्य तय करे? आप स्वयं इसको देखें कि 1 एकड़ गन्ने में कितनी लागत आती है इसके हिसाब से आप स्वयं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसकी लागत तय करें। मेरा यह विचार है कि यह लागत कम से कम 15 रु० आती है इससे कम नहीं। हमारे प्रान्त का मुख्य उद्योग और फसल गन्ना और चीनी है। अधिकतर लोग गन्ने का उत्पादन करते हैं। इस कारण से मैं अपने किसान भाइयों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि अगर हम उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, अपने प्रदेश की भी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं तो हमको इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ जरूर ध्यान देना होगा ।

15 रू0 से कम गन्ने की कीमत नहीं मिलनी चाहिये। आपने राजनीतिक अखाड़ा गन्ना और चीनी मिलों को बना लिया है । कितना चिल्लाया गया कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय परन्तु खास उद्देश्यों के कारण वह नहीं किया जा रहा है। जब चुनाव आये और समय आये तो मिल मालिकों से उसके लिये पैसा वसूला जाय? राष्ट्रीयकरण को लेकर राजनीतिक हथकंडे चल रहे हैं और किसान को उसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। मान्यवर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री भार्गव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी जिसने कहा है कि जो 40 परसट चीनी की छूट मिली है उस 40 परसेंट लाभ में से किसानों को भी दिया जाना चाहिये। हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारें एक ही हैं। उनकी यह सिफारिश है जिसको भी वह नहीं मानते ह। उनका ध्यान काश्तकारों के लिए हित की तरफ नहीं है। इनको तो केवल वोट चाहिये और किस प्रकार से पैसा मिले इसका ही ध्यान रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लागत के आधार पर नाम तय करेंगे तो निश्चित रूप से गन्ने का दाम 17.72 रु० प्रति क्विंटल आवेगा। किसानों की वह उचित ही मांग है। फिर भी कम से कम 15 रु० तो बहुत ही उचित है जिसे सरकार को मान लेना चाहिए ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में गन्ने का सवाल हिन्दुस्तान की राजनीति से जुड़ा हुआ है- उत्तर प्रदेश की राजनीति से तो वह जुड़ा हुआ है ही ।

एक सदस्य---

कब से ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

अपने मन में सोच लीजिये कब से ।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया अपना भाषण 10 मिनट में समाप्त कर सकेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कितना समय हुआ है--आप वार्निंग काहे के लिए दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

निवेदन कर रहा हूं ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

आपकी तबियत जब होगी तब कह दीजिएगा में समाप्त कर दूंगा। मैं तो हुकुम मानता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

तो मैं निवेदन कर रहा था कि हिन्दुस्तान में राजनीति चलायी जा रही है इस शूगर इण्स्ट्री में। यही कारण है कि लोगों ने बम्बई में बैठकर सन् 1969 में ही यह प्रस्ताव पास कर लिया था कि वे उत्तर प्रदेश में सारे हिन्दुस्तान में करने का इरादा नहीं था, शुगर मिलों का नेशनेलाइजेशन कर लेंगे। अधिष्ठाता महोदय, 1969, 1970, 1971, 1972 और फिर आज भी वही 2 मार्केट---एक 30 फीसदी वाला मार्केट जिसको फ्री मार्केट कहते हैं। और 70 फीसदी वाला मार्केट जिसे कन्ट्रोल मार्केट कहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कन्ट्रोल मार्केट के रहते हुए फ्री मार्केट क्यों हैं ? जब आप चीनी मिल वालों को चाहते हैं कि वे अधिक से अधिक लाभ न कमा सकें तो 30 फीसदी वाला फ्री मार्केट क्यों है और इसके बावजूद कंज्यूमर्स ने कई प्रकार के मूल्यों की चीनी खरीदी ? मुझे आश्चर्य तब हुआ जब केन्द्रीय सरकार ने 2 रु० प्रति किलोग्राम चीनी बिकवाने का फैसला किया मगर उसके दाम करीब-करीब 3 रु० प्रति किलोग्राम तक पहुंच गये। बहुत सोच विचार के बाद हमारे गन्ना विकास मन्त्री जी कहते हैं कि सब्सिडी के रेट पर चीनी मिलती है।

मैं जानना चाहता हूं कि 15 रु० प्रति क्विंटल गन्ने के दाम करने की बात कहीं गयी ? एक तरफ तो आप कंज्यूमर्स की पाकेट लूट रहे हैं और दूसरी तरफ किसान को उचित कीमत नहीं देते हैं। उसको उचित मूल्य देने पर तो आप कतराते हैं और मिल वालों की मदद करते हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने आंकड़े तो बहुत दिये और सरकार की किसान विरोधी नीति साबित करने की कोशिश की लेकिन में एक बात कहना चाहता हूं कि क्या कभी गन्ना विकास मन्त्री जी और इस सरकार ने सोचा कि कृषि के उत्पादन लागत पर पैदावार के दाम निर्धारित किया जाएं। क्या कभी आपने किसान को फायदा करने की भी बात सोची है ? जवाब मिलेगा नहीं। अभी 11–11 1/4 रु० प्रति क्विंटल गन्ने के दाम की बात कही गयी। आपने एक नयी नीति निकाल दी कि पश्चिमी क्षेत्र में दाम कुछ और, मध्य क्षेत्र में दूसरे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीसरे। इस तरह से आपने बांट दिया है। सारे प्रदेश में काश्तकार जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि बिखरे हुए हैं। संगठित न होने के कारण कलेक्टिव बारगेनिंग करने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने रिजर्वड एरिया बना लिये हैं। उनको ऐसी---ऐसी जगहों में ले जाकर रखा है ताकि फैक्टरी ओनर्स को लाभ हो। इतना ही नहीं, इसमें भी सौदा होता है कि कौन सा गांव किस फैक्टरी में जाये और कौन सा एरिया किस फैक्टरी में जाये या न जाये क्योंकि रिकवरी का सवाल इससे लिंक्ड रहता है। मेरा यह चार्ज है इस सरकार के ऊपर कि इसमें रिकवरी का भी कोई ध्यान नहीं होता है अगर बिल्कुल सही बात कहें तो।

मैं मुबारकवाद पेश करना चाहता हूं शुगर फैक्टरी के डाइरेक्टर्स को और खास तौर पर उन लोगों को, जिन लोगों ने अपनी पार्टी में बैठकर 15 रुपये प्रति क्विंटल के प्रस्ताव पास किये और औराई शुगर फैक्टरी में उससे ज्यादा कीमत देते हुए दिखाई और उसमें श्री बंशीधर और श्यामधर मिश्र आदि के नाम हैं। आज अगर लज्जा, हया और शर्म की कोई बात होती तो एक पार्टी वह है जो 15 रुपये क्विंटल का प्रस्ताव पास करती है और उस रेश्यों में जहां उनका वश चला है उससे ज्यादा रुपये भी दिला सकती है और दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी जिसने नेशनलाईजेशन का नारा दिया, हमेशा राज्यपाल की स्पीचेज में सिर्फ एक ही बात रहती है, प्रदेशीय सरकार कहती है कि उसने बिल भेज दिया है और केन्द्रीय सरकार कहती है कि उसने कमेटी बना दी है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही यह सब होगा। मैं जानना चाहता हूं कि 7 रुपए 37 पैसे, उसके बाद 8 रुपये और फिर 11 रुपये और सब 11 रुपये प्रति क्विंतल तो आपको गन्ने का दाम देने में दिक्कत

नहीं हुई तो अब कौनसी बाधा है जो 15 रुपया प्रति आप गन्ने का दाम नहीं दिला सकते। (श्री राजमंगल पांडेय के खड़े होने पर) आप अधिठाता महोदय से पूंछ लें और अगर मुझे वे ज्यादा टाइम दें सकें तो आप जो पूंछना चाहें पूंछ सकते हैं।

श्री अधिठाता ——

(श्री राज मंगल पांडेय के खड़े होने पर) आप इस समय प्रश्न न करें, और व्यवधान न करें, समय बहुत कम है।

श्री राज मंगल पांडेय ——

मैं तो श्रीमान, एक स्पष्टी करण कराना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता———

जी नही, समय बहुत कम है।

श्री कल्पनाथ सिह—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सरकार ने जो कुछ भी किया है मिल मालिकों के फायदे को ध्यान में रख के किया है। ये नारा लगाते हैं, दूसरा बात करते हैं दूसरी ओर काम करते हैं तीसरी ओर श्रीमन् मैं ही यह बात नहीं कर रहा हूं। मुझे आज लाबीज में बैठे हुये एक हरी सी किताब मिल गयी। आपके शंकर दयाल जी शर्मा जी मैंमोरेन्डम उपस्थित किया गया कांग्रेस फोरम फार सोशलिस्ट ऐक्शन। उन्होंने जो चार्जेज लग या है केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारों के खिलाफ वह यह है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल मालिकों को लाभपहुचाया गया और उसके बाद यह यहां कहने का औचित्य कैसे रखते हैं कि यह चार्जेज सही नही है। उनके चार्जेज के बावजूद इनके कानों पर जूं नही रेंगती जब कि उन्हीं की पार्टी के लोग चार्जेज लगाते हैं।

जहां तक गन्ने की कीमत की बात है, जलौनी लकड़ी की कीमत उससे ज्यादा है, गन्ने की खोई की कीमत गन्ने से ज्यादा है यानी जब गन्ने का रस निकाल लिया जाय तब उसकी खोई की कीमत जो मिल मालिक के कब्जे में होगी उसकी कीमत तो ज्यादा ज्यादा हो जाती है लेकिन गन्ने की कीमत तो किसान के पास रहती है इसलिये वह कम हो जाती है। मैं यह निश्चित आरोप सरकार पर लगाता हूं कि जब आप सोशलिस्ट एकोनामी डेवलप करना चाहते हैं तब किसानों को आपको फायदा पहुंचाना चाहिए लेकिन आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में ऐसी इकानामी डवलप हो जिससे इस प्रदेश के किसानों और गरीबों को लाभ न हो सके और ऐसे लोगों को उसका लाभ पहुंचे जो अपने सारी फैक्टरियों की कमाई दूसरी जगहों में कर्ज पर रुपाये हुए हैं। इसके लिए मैं उदाहरण दे सकता हूं।

रामकोला शुगर मिल्स के खेतान ने अपने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में लोगों को फार्म्स और अन्य लोगों को भी कर्ज दिये हुये हैंऔर उनका सूद तक वसूल नहीं होता। देवबन्द की फैक्टरी है उसने 7 लाख रुपया कर्जा दिया हुआ है। एक दूसरी फैक्टरी है जिसने चार लाख रुपया कर्जा दिया हुआ है, बमनान सुगर मिल्स है उसने 2432 लाख रुपए कर्जा में दिया है। और इतना-इतना कर्जा उन फैक्टरियों ने दिया तो कहां से इतना मुनाफा आ गया। जब बोनस देने का सवाल होता है, मजदूरों को मजदूरी देने का सवाल होता है या किसान को गन्ने की कीमत देने का सो सवाल होता है तो उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन इतना पैसा मिल मालिकों की जेब में सरकार ने छोड़कर बड़ा अहित किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इस सरकार में जनता के प्रति किये गये वायदों में रत्ती भर भी वफादारी है तो आज ही इस सदन में, इस बैठक में मन्त्री जी को यह घोषणा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का, जोकि राजनीति में काम करने वालों को भ्रष्ट करने में लगी हुई हैं, अविलम्ब

[श्री कल्पनाथ सिंह]

राष्ट्रीयकरण किया जाता है और 15 रु० से कम कीमत देने का कोई सवाल नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दें कि वह 15 रु0 कीमत देने के लिए बाध्य हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1969-70 में साढ़े 42 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, 1970-71 में साढ़े 37 लाख टन उत्पादन हुआ था और 1971-72 में साढ़े 31 लाख टन हुआ। इस तरह से प्रति वर्ष पांच छः लाख टन उत्पादन घटता रहा है जबकि चीनी की खपत दो लाख टन प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में इस वर्ष कोशिश की जा रही थी कि चीनी का उत्पादन ज्यादा बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य से जो सूखे की स्थिति इस देश में पैदा हुई और उसके कारण फसल की बढ़ोत्तरी में कमी आयी, इससे जितनी चीनी का उत्पादन होना चाहिये था उतना होता दिखाई नहीं पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने गन्ने की कीमत को रिवाइज किया और रिकवरी से जो लिनिक करते हैं उसको भी रिवाइज किया। लेकिन रिवाइज क्या किया ?

(इस समय 3 बजकर 19 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

7.37 की जगह गालिबन 8 रु० मिनिमम कीमत गन्ने की भारत सरकार ने मुकर्रर की। लेकिन मिल मालिकों को इस स्थिति की जानकारी थी कि इस पर मिलें चलने वाली नहीं हैं। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल चलने से पहले ही मिलों ने आपस में तय किया कि साढ़े 11 रुपया प्रति कुंतल गन्ने की कीमत होनी चाहिए। फिर भी गन्ना मिलने की कठिनाई उनके सामने रही। प्रदेश कि मुख्य मन्त्री जी ने कृपा कर विचार किया और सवा 12 रु0 पश्चिम में और सवा 11 रु0 मध्य यू0 पी0 और पूर्व में निर्धारित कराया। अब इसका क्या बेसिस था।

जाहिर है कि पश्चिमी यू० पी० में सीजन लम्बा होता है लेकिन रिकवरी कम होती है। मध्य क्षेत्र में सीजन लम्बा है लेकिन रिकवरी पश्चिमी के बराबर है। तो फिर एक रुपये का फर्क क्यों ? पूर्वी यू० पी० में क्रेशिंग सीजन कम होता है तो रिकवरी वहां ज्यादा है। वहां पर सीजन चाहे कम हो लेकिन गन्ने में रिकवरी ज्यादा होने की वजह से मिल को मुनाफा बढ़ जाता है। सरकार ने चीनी की रिकवरी को गन्ने की कीमत के साथ मिलाया किन्तु यह भूल जाते हैं कि जितने आउटडेटेड और आउट-मोडिड प्लान्टस पूर्वी यू० पी० में हैं उनका खमियाजा किसानों को उठाना पड़ता है। ऐसी दशा में जो लिंक फारमूला है उसका नुकसान मिल मालिकों को नहीं होता है बल्कि उसका नुकसान गन्ना उत्पादकों को पहुंचता है।

तो पहला सुझाव मान्यवर आपके माध्यम से यह है कि प्रदेश के तीन जोन बनाकर अलग-अलग उनकी कीमतें निर्धारित कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। कि पूर्वी यू० पी० के काश्तकारों की बारगेनिंग पावर नहीं है, क्योंकि काश्तकार वहां गरीब है, काश्तकर का गन्ना किसी दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता, कोई क्रशर नहीं है, न कोई है तो वह सारा मुनाफा मिल-मालिकों हो जाता है किसान जेब में जाता अगर उसके पास बारगेनिंग पावर होती। मिल-मालिकान काश्तकारों की कमजोरी का इस प्रकार फायदा उठाते हैं। इसलिए वहां और मध्य यू० पी० में भी वही कीमत मुकर्रर की जाय जैसी कि पश्चिमी यू० पी० में करायी, जहां सवा 12 का भाव है, गालिबन पिछले दस वर्षों से 7.37 रुपये प्रतिक्विन्टल गन्ने की कीमत भारत सरकार मुकर्रर करती रही। चीनी की कीमत बढ़ती गई, प्रतिवर्ष क्योंकि कास्ट आफ प्रोडक्शन चीनी का बढ़ा है और कंज्यूमर को भी ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन क्या गन्ने की पदावार की कास्ट नहीं बढ़ी, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हल और खाद की कीमत बढ़ी है, बिजली के रेट्स बढ़े हैं,

सिंचाई के रेट्स दो दो बार बढ़ चुके हैं। पहले नवम्बर 1969 को और एक बार अभी बढ़े हैं। ट्रैक्टर्स और दूसरे औजारों की कीमत बढ़ी है। बैलों की कीमत बढ़ी है और बढ़ी है मजदूरी भी। जो आवश्यकता की चीजें हैं सबकी कीमतें बढ़ी, है लेकिन काश्तकार के गन्ने की कीमत 7.37 रु० भारत सरकार द्वारा रखी जाती रही।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसी में काश्तकार की जरूरत की चीजें जैसे कपड़ा, जूता, लकड़ी, कोयला आदि के दाम बढ़े, वह भी जोड़ लिया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं सब कह चुका हूं कि आवश्यकताओं की जितनी चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ती गयीं, कास्ट आफ प्रोडक्शन गन्ने का बढ़ता गया, लेकिन गन्ने की कीमत 7.37 रुपया ही मुकरार की जाती रही। क्यों बढ़ायी गयी चीनी की कीमन, क्यों कि मिल-मालिकान रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं, वे अपने आंकड़े सब तैयार रखते हैं। भारत सरकार भी गन्ने का कास्ट आफ प्रोडक्शन का कोई आधार नहीं बना सकी। इसीलिये मिल-मालिकान के रहने पर रह जाता है गरीब काश्तकार ऐसी स्थिति में आज यह स्ट्राइक चल रही है। पश्चिमी यू0 पी0 की 19 मिलों में से 15 मिलें आज बन्द है। मध्य यू0 पी0 की मिलों में भी स्ट्राइक चल रही है। अगर इतनी शक्ति हो काश्तकार में कि वह बारगेन करने की क्षमता रखता हो या स्ट्राइक करके ज्यादा दाम ले सकें तब तो ठीक है, अन्यथा जो मुनाफा मिल-मालिक उठाता रहा है उसको किसान-मजदूर-मिल मालिकान तीनों में न्यायोचित ढंग से बांटने के लिये सरकार को प्रयास करना चाहिये। अगर यह नहीं किया गया तो जो स्ट्राइक इस प्रदेश में चल रहे हैं उनसे चीनी का उत्पादन जितना प्रदेश में होना चाहिये था वह नहीं हो सकेगा, न चीनी विदेशों में एक्सपोर्ट हो सकेगी और न अपने देश और प्रदेश की खपत और आवश्यकतानुसार चीनी उत्पादित हो सकेगी।

आज भी अगर ये स्ट्राइक्स नहीं चलती हैं, या सरकार मुनाफा काश्तकार को नहीं दिलाती है तो सारा मुनाफा मिल-मालिकान के पेट में जायगा। ऐसी अवस्था में यह नितांत आवश्यक है कि समाजवाद में विश्वास रखने वाली सरकार उन बहु-संख्यक किसानों को न्यायायोचित दाम दिलावे। मजदूरों की तो चूंकि उनकी शक्ति संगठित है उन्होंने 8.33 का बोनस प्राप्त कर लिया और काश्तकार को तो कास्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर गन्ने की कीमत भी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में यह जाहिर है कि काश्तकारों को इस गन्ने के सीजन में कम से कम 15 रुपया क्विंटल कीमत गन्ने की कीमत दिलायी जानी चाहिये और अगर नहीं दिलायी जाती तो न तो उतना चीनी का उत्पादन हो सकेगा जितनी कि देश और प्रदेश को आवश्यकता है और न सही वितरण मुनाफे का किसान-मिलमालिक और मजदूर में हो सकेगा जिसके कराने की सरकार की जिम्मेदारी है। लेवी का चीनी का भाव और जो भाव खुले मार्केट में चीनी का है उसमें पौने दो सौ रुपये फी बोरी का अन्तर है। अगर चीनी का उत्पादन कम हुआ तो यह अन्तर और बढ़ेगा और अधिक मुनाफा मिलमालिकों को जायेगा। इसलिये आवश्यक है कि गवर्नमेंट न्याय के आधार पर किसानों के हितों की रक्षा के लिये मिलमालिकान पर जोर दे जिससे यह स्ट्राइक भी टूटे और किसानों को 15 रुपये कुंटल गन्ने का दाम दिला कर कन्ज्यूमर, प्रदेश के किसान और मजदूर, सब का भला करें।

श्री बलबीर सिंह—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वर्माजी रूलिंग पार्टी में हैं। उन्होंने 15 रुपये का दाम माना है और सरकार से अनुरोध किया है कि वह इतना दाम किसान को दिलाये। अगर सरकार उनकी यह बात नहीं मानती है तो वह कुछ कदम उठायेंगे और इस्तीफा दें देंगे ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

यह शर्त लगा कर तो मेरे मित्र न भी शायद त्याग पत्र नहीं दिया होगा। मै तो जब गवर्नमेंट में था तो ज्यादा वाम की बात कर रहा था लेकिन जैसा कि राजमंगल पांडेय जी ने कहा उस समय आपने क्यों नहीं वाम बढ़वाये, वही 7.37 रु० ही रह गये और गन्ना भी खड़ा रह गया।

*श्री रामधारी शास्त्री—

मैं बहुत आभारी हूं माननीय चौधरी साहब, भानू बाबू और वर्मा जी का जिन्होंने इस पर विशेष प्रकाश डाला। मैं यह कहने से हिचक नहीं सकता कि इस मामले पर सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया निहायत बेहूदाई के साथ एक बार फिर पूंजीपतियों की इस सदन में खुलेआम ताईद की गयी। केवल एक तर्क दिया गया कि गन्ने का वाम सप्लाई और डिमांड पर मुनहसिर करता है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं और मेरी चुनौती है आपके माध्यम से कि यह सरकार जो खुलेआम पूंजीपतियों की हिमायत करती है कभी सप्लाई और डिमांड के नियम को चलने नहीं देगी। क्या पिछले साल क्रशर पर रोक नहीं लगी? इस साल भी रिजर्वड एरिया में कोई क्रशर नहीं लगा सकता। यह भी एक आदेश है सरकार का कि 10 कुइंटल से अधिक गुड़ लोग नहीं रख सकते। यह भी एक दूसरा तरीका है जिससे आप चाहते हैं कि सप्लाई और डिमांड की थ्योरी काम न करे। यह आपकी ऐसी व्यवस्था है जिससे किसान लाचार है क्रिस्टल शुगर के नाम पर मिलों को गन्ना देने के लिये। पिछले साल जब देखा कि चीनी के दाम गिर सकते हैं, गुड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया और जब चीनी के दाम चढ़ गये तो गुड़ के निर्यात की छूट दे दी। इस साल भी इसी बात की आशंका है।

पांडेय जी ने कहा कि लोहे और कपड़े के दाम पर मुनहसिर करेगा। यही तो रोना है हम लोगों का। यह सरकार उल्टी बात करती है। पहले गन्ना पैदा होता है फिर चीनी बनती है। यह सरकार पहले चीनी का हिसाब लगाती है तब गन्ने का दाम तय करती है। आप गन्ने की लागत का हिसाब लगा कर तब चीनी का दाम तय करिये, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आप सिर के बल खड़े हैं, पैर के बल नहीं। अगर बाजार भाव की बात करते हैं तो ज्यदा दूर नहीं, अभी कुछ दिन पहले लोहे का भाव बाजार में 140 रुपये कुइंटल था और आजकल 210 रुपये कुइंटल है। जो धोती 5–6 रुपये में मिलती थी आज वह 9–10 रुपये में मिलती है। अनाज क लिये ये बफर स्टाक रखेंगे। उसके दाम नहीं बढ़ने देंगे इस नाम पर कि उससे बड़े बड़े कारखानों में काम करने वाले लोगों को या यों कहिये कि शहर में बसने वाले लोगों को खिलाने के लिये गांव के लोगों को तबाह करेंगे बगैर उनकी आर्थिक अवस्था का ध्यान रखते हुये। आप किसान के लिये घाटा नहीं उठायेंगे, आप बिड़ला के लिये घाटा उठायेंगे। यह एक रिपोर्ट है प्रतिनिहित विधायन समिति की जो इस सदन में 20 जुलाई, 1972 को प्रस्तुत की गयी।

माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पंछा था कि हिडालकों को सस्ते दर पर बिजली देने से हर वर्ष सरकार को कितनी हानि हो रही है? इसका उत्तर त्रिवेदी जी ने दिया था और यह कहा था कि इससे ढाई करोड़ रूपये सालानां की हानि हो रही है। तो यह समाजवादी नक्शा इस सरकार का है। पिछले जून माह से लेकर अब तक डालडा की 60 पैसे प्रति किलो बढ़ा दी गयी ताकि लीवर ब्रादर्स को फायदा हो जाय। यहां पर मैं पूंछता हूं कि डिमान्ड और सप्लाई की थ्योरी लागू क्यों नही होती? रिकवरी की जहां तक बात है, 6–7 परसेंट रिकवरी देकर अगर 14 रूपये के दाम क्रेसर वाले दें सकते हैं तो ये क्यों नही दे सकते। इसके अतिरिक्त एक सिद्धान्त है और भी है कि जितने रुपये मन चीनी उतने ही आने मन गन्ना। इस थ्योरी से भी 18 रुपये गन्ने का दाम होना चाहिये। 14 फरवरी के स्वतंत्र भारत पेपर में सोशलिस्ट पार्टी के नेता जार्ज फर्नाडीज का एक बयान निकला था जिसमें यह था कि कांग्रेस सरकार ने 20 करोड़ रुपया चुनाव के लिये लिया। चीनी मिल वालों ने इनको मान्यवर, आफर दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हम सारी चीनी देने के लिये तैयार हैं, मगर ये तैयार नहीं हुये। में कहना चाहता हूं कि 25 दिसम्बर से प्रदेश की सारी चीनी मिलें हड़ताल करने वाली हैं। 23 चीनी मिलें तो आज भी बंद हैं। अगर आप में थोड़ी शर्म बाकी है तो आज ही घोषणा करें कि गन्ने का दाम 20 रुपये क्विंटल होगा। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं अपने उन सभी माननीय साथियों को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने गन्ने की डिबेट में भाग लिया। जिस वक्त माननीय रामधारी शास्त्री जी ने गन्ने की बहस को आरम्भ किया मैंने समझा कि वे गन्ने के विषय में तथा किसान की समस्याओं के समबन्ध में कुछ कहेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या उस वक्त नींद आ रही थी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जब आप बोलते हैं तो मुझे नींद आती, बल्कि यदि मैं सोता होता भी हूं तो आपकी आवाज सुनकर जाग जाता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो बिड़ला और टाटा की लोरियों से ही सोते हैं।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं समझता था कि कुछ गन्ना काश्तकारों के हित की बात कही जायगी, सरकार की नीतियों में कहां दोष है उसको बतलाया जायगा और स्वस्थ आलोचना होगा, कुछ सुझाव दिये जायेंगे लेकिन माननीय चौधरी साहब के भाषण के पश्चात् जब माननीय भान प्रताप सिंह बोलने उठे जिनको मैं एक उत्तम कृषक मानता हूं, तो वे गन्ने के स्थान पर गल्ले पर ही अधिकतर बोलते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि एक एग्जामिनर ने एक पर्चे में इंडियन बाजार पर लेख लिखने के लिए दिया मगर छात्र ने उसको इंडियन बारबर समझकर इंडियन बारबर पर लेख लिखा। मालूम होता था कि माननीय भानु प्रताप सिंह जी भी गन्ने की जगह गल्ले पर बोलते रहे, मगर जब उनकी तन्द्रा टूटी तो कुछ गन्ने के बारे में भी कह दिया।

साथ ही साथ बार-बार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग माननीय कल्पनाथ सिंह जी व शास्त्री जी की तरफ से हुआ—जैसे कहीं बेहयाई का, कहीं 'लज्जा' का। तो मैं इस समबन्ध में इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हया और लज्जा तो इन्हीं का आभूषण है और उसे यदि वह मुझे देना चाहते हैं तो मैं स्वीकार कर सकता हूं। जहां तक गन्ने की बात करने का सवाल है, मैं चौधरी साहब के भाषण की तरफ एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि उनका भाषण मध्य तक केवल इन्फ्लेशन के बारे में और मुद्रा-स्फीति के बारे रहा था। मुद्रा-स्फीति, इन्फ्लेशन और भारत सरकार की नीति शायद इसको डिस्कस करने के लिये यह उपयुक्त समय नहीं था। समय का सदुपयोग हुआ होता, यदि उन्होंने गन्ने के प्रिन्सिपल्स पर ज्यादा ध्यान दिया होता। अच्छा हुआ होता यदि बड़े आडम्बर पूर्ण शब्दों में उलझाकर उन्होंने हमारा समय न लिया होता।

श्री बलबीर सिंह

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा .....

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अपको हक है इन्टरेशन करने को आप हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन अब यह परिपाटी छूट गयी है। अनन्त राम जी करते हैं, जो लखनऊ के रहने वाले हैं, तो उससे पार हो जाते हैं तो औरों से शिकायत ही क्या हो सकती है। (व्यवधान) मैं इतना ही बतलाना चाहूंगा,

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

में बोलना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन अब केवल दो तीन आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमेशा भारत सरकार गन्ने का न्यूनतम दाम पूरे देश में पैदा होने वाली चीनी और पूरे देश में पैदा होने वाले गन्ने के आधार पर करती है। लेकिन वह मिनिमम प्राईज है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बराबर भारत सरकार को इस बहस में घसीटा गया।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उस मिनिमम प्राईज को तय करने के बाद भी डिमाण्ड और सप्लाई का सिद्धान्त मानते हुए पूरे देश में मिनिमम प्राइज से ज्यादा दिलाने का वह प्रयास—जहां जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, करती है और उसने ऐसा बराबर किया है। और उस सबके मुकाबले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा किया है। जो द्योतक है इस बात का कि यह नारेबाजी केवल नहीं बल्कि अपने वायदे को पूरा करने के लिये एक मजबत कदम है। राजस्थान में स्टेटरी प्राइज के मुकाबले में 10.32 गन्ने का दाम दिलवाना शुरू हुआ, महाराष्ट्र ने 7.50 से लेकर 12–13 तक देने का प्रयास किया। आन्ध्र ने 9.13 से 10.54 तक दिलाने का प्रयत्न किया। तामिलनाड़ ने 8 से 10.29, केरल ने 9 से 9.50 और बिहार ने 10 से 11.25 दिलाने का प्रयास किया। अब इन सबके मुकाबले में उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—जबसे चीनी मिलों का इतिहास है उन्हें अब तक कभी भी इतना ज्यादा दाम नहीं दिलवाया गया, जितना इस बार दिलाया गया, जबकि हम सिद्धांत में विश्वास करते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—
साथ साथ आप चीनी के दाम भी रखिये।

श्री यादवेन्द्र सिंह—
चीनी का दाम आप लोगो ने सुन लिया। चीनी की कास्ट आफ प्रोडक्शन तीन चीजों पर निर्भर करती है। पहला, ड्यूरेशन आफ दि फैक्टरी रन, दूसरा किस तरह के कितने मजदूर उसमें काम करते हैं, और तीसरा, किन हालात में चीनी की रिकवरी क्या आती है। इसकी बड़ी चर्चा हुई।

श्री अनन्तराम जायसवाल—
चौथा यह भी जोड़ लीजिये कि आप राजनैतिक चन्दा कितना लेते हैं।

श्री यादवेन्द्र सिंह—
चन्दे के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि वह श्रीमन्, इस विषय के पंडित हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—
गन्ने की शादी मंत्री जी से हो गई है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—
ठीक है, मेरी शादी तो किसी से हो गई, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, जिनको शादी का नाम भी कभी मुबारक नहीं हुआ है। तो मैं श्रीमन्, यह निवेदन कर रहा था कि यह इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तरोत्तर उस दिशा में आगेबढ़ रही है कि गन्ना काश्तकारों को अधिक से अधिक पैसा दिलाये। उसके तहत में पश्चिम में 12.25 तथा मध्य और पूर्व में 11.25 रुपये के हिसाब से दाम दिलाने का प्रयास किया गया जो अब दिया जा रहा है। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बार बार कहा गया कि प्रदेश को कई जो नो में क्यों बाटा गया, यह दाम दिलाने के लिये, जोनों में पूरे प्रदेश को नहीं बाटा गया। डिमांड और सप्लाई का सिद्धात है। पश्चिम में क्रशर्स और कोल्हुओं की संख्या ज्यादा है। वहां किसान सम्पन्न ज्यादा है। वह अपनी से कन्ड लाइन आफ डिफेंस ज्यादा बेहतर बना सका है। इसलिये उसकी बारगेनिंग केपेसिटी बढ़ गयी है। चूंकि यह गन्ना पैदा करने वाले काश्तकारों का प्रश्न था, मजदूरों का प्रश्न

था इसलिये सरकार अपने को अलग नहीं रख सकी। जो कम कीमत पर गन्ना लेना चाहते थे उनको समझा-बुझाकर ज्यादा कीमत दिलाने का प्रयत्न किया।

औराई मिल के माननीय निहाला सिंह जी बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में हैं। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जबभी कोई कारखाना पालिटिकल डिसीजन्स पर लगाया जायगा तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी जैसी औराई के साथ उत्पन्न हुई है। औराई का कारखाना जहां पर लगा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस मामले पर हमें ऐतराज है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

उस इलाके के किसी भी गन्ना पैदा करने वाले से पूछा जाय तो यह बात जाहिर हो जायगी कि औराई इलाके में गन्ना बेहद कम पैदा होता है, सिंचाई का बिलकुल साधन नहीं है धरती बिलकुल इसके लायक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

आप केन कमिश्नर से रिपोर्ट मंगालें।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जब मैं बोल रहा हूं, गन्ना मंत्री की हैसियत से तो केन कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद बोल रहा हूं। पिछले वर्ष (घोर व्यवधान) इस वर्ष आपके सामने कोई विकल्प नहीं था। अगर कारखाने को नीलाम करके (घोर व्यवधान)। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक औराई इलाके में गन्ना पैदा नहीं होगा तब तक आपको औराई के कारखाने को चलाने में बहुत दाम देना पड़ेगा। मै बधाई दूंगा। कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को जिसमें माननीय बंशीधर पांडेय और माननीय निहाल सिंह जी हैं, औराई कारखाने को चलाने में सहायता दी राज्य सरकार को और जो भी दाम आपने तय किया है...

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

राज्य सरकार निकम्मी है। कुछ करना नहीं चाहती है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इस बात को श्रीमन, नहीं भूलें कि गन्ने का दाम 12.32 रुपए तय किया है और 1.68 आपने अच्छ बीज के लिए सब्सिडी देने की बात कही है ताकि आपके इलाके में गन्ने की काश्त बढ़े और आपका कारखाना नीलाम होने से बच जाय। औराई का कारखाना बिना गन्ने की उपज बढ़ाए हुए (घोर व्यवधान) आप दो डाइरेक्टर यहां बैठे हुए हैं, आप इसको इनकार नहीं करेंगे (घोर व्यवधान) आपने कारखाने को इस लायक किया। पिछली बार सात दिन चल कर बन्द हो गया था।

मैं इन्ट्रप्शन से बन्द करने वाला नहीं हूं। यह हकीकत है और हकीकत से आदमी को परेशानी होती है। आप कहने में पटु हैं, सुनने में भी पटु हों (व्यवधान) गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए डिमांड और सप्लाई का नियम ही सहायक होगा। अगर परिस्थिति उत्पन्न हुई तो अधिक से अधिक गन्ने के दाम होंगे और यह सरकार उनको दिलाने में सहायक होगी, सक्षम होगी। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है।

प्रदेश में विद्यार्थियों की मांगों को न मानने तथा उनके द्वारा आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं यहां छात्रों द्वारा प्रदेश व्यापी असन्तोष तथा उसके निराकरण पर सुझाव देने हेतु यहां खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर कुछ कहूं मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने कुछ विद्यार्थियों को जेलों से रिहा करके एक सन्तोष का वातावरण पैदा किया है। मैं यह आशा करता हूं कि शेष विद्यार्थी जो जेलों में भरे हैं वे भी बिना शर्त रिहा हो जायेंगे। मुझे सूचना यह मिली है कि मुख्य मन्त्री जी उस पर विचार कर रहे हैं। आशा है कि वे इसमें शीघ्रता करेंगे।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शिवराज सिंह पुनः पीठासीन हुए)

मेरा सुझाव यह है कि विद्यार्थियों को बिना शर्त अविलम्ब छोड़ा जाय और सरकार एक गोल मेज बैठक बुलाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रशासक हों, विद्यार्थियों के प्रतिनिधि हों, अभिभावक हों। वह एक समयबद्ध योजना बनायें जिसे अमल में लाया जाय। मेरा यह सुझाव तात्कालिक समस्याओं के बारे में है, स्थानीय समस्याओं के बारे में है जिन के कारण आज सारे प्रदेश में छात्र असन्तोष हुआ फैला हुआ है। यह असन्तोष सारे भारतवर्ष में भी फैला हुआ है। कारण क्या है? हम केवल उत्तर प्रदेश में फैले हुए छात्र असन्तोष पर विचार करेंगे। मैंने मनन किया तो मेरी समझ में उसके दो कारण आये। एक स्थायी कारण और दूसरी अस्थायी कारण। अस्थायी से मेरा तात्पर्य तात्कालिक तथा स्थानीय समस्याओं से है। इन दो भागों में मैं अपने विचार बांटूंगा।

जहां तक स्थायी कारण का सवाल है इसके लिए यह सरकार दोषी है। पिछले 25 वर्षों में इस सरकार ने मेकाले शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल क्लर्क ही इसने पैदा किये।

शिक्षा पद्धति में इसने कोई परिवर्तन नहीं किया जिसके कारण भारतवर्ष के विकास युग से मेल खाती हुई किसी नई पद्धति का निर्माण नहीं हो सका। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए थी जो अर्थकरी शिक्षा होती विद्यालय से निकलने के बाद विद्यार्थी निराश न होता। और वे जीविकोपार्जन कर सकें। यह भी आज तक नहीं हो सका। इसके क्या कारण हैं, यह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यह तो एक मामूली सी बात है कि आज जब कोई विद्यार्थी विद्यालय से निकलता है तो उसकी आंखों के सामने अन्धेरा ही अन्धेरा रहता है। वह इस बात को जानता है कि सारे भारतवर्ष में 64 हजार इंजीनियर्स बेकार पड़े हुए हैं और हजारों हमारे उत्तर प्रदेश में बेकार पड़े हैं। आज विद्यार्थियों की संख्या पिछले 10 वर्षों की अपेक्षा दूनी हो गई है। जब कोई विद्यार्थी विद्या पाने के बाद बाहर निकलता है और देखता है कि जब टेक्निकल ग्रेजुएट ही बेकार पड़े हुए हैं तो उनकी क्या दशा होगी, यह देखकर वह निराश हो जाता है। आज 25 वर्षों में शिक्षा पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन या उन्नति नहीं हुई है। उसका भविष्य अनिश्चित सा है। उसके मन में धैर्य नाम की कोई चीज नहीं रह जाती।

(इस समय 3 बजकर 56 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के चरित्र निर्माण का बहुत ही अभाव है। पठन-पाठन की शैली भी भिन्न हो गई है उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की भावना नहीं रह गई है। हमारी प्रधान मन्त्री कहती हैं कि आज नेशनलिज्म देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं कहता हूं कि यदि नेशनलिज्म एक खतरा है तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण विद्यार्थी में कैसे होगा। वह कैसे राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कर पायेगा। एक तो यह पहलू है कि आज राष्ट्र के चरित्र का निर्माण समाप्त हो गया है। चाहे कोई भी लीडर हो, यह चाहे माननीय गुप्ता जी हों, माननीय त्रिपाठी जी हों, चौधरी साहब हों या जायसवाल जी हों हर व्यक्ति कहता है व्यक्ति के चरित्र निर्माण का निर्माण होना चाहिए। यह एक अहम प्रश्न हमारे सामने आज है। हमारी जो जीवन पद्धति थी, हमने जो त्याग किये थे, जो हमारे आदर्श थे कि मनुष्य को समाज सेवा के लिए तैयार किया जाय यह हमारी जो कल्पना थी वह पूरी नहीं हो रही है। ऐसे कदम हमारी सरकार नहीं उठा रही है। शुरू से अब तक शिक्षा पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे कि आज का विद्यार्थी शुद्ध तरीके से अपने चरित्र का निर्माण कर सके। आज तो बिलकुल इसका उल्टा हो रहा है।

हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पुराने जीवन-मूल्य थे वे नष्ट होते जा रहे हैं और हो गये हैं। यह कसूर विद्यार्थियों का नहीं है। बड़े-बड़े लोगों का यह दोष है। बड़े-बड़े लोग लाखों रुपया कमा लेते हैं। जिनके पास शिक्षा नहीं, बुद्धि नहीं वे लाखों और करोड़ों रुपए किसी न किसी तरह से कमा लेते हैं या जो राजनीतिज्ञ हो गये हैं उनको यह विद्यार्थी दूर से बैठा हुआ देखता है और सोचता है कि योग्यता न रहते हुए भी कैसे यह रुपया कमा लेते हैं वह निराश हो जाता है। आज चरित्र निर्माण की जगह राजनीति ने ले ली है। कोई आदर्श नहीं रह गया है।

दूसरी बात यह है कि आज विद्यार्थियों के लिए अनुशासन की बात कही जाती है। मैं इसके साथ ही एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों का हृदय कोमल होता है। आदर्श किसे कहा जाता है? आज आदर्श वह गवर्नमेंट है जिसके पास कि कोई मोरल स्टैंडर्ड नहीं रह गया है, साधन हीनों की गवर्नमेंट बनी जिन्होंने दल परिवर्तन कर लिया, गवर्नमेंट बनी जिन्होंने अनुशासनहीनता की, गवर्नमेंट बनी जिन्होंने अर्थकारी को सबसे बड़ी चीज माना और उसको बड़ी कीमत दी। तो आज कोई मोरल स्टैंडर्ड नहीं रह गया है। मान्यवर, विद्यार्थी किसको देखे। आदर्श तो विद्यार्थी अपने बड़े लोगों से ही लेते हैं। मैं उदाहरण के लिए पुराने नेताओं का ही नाम लेता हूं। हमारे निजलिंगप्पा जी हैं, मुरार जी देसाई है, श्री सादिक अली है उन पर सरे बाजार थूका गया, और उनको अपमानित किया गया। हमारा युवक वर्ग आप द्वारा बतलाये गये आदर्शों को ही अपने सामने रखता है।

आप अनुशासन की बात समझते हैं? कौन अनुशासनहीन है? आज अनुशासन क्या है, आज विद्यार्थी आपके काबू से बाहर है। जब आप विद्यार्थी समाज की समस्या हल नहीं करते तब वह प्रजातांत्रिक तरीके से दूसरा तरीका निकालता है। आप उसकी मांग को नहीं स्वीकार करते तब वह सड़क पर आकर निपटता है और तब आप उसकी बात सुनते हैं। आप आंध्र की स्थिति देख लें, मद्रास की स्थिति देख लें, इनके इतिहास को देख लिया जाय। जब रेल के डिब्बे जलाये जाते हैं, बसें जलाई जाती हैं, तार जलाये जाते हैं और अन्य इस तरह की राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट की जाती है तो एक भी शब्द हमारी प्रधान मन्त्री या कांग्रेस दल वालों के भाषणों में नहीं आया, यह आवाज नहीं निकली कि राष्ट्र की सम्पत्ति नष्ट हुई है या हो रही है। या जिसने भी ऐसा किया हो उसे दंड देकर आप विद्यार्थी समाज के सामने एक मिसाल रखी जाती कि जो भी राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुक्सान करेगा उसे इस तरह की सजा मिलेगी। जब प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी कोई मांग पेश करता है तो उसको आप नहीं मानते लेकिन जब वह उसकी पूर्ति

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

के लिए सड़क पर आकर आपसे निपटने के लिए तैयार हो जाता है तब उसका हल खोजा जाता है। ये सारे उदाहरण विद्यार्थी समाज के समाने आपने रखे हैं और उसी आदर्श को अपने सामने रखते हुए विद्यार्थी भी अनुशासनहीनता व तोड़ फोड़ की बात करते हैं।

आपकी तरफ से ही लखनऊ में जनसंघ का दफ्तर जलाया गया, दिल्ली में कांग्रेस (ओ०) के दफ्तर पर जबरदस्ती कब्जा किया गया आखिर विद्यार्थी भी अपने महाजनों को देखते हैं, अपने प्रधान मन्त्री और अपने मुख्य मन्त्री को देखते हैं और उसी को आदर्श मान कर चलते हैं। इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार आप हैं। आपके दल ने ही मारेल स्टैन्डर्ड को नीचे गिरा रखा है, सारे समाज के स्टैंडर्ड को गिरा रखा है राष्ट्रीय चरित्र को गिरा रखा है। करीब 40 लाख विद्यार्थी सारे भारतवर्ष में हैं। और 55 करोड़ में युवकवर्ग की संख्या 33 करोड़ है। आपने सारे देश का सर्वनाश किया है और अपने जीवन के आदर्श को सामने रख कर सारे समाज को आप लिये जा रहे हैं। तरुण का हृदय कोमल हुआ करता है, शिशु का हृदय कोमल हुआ करता है, वह अपने अगल बगल आपकी तरफ देखते हैं और उनके जीवन पर गहरी छाप आपके जीवन की पड़ती है। कहा जाता है कि विद्यार्थी उद्दण्ड हो गये हैं। बालक का उद्दण्ड होना तो स्वाभाविक है। आपने ही उसे प्रेरणा दी है जिससे वह उद्दण्ड हुआ है। उसके लिए सबसे बड़े दोषी आप हैं, इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। जब विद्यार्थी कोई आन्दोलन शुरू करता है तो उससे आप सड़क पर निपटते हैं, उस पर गोली चलाते हैं। खैर, इसका जिक्र तो मैं आगे करूंगा लेकिन वे उदाहरण आपसे लेते हैं और विद्यार्थियों को कलंकित किया जाता है।

मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि तोड़-फोड़ के जिम्मेदार आप हैं। जबकि इसके लिए एक शिगूफा यह निकला है कि इस तरह की सारी कार्यवाही विद्यार्थी ही करते हैं। विद्यार्थी तो उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ गिर जाय और उसे पानी दिया जाय। विद्यार्थियों का चरित्र गिर गया है, विद्यार्थी अनुशासनहीन है, इस तरह दुनिया भर के कलंक उन पर लगाये जाते हैं बजाय इसके कि जो उनको शिकायतें हैं उनका निराकरण किया जाय, यह बात सोची जाय। वायस चांसलर भी ऐसे रखे जाते हैं जिनके गुर्गे भी विद्यार्थियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं बजाय इसके कि उनको सही रास्ते पर लाया जाय। ये तो स्थायी कारण हैं। अस्थायी कारण है कि उनके पठन-पाठन की असुविधा है, प्रबन्ध में अन्धेर गर्दी प्राध्यापकों और प्राचार्यों का अपने विद्यार्थियों से सम्पर्क नहीं है

इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? मैं जनरल बात कह रहा हूं, कोई विशेष बात नहीं कह रहा हूं। ? मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि आज लगभग मेरी समझ अपने प्रदेश में 100 शिक्षण संस्थायें बन्द पड़ी हैं। पिछले पचीस वर्षों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, क्या कारण है। मैंने जो देखा यह कि हमारी जो समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं उनमें सब की सब स्थानीय (लोकल) हैं। अलग-अलग कालेज को ले लीजिये।

जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या मान्यवर, दूसरी है, वाराणसी विश्वविद्यालय की समस्या दूसरी है। हर चीज की समस्या है मगर आश्चर्य और दुख की बात यह है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि विद्यार्थियों की बहुत सी मांगों में औचित्य है आइसाबेला थोबर्न कालेज में गवर्नर महोदय ने भी यही बात कही है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने विद्यार्थियों की मांगों को उचित माना है। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर उनकी मांगें उचित थीं तो उनका समाधान करके बाकी मांगों के लिए कह देते कि हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी ने क्या किया इसमें मुख्य मन्त्री जी का कसूर नहीं है बल्कि इसमें वाइस चान्सलर का हाथ है। अगर आप गलत आदमी को ले लेंगे तो उसका गलत हाथ ही इस्तेमाल होगा। भूत को अगर आप लेंगे तो वह गलत

काम ही करेगा और अगर सही आदमी को लेंगे तो वह सही काम करेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने कथन पर विचार नहीं किया और कह दिया कि हम एक समिति का गठन करेंगे और सुना गया है कि वह समिति आज तक गठित नहीं हुई। अगर गठित हुई हो तो मुझे मालूम नहीं है। मुझे ठीक कर दिया जायगा। मुख्य मन्त्री जी घिर गये कि हमारे संगठन के जो विद्यार्थी हैं उनका नेतृत्व विद्यार्थियों के ऊपर कायम हो। वह इसी तरह से होगा जहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाय और उनको क्रश किया जाये। इस प्रकार से विद्यार्थियों की समस्या का हल करने का सवाल पीछे पड़ गया और संगठन के विद्यार्थियों के नेतृत्व का सवाल आगे आ गया। इसलिए वहां पर पुलिस पहुंच गई और उसने विद्यार्थियों की अच्छी खासी पिटाई की। पुलिस तो पिटाई कर सकती है। पढ़ाई नहीं कर सकती है। विद्यार्थियों के हाथ पैर टूटे, बहुत से जख्मी हुए, बहुत से जेलों में ठूसे गये और उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाये गये।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का क्या यही तरीका है कि उनके साथ लाठी से बात की जाय, उनको जेलों में ठूसा जाय। भोपाल में तो चान्दी के थालों में डाकुओं को भोजन कराया जा रहा है और यहां विद्यार्थियों के साथ ऐसी स्थिति होती है। अगर आप उनकी समस्याओं को कन्सीडर करने के लिए तैयार रहते तो मैं जानता। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी मजबूर थे कि हमारे संगठन का विद्यार्थियों के ऊपर नेतृत्व किसी न किसी तरह होन चाहिये। इसलिए विद्यार्थियों को जेलों में बन्द किया गया बहुतों का रेस्टीकेशन किया गया उनके ऊपर लाठियां चलाई गई लेकिन जो विचार माननीय मुख्य मंत्री पहले व्यक्त कर चुके थे उसको कार्यान्वित नहीं कर पाये। मैंने सोचा कि उनकी इच्छा रहते हुए फिर क्यों नहीं इसका समाधान हुआ। मैंने जो पहले बात कही है वही बात इसके तथ्य में है। अपने संगठन का नेतृत्व कायम करने के लिए वे असमर्थ रहे।

मान्यवर, क्या कारण है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 50 लाख रुपये का घोटाला है और विद्यार्थियों के चुनाव को रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त वहां के वाइस चांसलर के टर्म का 15/15 दिन के लिये एक्सटेंशन होता है। जब इलेक्शन ड्यू हुये तो माननीय राजेश्वर कुमारी बाजपेयी जी वहां गईं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थी हार जायंगे विद्यार्थियों के ऊपर से हमारे संगठन का नेतृत्व खत्म हो जायेगा। देखिये कैसी बात है कि इलेक्शन को रुकवाने के लिये पोलिटीकल हेड वहां जाता है क्योंकि उन को सूचना दे दी गई थी कि हमारे संगठन का नेतृत्व विद्यार्थियों के ऊपर नहीं हो पायेगा। उनके जाने से और चुनाव के रुक जाने से विद्यार्थियों के दिल को बड़ी चोट लगी। अब कोई न कोई तरीका निकाला जायेगा। फागजात फूंक दिये जायंगे और उसके लिये गलत नाम दे दिये जायंगे और आप का उल्लू सीधा हो जायेगा।

मैंने कहा कि आज इसका क्या कारण है? मैं दोहराऊंगा नहीं। तोड़-फोड़ का सारे समाज के सामने मामला रखता हूं। मैं दूसरा उदाहरण दे दूं यह नया बिल लाये हैं, मैंने उस को पढ़ा नहीं है लेकिन उससे सरकार की जकड़न और बढ़ाई जा रही है। पहले मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का उदाहरण दे दूं तब आगे बढ़ूं। आप आश्चर्य करेंगे और दुनिया के सामने यह समझने की बात है, हमारे वाइसचांसलर वहां पर बड़े पालिटिशियन हैं, सुविख्यात एजूकेशनिस्ट हैं और बड़े चतुर पुरुष हैं। उन्होंने हर जगह यही किया कि हर संस्था को वह राजनीति के अखाड़े में ला दें। उन्होंने यहां भी यही दिया। हर वाइस-चांसलर के बारे में थोड़ा थोड़ा ही कहूंगा। 27 सितम्बर को जब छात्र संघ ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग रखी तो उस के बाद फौरन् 29 सितम्बर को ही अचानक कालेज बन्द कर दिया गया। वहां एक प्राक्टर हैं बी० एन० श्रीवास्तव उनकी बड़ी करतूत है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मुझे सूचना मिली वह मैं बता दूं शायद वह सही हो कि उन्होंने वहां आग लगव दिया और वहां के प्रमुख विद्यार्थियों के वारन्ट ईशू होने की तैयारी कर दी। यह उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि अपने पालतू व्यक्ति के द्वारा आग लगवा दी गई। मुझे जिम्मेदारी से यह सूचना मिली है कि उन्होंने आग लगवायी और जब यह पोल खुली तो मालूम हुआ। अगर यह मसला अभी अदालत में जाय तो अदालत भी इसी नतीजे पर पहुंचेगी कि जिस पर हम पहुंच रहे हैं। ओंकार नाथ पचौरी को इस आगजनी की घटना में फंसाया गया। हम इस नतीजे पर ही पहुंचेंगे कि टाइप वहीं गिरेगा जहां उसको गिरना चाहिये, चोट कहीं भी लगे। विद्यार्थियों के नाम एफ० आई० आर० में लिखा दिये गये और वह जेल में बन्द हुये तो पता चला कि नाम निकलवाने पर। आप इस पर गौर करें कि किसने आग लगवाई। विन्दवासनी कुमार कानपुर में गिरफ्तार हुए। उनको भी अगुआ समझा गया तो उनके खिलाफ भी जाल रचा गया और उन का भी नाम लगाया गया बाद में। इससे हम किस नतीजे पर पहुंचें ?

आग किसने लगाई इसकी हमारे पास सूचना है, वह वाइस चांसलर ने लगवायी क्योंकि वह सरकार के कृपापात्र हैं और वह समझते हैं कि यह उसी की कृपा है कि उन्हें इस आसन पर बिठा दिया। उन्होंने पद पर आने से पहले बहुत सी शर्तें लगाई कि हम व्यक्तिगत व्यापार करेंगे तभी वाइस चांसलरी स्वीकार करेंगे, वर्ष में केवल 3 मास ही काम करेंगे, मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि उनकी तमाम शर्तों को मान लिया गया। उनकी योग्यता चाहे कुछ भी हो लेकिन एक योग्यता तो है ही कि वह विद्यार्थियों में फूट डालकर अपनी राजनीति चलाने में कुशल हैं और उन्होंने एक अखाड़े में विद्यार्थियों को लाकर खड़ा कर दिया। राजनीति को कालेजों से बाहर रहना चाहिये लेकिन वह राजनीति को वहां ला रहे हैं।

बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमारे शंकर जी अधिक कहेंगे मैं थोड़े में ही दूसरी बात कहना चाहता हूं। वहां के वाइस-चान्सलर के बारे में मैं केवल एक बात ही कहूंगा, वह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हैं, पंडित जी की सद्भावना के होते भी एक चीज वहां हो रही है, आप को अनुमान हो जायेगा कि इनकी राजनाति कहां जा रही है। अपनी मांगों के संबंध में वहां 7-12-72 को छात्र इकट्ठे हुये लेकिन 6-12-72 से ही, पहले यहां यह प्रचार किया गया कि विद्यार्थियों की मांगें हम ने मांग लीं और 7-12-72 को अखबार में मांगों की पुष्टि हो गयी और उसके बाद ही फौरन यह सूचना पहुंची कि एक समिति गठित कर दी गयी है। इस भ्रमजाल में फंसकर विद्यार्थियों ने कहा कि इसको तो स्पष्ट करा लिया जाय कि सच्चाई क्या है। इस की सफाई के लिये बड़ी संख्या में वह लोग वाइस-चान्सलर के पास गये। उसी दिन वहां गवर्नर साहब आने वाले थे विश्वविद्यालय में भोजन के लिये और क्लार्क होटल में उनके आदर सत्कार की व्यवस्था थी, विद्यार्थी वहां गये और जाकर उनसे कहा कि आप ही हमारा मध्यस्थता करा दीजिए ताकि असलियत मालूम हो जाय और संकट दूर हो जाय।

लेकिन होता क्या है। 4 को वहां पर गिरफ्तार किया गया, घोड़े चलाए गए और उन पर दमकल से पानी छोड़ा और फिर लाठी से पिटाई हुई। विश्वविद्यालय में 300 छात्रों की बुरी तरह पिटाई हुई और वह घायल हुए। वे आज जेल में लेकिन कोई इन 300 घायल विद्यार्थियों को देखने नहीं गया। मैं जानता हूं कि केन्द्र की यूनिवर्सिटी के नाते ऐसा किया गया और जो मैं कहता वह सही है या गलत वहां पर कम्युनिस्ट लोग हैं और वहां के रजिस्ट्रार भी इसी प्रकार के हैं, मेरी प्रार्थना है कि पंडित जी अपनी सी० आई० डी० से इसका पता लगवालें।

माननीय, यह घटना हुयी है 17-11-72 को। जो एजूकेशनल डैकोअट्स हैं, बुरी तरह से मारे गये। 17 तारीख को आन्दोलन होता है। इतना बड़ा भ्रम होता है इन्टरप्रेट किया गया कि मारने के लिये आये और जब तक आपके दमकल नहीं चले लाठी चार्ज नहीं

हुआ, तब तक तख्ती नहीं उल्टी। विद्यार्थियों ने जब जुलूस निकाला तब लाठी नहीं चली। तो क्या कारण था कि आपने वहां पर पी० ए० सी० को घुसने दिया, सरकारी घोड़े चलवाये, मारपीट की गयी। वहां पर कहा गया कि हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में वे कैसे चलते हैं। आप बालकों को अपने बालक नहीं समझते हैं। मैं पंडित जी से कहता हूं कि वे सब बातें वाइस चैन्सलर पर क्यों छोड़ देते हैं। उदय प्रताप सिंह की हत्या हो गयी, कपूरी की हत्या हो गयी और उन्होंनें गवाही देकर सहीं बात कही। वहां पर एक राम नरेश सिंह विद्यार्थी स्टूडैन्ट्स फैड्रेशन बनारस का है वह वाइस चैन्सलर के साथ रहता है। एक वहां पर आलोक और शशी नाम के विद्यार्थी थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के नेता हैं वे मारे गये। वहां पर आज बड़ी ही सोचनीय स्थिति है, आज वाइस-चान्सलर की भी हत्या करायी जा सकती है।

तो ये बातें तो मैंने इलाहाबाद और बनारस की बतायीं। अब मैं कुछ बातें संस्कृत विद्यालय के बारे में कहना चाहता था लेकिन अब जब युनिवर्सिटी बिल हमारे सामने आयेगा, तब कहूंगा। इन विद्यार्थियों में कोई एम० ए० कोई एल० एल० बी० में पढ़ता होगा, उनके बारे में आप क्या समझते हैं। हो सकता है कि उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व न हुयी हो, लेकिन वे क्या समझते होंगे कि हमको फसाने के लिये इतनी गड़बड़ी की जा रही है। पहले एक विद्यार्थी के लिये भी वाइस-चासलर अपनी जिम्मेदारी समझते थे लेकिन आज कोई चिन्ता नहीं करता है ...।

आज यह नहीं हो सकता। एक मीटिंग हुई है। हमारे तमाम अध्यापकों को एक व्यक्ति ने कन्डैम किया है कि विद्यार्थियों के साथ संपर्क न रखना सुलझाने की कोशिश न करना मान्यवर, मैं अन्त में एक प्रस्ताव पढ़कर सुनाऊंगा। आज यह परिस्थितियां हैं कि कोई विश्वविद्यालय का अध्यापक वाइस-चान्सलर के सामने बोल नहीं सकता। मैं मान्यवर, उसको पढ़कर सुना दूं :—

"But we must also ask why it had happened. The main reason is that we had failed to establish rapport with the student community; we in BHU failed to understand the new spirit; and we signally failed to associate the student community even small decision making levels. It may be that the old Heads of Departments are too old fashioned; at any rate, their minds are made up, and they had committed themselves to particular rigid stands and attitudes; and therefore he suggested that they all step down so that young could handle the situation afresh and bring in a new look.

Similarly, he suggested that the V. C., Dr. K. L. Shrimali, also might consider stepping down so that a new V. C. without rigid stands could handle the situation better. (Loud cheers greeted this suggestion.) Referring to the loud cheers from about 70 per cent of the audience, Dr. Rao said that it indicated that V. C. had lost the confidence of the teaching community. There were obvious reasons for it.

(*a*) Academic standards had fallen down; examinations and admissions became more confusing; Viva and seminars and tutorials have been tampered with, if not abolished etc. etc.

(*b*) The police were called in to handle the students more often, as if it were always a law and order problem. Dr. Rao particularly called it 'unfortunate' that Dr. Shrimali and all senior teachers (of his own Advisory Committee) should be lunching at Clark's hotel. 12 km. away, leaving hundreds of agitated students to be tackled by the police. (Dr. Rao particularly felt that the subsequent violence and closure of the University

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

could not have taken place if the V. C. and all teachers had been on the spot to listen to the students with tact and sympathy). The Police were also sent to one of the Hostels to make students 'vacate' it, where many of the students and also the warden were beaten by the police. (Dr. Rao called it also 'Unfortunate' and avoidable, especially because, it was said that 24-hour period —this had to be checked-up—had not yet expired). A V. C. who often calls the Police to 'beat' his students cannot be 'loved' by them, however at fault they might be."

आज यह स्थिति हो गयी है कि एक वाइस-चान्सलर अध्यापक कम्युनिटी के सामनें रेजूलेशन पास करते हैं। मान्यवर, हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट कहते हैं कि अप्वाइन्टमेन्ट्स गलत हुए हैं। एम० ए० जो पास नहीं हैं उनको प्रोफेसर बना दिया गया।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, थोड़ा-सा समय दे दीजिये। मान्यवर, संस्कृत यूनिवर्सिटी की दो चार बातें कह कर मैं छोड़ देता हूं। संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की 75 वर्ष की उम्र हो गयी वे पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। वे सहारा लेते हैं एक अन्य व्यक्ति का जिनका नाम मान्यवर, डा० विद्या निवास मिश्रा है। उन्हीं का सहारा लेकर आर्डर्स पास करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में राजनीति खेलती हो और दूसरों का सहारा लेकर काम करते हों। मान्यवर, उनको दूसरी यूनिवर्सिटी से इसी कारण हटाया गया जहां रहे गड़बड़ की। मैंने मुख्य मंत्री के पास बहुत सी चीजें भेजीं। एक कमीशन भी मुकर्रर हुआ जिसमें कितनी ही गल्तियां प्वाइन्ट आउट की गई। मान्यवर, गवर्नमेंट भी कहती है और सेक्रेटरी भी कहते हैं कि गलतियों को पढ़ा जा रहा है। जब इनका टर्म खतम हो जायेगा तब कुछ होगा। आज इन परिस्थितियों में कैसे विद्यार्थी अपना संतुलन न खो बैठें।

एक बात मैं कहता हूं राजनीति की। मुख्य मंत्री जी ने अनेक बार कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा कि राजनैतिक दलों को भाग नहीं लेना चाहिये। मैं उनकी बात हृदय से स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसकी शिक्षा का असर पड़ता है? जिसका आचरण उसके अनुसार हो उसका पड़ता है। अगर एक डाकू कहे कि राम-राम कहो तो कौन मानेगा? आज कांग्रेस शासन की स्थिति क्या है क्या यह बात छिपी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दीक्षित जी ने करोड़ो रुपया खर्च किया और मोटरों पर बैठकर युनिवर्सिटी का चुनाव लड़ाया। आज लखनऊ यूनिवर्सिटीमें भी हजारों रुपया आप खर्च करते हैं। आपका विद्यार्थी संगठन काम करता है। कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने जाकर इलेक्शन रुकवा दिया। एक बात मैं जानता हूं, पंडित जी के हृदय में भावना रहते हुंए भी कि विद्यार्थियों को छोड़ना चाहिये, लेकिन कुछ ऐसा चारो तरफ से जाल बना है कि वह नहीं छोड़ पाते। जानबूझकर फर्जी जुर्म लगाकर उनको बन्द रखते हैं। किसी भी सरकार के लिये वह घृणित है।

कितनी ही एवजाम्पिल्स होंगी कि पालिटीकल मैन के कहने पर पुलिस ने छोड़ दिया है, लेकिन जहां राजनीति का रंग चढ़ गया तो दुनिया की सब चीज बदल जाती है। विद्यार्थी जो कि कोमल है, बच्चों की तरह है, न आप उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट् करते हैं और न वी० सी० करते हैं। आप कहते हैं कि विद्यार्थी उच्छृंखल हैं। मैं कहता हूं कि आज पालिटीशियंस भी उच्छंखल हैं। मैं अपने लिए समझता हुं कि लोग समझते होंगे कि मैं पचास प्रतिशत ठीक आदमी हूं लेकिन मैं समझता हूं कि मैं बीस प्रतिशत ही ठीक हूं। तो आज यह समाज की स्थिति है। आज लाठी मारकर गोली मारकर रस्टीकेशन करके आप नहीं चल सकते। इसका हल ढूंढ़ना होगा। हमारे 33 करोड़ विद्यार्थी और शिशु समाज को जब इस रूप में देखेंगे तो क्या होगा? इंडोनेशिया का और फ्रांस का उदाहरण दूर नहीं है, जहां शासन को पलट दिया था।

अब, श्रीमन्, राजनीतिक की तरफ से मैं फिर आता हूं। सन् 42 में इसी कांग्रेस ने विद्यार्थियों का प्रयोग किया। गुप्ता जी भी बैठे हैं। उनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है। 1942 में क्यों प्रयोग किया? आप दलील देगें कि राष्ट्रीय संकट था। आपने उनको इस्तेमाल किया। किया। फिर भी निरन्तर इलैक्शन में आपने उनको इस्तेमाल किया। इस अर्थ प्रधान अनुशासनहीनता के युग में, गिरते हुए मारल वैल्यूज के युग में, हमारी बहन प्रधान मंत्री के इलैक्शन में सारा युनिवर्सिटी का विद्यार्थी खोल दिया गया। एक आंधी आ गयी। हारे इसलिये नहीं कि आपके उद्देश्य कमाल के थे। एक आंधी थी। आज भी हर चीज आप अपने पन्जों में रखना चाहते हैं। तो आपने विद्यार्थी वर्ग का स्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे दल इस्तेमाल करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि विद्यार्थी परिषद् है, भारतीय युवजन सभा है..

मैं कहता हूं कि रात दिन कपड़े पर कंट्रोल करेंगे करेंगे कह कर सारा कपड़ा उड़ गया। समाज का कौन सा ऐसा अंग है जिस तरफ आपने राजनीति को नहीं घसीटा? विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी आपने राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आपकी राजनीति बैक डोर से इस पवित्र प्रांगण में भी प्रवेश कर गई है और उसका नाजायज लाभ आप उठा रहे हैं। आपने अपनी राजनीति से इस पवित्र वर्ग को भी अनैतिक बना डाला और उसके अन्दर भी ऐसी ही भावना भर दी जिससे कि वह अपने कार्य और कर्म को भूल गये। यह क्या है? आपको इस विषय पर भी विचार करना चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव हमारे विद्यार्थी वर्ग पर पड़ रहा है। आपको एक गोल मेज कान्फ्रेन्स बुलानी चाहिये जिसमें आपको इस बात की अगुआई करनी चाहिये कि विश्वविद्यालय का प्रांगण राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जायगा। इस गोल मेज कांफ्रेंस में आप पोलिटिकल लीडर्स को भी बुलायें और विद्यार्थी प्रतिनिधियों को भी। इस समस्या का समाधान आप करें तभी कुछ हो सकता है। यदि आप इसकी अगुआई करेंगे तभी दूसरे भी इसको करेंगे।

समाज में इमानदारी लाने के लिये आप अगुआई करें। यदि आपके कोई गुण हैं, मूल्य है तो क्या उसकी हम सराहना नहीं करेंगे? हमारे जो इमानदार मिनिस्टर्स हैं, जो अच्छे हैं हम जरूर ही उनकी तारीफ करेंगे, हाउस में कुछ भी कहें। यह हमारी अपनी सरकार है और हमारा समाज के इस वर्ग के प्रति कुछ दायित्व और कर्तव्य हो जाता है। हम पब्लिक में उसी चीज की आलोचना करते हैं जिसके चिथड़े हम अपने दातों से निकालते हैं। आपको इससे परे होना चाहिये। आपने विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है और इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आज विद्यार्थी किधर जांयें। मैं फिर कहता हूं कि आज एक गोलमेज सम्मेलन बुलायें। एक ही सहारा रह गया है। अगर यहां से राजनीति हट जाय तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। यह नहीं कि मकान खाली करो मकान खाली करो और खाली होने के बाद आप स्वयं उसमें जम गये। दूसरे के लिये जगह नहीं है। किसी न किसी राजनैतिक दल का, नेता का हाथ आ ही जाता है और स्थिति फिर उलझी की उलझी हो जाती है। आप को स्वयं उनके बचाने का उपाय सोचना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि मैंने यह अपील की थी कि हम सभी इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं।

मान्यवर, मेरी यह निश्चित राय है कि आप विद्यार्थियों को बिना शर्त छोड़ दें, एक गोल मेज कान्फ्रेन्स बुलायें जिसमें विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को बुलायें, प्राचार्यों को बुलायें, और विश्वविद्यालय ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधियों को भी बुलायें और तब इस समस्या को हल करें। मान्यवर, आज भी जब मेरे गुरु या भूतपूर्व अध्यापक आ जाते ह तो मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता हूं, आप भी ऐसा ही करते होंगे परन्तु आज क्या ऐसी ही स्थिति है? क्या हमारे अध्यापकों का उतना ही मान आज विद्यार्थियों में है? आज गुरु और शिष्य का सम्बन्ध समाप्त हो गया है। आपने 4,000 विद्यार्थियों का दाखिला कर लिया है और वे विश्वविद्यालय के बन्द होने के कारण घम रहे हैं। आज विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों में ही

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

में ही असन्तोष व्याप्त है केवल कांग्रेस दल के नेता सन्तुष्ट ह। मेरी प्रार्थना है कि विश्वविद्यालय के सारे विद्यार्थियों को तुरन्त ही रिहा किया जाय और इस प्रकार से एक स्वस्थ वातावरण बनाया जाय, गोलमेज कान्फ्रेन्स बुलाई जाये। ऐसा करने से स्थिति में सुधार होगा। मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि सरकार इस पर गम्भीरता के साथ विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में शिक्षा मंत्री जवाब देंगे। फिर गुप्ता जी को समय देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारे साथ वही होगा जो पहले हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या हुआ था?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमको आपने एक दफा मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

हम किसी को नहीं कहते हैं कि मौका नहीं देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं 40 मिनट ही बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं 50 मिनट।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

50 मिनट हमको भी चाहिए।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

जायसवाल जी को बोलने दीजिए। मुझे बोलने का बड़ा शौक नहीं है। लेकिन न मैं इसके दृष्टिकोण का समर्थक बनूंगा और कुछ बातों को छोड़ कर उनका भी (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का) समर्थक नहीं हूं। अधिकांशतः तो मैं इस समस्या को जानता हूं, आप के दृष्टिकोण को जानता हूं, इनके भी दृष्टिकोण को जानता हूं और उन लोगों के भी दृष्टिकोण जानता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारा नहीं जानते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

ये बहुत बोलना चाहें तो बोल लें। प्रेस वाले हैं। तो इजाजात है?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बड़े गौर से अपने साथी माननीय माधव प्रसाद जी के भाषण को सुना। उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें भी कहीं जिनका कि मैं स्वतः समर्थक हूं। अन्त में उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दलों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं उस बात का भी भारी मात्रा मे पोषक हूं और उसी दृष्टिकोण को सामने रख कर आज आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करना चाहता था, परन्तु उनकी कुछ बातों का पहले उत्तर दे दें यद्यपि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं कोई उधर के सामने बैठे साथियों के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता। आज जो सारे विद्यार्थी जगत में एक हलचल मची हुयी है, अपने प्रदेश में नहीं सारे देश में, उसमें देश के प्रायः सभी दलों का थोड़ी बहुत मात्रा में दोष है और सब दलों ने विद्यार्थियों को गलत दिशा दिखायी है। आज जो हलचल विद्यार्थियों में है मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हल चल सारी दुनिया के नव युवकों में पैदा हो गयी है और उसका एक नमूना हमें जगह-जगह अपने देश में भी दिखायी पड़ता है। भले ही जगह-जगह पर कुछ ऐसी बातें हो गयी हैं जहां विद्यार्थियों ने चाहे वाइस चांसलर महोदय के प्रति, चाहे अध्यापकों के प्रति, चाहे किसी समुदाय के किसी और व्यक्ति के प्रति अपना रोष प्रकट किया हो परन्तु वास्तविकता यह है कि आज की जो पीढ़ी है उसके विचार बदल रहे हैं और उन पीढ़ी के बीच से वे मान्यताएं जिनमें हम पले थे उठती जा रही हैं। अब यह कहना कि अनुशासनहीनता को सामने वाले साथियों ने बढ़ा दिया बहुत उचित नहीं है। बढ़ा तो उन्होंने दिया, इसमें तो असत्य बात नहीं है, लेकिन अनुशासनहीनता को अपने ही प्रदेश में लीजिए सारे दलों ने मिलकर बढ़ाया और चलाया।

अनुशासनहीनता तो अपने प्रदेश में अधिक मात्रा में एक व्यापक ढंग से सन् 1967 में ही आयी और सन् 1967 में प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी सभी दलों ने बढ़ायी और अनुशासनहीनता को बड़ी रेस्पेक्टिबिलिटी प्रदान की। आज इस बात को कहना कि सामने बैठने वालों ने ही उस अनुशासनहीनता को बढ़ाने में बहुत हिस्सा लिया है ठीक नहीं है। वह बात तथ्य से परे है। हां यह सही है कि इतने बड़े समुदाय को बहुत भारी मात्रा मे अनुशासनहीन बना दिया गया है। उसकी जिम्मेदारी माधव प्रसाद जी पर भी है, जायसवाल जी पर भी है और कम्यूनिस्ट भाई जो चले गये उनके ऊपर भी है, पी0 एस0 पी0 उस समय हुआ करती थी उनके ऊपर भी है और बी0 के0 डी0 के हमारे नेता जी हैं नहीं, व सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं उस अनुशासनहीनता के लिये और सब लोगों ने मिल कर ही यहां पर अनुशासनहीनता को उभाड़ा। इसलिये इस गाली गलौज स वातावरण को विषाक्त बना देने से कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है और न इस बात से मतलब सिद्ध होने वाला है कि हम उसे इस वाइस चांसलर पर या उस वाइस चांसलर पर अपना रोष प्रकट करें। आज इस बात की आवश्यकता नहीं है बल्कि इस बात की आवश्यकता अवश्य है कि विश्वविद्यालयों में जो एक प्रकार का वातावरण रहता था उसका स्तर उत्तरोत्तर घटता जा रहा है और इन 25 वर्षों में, मरे कार्यकाल में भी और मरा कार्यकाल बहुत जमाने तक रहा है, जो भी परछाई दखता हूं वह उत्तरोत्तर विश्वविद्यालयों में घटती जा रही है।

अध्यापकों और विद्यार्थियों का जो सम्बन्ध एक रेजीडेंशियल यूनियनर्विसटी के विश्वविद्यालय में जो होना चाहिये और जो अपने प्रदेश में कायम हुआ था, उसके अनुरूप काम नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे केन्द्र की सरकार और चाहे आपका ग्रान्ट्स कमीशन कितनी मात्रा में रुपया देता जाय लेकिन आज सम्पर्क विद्यार्थियों और अध्यापकों का जो होना चाहिये था वह बिलकुल घटता जा रहा है। क्या आज है। अध्यापक गण लेक्चर दे देते हैं और उसके बाद उसका विद्यार्थियों से कोई सम्पर्क नहीं रहता है जबकि आशा की जाती थी कि विश्वविद्यालयों में ट्यूटोरियल सिस्टम के जरिये से विद्यार्थी और अध्यापक का सम्बन्ध बढ़ेगा परन्तु विद्यार्थी किस हालत में रह रहा है, किस हालत में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है उसकी जानकारी अध्यापक को नहीं है। आज हो क्या रहा है। क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में, क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, क्या विद्यार्थियों और अध्यापकों का सम्पर्क उस प्रकार से है जिस प्रकार होना चाहिये। यह वास्तविकता है कि आज का वाइस चांसलर चाहे वह लखनऊ विश्वविद्यालय का हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हो, चाहे वह बनारस के संस्कृत विश्वविद्यालय का हो और चाहे बनारस विश्वाविद्यालय का हो क्या उसका और विद्यार्थियों का वह सम्पर्क है, क्या वह कभी

[श्री चंद्रभानु गुप्त]

जहां विद्यार्थी रहते हैं महीने में एक मरतबे, 6 महीने में एक मरतबे कहीं उनके हास्टलों में घूमता फिरता है, क्या वह कभी विद्यार्थियों के बीच में बैठ कर उसे उनकी समस्याओं की चर्चा करते हैं नहीं करते है और नहीं जाते हैं।

ये तनख्वाह लेते हैं और जो कार्य है विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारी क रूप में उसे करना चाहिये वह नहीं करते हैं और विश्वविद्यालयों में जगह जगह पर अध्यापकों की राजनीति है चाहे वह बनारस विश्वविद्यालय में रहे हों, उस जमाने को मैं भूला नहीं हूं जब हमारे आज के मुख्य मंत्री कभी गृह मंत्री भी थे और उन्होंने वनारस विश्वविद्यालय के मसले में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप का समर्थन किया था, उस समय मुख्य मंत्री सम्भूपूर्णानन्द जी थे और अध्यापक में राजनीति उस समय भी थी। जो भी वाइस चांसलर वहां आता था, चार पांच वाइस चांसलर रहे हैं और प्रत्येक से मेरी जान-पहचान रही है और एकाध से तो काफी जान-पहचान रही है वह कहते रहे हैं कि यहां अध्यापकगण दल बनाते हैं और दल बनाकर वाइस चांसलर को हटाने का प्रयत्न करते रहते हैं। उसी प्रकार की राजतीति थोड़ी बहुत मात्रा में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फैली हुई है चाहे वह इलाहाबाद का विश्वविद्यालय हो, लखनऊ का विश्वविद्यालय हो और उस राजतीति की परछाई विद्यार्थियों पर बराबर पड़ती है।

1953 में भी लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था और उसमें काफी मात्रा में अध्यापकों का हाथ था और एक खास राजतीतिक दल का बहुत बड़ा हाथ था। मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन वह राजनीतिक दल विद्यार्थियों के बीच काफी असें से कार्य करता रहा है और अपनी राजतीति को चलाता रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इन विश्वविद्यालयों की समस्या को हल करना है और विद्यार्थियों के बीच में एक अच्छा वातावरण पैदा करना है तो विश्वविद्यालय कानून में छोटे-मोटे परिवर्तन लाने से यह नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। हम सब ने जिन्होंने इस देश की राजतीति को 25–30 साल तक चलाया हैं उन्हें गम्भीरता से विचार करना है और शिक्षा की पद्धति में कुछ ऐसे परिवर्तन लाने है जिससे कि विद्यार्थियों जो की जो समस्याएं है वह हल्की पड़ें। आज जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं मुझे उनसे पूरी मात्रा में सहाभूति है। मैं उनके जो प्रश्न है उनको हल होते हुए देखना चाहता हूं। आज जो विभिन्न राजतीतिक दल हैं वह भी उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन आज कितने दल हैं जो उनकी समस्याओं के लिये अपना समय व्यतीत करते है जो विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न तरह से एकत्र करते हैं उसमें से उनके ऊपर कुछ खर्च करते हों। कितने दल हैं जो उनके रहन-सहन या पुस्तकें खरीदने पर कुछ खर्च करते हैं।

आज विद्यार्थियों की जगह-जगह पर समस्याएं हैं। उनकी पुस्तकों की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, रहने की समस्या है। आज गरीब विद्यार्थी टेक्स्ट बुक खरीदने में असमर्थ है क्योंकि टेक्स्टबुक की कीमत बहुत बढ़ गयी हैं। आज सरकार भी कोई कदम नहीं उठा पा रही हैं। सरकार को चाहिए कि जगह-जगह पर बैंक बुक इत्यादि स्थापित करके टेक्स्टबुक खरीद कर विद्यार्थियों को वितरित करे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सुबह से शाम तक दस बीस विद्यार्थी मेरे पास न आते हों। कोई किताब चाहता है तो कोई रहने की व्यवस्था चाहता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हथकंडों के लिए तो उनकों इस्तेमाल करना चाहते है लेकिन, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, उन की समस्याओं के हल की तरफ क्यों नहीं कोई कदम उठाते। आज विद्यार्थियों को नई दिशा पकड़न के लिए आवश्यक है कि उनकी समस्याओं को हल किया जाय। कहीं पुलिस और फौज के जरिये समस्याएं हल की जाती है। यह शर्म की बात है कि कोई भी वायस चांसलर विद्यार्थियों के बीच में रहने में असमर्थता प्रकट करे। लखनऊ विश्वविद्यालय के वायस चांसलर मेरे मित्र हैं। मुझ उनकी यह बात पसन्द नहीं आयी कि जहां वी० सी० को रहना चाहिए वहां नहीं रहे और चौक में जाकर रहे। अगर वी० सी० इतना मारल करज नहीं

रखता है कि वह विद्यार्थियों के बीच रह कर, यदि वह गलत काम काम करते हैं, उन्हें सही मार्ग पर चला सकेगा तो ऐसे वी० सी० को नहीं रहना चाहिये वह श्रीमाली हों, त्रिपाठी हों या बाबू राम सक्सेना हों ।

आज हर क्षेत्र में उस मारल अथारिटी का, जिससे नवयुवक सबक लेता है, ह्रास होता जा रहा है । चाहे यह सरकार हो, इसके मंत्री हों, चाहे भारत की सरकार के मंत्रिगण हों, सबने अपनी मारल अथारिटी जगह जगह पर खो रखी है । दिल्ली में विद्यार्थी अन्दोलन करते हैं, वाइस-चांसलर को धमकी देते हैं और उसके कमरे में घुस जाते हैं, लखनऊ में भी आन्दोलन करते हैं । तो क्या प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री उन विद्यार्थियों को फेस नहीं कर सकते ? माना कि विद्यार्थी ईट चलायेंगे, ऐसी चीज भी करेंगे जो कि अशोभनीय होंगी, लेकिन क्या हमने अशोभनीय बातों को अंग्रेजो के जमाने में सहा नहीं है और क्या हमने गांधी जी से यह दीक्षा नहीं प्राप्त की थी कि उन अशोभनीय बातों का भी मुकाबला करेंगे ? क्या पहले मुकाबला नहीं किया था 1953 में और क्या 3–4 दिन के अन्दर उस आन्दोलन को खत्म नहीं कराया था ? तो क्या वजह है कि सब कालेज, विश्वविद्यालय बन्द कर दिये जायं ?

विद्यार्थी अगर गलत बातें करते हैं तो क्यों नहीं उनको समझा कर, उनको डांट कर, डपट कर उनको सही रास्ते पर चलने के लिए व आंमत्रित कर सकते हैं । आज गलत बातों का मुकाबला कौन करेगा ? क्या गोली से करेंगे, क्या पुलिस के जरिये से करेंगे ? यह मेरी समझ में नहीं आता है । और वह लोग, वह संस्था जिसने गांधी जी से दीक्षा पायी है, यदि वह आवश्यकता पड़ने पर गोली और डंडे का प्रयोग करे तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि विद्यार्थियों के कानून तोड़ने पर भी उनको छेड़ा न जाय, उनको रोका न जाय । ऐसा मैं नहीं मानता और ऐसा सरकार को मानने देना भी नहीं चाहिये । सरकार का भी कर्त्तव्य है कि अगर विद्यार्थी समझाने-बुझाने पर भी गलत बात करते हैं, कानून को भंग करते हैं और सलाह देने के बाद भी सलाह को मानते नहीं हैं तो जो कानून की कार्यवाही हो वह की जाय । लेकिन उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिये, उनको पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाना चाहिये ।

आज आप कितने गरीब विद्यार्थी की फीस माफ कराने में मदद देते हैं ? कितनों को स्कालरशिप देते हैं और कितनों को किताबें खरीदने के लिए पैसा देते हैं और रहने के लिये प्रबन्ध करते हैं ? यह सरकार को विचार करना है । बहुत से विद्यार्थी अनाप-शनाप बातें भी करते हैं । आज जो विद्यार्थी भी सेलेक्शन कमेटी में बैठेगा और चूंकि समय की मांग है, आप बैठाइये । लेकिन मैं विद्यार्थी को सेलेक्शन कमेटी में बैठाने का हामी नहीं हूं । मैंने पढ़ा कि बनारस विश्व विद्यालय में जो अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे उनकी सेलेक्शन कमेटी में भी विद्यार्थी आबजरवर के रूप में बैठेगा । इसका क्या मतलब है ? उस सिलक्शन कमेटी में बाहर के चांसलर, की तरफ से जो चुने हुये व्यक्ति जाते हैं नामजाद किये जाते हैं वह भी बैठते हैं और 3–3 एक्सपर्टस बैठते हैं । उनके दल में एक विद्यार्थी जाकर क्या तय करेगा ?

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

उसके तौर तरीके देखेंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आप तो मास्टर रहे हैं ? मुझे मालूम है आपकी हरकतों की, मैं चर्चा नही करना चाहता । खैर मेरा विचार है ,हो सकता है कि वह प्रतिक्रियावादी है । आप तो सब क्रान्तिकारी हो गये हैं ना ? आप क्रान्तिकारी बातें लाना चाहते हैं, लेकिन मैं लड़कों को धोखा नहीं देना चाहता ।

जो बिल आया है उसमें है कि विद्यार्थी कोर्ट में भी होंगे । क्या मतलब होता है ? साल में एक बैठक होती है विद्यार्थी भी पहुंच जायेंग और क्या होगा ? जो बिल आया है मैं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बिल्कुल उसको नापसंद करता हूं। ऐसा है उसमें कि जो विश्वविद्यालय का स्वायत्तशासन था उसके अन्तर्गत विश्व विद्यालय कुछ अपने प्रयास से भी संस्थायें निर्मित करता था। मालवीय जी ने तो इतनी बड़ी संस्था बनारस में खड़ी कर दी, अलीगढ़ में भी एक बड़ी संस्था बनी और बाद में केन्द्रीय सरकार ने और प्रदेशीय सरकार ने भी मदद की। लखनऊ विश्व विद्यालय के अन्दर भी काफी संस्थायें बनायी गयीं। आज उस स्पिरिट को अपने अधिकार में तमाम चीजों को लेकर खत्म कर देना चाहते हैं। हमारी पीढ़ी तो चली भी गयी और यह पीढ़ी भी बहुत से जो बुजुर्ग बैठे हैं जाने वाली है। जो कल आने वाले हैं उनको प्रेरणा क्यों नहीं देते हैं कि वह अपने प्रयासों से भी मेहनत करके संस्थाओं का निर्माण करें और निर्माण करने का इनिशिएटिव लें।

आज सारे इनिशियेटिव को आप उस बिल के द्वारा ले रहे हैं। खैर, आज यह अकेजन नहीं है इस बात को कहने का। अगर आप वास्तविक रूप में समस्या का हल निकालना चाहते शिक्षा की पद्धति में, यद्यपि मैं शिक्षा का विशेषज्ञ नहीं हूं, उधर सब हमारे शिक्षा के क्रान्तिकारी विशेषज्ञ बैठे हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसने शिक्षण संस्थाओं में कुछ कार्य किया है और उनके निर्मित करने में कुछ हिस्सा भी लिया है यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षा की पद्धति बनी हुई है कि एक इंटेलेक्चुअल शिक्षा हमने दे दी और सारा अन्त हो गया विद्यार्थी को पढ़ाने का। मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसे अवश्य एक नया मोड़ देना चाहिये। इंटेलेक्चुअल शिक्षा के अलावा आज जो प्लेग्राउन्ड की शिक्षा है वह भी अधिक मात्रा में देनी चाहिये। यों तो सरकार ने कह रखा है कि हर स्कूल के पास एक प्ले ग्राउन्ड होना चाहिये लेकिन इन 25 वर्षों में हमने शहरों में उनको प्लेग्राउन्ड्स उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे स्कूल हैं जिनके पास कोई प्लेग्राउन्ड नहीं है, विद्यार्थी किसी भी खेलकूद में हिस्सा ही नहीं ले सकते।

आज इस बात की आवश्यकता है कि विद्यार्थी जहां अधिक से अधिक समय क्लास में व्यतीत करते हैं वहां उनको उन अन्य कार्यों में लगाना चाहिये जिससे कि उनका समय उपयोगी कार्यों में व्यतीत हो ताकि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के साथ उनकी फिजिकल ग्रोथ भी हो और सोशल ऐडजस्टेबिलिटी जो कि प्ले ग्राउन्ड पर बढ़ती है वह भी बढ़ती रहे। आज उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर हम एन० सी० सी० और पी० ई० सी० को कम्पलसरी कर दें और उसके लिये जो सर्टिफिकेट देते हैं उसमें नम्बर इत्यादि देने की बात भी रखें तो बहुत से विद्यार्थी जो अपने सायंकाल को घूमने फिरने और सिनेमा इत्यादि देखने में समय व्यतीत करते है उसमें लगायेंगे और विश्वविद्यालय में नवीन उपलब्धियां प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जिनके द्वारा वह आगे आने वाले जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आज गरीब विद्यार्थियों के लिये इस बात की आवश्यकता है कि बड़े-बड़े शहरों में जहां विश्वविद्यालय स्थापित हैं और उद्योग धंधे भी चालू है थोड़ी बहुत मात्रा में कमाई करने के लिये उनको पार्ट-टाइम काम करने की दिशा दिखायी जाय।

आज जब सरकार तमाम इंजीनियर्स को इंस्टीटचूशनल फाइनेंस देने की बात करती है तो क्यों नहीं उस दिशा में कदम उठाया जाता है। आज जो रेनुकोट में अल्यूमीनियम का कारखाना बना हुआ है, यहां तो बिड़ला के नाम से चिल्लाहट मच जाती है, चाहे उसका राष्ट्रीकरण कर दीजिये, लेकिन जो भारतवर्ष के अल्यूमीनियम के उत्पादन को आधे से ज्यादा अल्यूमीनियम पैदा करते हैं उसको इंजीनियरों में और विद्यार्थियों को छोटे उद्योगधन्धों में लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं वह क्यों नहीं करते और विद्यार्थियों को पार्ट-टाइम वर्क क्यों नहीं दिलाते हैं। आज कोई विद्यार्थी ट्यूशन की तलाश में आता है, कोई वजीफा की तलाश में आता है। तो मेरा मुख्य मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से यह नम्र निवेदन है कि अगर आप इन विद्यार्थियों को सही रास्ते दिखाना चाहते हैं तो आपसी गाली-गलौज को तो खत्म कीजिये और उस दोष को स्वीकार कीजिये, आप भी उसमें हिस्सा लेते हैं, कोई भी मंत्री अपने लड़के

को तो रोक नहीं पाता, उनके लड़के विद्यार्थियों में हजारों रुपये खर्च करते हैं और विद्यार्थियों का दल बनाते हैं। उनकी नकल दूसरे लोग करते हैं। दिल्ली में मैं नाम तो नहीं जानता कि कौन-कौन रुपया खर्च करता है लेकिन मुझे ऐसा लोगों ने बताया कि विद्यार्थी 30–30 और 40–40 हजार रुपया चुनाव में खर्च करते हैं। यह क्या पद्धति आप डालना चाहते हैं? आज देश में यही बुरी पद्धति डाल दी गई है कि एक एक चुनाव में 80 लाख, 50 लाख रुपये खच होते हैं।

यह रुपया आखिर आता कहां से है? यह रुपया तो गलत आदमियों से और गलत ढंग से ही आता है। अगर इस रुपये को विद्यार्थियों के बीच में और चुनाव के लिये खर्च किया जायेगा तो आप इनकी समस्याओं को हल नहीं कर पायेंगे। केवल नारों से समस्या हल होने वाली नहीं है। माननीय त्रिपाठी जी ने जो कहा मैं भी उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूं कि अपने मतलब के लिये राजनीतिक दलों को विद्यार्थियों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिये। उसके लिये उनको उभारना नहीं चाहिये। आखिर देखने में यह भी आया है कि चुनाव के जमाने में विद्यार्थियों का इस्तेमाल किया जाता है, यह गलत है। यह कहा गया कि हमने भी 1920 में इलेक्शन में बायकाट किया था और विरोध में विद्यार्थियों का इस्तेमाल किया था, तो जो हमारे निर्देशों के खिलाफ खड़े हुये थ उनका हमने विरोध किया था। माननीय कमलापति जी भी जब आन्दोलन में भरती हुये थे तो उनके सामने दूसरा नकशा था। उनके सामने यह तस्वीर नहीं थी कि वे मुख्य मंत्री बनेंगे या मंत्री बनेंगे। उस समय हम लोगों के सामने आदर्श ही दूसरे थे। आज की सी अनुशासनहीनता नहीं थी। आज के विद्यार्थियों का वह आदर्श ही नहीं है जो हम लोगों के जमाने में था। जो आदर्श और त्याग की भावना गांधी जी ने सिखायी वह आज के विद्यार्थियों में अधिकांशतः नहीं मिलती। अब इसके लिये यदि हमारी कोई कमजोरी है तो उसे दूर करना चाहिये।

हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिये कि जिसकी हमारे छात्र नकल कर सकें। हमारी नकल करके हमारे पद चिन्हों पर चल सकें। वह तभी होगा जब हम उनको अपने हित के लिये इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह भी नहीं हो सकता कि विद्यार्थी सदैव जेल में बन्द रहें। जब हिन्दू महासभा का महन्त जी ने आन्दोलन चलाया था तो उस समय हमने और आचार्य नरेन्द्र देव जी ने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया था। विद्यार्थियों ने उस समय हमारे ऊपर ईंटें भी फेंकी थीं। ईंट से हमारे चोट भी लगी थी। मगर फिर भी हम उनको समझाने में ही लगे रहे और अन्त में 2–3 दिन में ही उनका आन्दोलन समाप्त हो गया। पुलिस के बल पर ही हम समस्या को सुलझा नहीं सकते। समस्या को ठीक तरह से पकड़िये और समझ कर उसका मुकाबला कीजिये बजाय इसके कि विश्वविद्यालयों को या कालिजों को बन्द कर दें। बहुत थोड़े विद्यार्थी होते हैं जो राजनीति आदि से प्रेरित होकर इस तरह के काम करत ह। उसका हल हम उनको जेल भेज कर या लाठी चला कर नहीं कर सकते। उनकी जो समस्यायें हैं उनको हमें हल करना होगा। आज इस शिक्षा में मूल परिवर्तन लाने की जरूरत है, मौलिक चीजों को विद्यार्थियों को सिखाने की जरूरत है जो आज सिखाई नहीं जातीं।

कोई मारेल की चीजें वे जानते ही नहीं। हमारी संस्कृति क्या रही है इसको उन्हें कोई तालीम ही नहीं दी जाती है। बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में जो अपने देश की संस्कृति है और धर्म की विवादग्रस्त बातों को सामने रखते हुए, उनके मौलिक तत्वों को आप उनको क्यों नहीं सिखाते है। आज आवश्यकता इस बात की है जो शिक्षाविद् हैं शिक्षा विशारद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं उनका एक सम्मेलन बुलाया जाए और उनसे नई प्रवृत्तियां जो विद्यार्थियों में पैदा करने की आवश्यकता है, जो शिक्षा मे तब्दीली करनी आवश्यक है, उनका हल खोजा जाए। और इस प्रकार से शिक्षा की नई प्रवृत्ति और परिवर्तित शिक्षा पद्धति को तय करके उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया जाए। तब विद्यार्थियों की समस्या हल हो सकती है

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]
और उन्हें एक नई दिशा में मिल सकती है और राजनैतिक दल भी अपने सही उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। कमलापति जी ने कहा था कि राजनैतिक दल इसमें हिस्सा न लें, तो इस कथनी और करनी के अन्तर को उन्हें स्वयं समाप्त करना होगा, वह भी इस पर अमल करें और अपने लोगों से पूरी तरह से अमल करायें। तभी इस समस्या का शीघ्रता से अधिक अच्छा हल निकल सकेगा। ये जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देखन को मिलती हैं और जो दुःखद है वे रुक सकती हैं। मैं इन चन्द सुझावों के साथ जो बातें मुझे कहनी थीं आपके सामने कह कर अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो बातें कहीं, उनसे मेरा काम बहुत हल्का हो गया, क्योंकि उन्होंने मौलिक बातों की ओर ध्यान दिलाया और कुछ सुझाव भी दिये, जिससे कि इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है और सम्भव ह उस प्रयास करन स कुछ लाभ भी हो जाए। त्रिपाठी जी की इस बात से मैं सहमत हूं और गुप्ता जी ने भी उसे दोहराया और मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति उसको मानेगा कि विद्यार्थियों की समस्या का समाधान लाठी-सोंटे पुलिस और फौज या जेल भेजने से नहीं हो सकता है। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। बड़े-बड़े राजनैतिक आन्दोलनों का समाधान केवल दमन करने से या लाठी-सोंटे से कभी हुआ नहीं, भले ही कुछ दिनों के लिए उसको बल प्रयोग करने से दबा दिया जाए। पर हमेशा वह दबे नहीं रहते हैं, उभड़ते हैं। फिर विद्यार्थियों पर लाठी-सोंटा प्रयोग करने की आवश्यकता पड़, तो यह चाहे कोई सरकार में हो या न हो, उसके लिए हृदय को बड़ा दुःख देने की बात होती है क्योंकि सबके घरों के लड़के पढ़ते-लिखते हैं, विद्यार्थी हैं और पढ़ने लिखने के लिए स्कूल-कालेजों म भेजे जाते हैं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इसमें गुप्ता जी को छोड़ दीजिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इनके तो लड़के-बच्चे हम सब हैं। सब इनके परिवार के रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि सबके बाल-बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके ऊपर यदि कहीं लाठी चल जाए, या कोई जोर जबरदस्ती हो जाए, गोली चल जाए या पकड़ कर जेल में बन्द करना पड़े तो किसी को उसमें सुख नहीं मिल सकता है। मैं त्रिपाठी जी से यह प्रार्थना करूंगा कि कभी राजनीतिक चक्कर चलते हैं—अब वह उधर बैठते हैं, अब हम इधर बैठते हैं। उनके उधर बैठने से और मेरे इधर आ जाने से, उनके दुर्भाग्य से मैं इधर चला आया, मेरे इधर चले आने से यह न समझ लें कि हम लोग बरबर हैं, राक्षस हैं, महापापी हैं, हमारा दिल बज्र है, और लड़कों के ऊपर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कैलस हो गये हैं, जानबूझ कर कुचलना और दबाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा विचार बना लेना बड़ी अनुदारता का द्योतक है। उन्होंने वकील की तरह बड़ी वकालत की, तारीखवार बताया, 17 तारीख को क्या हुआ, 15 तारीख को क्या हुआ? मेरे पास तारीख नहीं है न यह बता सकता हूं कि किस तारीख को क्या वाकयात हुए हैं। राज्य मंत्री के पास वह होंगे। तो भी उन्हें बताने से कोई हल नहीं निकलता ह। बात यह है कि जब विद्यार्थियों का आन्दोलन ऐसा रूप पकड़ता है, मांगों के सम्बन्ध में, चाहे किसी बात को चला कर, जो शान्ति व्यवस्था कीस्थिति यूनिवर्सिटी में, शहर में, उत्पन्न हो तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। यदि न किया जाय तो प्रश्न उठाया जाता है कि आपने प्रबन्ध क्यों नहीं किया। जब प्रबन्ध किया जाता है तो कभी कभी उसमें टकराव हो जाता है विद्यार्थियों से और बलप्रयोग हो जाता है। तब सरकार को भी लज्जित होना पड़ता है, हम सब दुखी भी होते हैं। वातावरण क्षुब्ध होता है।

मैंने अवश्य कहा कि राजनीतिक दलों को यथा सम्भव इस प्रकार का उपयोग विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी बात नहीं-कही और जिस वक्त मैंने इसका उल्लेख किया था मैंने कहा था कि पंडित अटलबिहारी बाजपेयी ने भी हाल में यही कहा था, मैं उससे सहमत था, अब वक्त आ गया है विद्यार्थियों के मामले में समस्त राजनीतिक दलों में एक ट्रूस हो जाय, एक संधी सी हो जाय, राजनीति में विद्यार्थी बहुत दिनोंसे भाग लेते रहे। सारा गांधी जी का आन्दोलन चला 1920 में और उसके बाद, उसमें विद्यार्थी आये। 1920–21 में त्रिपाठी जी की अवस्था उस समय आन्दोलन में आने की थी या नहीं थी मैं नहीं जानता, गुप्ता फी भी आये, हम भी आय, पकड़ कर जल में भेज दिय गय। स्कूल में पढ़ते थे। वह दृश्य देखा था, मालवीय जी, जिस मकान में हमारे वायसचांसलर रहते थे यहीं गांधी जी आ कर टिके। गांधी जी उनको बड़ा भाई मानते थे। गांधी जी कहा करते थे मालवीय जी को बड़ा भाई। एक कमरे में वह एक कमरे में वह। मालवीय जी विरोध करते थे। कहते थे विद्यालयों का बहिष्कार देश का हित नहीं है। मैं गांधीजी की इस बात से सहमत नहीं हूं। गांधी जी उन्हीं के बगल के कमरे में टिके हुए थे। हम लोग उनके यहां जाते थे और उनसे कहते थे कि आज्ञा दीजिये।

हम तो छोटे से थे, 15 वर्ष के, लेकिन जिन लोगों के साथ जा थे वह कहा करते थे कि आप आज्ञा दीजिये हम क्या करें ? वह जवाब देते कि आज्ञा मांगना हो तो वह आज्ञा मालवीय जी से मांगो क्योंकि वह बड़े हैं, हमारे भी बड़े हैं और आपके अन्तरात्मा की पुकार हो कि देश के हित में स्कूल कालेज छोड़ देना चाहिए तो मेरे साथ आओ। यह उत्तर वह दिया करते थे कि आज्ञा माननी हो तो मालवीय से मांगो और अन्तरांतमा कहती है कि गांधी जी जो कह रहे वह ठीक कह रहे हैं, उसी में देश का कल्याण है कि स्कूल और कालेज से निकल कर देश की स्वाधीनता में भाग लिया जाय, असहयोग आन्दोलन में भाग लिया जाय तो हमारे साथ आओ। एक यह राज नीति थी। उसमें एएक नैतिक स्तर था। एक साथ दोनों रहते थे लेकिन दो तरह के विचार थे। जब हम मालवीय जी के यहां जाते थे गांधी जी की बात सुन कर और कहते थे कि हम बाहर जाना चाहते हैं तो वह कहते थे जाना चाहते हो तो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, देश तुम्हारे साथ है। इस प्रकार विद्यार्थियों ने हमेशा आन्दोलन में हिस्सा लिया।

1942 के आन्दोलन का जिक्र किया गया। लोग पकड़े गये और जेल गये। पीछे जो हमारी पीढ़ी थी विद्यार्थियों की वह निकली और उस आन्दोलन को उन्होंने चलाया, उसके लिये बलिदान किया और बड़े कष्ट उठाये। उनमें आदर्श होता है, बलिदान करने की शक्ति होती ह। बड़े आदर्शों पर वे अपना जीवनउत्सर्ग कर सकते हैं जो आगे की उम्र वाले नहीं कर सकते। विद्यार्थीयों भावुक होता है। आज जो बात कही जाती है वह इसलिये कही जाती ह कि राजनीतिक दृष्टि से, दलबन्दी के आधार पर राजनीतिक उपयोग उनका करना है। देश पर कोई संकट आ जाय तब राष्ट्रीय अथवा अन्तरांष्ट्रीय एक प्रकार की राजनीति होती है और उसमें देश के विद्यार्थियों, नवयुवकों का प्रयोग हम सब करें तो दूसरी बात है लेकन दलबन्दी के नाते हम उनका प्रयोग करते है तो वह अनुचित बात हो जाती है। इस दृष्टि से अटलबिहारी बाजपेयी जी ने कहा होगा और हम भी उसे मानते हैं। अब पहले तुम करते हो, तुम हटो हम कहते हैं कि हम करते हैं तो भी और आप करते हैं तो भी वक्त आ गया है कि बाजपेयी जी के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। अब मैं यह कहूं कि कांग्रेस ने क्या किया, विद्यार्थी परिषद् ने क्या किया, युवजन सभा ने क्या किया तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, व्यर्थ का विवाद प बढ़ेगा जिसकी आज आवश्यकता नहीं है।

वाइस चांसलर के सम्बन्ध में कहा गया। मुझे तो दुख इस बात का है कि त्रिपाठी जी ने वाइस चांसलर के सम्बन्ध में इस प्रकार से कहा। वाइस चांसलर का पद बड़ा होता है। अब तो वह कुलपति होता है। अगर वाइस चांसलर के सम्बन्ध में हम ऐसे भाव प्रकट करें

[श्री कमलापति त्रिपाठी—]

तो यह खेद की बात है। ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर वाइस चांसलर के संबंध मेंहोगा तो उसकी क्या सत्ता अथवा प्रतिष्ठा रह जायगी विद्यार्थियों की दृष्टि में। मैं नहीं समझता कि आपको यह अधिकार हो सकता है कि किसी वाइस चांसलर से कह दो कि तुम चले जाओ। वह यहां उत्तर देने नहीं आ सकता आपकी बातों का। हम यहां कहें कि वह ऐसा करता है, वैसा करता है, वह तिकड़म करके विद्यार्थियों को कुचलना चाहता है, उनको फंसाना चाहता है ऐसी बातों को वाइस चांसलर के सम्बन्ध में यहां कहना कहां तक न्यायसंगत है? सरकार पर और मंत्रिमंडल पर आप लांछन लगा सकते हैं। वह यहां उत्तर दे सकती है लेकिन जो यहां नहीं उनके सम्बन्ध में इस तरह की बात करना कि वाइस चांसलर ने कुचक्र रचा उचित नहीं है। वह विद्वान हैं, पंडित हैं और उनको वह अच्छी तरह से जानते भी हैं। हम भी उनको जानते हैं। राष्ट्र म नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति वह हैं अपने विषय के। आपने कहा कि वह शर्तों के साथ आये। मुझसे कोई शर्त उनकी थी नहीं। मैं नहीं जानता कि शर्त थी या नहीं थी लेकिन वह यहां बिना किसी शर्त के बुलाये गये। कहा गया कि वह प्रिय पात्र हैं पंडित जी के। और प्रिय पात्र तो कोई विद्वान होगा वह हमारा और आपका ही होगा जो आपका प्रिय पात्र होगा वह हमारा दुश्मन नहीं है और हमारा जो प्रिय पात्र है वह आपका दुश्मन नहीं होगा। कोई शर्त लेकर वे यहां आये, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वे नहीं आना चाहते थे।

लखनऊ विश्व-विद्यालय के अन्दर कोई वाइस-चांसलर नहीं आना चाहता था। समझा बुझा कर वे यहां आये। इलाहाबाद में कोई वाइस चांसलर आने को तैयार नहीं है। साल भरहो गया कोई तैयार हो नहीं हुआ। न जाने कितने व्यक्तियों के लिये उसमें आने के लिये कहा गया और चेष्टा की गई कि कोई व्यक्ति यहां वाइस चांसलर होकर आ जायं। प्रदेश के अन्दर और बाहर दोनों जगहों से लोगों से आग्रह किया गया कि आप आये, आप आयें लेकिन वहां आने के लिये कोई तैयार नहीं। कहते हैं कि वहां पर विद्यार्थियों का बड़ा उपद्रव हो रहा है, वहां जाकर कैसे काम करे क्यों शांति से वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय के बारे में आक्षेप भी नहीं कर सकता हूं लेकिन इतना कह सकता हूं कि वहां पर एक कोई खास शक्तिशाली समूह उत्पन्न हो गया है। पिछले वर्षों में वहां पर कई घटनायें पैदा हो गई हैं। घटनायें बिलकुल भिन्न हैं। यह कहना कि यह निदेश दिया गया कि अगर वहां गवर्नर आयेंगे तो उनका घेराव किया जायेगा और विद्यार्थियों के कहीं चोट वगैरह आ जाय जो कि मुनासिब नहीं होगा। इस तरह से उनको रोका गया। तो ऐसी बात नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दस, बीस पचास या सौ विद्यार्थी एक महीने से लखनऊ यूनिवर्सिटी के बन्द हैं। वहां से बराबर पुलिस की मांग आती है कि उसे इन्टरफियर करना चाहिए। लेकिन हम इन्कार कर देते हैं। वे कहते हैं कि वहां पर खतरा पैदा हो गया है, आगजनी हो जायेगी, मारपीट हो जायेगी। उनसे हमने आग्रह किया कि आप विश्वविद्यालय को खोलें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके लिये एक समिति का संगठन कर दिया जाना चाहिए जिसमें कि छात्र प्रतिनिधि भी हों। उसके बाद जिस दिन विश्वविद्यालय खुला उसी दिन मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि हम वाक आउट करेंगे क्योंकि यह कमेटी बना कर धोखा दिया जा रहा है। मैंने उनकी मांगों को भी देखा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जब मैंने उनकी मांगों को देखा तो उनमें एक मांग यह थी कि लड़कों को बिना इम्तिहान दिये ही पास कर दिया जाय और फीस न ली जाय। एक मांग उनकी यह थी कि विश्वविद्यालय के लड़कों को एशिया 72 का फिगर देखने के लिये विश्वविद्यालय से खर्चा दिया जाय। तो इस प्रकार की बातें आती है। उनकी कठिनाइयां है, हम जानते हैं। उनको दूर करने की बात है। एडमिशन में कठिनाई होती है। यह हमारी कमजोरी है या हमारी योजनाओं की दुर्बलता है जिस तरह से शिक्षा का प्रसार हुआ उसी तरह से ऊपर की व्यवस्था हम नहीं कर सके हे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग मुझे मिले थे। उन्होंने

कहा कि 3 हजार विद्यार्थी एडमिशन नहीं पा सके, उनको वापस होना पड़ा। वहां के अधिकारियों ने बताया कि 5 हजार विद्यार्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भरती किये जा सकते है। उसी के हिसाब से वहां पर अध्यापक हैं, उसी के हिसाब से वहां पर लेबोरेटरीज हैं क्लासेज और उसी के हिसाब से वहां पर लड़कों के रहने के होस्टल्स हैं।

उन्होंने कहा कि वे 8 हजार विद्यार्थियों को भर्ती कर चुके हैं। और 3 हजार विद्यार्थियों को भरती करेंगे तो इतनी जगह भी नहीं रह जायगी कि वे खड़े होकर पढ़ सकें। यह समस्या है। शिक्षा का प्रसार जरूर हो रहा है। 66 लाख विद्यार्थी हमारी हाई स्कूल मरीक्षा में बैठते हैं और लगभग 9 लाख बच्चे इन्टरमीडिएट परीक्षा में बैठे हैं। उनके मां बाप यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। यह बात ठीक है जो कहा गया कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो लेकिन आज समस्या यह है कि ये बच्चे कहां जायं। 18 वर्ष की उम्र के बच्चे को कोई घर में बैठा कर तो रख नहीं सकता, उनको नौकरी मिल नहीं पाती। जब पढ़ने वालों को नहीं मिलती तो उनको कहां नौकरी मिल जायगी।

अब प्रश्न यह है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन पास किये हुए लड़के कहां जायं। सभी फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन पास किये विद्यार्थियों की भर्ती यूनिवर्सिटी में हो नहीं सकती। इसका नतीजा यह होता है कि विद्यार्थियों में क्षोभ फैलता है और उसमें उत्तेजना फैलती है। इसलिये हमको उनका समाधान ढंढ़ना है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक ये कोई समझे कि और डिग्री कालेज खोलने से यह समस्या हल हो जायगी, ऐसा नहीं है। बहुत से डिग्री कालेज खुले हुए हैं जिनमें विद्यार्थियों से भर्ती के लिये पैसा वसूल किया जाता है। बी० एड० क्लासेज खोलने के लिये कई आदमियों ने मुझपर भी दबाव डाले और जब उनके क्लासेज खुल गये तो यह शिकायत आने लगी कि लड़कों से 250 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये तक भर्ती के लिये मांगे जाते हैं। बी० ए०, एम० ए० के हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी भर्ती अगर दो हजार और तीन हजार रुपये देने पर हो तो यह जो वास्तविक शिकायत है हम समझते हैं कि उसका समाधान कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा। इस तरह की बातों को लेकर विद्यार्थियों में असन्तोष होना अत्यन्त ही स्वाभाविक है। इस प्रकार का असन्तोष न हो इसका इलाज सोचने की बात होनी चाहिये न कि इसका इलाज उनको जेल में बन्द करना है। जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान सरकारी रिसोर्सेज से कहां तक किया जा सकता है, इसपर भी हमको सोचना है।

अब इण्टरमीडिएट कालेजों के लड़के आये और उन्होंने मांग की कि हमारी यूनियनें बनवा दी जायं। त्रिपाठी जी मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है कि यह कोई नयी बात हुई हो और इसी सरकार के जमाने में यह विद्यार्थी आन्दोलन हुआ हो। सन् 52, 53 और 54 में छात्र आन्दोलन होता रहा है और सन् 53 में तो विद्यार्थियों पर गोली भी यहां चली थी जिसमें एक विद्यार्थी श्री गयेन्द्र की मृत्यु भी हो गयी थी। मैं भी यहां मेम्बर था और शायद कैबिनेट में भी था। यूनिवर्सिटी में गुप्ता जी भी गये थे, गवर्नर भी गये थे और शोर मचा था। दुर्भाग्य से उस समय भी गोली चली थी जब श्री टी० एन० सिंह की सरकार थी उस समय बनारस में गोली चली थी छात्र यूनियन की मांगों के खिलाफ और उस समय 12 लड़के मर गये थे। तो मेरा कहना है कि कोई भी सरकार रही हो, जान बूझकर वह इस तरह की स्थिति नहीं पसन्द करती। हमें इस पर विचार करना है कि कहीं पर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो न हो। मेरा ख्याल है कि किसी भी राजनीतिक दल की सहानुभूति ऐसी परिस्थिति पैदा करने की तरफ नहीं रह सकती। लेकिन उस परिस्थिति को हल करने के लियें कोई न कोई उपाय निकलना होता है। जब ऐसी स्थिति छात्र आन्दोलन का स्वरूप ले लेती है तो यह निश्चय है कि उसका समाधान केवल प्रशासनिक कार्यवाही से ही होता है। उन प्रश्नों का समाधान करने के लिये अब हमें नये उपाय निकालने पड़ेंगे। लाचारीवश ही उनको जेल म बन्द करना पड़ता है। और उनको छोड़ा भी गया है।

[श्री कमला पति त्रिपाठी--]

मेरी प्रार्थना तो यही है कि यह जो आन्दोलन का स्वरूप है वह पिछले 20-25 वर्ष से ऐसी परिस्थिति प्रति वर्ष होती रही है। यह कोई नयी बात इस सरकार के जमाने में नहीं हुई है। लेकिन हमको इसके लिए नये उपाय निकालने ह। एक उपाय जैसा कि गुप्ता जी ने भी बतलाया—शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के लिये अब तक न मालूम कितनी कमेटियां बैठायी गयी, कितने कमीशन बैठाये गये। गजेन्द्र गडकर कमीशन, कोठारी कमीशन, और उन सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। हमारे आचार्य नरेन्द्र कमेटी की रिपोर्ट थी, राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट थी। तमाम बड़े बड़े लोगों की रिपोर्टें आ गई हैं, हमारे सामने हैं, सम्मेलन भी होते रहते हैं। इस साल भी वर्धा में और दिल्ली में सम्मेलन हुए। बैठकर शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन हों। इस पर सोच विचार करना है। हमारे यहां करने से नहीं हो सकता है और न इतने से हो सकता है कि डिग्री कोर्स दो साल के बजाय तीन साल कर दिया जाय या 12 साल के बजाय कोर्स 11 साल का कर दिया जाये। इतने से नहीं हो सकता है।

इस बात की चेष्टा हम जरूर करेंगें कि उनकी समस्याओं का समाधान हो और हमारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर बड़ा भारी कर्जा है। जब मैं शिक्षा मन्त्री था तो लखनऊ विश्वविद्यालय को एक करोड़ रुपया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 60-70 लाख रुपया कर्जा अदा करने के लिये दिया गया था और आगरा विश्वविद्यालय पर भी कर्जा था। मुझे मालूम है कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर करीब 80-90 लाख रुपया कर्जा है। अब विश्वविद्यालय खर्च कर देते हैं। यह होता है कि यह आवश्यक खर्चा है और वे कर देती हैं, उसका बर्डन पड़ता है और यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि पैसा दो। इसके लिये क्या किया जाये। कमीशन्स की रिपोर्ट आई है उनमें ज्यादातर ऐसी बातें होती हैं कि इस प्रकार से अनएप्रूव्ड खर्चा विश्वविद्यालय कर देते हैं। यूनिवर्सिटीज को चलाना है और जरूरत होती है तो वे खर्च कर देती हैं और कर्जा बढ़ता चला जाता है। इन प्रश्नों का समाधान हम और आपको ढूंढना होगा। इतना तो हमें करना ही चाहिये। इसी में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा वातावरण उत्पन्न करे कि जिन चीजों का समाधान करना है, उनके लिये एक जगह पर बैठकर सोच विचार करें। एक दिन माननीय जायसवाल जी ने कहा था कि एक सेमिनार किया जाये। इसके लिये तैयार हूं और हम सब लोग बैठकर देखें कि हम कितना कर सकते हैं।

एक बात में हम और आप सहमत होंगे कि हम विद्यार्थियों के ऊपर प्रभाव डालने की चेष्टा करें कि वे इस प्रकार से आन्दोलन न करें जिसमें जान, माल और सारा शहर और यूनिवर्सिटीज ऐक्ट रैनसम हो जाये। तोड़ फोड़ और गोली चलती है। ऐसी बातें हमारे सामने आई हैं। इनको रोकने के लिये हम और आप चेष्टा करें। अध्यापकों को मैं दोष नहीं देता हूं लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि वहां गुटबाजी और दलबन्दी होती है। इसमें ऐसी बात नहीं जिसे हम और आप न जानते हों। किसी तरह से एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के विरुद्ध कार्य करता है, किस तरह से गुटबन्दी होती है और इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। हम चेष्टा करें कि विद्यार्थियों की तकलीफ दूर करना है और उसके लिये कौन सा रास्ता निकल सकता है। कितना आज हो सकता है, कितना कल हो सकता है, उसके अनुसार व्यवस्था की जाय।

आन्दोलन की सूरत चाहे जो कुछ भी हो लेकिन घिराव, तोड़ फोड़, मार पीट में विद्यार्थी न पड़ें। इसमें हम और आप सब लोग सहयोग दें। प्रदेश हमारा और आपका है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये, कितना ही किसी का दोष हो, प्रदेश अपना है, यह सोचना चाहिये और यदि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा अपना ही भला होगा। यह कह देना कि मौरल स्टैंडर्ड हमने ही गिराया है और आप योग्य रहे और इसको ऊपर उठाने की कोशिश करते रहे। हम ऐसे नालायक हैं कि इसको गिराते ही रहे। लेकिन हम आपके हैं। "देश में

रहेंगे, परदेश में रहेंगे, किसी भेष में रहेंगे तो भी रावरो रहेंगे । इस शिक्षा क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको दूर करें और जो उनकी समस्यायें हैं उन के समाधान का उपाय निकालने की चेष्ठा करें। हम सब ने इस स्तर पर सभी राजनैतिक दलों ने छात्रों की समस्या को आंका । हमें प्रसन्नता है कि आज आपने इस ओर हमारा ध्यान, सरकार का ध्यान दिलाया और स्वयं भी ध्यान दिया । हमारा आप का ध्यान तो इस ओर है ही लेकिन हम इस ओर सारे समाज का ध्यान आकृष्ट कर सकें, जितना अध्यापक वर्ग है, विद्यार्थी समुदाय है, राजनैतिक दल हैं, सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं मैं चाहता हूं कि इस ओर सभी का ध्यान आकृष्ट हो और हम सब मिल कर इस समस्या का समाधान करने की यदि हम चेष्टा करें तो हम सब इस प्रदेश का कल्याण करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अपनी बातें रखने का अवसर दिया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहां अपना भाषण दिया और कहा कि बहुत सी रिपोर्टस् तो निकल चुकी है और कोई नई रिपोर्ट तैयार करने के लिये विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाय या न की जाय उसके विषय में उन्होंने अपना विचार प्रकट किया । शायद मेरे आशय को वह समझ नहीं सके । मेरा मतलब यह था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको कालेज के बाद कोई समय उन्हें ऐसा व्यतीत करना चाहिये जिसके विषय में हम अभी सोच नहीं सके हैं । उस दिशा में उन को चलाने के लिये किसी बड़े कमीशन की जरूरत नहीं है, वह तो मुझसे ज्यादा विद्यार्थियों के विषय में अनुभव रखते हैं लेकिन एक व्यवहारिक व्यक्ति के नाते इन शिक्षण संस्थाओं के विषय में मैंने भी कुछ अनुभव प्राप्त किया है । मेरा मतलब यह था कि जो अध्ययन विद्यार्थियों को कराया जाय अलावा उनकी इनटेलेक्चुअल एक्टीविटीज के अन्य Actvitics ऐसी हों जो ऐक्टिविटीज बेस्ट प्रोग्राम वाली हो और उन विषयों से सम्बन्ध रखती हो । जो उन्हें अधिक से अधिक समय तक कार्यों में जुटा सके तो उनको खुराफात करने का अवसर नहीं मिलेगा । जैसे उनको खेल के मैदान में कम्पलसरी ली जाना पड़े और उनके लिये यह लाजमी हो कि उनको एक्सकर्शन्स और सेमिनारों में हिस्सा लेने के भी नम्बर मिलेंगे तो विद्यार्थी इन एक्विटीज में जुटे रहेंगे और तमाम तरह की खुराफातों में वह अपना समय व्यतीत न कर सकेंगे । इस विषय में सरकार को विशेषज्ञों से सलाह करके और दूसरे साथियों के तजुर्बे से लाभ उठाकर कोई कदम उठाना चाहिये ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय गुप्त जी ने आज की चर्चा के स्तर को बहुत ऊंचा कर दिया । शायद उस स्तर को हम न पहुंच पायें इसके लिये मैं माफी चाहता हूं माननीय गुप्ता जी से लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिस से समस्याओं का समाधान निकल सके ।

बात मैं कुछ कड़वाहट से शुरू करने जा रहा हूं । मान्यवर, मेरी अपनी राय है कि इस 2 साल की पुरानी सरकार के वक्त में जितने कांड हुए हैं उतने इसके पहले किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुए हैं । गिनती बनारस से शुरू हुई । वाराणसी कांड हुआ, फिरोजाबाद कांड हुआ, अलमोड़ा कांड, दादरी कांड, नुनारी कांड, सजनी कांड, हाथरस कांड और बांदा कांड । अब उनकी अगर आप विवेचना करे तो इसमें अतिश्योक्ति न होगी कि इन कांडों का शिकार ज्यादातर हरिजन, मुसलमान औरतें और विद्यार्थी ही हुए हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

इस वक्त विद्यार्थियों के विषय पर सिर्फ चर्चा हो रही है मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी भी विचार करें कि आखिर इस समस्या के क्या कारण हैं, मूल क्या है । कहा जा सकता है कि सरकार के अनिर्णय, वायदा करके, उसे पूरा न करना, सरकार की दुर्नीति, उसी के साथ साथ शिक्षा संस्थाओंमें व्याप्त भ्रष्टाचार,शिक्षा अधिकारियों, उन संस्थाओं के भी, उनकी स्वेच्छाचारिता, मनमानी,और इनके साथ साथ सामाजिक कारण भी हैं और सबसे बड़ा कारण जिसका माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया है यहां के बड़े लोगों की कोशिश,इनकी साफ इच्छा, नम्बर, दर्जा या श्रेणी के नाम पर बच्चों को पढ़ने न दिया जाय, रुकावटें पैदा की जाय शिक्षा सीमित की जाय । फिर महंगी शिक्षा है, वह भी एक कारण है । तो संक्षेप में कुछ उदाहरण रखता हूं ।

यहां पीलीभीत के एक आयुर्वेदिक कालेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । उस कालिज का प्रिंसिपल श्री जगदीश प्रसाद शर्मा हैं । आज 10 दिन से वहां के 1500 विद्यार्थी उनको घुसने नहीं दे रहे हैं । उनके आरोप हैं कि जब से श्री शर्मा जी वहां पर पहुंचे हैं, तब से वहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, उनके कार्यकाल में । यहां तक कि वहां की बहुत विख्यात फारमेसी जो है, वह बन्द हो गयी है । जब यह निश्चित शिकायतें आपके पास आयें, उनका नारा हो "संस्था बचाओ, शर्मा जी को हटाओ" तो निश्चित रूप से लड़के स्ट्राइक पर हों तो आपको यह चाहिये था कि वहां पर किसी आदमी को भेज करके तत्परता से जांच कराते लेकिन नहीं हो रहा है । नतीजा क्या होता है कि वहां पर स्ट्राइक हो जाती है ।

दूसरा उदाहरण मैं यहां के होम्योपैथिक कालेज का देता हूं । न जाने कितनी बार इस समस्या को लेकर सदन में पर्चे फेंके गये, उनकी मांग क्या है, वे चाहते हैं कि जैसे एम० बी० बी०एस०है उसी तरह से उनका ग्रेड कर दिया जाय और किसी यूनिवर्सिटी से उनके कालिज को सम्बद्ध कर दिया जाय क्योंकि जो मौजूदा बोर्ड है, माननीय गुप्ता जी के जो किरायेदार मोती महल में हैं, वह ठीक नहीं है । एक दफा माननीय गुप्ता जी ने मुझे वहां पर फंसा दिया था । किसी को कहा कि ये आपकी समस्या को सुलझायेंगे तो मैंने फौरन तत्परता से उस पर कार्यवाही कर दी और वहां से अनशन हट गया था । बच्चों का यह आरोप है कि यह होम्योपैथिक कालेज के मौजूदा रजिस्ट्रार, जातिवाद, कुन्बा परस्ती, आदि चलाते हैं और कालेज में उनके कारण गड़बड़ी है । यहां तक कि परीक्षा में भी भेदभाव करते हैं । लड़कों की मांग है कि एक अलग से निदेशालय बनाया जाय, ऐसा नहीं जैसा कि आज कल है, और एक अलग से निदेशक मुकर्रर कर दिया जाय । ऐसा नहीं जैसा कि स्वास्थ्य निदेशालय की मातहती में काम करता है । वह इस बोर्ड के जरिये से नहीं हो रहा है ।

इस सिलसिले में एक चीज और कह देना चाहता हूं । इलाहाबाद का एक निश्चित उदाहरण है । आप कहते हैं कि लड़कों के ऊपर क्या असर पड़ेगा । वहां के टीचर और टाट का रिलेशन एक अलग टाट के साथ छेड़छाड़ का किस्सा हुआ । 354 का मुकदमा भी चल रहा है । ऐसे को कालेज से साफ किया जाय रहा है । झूठ इसलिये नहीं है कि पुलिस ने उसकी विवेचना की है । मुकदमें अदालतों में चले जा चुके हैं । उनके सेक्रेटरी साहब हैं शम्भूनाथ मिश्रा, वे पार्लियामेन्ट के मेम्बर भी हैं । वे भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती के लिये विख्यात हैं । वहां का इलाहाबाद होमियोपैथिक कालेज जो है वह उनके परिवार की परवरिश के लिये बनाया गया है । अगर मेरी सूचना सही है तो मैं संस्था के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष भूतपूर्व एडवोकेट जनरल पं० कन्हैयालाल मिश्रा, उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्री को स्वयं अवगत कराया है कि उस संस्था का क्या हाल है । सरकार ने आश्वासन दिया कि इस संस्था को सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाय । यह आश्वासन आपने दिया लेकिन मैं समझता हूं कि वह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ । आश्वासन देकर उसको पूरा न करना यह बड़ा कारण है जिसकी वजह से यह आन्दोलन और झगड़े होते हैं ।

आज फिर लखनऊ के और वाराणसी विश्वविद्यालयों के उदाहरण दोहराये गये हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस स्टेन्डर्ड की जिस वाईस चान्सलर से अपेक्षा की जा सकती है वह स्टैन्डर्ड न तो श्रीमाली जी उससे काम कर पा रहे हैं और न ही त्रिपाठी जी और रह भी वहीं सकते हैं जो वाइस चान्सलर सरकार को खुश करने के लिये लड़कों का जुलूस लेकर चलेगा उसकी अगुवाई करेगा वह फिर बच्चों में काम कर सकेगा यह उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। इन लोगों को आप और ताकत देने जा रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा वह बिलकुल छोटे मोटे तानाशाह अपने क्षेत्रमें भी बन जायेंगे और फिर सारे अध्यापक और छात्र सब उसके खुशामदखोर बन जायेंगे। यह वातावरण जो यूनिवर्सिटीज में है मैं आज कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ने भी जो उनके स्टाफ के लोग हैं अध्यापक या प्राध्यापक उनके साथ भी उनका वर्ताव अच्छा नहीं रहता है और साथ ही साथ अगर इस बात में जरा भी सत्यता है लड़कों को झूठा फंसाने के लिये आगजनी का केस बनाया गया है तो ऐसे वाइस चान्सलर कभी छात्रों में श्रद्धा के पात्र नहीं बन सकते हैं। हमारी इन्फार्मेशन यह है कि ये कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनैतिक दलों को जितने भी विद्यार्थी संगठन हैं उन सबको कुचल देंगे, खत्म कर देंगे। वहां पर लड़के किसी भी विश्वविद्यालय में अपनी बैठक करते हैं और 34 सूत्री कार्यक्रम तैयार करते हैं पंडित जी ने उसमें से एकाध मांग का जिक्र किया है लेकिन उसमें यह भी मांग है कि रोटेशन के जरिये से हेड्स आफ दि डिपार्टमेन्ट्स जो बदले जाते हैं उनको अपने चहेतों पर श्रीमाली जी लागू नहीं करते हैं।

दूसरे यह है कि जिन निष्कासित बच्चों को निकाल दिया गया उनको वापिस ले लिया जाय। मैंने पिछली दफा भी यूनिवर्सिटी की बैठक में कहा था कि दर्जनों बच्चे निष्कासित किये गये। जब यहां पर महामहिम राज्यपाल तशरीफ ले गये तो बच्चों को मालूम हुआ कि श्रीमाली के यहां दावत में आना चाहते हैं। बच्चों ने वहां अप्रोच किया। आप यहां दाखिला दीजिये यह उनकी दरख्वास्त थी। जब श्रीमाली जी को मालूम हुआ तो उन्होंने वैन्यू ही बदल दिया और क्लार्क होटल उसका वैन्यू कर दिया। बच्चों के नुमाइन्दे वहां गये बच्चे वाइस चान्सलर के सामने धरने के रूप में बैठे हुए थे।

करीब चार बजे वहां सशस्त्र पुलिस और घुड़सवार पुलिस, सब पहुंच जाते हैं। आप पता लगाएं क्या यह सही नहीं है कि बच्चों के ऊपर घुड़सवार पुलिस दौड़ायी गयी जिससे सैकड़ों बच्चे जख्मी हुए। माधव प्रसाद जी कहते हैं कि चार सौ के करीब। मैं कहता हूं सैंकड़ों। पुलिस घुसी है छात्रावासों में और घुस-घुस कर—आपकी पी० ए० सी० बिल्कुल निरंकुश हो गयी है, जब कहीं मौका मिलता है यह लूट करती है, जैसे मुंह में खून लग गया हो, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती है जबकि यह लूट न करे। बच्चों का सामान लूटा गया, जबरदस्ती उनको होस्टल से निकाला गया।

एक और घटना बताता हूं (8 दिसम्बर की) वीर स्टूडियो, लंका की जहां उदय प्रताप सिंह छात्र की हत्या होती है। हत्या करने वालों के नाम हैं राम नरेश सिंह और शशी करन सिंह। इनमें से एक का सम्बन्ध स्टूडेन्ट फेडरेशन से है और दूसरे का सम्बन्ध आपकी कांग्रेस से है। एक का पहले से एक डकैत में और दूसरे का एक चोरी में चालान हुआ है और पिछली स्ट्राइक में इन्होंने श्रीमाली जी के पक्ष में वक्तव्य दिया था। ऐसे असामाजिक तत्वों को आज बढ़ावा मिल रहा है और इतना ज्यादा मिल रहा है कि कत्ल कर दिया। ऐसी स्थिति में शान्तिपूर्ण वातावरण रह सकता है? अगर वी० सी० असामाजिक तत्वों से बन्ध जाएगा तो वह अनुशासन नहीं रख सकता है। पहले भी आपके ही वक्त में, शायद सन् 58 में काशी विश्वविद्यालय करीब-करीब आधे साल बन्द रहा और आज भी पूरे सेशन बिलकुल बन्द रहा और यहां तक कि इस वक्त भी बन्द है। प्रदेश की जो शिक्षण संस्थाएं खुली हैं वह पुलिस के बल पर खुली हैं, वह विद्यार्थियों के विश्वास के बल पर नहीं चल रही हैं। आज यह हालत है। आप इन

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

चीजों की तरफ देखें कि आज जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे बी0 सी0 हों, चाहे प्रिन्सीपल हो, किस तरह के लोग हैं। इसी तरह से, मान्यवर, यह भी देखें कि कितना व्यापक भ्रष्टाचार है। लखनऊ का रस्तोगी कालेज—गेम्स फण्ड और दूसरे फन्ड्स में मिसएप्रोप्रिएशन किये जाते हैं, दुरुपयोग किया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि स्ट्राइक होती है। तो भ्रष्टाचार भी इन आन्दोलनों में एक कारण है।

जो शिक्षक हैं इनकी भी आपस में गुटबन्दी रहती है, जो बच्चों को बराबर इस्तेमाल करते हैं, कभी एक गुट करता है और कभी दूसरा गुट करता है। अध्यापकों की गुटबन्दी के कारण यूनीवर्सिटी से लेकर नीचे की संस्थाओं तक एक गुटबन्दी हो जाती है और कभी-कभी दोनों आपस में टकराने लगते हैं और अशान्ति होती है।

इसीके साथ-साथ, मान्यवर, कितनी ही छोटी-छोटी बातें हैं। जहां तक सरकारी स्कूल-कालेजों का सवाल है, हम लोगों के बचपन के वक्त में हर शुक्रवार को आधे दिन चला करते थे और मिडिल स्कूल और प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स में लम्बी छुट्टी शुक्रवार के दिन दो घंटे की होती थी पीलीभीत जी0 आई0 सी0 जनवरी, 1971 तक फ्राइडे के दिन आधे दिन के लिये खुला करता था ताकि लोग उसके बाद मसजिदों में जाकर नमाज पढ़ सकें। एक दीक्षित जी डी0 आई0 जी0 साहब पहुंचे और उन्होंने यह करवा दिया कि वह सारे दिन के लगे अर्थात् सबेरे 10 से 4 या 5 बजे तक, जैसा कि दूसरे दिन हुआ करता था। यह भी नहीं देखा गया कि नमाज पढ़नेवाले लोग हैं और उनको इससे दिक्कत हो सकती है। क्या सरकार का यह फर्ज नहीं था कि उसमें हस्तक्षेप करती? इससे क्या फर्क पड़ जाता अगर वह उस दिन आधा दिन ही चलता और बन्द कर दिया जाता केवल शुक्रवार के दिन। लोगों में बदले की भावना उभरी। 107 के मुकदमें चलाये गये। उस मुकदमें में जी0 आई0 सी0 के जो क्लर्क हैं उनको भी शामिल कर दिया गया और जो वहां के प्रिंसिपल, श्री इफ्तिखार हुसेन सिद्दीकी थे उनको पीलीभीत से दुद्धी मिर्जापुर भेज दिया गया। अब किस प्रकार से शान्ति रह सकती है।

आपकी हुकूमत हरिजन, सूद्र, मुसलमान आदि की नींव पर खड़ी है, इन्दिरा जी उन्हीं के बल पर तानाशाही कर रही हैं और इस सरकार का भी जन्म उसी से हुआ है परन्तु आज वहीं हरिजन और सूद्र सताये जा रहे हैं। आपकी इमारत उन्हीं पर खड़ी है नींव वह है लेकिन इमारत में सवर्ण रह रहे हैं। आप किसी तरह की ढील भी नहीं देना चाहते हैं बल्कि उनको और जकड़ना चाहते हैं। दूसरे लोग हैं जिनको इस सरकार से बल मिला है, वे लोग यहां पर मौजूद हैं और वही अव्यवस्था फैला रहे हैं तथा स्वयं वे उभर रहे हैं। इस प्रकार से मान्यवर, टकराव हो रहा है। मान्यवर, यह बड़ी शर्म की बात है कि जो गिरा हुआ है उसको आप जरा भी उठाना नहीं चाहते हैं। आज भी छुवाछूत का पाप मिटाने में आप नाकामयाब रहे हैं। दूसरी बात यह है कि.....;

श्री उपाध्यक्ष—

यह 6 बज के 17 पर समाप्त हो जायगा। अब केवल 22 मिनट शेष हैं। अब आप बन्द करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, अब मैं समाप्त ही करता हूं। यह किसकी जिम्मेदारी है। जैसा कि गुप्ता ने कहा कि युवक आन्दोलन का एक मतलब है परन्तु उसको भ्रष्ट किया जा रहा है इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर। सरकार ने तो यह समझा है कि इस प्रकार के आन्दोलन का मतलब है नाच और गाना। सांस्कृतिक आन्दोलन से यही अर्थ लगाये जाते हैं। अगर इसको एक वास्तविक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में लिया जाय तब तो यह ठीक ही है लेकिन इसका मतलब केवल नाच और नाच गाने से ही है जिसका नतीजा यह होता है कि अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता

है। गुप्ता जी ठीक ही कहते है कि यूनियन के चुनाव में हजारों लाखों रुपये आपका दल खर्च करता है ताकि यूनियनों पर कब्जा हो जाए। मिर्जापुर वगैरह की बात नहीं है बल्कि बात यह है कि शिक्षा संस्थाओं की यूनियनों पर कब्जा हो जाए। दिल्ली में क्या हुआ ? आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ था। वहां तो करीब-करीब 1 लाख रुपये खर्च हुआ होगा और शायद ज्यादा खर्च हुआ हो। कोई आदर्श नहीं रह गया है। छोटे-छोटे-लालच से आप मन बिगाड़ते हैं आपकी ही सरकार है यहां से ले कर दिल्ली तक विदेशी यात्राएं होती हैं। हजारों बच्चे जाते हैं। आपका प्रिविलेज है कि आप इन यात्राओं से भी लोगों को भ्रष्ट करते हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हुं कि आज कोई शिक्षा नहीं है। आप खुद तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है पढ़ने वालों को जिसको प्रवेश नहीं मिलता है। आप कोई उपाय नहीं निकालते हैं। इसी सदन में कहा था कि इन्टरमीडिएट के बाद बी० ए० व एम० ए० की तालीम को बन्द कर दें। आप कुछ नहीं सोच पाते। आज यह गरीबों के प्रति साफ झूठ है, धोखा है और षडयंत्र है ताकि उनके बच्चों को वहां पर पढ़ने न दिया जाए।

दूसरी चीज यह है कि आपने स्कूलों में भी फर्क कर दिया है। बड़े लोगों ने अपने स्कूल बना लिए हैं। आज क्या हो रहा है कि बड़े लोगों को अच्छी-अच्छी नौकरियों में रियायत मिल जाती है। आखिर सारी कुन्ठा बच्चों में भी तो रंग लाती है या नहीं। मैं बड़े अदब से गुप्ता जी से भी कहना चाहता हूं कि आज के आन्दोलन में, युवक आन्दोलन में जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं कोई जान नहीं है, मृत आन्दोलन है। क्या आदर्श उनका रह गया है ? सिनेमा में टिकट के लिए आन्दोलन करते हैं, कभी किसी के लिये करते हैं और कहीं किसी के लिए करते हैं। आज परमार्थ के लिये आन्दोलन नहीं होता है---क्षुद्र स्वार्थ के लिये आन्दोलन होता है। आन्दोलन हो---अगर अंग्रेजी भाषा को हटाने की बात है या दो तरह के स्कूलों को खत्म करना है। लड़कों को टूटी फूटी विदेशी भाषा सिखाना ही मकसद नहीं है। अपनी मातृ भाषा के जरिये अपने विषय के पंडित बनें। आमूलचूल परिवर्तन की बात है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन कुछ नहीं हों पाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का विद्यार्थी स्वतंत्र भारत में जानदार रह ही नहीं गया है। अगर उसको जानदार बनाना है तो तर्क वितर्क चलाइए और जैसा गुप्ता जी कहते हैं वादविवाद, सेमिनार---इन सबमें बच्चों को लगाइए इससे उनका भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। अच्छा हो बच्चे अपने जिस्म को मजबूत करें, सीखें और सिखाएं। इसके साथ ही साथ कुछ मिट्टी वगैरह का, कुंए, तालाब का भी काम कराएं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट में खत्म करते हैं।

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इससे बच्चों में प्रतिभा फूटेगी---हो सकता है कि उनका अच्छा डिवीजन न आए, मगर प्रतिभा फूटेगी। वह फूटेगी खेल के मैदान में, किसी दूसरे काम में, तीसरे काम में, चौथे काम में, पांचवे काम में। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी शिक्षा संस्था में वह चीज नहीं हो रही है। उसके न होने का कारण है यह आन्दोलन जो हो रहा है। मुख्य मंत्री तो बड़े उदार हैं। विद्यार्थियों के प्रति भी उदारता दिखाएं और उन सबको छोड़ें और वी० सी० वगैरह पर भी लगाम लगाएं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

हम एक बात कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, शंकर प्रसाद जी जायसवाल बनारस के रहने वाले हैं। उन्हें भी 2 मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके नेता ने बहुत समय लिया। अब समय नहीं है, इसलिये सब लोग दो दो मिनट बोलेंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अब समय बहुत कम है लिहाजा विस्तार से तो अपनी राय नहीं रख सकता लेकिन चूंकि माननीय जायसवाल जी ने और माननीय त्रिपाठी जी ने बनारस की घटनाओं के बारे में जिक्र किया है और उसमें भी स्टूडेन्ट फेडरेशन का नाम लिया है इसलिये में मान्यवर कुछ अधिक न कह कर स्टेटमेन्ट आन दि क्लोजर आफ बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के दिसम्बर 7 व 8, 1972 के पृष्ठ 45-46 से पढ़कर सुना दूंगा और बैठ जाऊंगा :

"We, teachers, feel strongly concerned with the manner with which a group of students specially the Vice-President and General-Secretary of the Students Union belonging to Vidyarthi Parishad in collaboration with the expelled students and outsiders, declared to be trespassers, put the whole University to ransom and created such ugly situations which ultimately led to violence, arson, loot and physical assault on members of the academic community. While the Vice-Chancellor and the Committiees appointed by him were prepared to have a meaningful dialogue with the student representatives, the Vice-President and the General Secretary along with outsiders continued to organise ugly demonstrations using filthy and threatening language and pract cally closed the doors for peaceful solution. Both the Vice-President and the General Secretary were invited to attend the Consultative Committee over which the Vice Chancellor himself presided, but they never attended any such meetings which clearly indicated that they were out for creating dist urbances. Thus they created such an ugly situation where the law and order situation in the University was badly threatened, thereby compelling he District authorities to enter the University to save it from uttar ruin."

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दिनांक 7 और 8 की घटनाओं के सम्बन्ध में जो अंश आज सदन के सामने नहीं आया है उसको उसके सामने लाने के लिये दो शब्दों में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

जैसा माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि वह आन्दोलन 17 नवम्बर से 7 दिसम्बर तक शान्ति पूर्ण आन्दोलन हुए। यह आन्दोलन 17 नवम्बर को प्रारम्भ हुआ था। इस बीच 7 दिसम्बर तक दो बार पी0 ए 0सी 0 के जवान और वहां के जिलाधिकारी विश्वविद्यालय में प्रवेश किये। पहली बार पहली तारीख को और दूसरी बार 7 तारीख को। दिनांक 1 को जब पी0 एस 0 सी 0 के जवानों को लेकर पुलिस अधिकारी गये तो वहां उन्होंने देखा कि विद्यार्थीगण शान्तिपूण ढंग से अपनी सभा कर रहे हैं वाइस चांसलर के बंगले पर और वह वहां से लौट आये। दूसरे दिन वे छात्र यूनियन के आफिस गये और वहां बातचीत की और उपलकुपति से भी बातें की। और 2 तारीख को पी० ए० सी० के जवानों को वापस बुला लिया गया। में यह इसलिये कहना चाहता हूं कि जिला अधिकारियों ने इस बात को महसूस किया कि विश्वविद्यालय में ऐसी बात नहीं थी जिससे वहां पी० ए० सी० की आवश्यकता पड़े। पहली तारीख को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पी0एस0सी0 भेजने और 2 तारीख को वापस बुला लेना इस बात का सबूत है कि उन्होंने आन्दोलन को शान्तिपूण समझा ।

5 तारीख को काला दिवस था । वहां सिटी मैजिस्ट्रेट ने और वहां के अन्य अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सभा करने, जुलूस निकालने और नगर में प्रदर्शन करने की भी छूट दे दी । दिनांक 5 को प्रात:काल 8 बजे से शाम को 6 बजे तक उनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंग से चलता रहा और शान्तिपूर्ण ढंग से जुलूस नगर में आया । तीन घंटे तक जुलूस घूमा । उस दिन शाम को रजिस्ट्रार ने महामंत्री को पत्र भेजा जिसमें यह लिखा था कि आपकी मांगों को एक विशेष समिति बनाकर उसको सौंप दिया है । 7 तारीख को प्रात:काल समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा कि विद्यार्थियों की सभी मांगे मान ली गयी है और स्वीकार कर लेने की सूचना लाउड स्पीकर द्वारा विश्वविद्यालय मे घुमाई गयी । मैं यह कहना चाहता हूं 6 तारीख को और 7 तारीख को उपकुलपति के द्वारा जो प्रचार हुआ उसके स्पष्टीकरण के लिये विद्यार्थी उपकुलपति के बंगले पर गये । क्योंकि एक ही रास्ता था कि वे स्पष्टीकरण विद्यार्थियों के सामने दें लेकिन उपकुलपति उपस्थित न थे । विद्यार्थी उपकुलपति से मिलने के लिये राज्यपाल क्लार्क होटल गये । आप देखें । आज बनारस के प्रतिष्ठित अखबार में छपा है कि विद्यार्थी प्रतिनिधि और उनके महा मंत्री छात्र संघ के राज्यपाल से मिले । राज्य-पाल से आग्रह किया कि मध्यस्थता करें । उपकुलपति भी वहां थे । महामहीम राज्यपाल ने कहा कि हम मध्यस्थता कर सकते ह लेकिन यह सेन्ट्रल की संस्था है । अगर दोनों पक्षों के लोग कहें कि हम मध्यस्थ बनें तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं । लेकिन उपकुलपति ने स्वीकार नहीं किया । मान्यवर इस तरह से विद्यार्थियों के ऊपर घोड़े दौड़ाये गये । दो सौ से ज्यादा विद्यार्थी घायल हुए (व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट का समय दें । (व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

लाठी चार्ज किया । इन सारी घटनाओं के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि दिनांक 7 की घटनाओं के बारे में क्या न्यायिक जांच कराने के लिये तैयार है और दिनांक 8 को जो हत्या हुई है यदि आपमें सच्चाई है और आपके यूथ फडरेशन के नता हत्याओं मे शामिल नहीं है तो क्या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सी० बी० आई० से इन्क्वायरी कराने के लिये लिखने को तैयार हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर... (व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

यदि आप पाक साफ हैं तो ऐसा करें । मैं यह मांग करता हूं .....। पंडित जी भी 12 तारीख को वाराणसी गये थे .....।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यदि आप न्याय चाहते हैं तो यह मुझसे सुन लें । लखनऊ विश्वविद्यालय की घटना है । 2 नवम्बर, 72 को एक कमेटी का एपाइन्टमेन्ट हुआ । जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि यूनीवर्सिटी ऐक्ट में यह है कि एक्सपर्ट होगे लेकिन एक्सपर्ट नहीं बुलाये गये । एक योग्य डाक्टर को हटाकर अपने रिश्तेदार को भर लिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप जो बोल रहे हैं वह बिना मान्यता के बोल रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप तो समय बढ़ा देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ढाई घंटे की चर्चा में कभी नहीं बढ़ाया है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)—

मान्यवर, माननीय सदस्यों के अपने ढंग के सुझाव आये और स्थिति पर प्रकाश डाला। मान्यवर, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं । आदरणीय गुप्ता जी, जिनका सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा स्थान है और उनका अनुभव है, ने आज की समस्याओं के बारे में जितना सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला है और उनके समाधान की ओर संकेत किया है उससे सब उत्तर अपने आप सामने आ जाते हैं । मुख्य मंत्री जी ने भी अपने विचार प्रकट किये । लेकिन मैं यह जानता हूं कि आज इन समस्याओं के पीछे, विद्यार्थियों की इस अशांति के पीछे किनका हाथ है और किनका हाथ नहीं है । यह तो वातावरण की बात है । अपने दिल पर हाथ रख कर देखा जा सकता है ।लेकिन मैं यह जानता हूं कि सचमुच इस बारे में आपको पीड़ा है तो जब आपका लड़का गलती करता है तो क्या पिता का या संरक्षक का यह उत्तरदायित्व नहीं हो जाता...

इतनी घटनायें होती हैं, उनके बारे में न पुलिस मंगायें, लेकिन यदि यह कैलाश होस्टल घेरा जाय प्रिंसिपल के दरवाजे पर चढ़ कर विद्यार्थी लोग उनकी मां-बहिन का और लडकियों का नाम लेकर गालियां देने लगें, लेबोरेटरी और फर्नीचर जलाया जाय और उसको यह संज्ञा दी जाय कि कांस्पिरेसी है तो मैं उसको उचित मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं तो समझता हूं कि जिनको सहानुभूति है, जो चाहते हैं कि यह आन्दोलन समाप्त हों तो जब इस तरह की घटनायें होती हैं तो उनको समझाना चाहिये और नवयुवकों का सही मार्ग-प्रदर्शन करना चाहिये और सही रूप से शान्तिपूर्ण ढंग से वह अपनी समस्याओं का समाधान करायें इसके लिये प्रेरित करना चाहिये । माननीय त्रिपाठी जी ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि आज सैकड़ों विद्यालय बन्द हैं । मैं उनको सूचनार्थ बता देना चाहता हूं कि केवल एक विश्वविद्यालय और 6 अन्य कालेज—चाहे महाविद्यालय या इन्टर-कालेज केवल 7 विद्यालय बन्द हैं । तो सूचनायें जो हैं उनको भी स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

पिथौरागढ़, अल्मोडा, नैनीताल में जो विद्यालय बन्द हैं उनके बारे म क्या कहना है ?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी काशी विश्वविद्यालय में 7–8 तारीख को जो घटनायें हुई उनकी न्यायिक और सी० बी० आई० से जांच कराने की व्यवस्था करेंगे, इसका उत्तर अवश्य दें ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

17 मिनट पर खत्म कर देंगा या और कुछ समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

और समय नहीं है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पीलीभीत के कालेज के लिये कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध यूनानी कालेज को सक्रिय बनाने के लिये, चाहे एग्जामिनेशन हो या ऐडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो उसके सम्बन्ध में शासन के पास सूचना आयी है और स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी ओर से उसको देखने के लिये और आवश्यक कार्यवाही के लिये आर्डर्स दे दिये हैं—यह मुझे जानकारी है । जहां तक होम्योपैथिक कालेज की घटना के बारे में बात है, उन्होंने कहा कि वहां के प्रिंसिपल की इनफार्मेशन पर शासन या पुलिस कार्यवाही कर रही है, हमसे तो वह केवल मान्यता प्राप्त है, हमारे यहां से एडेड भी नहीं है । लेकिन मुझे यह जानकारी दी गयी है कि उसको सस्पेंड भी प्रबन्ध समिति ने कर दिया है । अन्य समस्याओं का जहां तक सम्बन्ध है जैसे कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको राजनीति से ऊपर उठाकर उनको अपना समझकर उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिये न कि केवल अपने स्वार्थ के लिये इस्तेमाल करना चाहिये ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आपके माध्यम से फिर आग्रह करूंगा कि भाषण करके मंत्री जी चले जायंगे और हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं कि 7 दिनांक की घटना की न्यायिक जांच कराने के लिये वे तैयार ह और 8 दिनांक को हत्या की सी० बी० आई० से जांच करायेंगे और उसमें कितना समय लगेगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उत्तर मेरा भी सुन लीजिये, अभी इसका जवाब मांगने का समय नहीं है । मैंने प्रेम से सुना, दो मिनट बाकी है, जरा सुनिये। इन परिस्थितियों में यह दोषारोपण करना कि इधर चूंकि बैठते है तो हर काम के जिम्मेदार हम हैं, तो उत्तरदायी हम जरूर हैं लेकिन आज के समाज की व्यवस्था, आज का जन-समाज और उसका व्यक्ति विशेष क्या इसके लिये उत्तरदायी नहीं है ? इसको भी अगर उदारता से स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी । लेकिन उनकी गलतियों को जानते हुये भी उनको एक दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना, क्या यह उनको प्रोत्साहन देना नहीं है ? यह उनको सही रूप में मार्ग-प्रदर्शन करना नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

एक सुझाव रखना चाहता हूं कि अब इन बच्चों को जो बन्द हैं और जो लोग सस्पेंड हैं उनको तुरन्त वापस ले लीजिये और जितने विश्वविद्यालय टाउन्स हैं उन सबमें से मिनार अरेंज कीजिये और देखिये कि यह मामला अपने आप ठीक हो जायगा ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जहां तक इन विद्यार्थियों को छोड़ने का सवाल है, लखनऊ के लड़के छोड़ दिये गये हैं, शेष के बारे में भी हम शीघ्र ही वहां के विद्यार्थी नेताओं, शिक्षा अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित कर के निर्णय लेंगे । दुर्भाग्य तो यह है कि पी० ए० सी० हटी, लड़के छूटे और फिर किसी न किसी रूप में घटनायें घटीं । इसलिये घटीं कि पी० ए० सी० हट गयी । इससे काम सुलझने के बजाय कभी-कभी उलझ जाता है । हमारी प्रबल इच्छा है कि हम किसी विद्यार्थी को जेल में न रखें ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं एक सुझाव दे दूं । सब पार्टियों के नेताओं की एक कौंसिल बना ली जाय और मंत्री जी आप उसकी अध्यक्षता करें और उसके द्वारा विद्यार्थियों के सारे काम हों । 90 फीसदी विद्यार्थियों की समस्या हल हो जायेगी ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं मानता हूं । लेकिन इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि इन विद्यार्थियों का सही मार्ग दर्शन करना हर एक का पुनीत कर्तव्य है अपने सीमित क्षेत्र से ऊपर उठ कर ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम नव वर्ष की मंगल कामना के बाद उठते हैं और 10 जनवरी को 11 बजे दिन में फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 17 मिनट पर बुधवार, दिनांक 10 जनवरी, 1973 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
22 दिसम्बर, 1972 ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1182 पर ।)

स्वीकृत चिकित्सालयों की सूची

वर्ष 1971–72 में

आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	एलोपैथिक
1—पिपरी (हंडिया)	1—मकनपुर (चायल)	1—फूलपुर (महिला)
2—रोकड़ी (करछना)	2—शमसाबाद (सिराथू)	3—सिरसा (महिला)
		3—चरवा (पुरुष)

वर्ष 1972–73 में

आयुर्वेदिक	होम्योपथिक	एलोपैथिक
..	1—पुरखास	1—चरवा (महिला)
		2—शंकरगढ़ (महिला)
		3—हंडिया (महिला)
		4—सुकुलपुर (पुरुष)

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1184 पर ।)

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1972–73 में प्रतापगढ़ जिले को विभिन्न मदों में आवंटित की गई धनराशि का विवरण

1––सहायता के लिये निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गयी है:––

मद	रुपया
निःशुल्क सहायता	1,25,000
निःशुल्क अथवा रियायती दर पर बीज वितरण के लिये	5,00,000
योग ..	6,25,000
टेस्ट वर्क के लिये	2,00,000
प्रकीर्ण व्यय के लिये	5,000
आपदा तकाबी	6,10,000

2––सभी कृषीय देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी ।

3––लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न की पूर्ति हेतु सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी हैं ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1191 पर ।)

सूची

पिछले तीन वर्षों में अर्थात वर्ष 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 में जितना लीसा उत्पादित हुआ है और जिन-जिन उद्योगों को जितना-जितना लीसा जिस भाव पर दिया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	लीसे की उत्पादित मात्रा (क्विन्टल में)	आई०टी०आर० कम्पनी को दिया (मात्रा क्विन्टल में)	सहकारी समितियों को दिया (मात्रा क्विन्टल में)	आई०टी०आर० तथा सहकारी समितियों को लीसा देने की दर (प्रति में क्विन्टल रु० में)	औद्योगिक इकाइयों को दिया (मात्रा क्विन्टल में)	औद्योगिक इकाइयों को लीसा देने की दर प्रति क्विन्टल रु० में)	नीलाम द्वारा बेचा (मात्रा क्विन्टल में)	नीलाम द्वारा लीसा बेचने की दर (प्रति क्विन्टल रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1969-70	2,76,766.095	1,68,075.00	28,356	94	13,372.44	147.73	28,604.095	197.94
1970-71	2,49,795.095	1,61,910.00	21,456	140	15,533.632	197.95	16,206.000	220.46
1971-72	2,50,285.940	1,24,898.00	18,090	170	10,844.297	220.46	10,305.000	258.33

1––आई० टी० आर० कम्पनी तथा सहकारी समितियों ने उक्त वर्षों में उपरोक्त मूल्य के अतिरिक्त रु० 2.68 प्रति क्विन्टल की दर से जिला परिषदों को लाभांश दिया ।

2––वर्ष 1969–70 में आई० टी० आर० कम्पनी तथा सहकारी समितियों ने उक्त मूल्य के अतिरिक्त रु० 21.61 प्रति क्विन्टल की दर से वन विभाग को लाभांश भुगतान किया । वर्ष 1970–71, 1971–72 में वन विभाग को लाभांश देय नहीं था ।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1193 पर ।)

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय–1 प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) यह दिनांक 2 4 नवम्बर, 1972 को प्रभावी हुआ समझा जायगा ।

अध्याय–2

यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट, 1947 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 26, 1947 की धारा 11-ग के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

2––यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947, जिसे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:––

"11-ग––उप-प्रधान का निर्वाचन और उसका कार्यकाल––

(1) उप-प्रधान गांव पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से निर्वाचित किया जायगा जो नियत की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि गांव पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उसके अधीन नियत समय के भीतर उप-प्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करन में चूक करे तो नियत प्राधिकारी गांव पंचायत के किसी सदस्य को उप-प्रधान नाम निर्दिष्ट कर सकता है, और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया समझा जायगा ।

(2) उप-प्रधान का कार्य-काल, चाहे वह उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त-शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व अथवा पश्चात्, निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट हुआ हो, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय, गांव पंचायत के कार्य-काल के साथ समाप्त होगा ।

(3) उप-प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में धारा 14 के उपबन्ध, इस प्रकार कि गांव सभा तथा प्रधान के प्रति निर्देशों के स्थान पर क्रमशः गांव

पंचायत तथा उप-प्रधान के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हो जायेंगे, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

धारा 11-घ का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 11-घ में, खंण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, और सदैव से ही रखा गया समझा जाय, अर्थात्:--

"(क) गांव सभा का प्रधान तथा गांव पंचायत का सदस्य अथवा न्याय पंचायत का पंच न होगा;"

धारा 12 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 12 में,--

(1) उप-धारा (7) में, द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाये, अर्थात्:--

"उनकी संख्या उतनी होगी जो नियत की जाय।"

(2) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, और सदैव से ही रखी गयी समझी जाये, अर्थात्:--

"(11) गांव सभा के प्रधान तथा उप-प्रधान गांव पंचायत के क्रमशः पदेन प्रधान तथा उप-प्रधान होंगे और उन्हें गांव पंचायत की कार्यवाहियों में बोलने तथा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा। तथापि प्रधान, गांव पंचायत का सदस्य नहीं समझा जायगा और वह मत देने का हकदार नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि गांव पंचायत के समक्ष किसी प्रस्ताव या संकल्प की दशा में, जिसके अन्तर्गत कोई निर्वाचन नहीं आता, मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, न कि किसी अन्य दशा में, प्रधान का निर्णायक मत होगा।"

धारा 12-ज के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 12-ज के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:-

"12-ज--यदि गांव पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद-त्याग करने, निर्वाचन का परिवर्जन करने अथवा पद की शपथ लेने से इन्कार करने के कारण रिक्त हो जाय तो यथासम्भव उसे उसके शेष कार्य-काल के लिये, यथास्थिति, धारा 11-ख, 11-ग या 12 में, उपबन्धित रीति से भरा जायगा।"

नयी धारा 14-क का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"14-क--बहिर्गामी प्रधान का गांव सभा के अभिलेख तथा धनराशि देने का दायित्व--

(1) यदि कोई व्यक्ति प्रधान के रूप में अपना पद रिक्त करने पर गांव सभा के सभी अभिलेख तथा धनराशि अपने उत्तराधिकारी अथवा नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जान-बूझ कर देने में चूक करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है ।"

धारा 28-क के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 28-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

उ० प्र० अधि-नियम संख्या 1951

"28-क—(1) प्रत्येक गांव सभा की गांव पंचायत भूमि-प्रबन्धक समिति भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन गांव सभा की या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पत्ति के रख रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन करेगी ।

(2) प्रधान तथा उप-प्रधान भूमि-प्रबन्धक समिति के क्रमशः सभापति तथा उप सभापति होंगे, और गांव सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का, लेखपाल उसका सेक्रेटरी होगा ।"

धारा 28-ख का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 28-ख में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) भूमि-प्रबन्धक समिति पर, गांव सभा के लिये तथा उसकी ओर से धारा 28-क में अभिदिष्ट समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, के सामान्य प्रबन्धक, परिरक्षण तथा नियन्त्रण का भार होगा—

उ० प्र० अधि-नियम सं० 1, 1951

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन गांव सभा में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है ;

(ख) वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास;

(ग) आबादी-स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास;

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध;

(ङ०) मीनाशयों और तलाबों का अनुरक्षण तथा विकास;

(च) जोत-चकबन्दी में सहायता देना;

(छ) गांव सभा द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भुत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन ;

उ० प्र० अधि-नियम सं० 1, 1951

(ज) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भूमि-प्रबन्धक समिति को विशेषतः अभ्यर्पित कृत्यों का सम्पादन; और

(झ) ऐसे प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियंत्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय;

और वह गांव सभा की उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक या आनुषंगिक हों ।"

धारा 30 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निदेश दे तो दो या उससे अधिक गांव सभायें धारा 15 और 16 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिये इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेगी ।"

धारा 36 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

10--मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"36--उधार लेने की शक्ति--कोई गांव सभा राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जाय, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी अनुसूचित बैंक या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक से इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये धनराशि उधार ले सकती है ।"

धारा 37 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 37 में--

(1) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:--

"कोई गांव सभा निम्नलिखित सभी या कोई कर, शुल्क तथा फीसें लगा सकती है, अर्थात्--"

(2) उपधारा (1) में खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्—

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1951
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1956

"(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझी जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया पच्चीस पैसे से अनधिक कर लगा सकती है :

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1960

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिये भू-राजस्व देय हो अथवा देय समझा जाय, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो;

(ख) खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया पच्चीस पैसे से अनधिक कर लगा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भू-राजस्व का देनदार हो, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो ।"

धारा 43 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्याय पंचायत के पंच होने के लिये वांछित संख्या में गांव पंचायत के सदस्य उपलब्ध न हों, तो नियत प्राधिकारी के लिये यह विधि-सम्मत होगा कि वह इस प्रकार हुई रिक्तयों को, यदि कोई हों, पूर्ति गांव सभा के अन्य सदस्यों में से नामांकन द्वारा कर दे ।"

धारा 95 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 95 में, उपधारा (1) में—

(1) खण्ड (छ) के प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(छ) गांव पंचायत या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को, गांव सभा के किसी पदाधिकारी को अथवा न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच या सरपंच को हटा सकती है, यदि—";

(2) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (छछ) रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(छ) प्रधान या उप-प्रधान या गांव पंचायत या संयुक्त समिति अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को या न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच अथवा सरपंच को जिसके विरुद्ध खण्ड (छ) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन हों अथवा अपेक्षित हों या जिसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये अभियोग चलाया जाना विचाराधीन हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्दलित हो, निलम्बित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन निलम्बन के आदेश से, यथास्थिति, प्रधान या उप प्रधान के धारा 14 के अधीन बुलाई गई बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और ऐसी बैठक में मत देने के अधिकार पर, यदि कोई हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

(3) अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) खन्ड (च), खन्ड (छ) या खंड (ज) के अधीन कोई कार्यवाही सम्बद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं;

(2) खण्ड (छछ) के अधीन कोई कार्यवाही इस आधार पर कि खण्ड (छ) के अधीन कायवाहियां विचाराधीन हैं या अपेक्षित हैं, तब तक न की जायेंगी जब तक कि राज्य सरकार का प्रथम-दृष्ट्या यह समाधान न हो जाय कि वे आधार, जिन पर कि उस खण्ड के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है, विद्यमान है ।"

धारा 110 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 110 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।"

(2) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों,

किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

अध्याय—3

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 की धारा 4 का संशोधन

15—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द, " जब तक कि नये खंड में क्षेत्र समिति कार्य करना प्रारम्भ न कर दे" के स्थान पर शब्द" जब तक कि नये खंड के लिये क्षेत्र समिति संघटित न हो जाय" रख दिये जायं ।

धारा 5 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार, प्रत्येक खंड के लिये क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संघटन की गजट में विज्ञापित करेगी जिसका नाम उस खंड के नाम पर होगा। ऐसी विज्ञप्ति धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन क्षेत्र समिति की रचना पूरी हो जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र जारी की जायगी और उसमें वह दिनांक निर्दिष्ट होगा जब से क्षेत्र समिति संघटित या पुनः संघटित हो जायगी ।"

धारा 6 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:—

"धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपधारा (1) के खंड (1), (2), (4) तथा (5) में उल्लिखित सदस्य, नियत शर्तों तथा रीति के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित को क्षेत्र समिति के सदस्य के रूप में अनुमलित करेंगे, अर्थात्":—

धारा का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(1-क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, प्रमुख तथा उप-प्रमुखों के पद के लिये निर्वाचन कराये जा सकते हैं भले ही क्षेत्र समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति हो अथवा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (3) के अधीन किसी प्रतिनिधि के चयन में चूक हुई हो अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य के अनुमेलन में चूक हुई हो।"

धारा 8 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 8 में—

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक क्षेत्र समिति का कार्यकाल धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में उल्लिखित संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।";

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) क्षेत्र समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल समिति के संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से अथवा उसके सदस्य होने के लिये हकदार बनने के दिनांक से चाहे वह पदेन हो या, यथास्थिति उसके निर्वाचन या अनुमेलन के आधार पर हो, इनमें से जो भी दिनांक पश्चात्वर्ती हो, उससे प्रारम्भ होगा, और इस अधिनियम द्वारा की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, समिति के कार्यकाल तक होगा।"

धारा 8-क का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 8-क में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) यदि प्रमुख या धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (3) या उपधारा (2) के अधीन किसी खंड (जिसे आगे इस उपधारा में मूल खंड कहा गया है) की क्षेत्र समिति का सदस्य ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध विधान सभा की निर्वाचन नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड हो जो धारा 3 के अधीन—

(क) बाद को ऐसे किसी अन्य खंड में सम्मिलित कर लिया जाय जिसके लिये पहले से ही क्षेत्र समिति विद्यमान हो तो वह धारा 6, 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुए भी, मूल खंड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या ऐसा सदस्य न रह जायगा और उस अन्य क्षेत्र समिति के शेष कार्य काल के लिये उस अन्य खंड की क्षेत्र समिति का सदस्य हो जायगा;

(ख) बाद में ऐसे नये खंड में सम्मिलित किया जाय जिसके लिए कोई क्षेत्र समिति संघटित न की गई हो तो वह धारा 6, 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुए भी, मूल खंड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या ऐसा सदस्य तब तक जब तक कि उसका कार्यकाल समाप्त न हो जाय

अथवा जब तक कि उस नये खंड के लिये क्षेत्र समिति संघटित न हो जाय, इसमें जो भी पूर्ववर्ती हो, बना रहेगा;"

(2) उपधारा (2) में शब्द तथा अंक "धारा 4 के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 3 के अधीन" रख दिये जायं ।

धारा 9 का संशोधन

21--मूल अधिनियम की धारा 9 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(2) सिवाय उन मामलों में जिनके लिये उपधारा (1) के अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई है, जिला मजिस्ट्रेट प्रमुख का निर्वाचन होने तक प्रमुख के कृत्यों के निर्वहन के लिये, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जिसे वह उचित समझे ।"

धारा 10 का संशोधन

22--मूल अधिनियम की धारा 10 में--

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती कार्यकाल की समाप्ति पर या जब इस अधिनियम के अधीन अन्यथा अपेक्षित हो" के स्थान पर शब्द "उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्यथा अपेक्षित हो" रख दिये जायं;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "किसी खंड की क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तक कोष्ठक "अथवा संसद या राज्य विधान मंडल की सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों का अनुमेलन करने में तथा पूर्वोक्त किसी रिक्ति के होने या धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (3) के अधीन प्रतिनिधि को चुनने में चूक होने या उक्त धारा की उपधारा (2) में सदस्यों के अनुमेलन में चूक होने से क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संघटन में बाधा न पड़ेगा" रख दिये जायं ।

धारा 17 का संशोधन

23--मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय; अर्थात्:--

"(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन को गजट में विज्ञापित करेगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा । ऐसी विज्ञप्ति धारा 22 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जिला परिषद् की धारा 18 की उपधारा (1) और (2) के अधीन रचना पूरी हो जाने के पश्चात् जारी की जायगी और उसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब से जिला परिषद् संघटित या पुनस्संघटित हो जायगी ।"

धारा 18 का संशोधन

24--मूल अधिनियम की धारा 18 में--

(1) उपधारा (1) के खंड (4) में, उपखंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायं; अर्थात्:--

"(क) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या प्रशासक या यदि किसी जिले में एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक हों तो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया किसी डिस्ट्रिक्ट

कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या प्रशासक अथवा यदि जिले में ऐसा कोई बैंक न हो तो सेन्ट्रल को आपरेटिवबैंक, यदि कोई हो, का अध्यक्ष या प्रशासक, अथवा यदि इनमें से कोई भी न हो तो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि जो उसके निदेशक-मंडल द्वारा चुना जाए;

(ख) डिस्ट्रिक्ट को आपरेटिव फेडरेशन का अध्यक्ष;";

(2) उपधारा (2) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) में उल्लिखित सदस्य" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) के खण्ड (1), (2), (3), (5), (6) तथा (7) में उल्लिखित सदस्य" रख दिये जायं ।

धारा 19 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 19 में—

(1) उपधारा (1) में उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय; अर्थात्:

"प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उन दशाओं में जिनके लिए धारा 21 में अन्यथा व्यवस्था की गई है, राज्य सरकार अध्यक्ष के निर्वाचन तक अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन के लिये, आदेश द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर सकती है, जिसे वह उचित समझे ।"

(2) उपधारा (1) के उपरांत निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(1-क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद के लिये निर्वाचन कराये जा सकते हैं भले ही जिला परिषद् की सदस्यता में कोई रिक्ति हो या धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (2), खंड (4) या खंड (5) के अधीन प्रतिनिधि के चुनने में चूक हुई हो या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य के अनुमेलन में चूक हुई हो ।"

धारा 20 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 20 में,

(1) उपधारा (2) निकाल दी जाय;

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात्:—

"(3) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से अथवा उसके सदस्य होने के लिये हकदार बनने के दिनांक से, चाहे वह पदेन हो या यथास्थिति, उसके निर्वाचन या अनुमेलन के आधार पर हो, इसमें से जो भी दिनांक पश्चात्वर्ती हो, उससे प्रारम्भ होगा और इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, परिषद् के कार्यकाल तक होगा ।"

धारा 22 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 22 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार वर्तमान जिला परिषद् के, यदि कोई हो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिये अन्यथा अपेक्षित हो, जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन का प्रबन्ध करेगी ।"

(2) उपधारा (2) में शब्द "जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के अनुमेलन में कोई बाधा न पड़ेगी और उपरोक्त किसी रिक्ति के होने या उपधारा (1) के खंड (2), खंड (4) या खंड (5) के अधीन सदस्य को चुनने में चूक होने या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के अनुमेलन में चूक होने से जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी" रख दिये जायें ।

धारा 237 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 237 म—

(1) उपधारा (1) में शब्द "नियम बना सकती है", के स्थान पर शब्द "गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है" रख दिये जायं;

(2) उपधारा (2) में शब्द "ऐसा कोई नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाया जायगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह गजट में प्रकाशित न हो जाय" निकाल दिये जायं;

(3) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20, 1972 का निरसन

29—उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

इस समय गांव पंचायत के उप-प्रधान का कार्यकाल केवल एक वर्ष के लिये है, जिसके कारण निर्वाचन में उपयुक्त व्यक्ति खड़े नहीं होते और अनेक रिक्तियों की पूर्ति करनी शेष है। यह आवश्यक समझा गया कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में प्रधान की तरह उप-प्रधान का कार्यकाल भी एक वर्ष के बजाय पांच वर्ष करने की व्यवस्था की जाय और यह भी व्यवस्था की जाय कि यदि कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होता तो विहित प्राधिकारी किसी सदस्य को उप-प्रधान नाम निर्दिष्ट कर सकता है ।

यह भी व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया कि वहिर्गामी प्रधान आने वाले प्रधान को गांव सभा का अभिलेख तथा निधि देने के लिये बाध्य होगा ।

यह भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि गांव पंचायतें स्वयं भूमि प्रबन्धक समितियों के रूप में भी कार्य करेंगी ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) क अधीन सहकारी समितियों के प्रतिनिधि क्षेत्र समितियों के सदस्य हों । धारा 6 (1) में उल्लिखित सदस्य धारा 6 (2) के अधीन कुछ और सदस्यों को अनुमेलित करते हैं । अब यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों से भिन्न सदस्य ही ऐसे अनुमेलन में भाग ले सकेंगे । इसी प्रकार का संशोधन जिला परिषद् के सम्बन्ध में धारा 18 में भी करना वांछनीय समझा गया है ।

उक्त दोनों अधिनियमों की कतिपय अस्पष्टताओं को दूर करने और कतिपय अन्य प्रक्रियात्मक संशोधन करने के लिये भी इस अवसर का लाभ उठाया गया है ।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

बल्देव सिंह आर्य,
सामुदायिक विकास मंत्री ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1209 पर)

उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1972

भारत संविधान के अनुच्छेद 15 (4) तथा 16(4) की मंशा, राष्ट्रीय एकता और उत्थान के हित में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं और राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष अवसर का अभाव तथा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण स्थान आरक्षण करना सामान्य जनहित में अत्यन्त आवश्यक है और इस व्यवस्था के लिये

विधेयक

अतएव भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषा

2--इस अधिनियम में जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) पिछड़े वर्ग का तात्पर्य देश के ऐसे नागरिकों से है जिनकी मान्यता पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में है और जो राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में हैं यानी जो अनुसूची "अ" में उल्लिखित हैं।

(ख) पिछड़ा वर्ग आयोग से तात्पर्य है जो संविधान के अनुच्छेद 340 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश पर 29 जनवरी, 1953 ई० में पिछड़ा वर्ग कमीशन की नियुक्ति श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई और जिसका प्रतिवेदन 30 मार्च, 1955 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(ग) राज्य सरकार से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार।

(घ) हरिजन का तात्पर्य ऐसे नागरिकों से हैं जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा विमुक्ति जातियों के रूप में भारत संविधान में वर्णित हैं और जो अनुसूची "ब" में उल्लिखित हैं।

आरक्षण

3--पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के आधार पर ध्यान रखते हुये राज्याधीन समस्त सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिये सीधी नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये निम्नलिखित तौर पर स्थान सुरक्षित होगा, अर्थात्:--

अनुसूची (अ) के लिये

(पिछड़ा वर्ग)

श्रेणी 1 (प्रथम)	27 प्रतिशत
श्रेणी 2 (द्वितीय)	30 प्रतिशत
श्रेणी 3, 4 (तृतीय या चतुर्थ)	30 प्रतिशत

अनुसूची (ब) के लिये

(हरिजन)

श्रेणी 1 (प्रथम)	..	..	23 प्रतिशत
श्रेणी 2 (द्वितीय)	..	..	20 प्रतिशत
श्रेणी 3, 4 (तृतीय या चतुर्थ)	..	..	20 प्रतिशत

इन आरक्षित जगहों के लिये प्रतियोगिता अथवा चयन केवल पिछड़े वर्ग समूहों के अभ्यर्थियों के अन्तर्गत ही होगा ।

अवधि

4—यह आरक्षण की व्यवस्था अस्थायी तौर पर अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक होगी :

प्रतिबंध यह है कि यदि सरकार को यह समाधान हो जाय कि पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग का राज्याधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो सका है तो वह विज्ञप्ति द्वारा इस अवधि को पुनः बढ़ा देगी ।

शिक्षा संस्थाओं में लागू होना

5—उत्तर प्रदेश में सरकारी तकनीकी शिक्षा संस्थायें, अर्थात् 'मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, कृषि कालेज, विज्ञान एवं टेक्नोलाजिकल विद्यालयों में पिछड़ावर्ग एवं हरिजन (अनुसूची 'अ' तथा 'ब') के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये कम से कम 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होगा। और अन्य शेष बातों के लिये अधिनियम की धारा 3, 4 लागू हुयी समझी जायेगी । इन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने में विशेष सुविधा सामाजिक एवं शिक्षात्मक पिछड़ापन ही आधार होगा ।

सूचना

6—सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक वित्तीय बजट वर्ष के विधान सभा सत्र में इस अधिनियम की धारा 3 तथा 5 के परिपालन सम्बन्धी सूचना सदन के पटल पर रखेगी ।

निरस्त

7—लोक-सेवा आयोग की सेवा नियमावली तथा राज्य सरकार द्वारा अन्य सम्बन्धित नियम या अन्य विधि जो इस अधिनियम की धारा 3, 4 तथा 5 के प्रतिकूल तथा असंगत पाये जायं निरस्त हुआ समझा जाय ।

रूपनाथ सिंह यादव,
सदस्य, विधान सभा ।
दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 ।

अनुसूची 'अ'

(पिछड़ा वर्ग)

1—अहीर, 2—अरख, 3—बंजारा, 4—बढ़ई, 5—बारी, 6—बैरागी, 7—भर, 8—भोटिया, 9—भुर्जी या भड़भूजा, 10—बन्दि, 11—छीपी, 12—दर्जी, 13—धीमर, 14—गड़रिया, 15—गोसांई, 16—गूजर, 17—हलवाई, 18—जोगी, 19—काछी, 20—कहार, 21—केवट या मल्लाह, 22—किसान, 23—कोड़री, 24—कोरी (आगरा, मेरठ और रुहेलखंड डिवीजन में), 25—कुम्हार, 26 कुर्मी, 27—लोध, 28—लुहार, 29—लोनिया, 30—माली, 31—मनिहार, 32—मुराव या मुराई, 33—नाई, 34—नायक, 35—सोनार, 36—तमोली, 37—तेली, 38—भटियार, 39—बढ़ई, 40—चिकवा (कस्साब), 41—दर्जी, 42—डफाली, 43—फकीर, 44—गद्दी, 45—हज्जाम, 46—झोजा, 47—कसगर, 48—कूंजड़ा, 49—किसान, 50—मनिहार, 51—मिरासी, 52—मोमिन (अंसार) 53—मुस्लिम कायस्थ, 54—नद्दाफ (धुनिया), 55—नक्कल, 56—नट, 57—रंगरेज, 58—स्वीपर।

अनुसूची 'ब'

(हरिजन)

1—आगरिया, 2—वादी, 3—बधिक, 4—बहेलिया, 5—वैगा, 6—बेतबार, 7—बजनिया, 8—बजागी, 9—बलहर, 10—बलहई, 11—बाल्मीकि, 12—बंगाली, 13—बनमानुष, 14—बंशफोर, 15—बरवार, 16—बसोर, 17—बाबरिया, 18—बेलदार, 19—बेड़िया, 20—भांतू, 21—भुईवा, 22—भुइयार, 23—बोरिया, 24—चमार, घुसियार, घुसिया, जाटव तथा चरमी व सहित, 25—चेरी, 26—दवगर, 27—धनगर, 28—धानुक, 29—धरकर, 30—धोबी, 31—डोम, 32—डोमर, 33—दुसाध, 34—धरमी, 35—घुसिया, 36—ग्वाल, 37—हबूड़ा, 38—हरी, 39—हेला, 40—कलाबाज, 41—कजड़ा, 42—कपियार, 43—करवल, 44—खैरहा, 45—खरोट, 46—खरबार, बनबासी को छोड़कर, 47—खटिक, 48—कील, 49—कोखा, 50—लालबेगी, 51—मजहबी, 52—मुसहर, 53—नट, 54—पंखा, 55—परडिय, 56—पासी या तरमाली, 57—तपरी, 58—रावत, 59—सहरिया, 60—सनोरीया, 61—सांसिया, 62—शिल्पकार, 63—तुरैया, 64—मझवार, 65—कोरी, आगरा, मेरठ, रुहेलखंड को छोड़कर राज्य भर में, 66—गौड़—बुन्देलखंड डिवीजन और मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में।

रूपनाथ सिंह यादव,
सदस्य, विधान सभा।
7 दिसम्बर, 1972 ई०।

उद्देश्य और कारण का विवरण

आजादी के 25 वर्षों में प्रायः यह पाया गया है कि राज्याधीन राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सेवाओं में तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की संख्या अपर्याप्त है तथा पिछड़ी जातियां व हरिजन सामान्यतः अब भी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व दबे हैं। 1962 के आंकड़ों के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

हरिजन	..	..	..	2 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	..	..	..	1 प्रतिशत
अग्रिम जातियां	..	..	..	88 प्रतिशत
अग्रिम मुस्लिम एवं इसाई आदि		..	..	9 प्रतिशत

1961 में विधान सभा के प्रश्नोत्तर

उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में गजटेड अधिकारियों की संख्या वर्गों के आधार पर :

				1946	1955	1960
हरिजन	..	..	..	16	70	194
अन्य पिछड़ी जातियां	..	..	..	34	25	67
अग्रिणी जातियां	..	..	..	1,251	4,555	8,500
मुस्लिम, ईसाई तथा अंग्रेज आदि		..	..	1,901	630	858
		योग	..	3,202	5,280	9,619

अतः यह इष्टकर है कि 90 प्रतिशत शोषित एवं पीड़ित जनता के साथ आर्थिक एवं सामाजिक न्याय मिले और मानव-मानव में बराबरी स्थापित हो। यह तभी संभव होगा जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) तथा अन्य निदेशक सिद्धांतों का आदर करते हुये पिछड़े एवं हरिजनों के लिये नौकरी एवं शिक्षा में विशेष अवसर के सिद्धांत अपनाते हुये स्थानों का आरक्षण किया जाये। ऐसा आदेश अथवा नियम तामिलनाडु, हरियाणा, पंजाब तथा आन्ध्र प्रदेश में है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार भी जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं जातियां हैं उनके उत्थान के लिये ऐसा उपबन्ध करना वैध है। अतएव संविधान तथा सर्वोच्च न्याय की मर्यादा को सुरक्षित करने हेतु यह आवश्यक है कि इस विधेयक को विधान सभा में पारित करा के अधिनियम बनाया जाय।

रूपनाथ सिंह यादव,
सदस्य, विधान सभा,
7 दिसम्बर, 1972।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1223 पर)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं का संप्रवर्तन करने और उन्हें खोलने तथा उनमें प्रवेश के लिये तथा अध्यापन के लिये फीस लेने को प्रतिषिद्ध करने, और उनसे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अप्राधिकृत चिकित्सा कालेजों को खोलने आदि के लिये शास्ति

2—यदि इंडियन मेडिकल डिग्रीज ऐक्ट, 1916 की धारा 3 में अभिदिष्ट डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख्य-पत्र प्रदत्त स्वीकृत या जारी करने के लिये उक्त धारा के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति :—

(क) किसी ऐसी संस्था को अनुमत करता है, खोलता है, संगठित करता है, उसका अनुरक्षण या प्रबन्ध करता है, जो पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कार्य करना, संचालन करना, व्यवस्थापन करना या प्रस्तुत करना प्रदर्शित करे; या

(ख) पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के किसी पाठ्यक्रम में फीस लेकर (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) अथवा बिना फीस के प्रविष्ट करता है अथवा प्रवेश उपलब्ध करता है; या

(ग) पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से व्याख्यान या ट्यटोरियल के लिये या किसी प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिये कोई प्रबन्ध करता है अथवा यह प्रदर्शित करता है कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है; या

(घ) खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में अभिदिष्ट किसी ऐसी संस्था, पाठ्यक्रम या प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई अभिदान, दान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) लेता है ;

तो उसे तीन वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास का दंड अथवा अर्थ-दंड जो 2,000 रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद 'पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान' का वही अर्थ है जो इंडियन मेडिकल डिग्रीज ऐक्ट, 1916 में पद 'वेस्टर्न मेडिकल साइंस' को दिया गया है ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

3—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी हो तो कम्पनी, तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का वह उत्तरदायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लियें सभी सम्यक् उपाय किये ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि ऐसा अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य है तो कम्पनी के ऐसे डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, 'डाइरेक्टर' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

राज्य सरकार की ओर से परिवाद

4—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अथवा प्राधिकृत परिवार के सिवाय संस्थित न हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, 1972 का निरसन

5—उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

इंडियन मेडिकल डिग्रीज ऐक्ट, 1916 में यह व्यवस्था है कि ऐसी उपाधियां, डिप्लोमा, लाइसेंस, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख्यपत्र, जिनमें यह कथन हो या जिनसे यह प्रकट होता हो कि उनके धारक, प्रदानगृहीता अथवा प्राप्तिकर्ता पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के अनुसार चिकित्सा करने के लिये अर्ह हैं, संप्रदान, प्रदान या जारी करने का अधिकार केवल विश्वविद्यालयों अथवा तदर्थ निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों को है । यदि अन्य कोई व्यक्ति ऐसी उपाधि, डिप्लोमा, लाइसेंस, प्रमाण-पत्र या अन्य लक्ष्य-पत्र संप्रदान, प्रदान या जारी करता है अथवा उन्हें संप्रदान, प्रदान या जारी करने के लिये प्राधिकृत होना प्रदर्शित करता है तो वह दंड का भागी होगा । अग्रेतर, यदि कोई व्यक्ति झूठे तौर पर यह प्रकट करता है कि वह ऐसे किसी प्राधिकरण द्वारा संप्रदत्त, प्रदत्त या जारी-कृत उपाधि, डिप्लोमा, लाइसेंस या प्रमाण-पत्र को धारण करता है, तो वह भी दंड का भागी होगा ।

2—इन उपबन्धों के होते हुए भी यह सूचना मिली है कि कतिपय व्यक्तियों ने ऐसी संस्थाओं को खोला है या खोलने की तैयारी कर रहे हैं जो पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में डिग्री हेतु अभ्यर्थियों को तैयार करने के लिये मेडिकल कालेज के रूप में तत्पर्यित है । यह भी सूचना मिली है कि ऐसी संस्थायें प्रवेशार्थियों से वैयक्तिक शुल्क के रूप में लम्बी धनराशियां लेती हैं । राज्य में कई प्राधिकृत मेडिकल कालेज हैं जिनमें प्रवेश कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट नामक प्रवेश-पूर्व प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा विनियमित होता है । यह मालूम हुआ है कि वे प्रवेशार्थी जिन्हें इन मेडिकल कालेजों में विनियमित तरीके से प्रवेश नहीं मिल पाता है, वे अप्राधिकृत संस्थाओं में प्रवेश के निमित्त आकर्षित होते हैं । यदि ऐसी अप्राधिकृत संस्थायें खुलने दी जाती हैं अथवा उनका अनुरक्षण जारी रहता है और विद्यार्थीगण अन्ततोगत्वा ऐसी किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं जिससे मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस या प्रमाण-पत्र मिल सके, तो विद्यार्थियों को अधिकतम असुविधा होगी ।

3—यह सुज्ञात है कि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण में उच्चकोटि की साज-सज्जा एवं सुविधाओं की अपेक्षा होती है तथा लम्बा विनियोजन और आवर्तक व्यय करना पड़ता है । स्पष्ट है कि ये अप्राधिकृत संस्थायें व्याख्यानों, प्रदर्शनों तथा प्रयोगों के लिये समुचित सुविधायें देने में समर्थ नहीं हैं तथा उन्हें पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कठिन दायित्व नहीं सौंपा जा सकता । अतएव, यह आवश्यक समझा गया है कि ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं का खुलना, अथवा उनका अनुरक्षण जारी रखना प्रतिषिद्ध कर दिया जाय ।

यह विधेयक तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है ।

धर्मदत्त वैद्य,
स्वास्थ्य मंत्री

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1223 पर)]

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1972 की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(3) यह इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी और वाराणसी जिलों में 2 मार्च, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा, और उत्तर प्रदेश के शेष भाग में ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।"

धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(च) 'वर्ष' का तात्पर्य 1 जनवरी को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से हैं;"

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाय और उसे सदैव से पुनः संख्याकित किया गया समझा जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं और वे सदैव से बढ़ायी समझी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई अधिकारी, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसने वर्ष 1971 में अथवा उसके पूर्व तेंदू पत्ता क्रय किया हो, —

(1) उपधारा (1) के खंड (क) में अभिदिष्ट राज्य सरकार या अधिकारी अथवा अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे पत्तों की बिक्री करने की अनुज्ञा दे सकता है और ऐसी सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को उक्त पत्ता क्रय करने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(2) ऐसे पत्तों को उत्तर प्रदेश के भीतर किसी स्थान को परिवहन करने या उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात करने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(ख) उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (3) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर बीड़ी बनाने के लिये प्रयोग करने में अथवा, जैसी भी दशा हो, उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात करने म असमर्थ रहा हो; या

(ग) किसी व्यक्ति को जिसने उत्तर प्रदेश के बाहर तेंदू पत्ता क्रय किया हो, उन्हें या तो राज्य के भीतर बीड़ी बनाने के लिये अथवा राज्य में होकर उत्तर प्रदेश के बाहर अन्यत्र ले जाने के लिय, राज्य में लाने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(घ) किसी व्यक्ति को जिसने उत्तर प्रदेश के भीतर , किन्तु ऐसे क्षेत्र के बाहर जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, तेंदू पत्ता क्रय किया हो, बीड़ी बनाने के लिये किसी क्षेत्र में जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, उनका परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड

(3) अथवा उपधारा (2) में अभिदिष्ट अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया जाय, ऐसी फीस का देनदार होगा जो विहित की जाय।"

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में, शब्द "या तेंदू पत्ता उत्पादकों से" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(1) उपधारा (1) में, शब्द "नियम बना सकती है" के स्थान पर शब्द "गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

(2) उपधारा (2) में, खंड (घ) में शब्द "तेंदू पत्तों के परिवहन के लिये" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे, और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं, अर्थात्—

"और ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के लिये देय फीस";

(3) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर बनाया गया कोई भी नियम ऐसे दिनांक से जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले का न हो, भूतलक्षी रूप से बनाया जा सकता है ।"

नतथियां

7—मूल अधिनियम की धारा 21 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा 1) कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् म्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्,— धारा 21 का संशोधन

"(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।"

8—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, वर्ष 1971 में अथवा इसके पूर्व उगाये गये तेंदू पत्तों के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की ारा 5 के उपबन्धों के अधीन की गयी अथवा की जाने के लिये तात्पर्यित कोई ात या किया गया अथवा किये जाने के लिये तत्पर्यित कोई कार्य उतना ही विधि- न्य तथा प्रभावी समझा जायगा मानों इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम ी धारा 5 और 7 में किये गये संशोधन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे । विधीकरण

9—उत्तर प्रदेश तेंदु पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, 1972 का निरसन

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी तथा वाराणसी जिलों में 2 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हुआ । उक्त अधिनियम के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, इन जिलो में राज्य के बाहर से या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से तेंदू पत्तों का आयात करना प्रतिषिद्ध किया गया था । अब यह आवश्यक समझा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उत्तर प्रदेश के बाहर तेंदूं पत्ता क्रय किया हो, उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने के लिये उन्हें राज्य के भीतर लाने और किसी ऐसे व्यक्ति को भी, जिसने उत्तर प्रदेश के भीतर, किन्तु ऐसे क्षेत्र के, जिस पर उपर्युक्त अधिनियम लागू होता हो, बाहर तेंदू पत्ता क्रय किया हो, बीड़ी बनाने के लिये किसी ऐसे क्षेत्र में जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, उनका परिवहन करने के लिये अनुज्ञा-पत्र दिये जाने की व्यवस्था की जाय । ऐसे अनुज्ञा-पत्र देने के लिये फीस भी उद्गृहीत की जायगी । तद्नुसार इसकी व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करके की जा रही है ।

2—अधिनियम का अभिप्राय यह था कि सभी तेंदू पत्तों के क्रय तथा वितरण पर, भले ही वे किसी भी वर्ष में उगाये गये हों, राज्य का एकाधिकार हो जाय। इस उद्देश्य से कि यह अभिप्राय और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके और जबकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 10 नवम्बर, 1972 के अपने निर्णय में अधिनियम का ऐसा अर्थ लगाया है कि वह वर्ष 1971 या इसके पूर्व उगाये गये तेंदूं पत्तों पर लागू नहीं होता, यह आवश्यक समझा गया कि धारा 5 को इस प्रकार संशोधित कर दिया जाय जिससे कोई व्यक्ति जिसने वर्ष 1971 में या इसके पूर्व तेंदू पत्ता क्रय किया हो, तेंदूं पत्तों का निस्तारण व्यवस्थित रीति से तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए कर सके । धारा 7 की उपधारा (1) का भी संशोधन इस बात को स्पष्ट करने के लिये किया जा रहा है कि यह अधिनियम तेंदू पत्तों की सभी बिक्री-कर सदैव लागू रहा भले ही ऐसे पत्ते किसी वर्ष में उगाये गयें हों और वे व्यक्ति भी जिनसे पत्ते क्रय किये जायं स्वयं उनके उत्पादक हो या न हों । प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से किये जा रहे हैं और ऊपर अभिदिष्ट उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण वैधीकरण उपबन्ध भी बनाया जा रहा है ।

3—कुछ अन्य संशोधन सामान्य प्रकार के हैं ।

4—तद्नुसार उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1972 पुरःस्थापित किया जाता है ।

अजीत प्रताप सिंह,
वन मंत्री ।

पी०एस० यू०पी०—ए० पी 257 एल० ए०—1973—835 ।